# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 2 चतुर्थ विधान सभा के द्वितीय सत्र का 61 वां दिवस संख्या 24

सोमवार,

दिनांक 18 मार्च, 1968

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 को विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष महोदय की अनुपस्थिति की सूचना

श्री उपाध्यक्ष : मैं सदन को सूचना देना चाहूंगा कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन से निवेदन किया है कि वे रुग्णावस्था के कारण एक सप्ताह के लिए सदन में बैठकर कार्य संचालन करने में असमर्थ रहेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): हमारी सद्भावनायें हैं उनके साथ।

तारांकित प्रश्नोत्तर

[राजस्थान कैनाल, समाज-कल्याण, वित्त, राजस्व, खाद्य, देवस्थान, सिंचाई, पंचायत, राजकीय उपक्रम, वन व उपनिवेशन विभाग]

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न!

श्री रामचन्द्र आर्य।

नालों पर साकेट

614. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या राजस्थान केनाल परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान नहर क्षेत्र में मोगों में लगे नालों पर साकेट लगाने का क्या कारण है?

(2) क्या यह सही है कि इस साकेट सिस्टम से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है?

(3) क्या यह सही है कि बार बार साकेट लगाई जाती है व निकाली जाती है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

(4) इसकी रोक थाम किस प्रकार हो सकती है?

मंत्री, राजस्थान केनाल परियोजना, (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (1) पाइप में पानी का रास्ता आवश्यकतानुसार ठीक करने हेतु।

(2) जी नहीं।

(3) जब कभी चक का कमाण्ड या पानी की क्षमता (डिस्चार्ज) किन्हीं कारणों से बदली जाती है तो ही ऐसा किया जाता है।

(4) जब सम्बन्धित चकों की सिंचाई की व्यवस्था स्थाई हो जायेगी तब इसकी जरूरत नहीं रहेगी।

# Page No.2



श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि जितने इंच के मोगे मन्जूर हैं उतनी बड़ी नाल नहीं लगाकर बड़ी नाल लगाई जाती है और फिर बाद में उसको कम करने के लिए एक अलग से साकेट फिट की जाती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह बात सही है कि स्टेन्डर्ड साइज के लगाते हैं अर्थात् 6 इंच, 9 इंच और 12 इंच और फिर बाद में वहां की साइज की क्षमता की आवश्यकता को देखते हुए कभी कम करना पड़ता है और कभी बढ़ाना भी पड़ता है। जब बढ़ाते हैं तो साकेट भी लगाना पड़ता है।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि इस प्रकार के सिस्टम से काश्तकारों से जबरन रिश्वत वसूल की जाती है और जो काश्तकार उनसे मिलकर काम नहीं करता है उसको जबरन रिश्वत से घसीटा जाता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसी मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि इस संबंध में साकेट के बारे में राजस्थान केनाल में अनेक मुकदमे साकेट तोड़ने के बारे में, साकेट हटाने के बारे में और साकेट नहीं लगाने के बारे में चले हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जिस किसी को दिक्कत होती है तो वह दिक्कत सामने रखता है। अधिकारीगण उस दिक्कत को हल करने की कोशिश करते हैं। माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी चूंकि राजस्थान केनाल का इर्रिगेशन अस्थाई है इसलिए यह सारी व्यवस्था अस्थाई है और कुछ वर्षों में यह व्यवस्था स्टेबलाइज हो जायेगी तब पक्का काम हो जायेगा और तब यह व्यवस्था नहीं रहेगी।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि इस प्रकार की आवश्यकता इस कारण है कि ओवरसियर के स्टेन्डर्ड तक का जो कर्मचारी है वह अपने मनमाने ढंग से साकेट लगाता है और जो रिश्वत दे देते हैं उसमें साकेट नहीं लगाई जाती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह बात असत्य है क्योंकि केवल एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर ही को यह अधिकार हैं और एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर की बिना स्वीकृति के कोई साकेट नहीं लगाया जाता या सिस्टम में तब्दीली नहीं होती।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह मोगे कब पक्के हो जायेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने कहा कि 5–7 वर्ष तक इर्रिगेशन हो जाने के बाद सिस्टम स्टेबलाइज हो जाता है और उसके बाद में उसको पक्का कर दिया जाता है।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, साकेट लगाने में और साकेट हटाने के लिए एक कमेटी बनाई जाये और इलाके का कोई सरपंच या मुख्य आदमी के रूबरू साकेट लगाने चाहिए जिससे भ्रष्टाचार कम हो नहीं तो अपने मन से वहां पर साकेट फिट कर देते हैं और जिनसे रिश्वत ले लेते हैं वहीं साकेट फिट की जाती है इसके लिए मैं आपसे आश्वासन चाहता हूं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसी व्यवस्था अभी सरकार उचित नहीं समझती है।

# Page No.3



श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में इलाके में बड़ा भ्रष्टाचार फैला हुआ है और मंत्री महोदय कहते हैं कि हम उचित नहीं समझते हैं। इसका मतलब यह है कि आपका भी इसमें हाथ है इस भ्रष्टाचार के अन्दर कि सिंचाई मंत्री इस प्रकार से सदन में कहें कि हम उचित नहीं समझते हैं और मनमाने ढंग से साकेट लगाये जायें और जो रिश्वत नहीं देते हैं उनके खिलाफ मुकदमे किये जायें····

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कोई भ्रष्टाचार नहीं है। माननीय सदस्य ने एक उदाहरण तो दिया नहीं और भ्रष्टाचार करते हैं····

श्री रामचन्द्र आर्य : इस संबंध में मैं आपके सामने तथ्य पेश कर सकता हूं····

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न श्री नाथूराम

राजकीय आदिवासी छात्रावास, गढ़ी

615. श्री नाथूराम (बागीडोरा) : क्या समाज-कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजकीय आदिवासी छात्रावास, गढ़ी में छात्रों की संख्या बढ़ाने की मांग विभाग को प्राप्त हुई ? यदि हां, तो कब व विभाग में इस पर क्या कार्यवाही की है ?

(2) क्या यह सही है कि हर वर्ष सैकड़ों आदिवासी छात्र उक्त छात्रावास में प्रवेश के लिए आते हैं और प्रवेश नहीं मिल सकने से वापिस लौटते हैं ? यदि हां, तो संख्या नहीं बढ़ाने के क्या कारण हैं, जब कि वे छात्र केवल साइन्स के लिए ही इस छात्रावास में प्रवेश के लिए आते हैं ?

मंत्री, समाज-कल्याण (राव श्री नारायणसिंह मसूदा) : (1) जी नहीं।

(2) सभी छात्रावासों में प्रवेश के लिए छात्रों की स्वीकृत संख्या से अधिक प्रार्थना-पत्र प्राप्त होते हैं। वित्तीय प्रावधान की कमी के कारण सब छात्रावासों में स्वीकृत स्थानों की वृद्धि करना सम्भव नहीं है।

श्री नाथूराम : प्रश्न संख्या 1 का आपने 'ना' बताया लेकिन हर साल 10 साल से हमारे यहां से एप्लीकेशन पेश होती हैं और विभाग को भी मैंने तार दिया है संख्या बढ़ाने के लिए क्या मंत्री महोदय जांच करवायेंगे कि वहां संख्या बढ़ाई जाये ?

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : अगर इस प्रकार की कोई मांग होगी तो उसको देखकर और जिस जिस प्रकार से वित्तीय साधन होंगे उस प्रकार से अगले वर्ष में इस पर विचार किया जायेगा।

श्री नाथूराम : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि 3 साल में कितने छात्र छात्रावास में आये और वापिस लौटे ? यह आंकड़े बताने की कृपा करें।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा: मैंने निवेदन किया है कि हर एक छात्रावास में छात्र प्रवेश के लिए आते हैं और जितनी गुंजाइस होती है और जितनी स्वीकृत संख्या होती है उसके ऊपर प्रवेश दिया जाता है बाकी लौटना भी पड़ता है।

श्री नाथूराम : उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर 30 की संख्या है और मैं सन् 57 से मांग कर रहा हूं कि गढ़ी ये साइन्स लेने के लिए आदिवासी छात्रावास में मिडिल स्कूल के लड़के

(श्री नाथूराम)
आते हैं तो सौ–सौ और दो–दो सौ लड़के वापिस जाते हैं और उनको जगह नहीं मिलती है। केवल 20 लड़कों की कोटा नहीं बढ़ा सकते हैं। क्या मंत्री महोदय आश्वासन देंगे कि संख्या बढ़ायेंगे ?

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : मैंने निवेदन किया कि जरूर विचार किया जायेगा। यों मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि 6 राजकीय और 12 अनुदानिक छात्रावास और 500 छात्र इसमें इस समय इस डिस्ट्रिक्ट के अन्दर मौजूद हैं और अन्य डिस्ट्रिक्ट्स की भी इसी प्रकार से कई मांगे हैं। उनकी सब मांगे तारतम्य में विचार करके इसको देखेंगे।

श्री नाथूराम : एक छात्रावास जो गढ़ी में है उसमें साइन्स है बाकी दूसरी जगह कहीं भी साइन्स नहीं है और वहा से हर साल 200 लड़के वापिस लौटते हैं। 20 छात्रों की संख्या 10 साल में नहीं बढ़ा सकते तो फिर आप क्या सेवा करेंगे ? क्या मंत्री महोदय इसी सेशन में संख्या बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं निवेदन कर चुका हूं कि विचार किया जायेगा।

श्री नाथूराम : विचार से मतलब क्या है ? हां या ना एक बात बताये। गयी साल भी आश्वासन दिया था संख्या बढ़ाने के लिए।

श्री केशरीसिं हाड़ा : (हिण्डोली) छात्रों के प्रवेश किस आधार पर दिये जाते हैं ? आमदनी के आधार पर या किस आधार पर ?

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : प्रवेश के लिएएक कमेटी मुकर्रर है। वह छात्रों की निजी अवस्था देखकर शिड्यूल्ड कास्ट के हैं, ट्राइब्स के हैं या किस प्रकार से हैं सब बातों को देखकर ही प्रवेश दिया जाता।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : इस कमेटी के सदस्य कौन कौन हैं ?

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अन्दर अलग अलग समितियां हैं।

श्री लादूराम सुलानियां (फागी) : मंत्री महोदय क्या बतायेंगे कि 20 साल में

श्री उपाध्यक्ष : अलग प्रश्न है। प्रश्न गढ़ी के बारे में पूछा गया है।

श्री लादूराम सुलानियां : 20 वर्षों मे साइन्स के आदिवासी कितने लड़के तैयार किये हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : अलग प्रश्न हैं।

श्री लादूराम सुलानियां : बहुत जरुरी प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर दे दिया गया है।

श्री नाथूराम : क्या इस छात्रावास के संबध में इस साल मंत्रणा परिषद् ने प्रस्ताव पास किया है संख्या बढ़ाने के बारे में ?

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : मैंने निवेदन किया है कि संख्या बढ़ाने के विषय में अगले वर्ष में विचार किया जायेगा।

श्री रामराम (छापर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है। प्रवेश जो छात्रों का होता हैं उसके लिए एक कमेटी बना रखी है तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि इस कमेटी की मीटिंग नहीं होती है और छात्रावास का सुप्रिन्टेन्डेन्ट है वह अपनी मरजी से छात्रों की भरती करता है, और इसमें

(श्री रावत राम)

खासतौर पर गड़बड़ करते है और जो उपयुक्त छात्र हैं वे रह जाते हैं, और उस तरीके से छात्रों को भरती करते हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप इस बात की जानकारी करेंगे कि इस तरह की कमेटी की मीटिंग होती है और उसकी राय से छात्रों को प्रवेश दिया जाता है क्या ?

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : छात्रावासों की व्यवस्था को रिआर्गेनाइज करने के लिए एक कमेटी बनाने का निर्णय किया गया है और भी। इस समय भी छात्रावासों में प्रवेश के लिए कमेटी मौजूद हैं, और उनके अन्दर जिस प्रकार से स्क्रीनिंग होना चाहिए उसके अन्दर मन्त्रणा परिषद् या माननीय सदस्य जिस प्रकार से राय देंगे उस प्रकार से स्क्रीनिंग और भी करने के लिए कर दिया जायगा। यह मैं मानता हूं कि कई छात्र जो बिगिनर्स या और दूसरे प्रकार के होते हैं वे बाद में रह जाते हैं और इस प्रकार की चीजें सामने आती हैं। इन सब चीजों के जांच करने की आवश्यकता है।

श्री लादूराम सुलानियां : क्या इन 20 वर्षों में....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य....

श्री लादूराम सुलानियां : माननीय उपाध्यक्ष, मेरा एक छोटा सा सप्लीमेंट्री है, और वह बहुत जरूरी है। राज्य सरकार ने इन 20 वर्षों में आदिवासी क्षेत्र के कितने छात्रों को साइन्स की ऊंची डिग्री प्राप्त करने...

श्री उपाध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री नाथूराम : आज 10 साल में 20 छात्रों की संख्या नहीं बढ़ा पाये हैं तो इसके लिए या तो आप 'हां' कह दें या 'ना' कह दें। साइन्स लेने के लिए आदिवासी लड़के है तो या तो आप 'हां' फर्मा दें या 'ना' फर्मा दें ?

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं माननीय सदस्य की भावना का आदर करता हूं, लेकिन ऐसा वायदा नहीं करना चाहता जो आगे न चल सके।

श्री उपाध्यक्ष : प्रोफेसर केदार !

निरीक्षकों की पदोन्नति

616. श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) वाणिज्य कर विभाग में सहायक वाणिज्य अधिकारियों के कितने पद हैं ? इस समय कुल कितने आदमी इस पद पर काम कर रहे हैं ?

(2) कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति आयु 55 वर्ष कर देने के बाद इस साल कितने वाणिज्य कर निरीक्षक तथा सहायक वाणिज्य अधिकारी रिटायर हो रहे हैं ?

(3) जिन पदों से सहायक वाणिज्य-कर अधिकारी रिटायर होंगे उन पर नियुक्ति किस प्रकार की जावेगी ?

(4) क्या वाणिज्य कर विभाग अधीनस्थ सेवा में नियुक्ति व पदोन्नति के बारे में कोई सेवा नियम बने हुए हैं ?

(5) क्या यह सही है कि कुछ वाणिज्य कर निरीक्षकों को राजस्थान जन सेवा आयोग द्वारा 7 साल पहले सिलेक्ट किये जाने के

# Page No.6



(श्री केदार नाथ)
बाद अभी तक कन्फर्म नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों नहीं ?

(6) क्या यह सही है कि सन् 1960 में जन सेवा आयोग द्वारा सिलेक्ट किए हुए कुछ वाणिज्य कर निरीक्षकों को बिना विभागीय परीक्षा पास किए कन्फर्म कर दिया है जबकि उसी समय के उन्हीं के साथ के कुछ निरीक्षकों को विभागीय परीक्षा में बैठे बिना कन्फर्म नहीं किया गया है ? यदि हां, तो भेदभाव का क्या कारण है ?

(7) दिसम्बर, 1964 में जो निरीक्षक सहायक वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर पदोन्नत किए गये थे, क्या उनके चयन के लिये कोई विभागीय कमेटी बिठाई गई थी ? यदि नहीं, तो पदोन्नति किस अधिकारी ने की थी तथा पदोन्नति का आधार क्या था ?

(8) क्या यह सही है कि कुछ बहुत ही जूनियर निरीक्षकों को पदोन्नति दे दी गई तथा सीनियर निरीक्षकों को अभी तक पदोन्नति नहीं दी गई है ?

उपमंत्री वाणिज्य कर (श्री प्रद्युम्न-सिंह) : (1) इस विभाग में सहायक वाणिज्यक कर अधिकारियों के 168 पद हैं जिनमें से 16 एबेयान्स में हैं तथा इस समय 152 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी कार्य कर रहे हैं।

(2) कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति आयु 55 वर्ष कर देने के कारण इस साल 1968 में कोई सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी या निरीक्षक रिटायर नहीं होगा ?

(3) प्रश्न नहीं उठता।

(4) सेवा नियमों को राज्य सरकार द्वारा अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(5) सन् 1960 में जन सेवा आयोग द्वारा चयन किये गये निरीक्षकों में से केवल दो निरीक्षकों को छोड़कर अन्य सभी स्थाई किये जा चुके हैं। इन दो में से एक सन् 1963 में अस्थाई रूप से भारतीय सेना की सेवा में कमीशन्ड आफिसर होकर चले गये थे और वहां से हाल ही में लौटे हैं। दूसरे का गोपनीय रेकार्ड सन्तोषप्रद नहीं था।

(6) स्थिति प्रश्न 5 के उत्तर से स्पष्ट है।

(7) दिसम्बर, 1964 में केवल तदर्थ (एडहाक) स्थाई नियुक्तियां की गई थीं इसलिए कमेटी नहीं बिठाई गई न इसकी आवश्यकता थी। ये तदर्थ नियुक्तियां प्रारंभ में आयुक्त द्वारा अपने अधिकारानुसार चार मास के लिए की गई थीं। उसके बाद राज्य सरकार की आज्ञा से बढ़ाई गई। इस तदर्थ नियुक्तियों के लिए वे निरीक्षक कन्सीडर किये गये थे जो या तो इस विभाग में किसी श्रेणी के निरीक्षक पद पर कन्फर्म थे या जिनको इस विभाग के निरीक्षक पद का कम से कम एक वर्ष का अनुभव था और जो जन सेवा आयोग द्वारा द्वितीय श्रेणी निरीक्षक पद के लिए एप्रूव्ड कर दिये गये थे। इनमें से भी उनको कन्सीडर नहीं किया गया जो यातो निलम्बित थे या जिनका गोपनीय रेकार्ड संतोषजनक नहीं था।

(8) दिसम्बर, 1964 के बाद अन्य निरीक्षकों के कन्फर्म हो जाने या कुछ सीनियर निरीक्षकों के आबकारी विभाग से कर विभाग में आ जाने तथा निरीक्षकों के पद जन सेवा

(श्री प्रद्युम्न सिंह)
आयोग की परव्यू से निकल जाने के कारण ऐसी स्थिति बन गई है कि तदर्थ रूप से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी का काम करने वालों में से जो निरीक्षक कुछ अन्य निरीक्षकों की अपेक्षा जूनियर हैं।

श्री केदारनाथ : यह आपने पार्ट (7) में यह फर्माया तो एडहाक एपाइमेंट्स किस आधार पर किये गये ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह जो एडहाक नियुक्तियां थीं वे कमिश्नर द्वारा की गई थीं अपने अधिकार के द्वारा।

श्री केदारनाथ : इसके बारे में रूल्स हैं या वैसे ही डिस्क्रीशन पर है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : रूल्स इसके कोई नहीं हैं। सीनियोरिटी व कान्फीडेन्शियल (सी. आर.) रूल के आधार पर इस प्रकार की नियुक्तियां की जाती हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतनलाल।

मनी लैंडर्स एक्ट में परिवर्तन

617. श्री रतनलाल रौत (चौरासी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सरकार मनीलैंडर्स एक्ट में कोई परिवर्तन करने जा रही है ?

(2) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उप मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) अभी मामला परीक्षाधीन है।

(2) मामला अभी निर्णायक दौर में नहीं पहुंचा है, अतः ब्यौरा देने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : विचाराधीन किस मुद्दे पर है ?

श्री गंगाराम चौधरी : परीक्षाधीन है। कुछ नियमों के सम्बन्ध में पिछड़े वर्ग को कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हुई थी, इसलिए अन्य राज्यों के उस सम्बन्ध के अधिनियम मंगवाये गये हैं और उन पर विचार किया जाकर संशोधन किये जाने का है।

श्री शंकरलाल : कब तक आप संशोधन करने का निर्णय लेंगे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (राजस्व मंत्री) : इस सम्बन्ध में जहां तक राजस्व विभाग का सम्बन्ध है करीब करीब विचार हो चुका है और इसको मंत्री परिषद् में भेजने की कार्यवाही की गई है।

श्री शंकरलाल : मंत्री-मंडल में इसको आप रखकर निर्णय कब तक ले लेंगे यह कहने की स्थिति में है या नहीं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह मैं नहीं कह सकता कि मंत्री मंडल के एजेन्डे में कब आयेगा, लेकिन मेमोरेण्डम इसका तैयार हो चुका है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल !

रायपुर तहसील की सहकारी समितियों एवं अनाज के व्यापारियों को ट्रान्सपोर्ट का किराया

618. श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री शंकर लाल)

(1) क्या यह सही है कि पालो जिले की रायपुर तहसील की सहकारी समितियों एवं अनाज के अन्य व्यापारियों को गत ढाई साल से सरकार द्वारा निधारित ट्रान्सपोर्ट का किराया नहीं दिया जा रहा हैं ? यदि हां, तो क्यों और इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं ?

(2) क्या यह सही है कि यह किराया सन् 1951 में निर्धारित रेट की दर से ही तय किया जाता है जब कि सन् 1951 के पश्चात् ट्राम्सपोर्ट का किराया बहुत बढ़ गया हैं ?

(3) क्या सरकार किराये के बढ़ते खर्चे को मद्दे नजर रखते हुए किराये की दर में वृद्धि करने व गत ढाई साल से पेंडिग मामलों को शीघ्र निपटाने हेतु उचित व्यवस्था करेगी ?

उपमंत्री, खाद्य (श्री रामदेव सिंह) : (1) रायपुर तहसील में खाद्यान्न परिवहन के 37 बिल वर्ष 1966 एवं 1967 के अब तक तहसील रायपुर में जेर कार्यवाही हैं। यह बिल जांच में अपूर्ण पाये गये हैं। अतएव तहसीलदार द्वारा सम्बन्धित व्यापारियों से पूर्ण कराने हेतु पत्र-व्यवहार हो रहा है। परन्तु रिटेलरों ने बिल अभी तक पूर्ण नहीं किये है। रिटेलर स्वयं ही बिलों की अदायगी में विलम्ब के लिए जिम्मेदार हैं।

(2) जी हां।

(3) इन व्यापारियों के किराये में वृद्धि करना सम्भव नहीं है। अलबत्ता भविष्य के लिए वृद्धि करना विचाराधीन हैं। बिलों की अदायगी शीघ्र की जावेगी।

श्री शंकरलाल : क्या यह सही है कि जितने बिल विचाराधीन पड़े हैं सब सहकारी समितियों और अनाज के व्यापारियों की गलती के कारण पड़े हैं या डिले हो रही है सरकारी कार्यालय में। कितने कितने बिल सहकारी समितियां या व्यापारियों की गलती से हैं और कितने डिपार्टमेन्ट की गलती से हैं।

श्री रामदेवसिंह : ये सारे के सारे बिल जो सहकारी समितियों के द्वारा और व्यापारियों के द्वारा सही तरीके से नहीं बनाने के कारण पड़े हुए हैं और उनमें देर हो रही है। इन से डिपार्टमेंट पत्र-व्यवहार कर रहा है और जल्दी ही निपटाने की कोशिश की जा रही है।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह केवल डिले की जा रही है और दो-तीन साल से रेड-टेपिज्म के अन्दर बिल पड़े हुए है और इसी लिए उनका पेमेन्ट नहीं हो रहा है। दूसरे, आपने कहा है कि रेट्स ट्रान्सपोर्ट द्वारा बढ़ाये जायेंगे इसीलए विचार नहीं किया जा सकता है, तो क्यों नहीं किया जा सकता है ? जब आप यह मानते हैं कि 51 से रेट चल रहे है और ट्रान्सपोर्ट के रेट्स बढ़ गये हैं तो बढ़ाने का विचार क्यों नहीं किया जा सकता है ?

श्री रामदेवसिंह : विचार किया जा रहा है। उसके बाद में फैसला किया जायगा तब बढ़ाये जायेंगे।

श्री शंकरलाल : विचार कब तक कर लिया जायगा और उस पर निर्णय ले लिया जायेगा अभी तक निर्णय क्यों नहीं लिया गया ?

श्री परसराम मदेरणा (खाद्य मंत्री) : खाद्य विभाग ने ट्रान्सपोर्ट विभाग को इस रिकमन्डेशन के साथ कागजात भेज दिये हैं कि ये रेट्स 51 के रेट्स हैं इसलिए बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। हम ट्रान्सपोर्ट विभाग की राय के आने के बाद उसके ऊपर विचार करेंगे। पहले के रेट्स से प्रेस्क्राइब्ड रेट्स से, ट्रान्सपोर्ट के रेट्स बढ़ जाने के कारण डिलेर्स और होलसेलर्स को तकलीफ होती है। ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट को राय आने के बाद में निर्णय लिया जायगा।

श्री शंकरलाल : ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट की राय कब मांगी गई ?

श्री परसराम मदेरणा : अभी मेरे पास कोई तारीख नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

पाली तहसील के मन्दिरों की व्यवस्था।

619. श्री मूलचन्द डागा (पाली): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली तहसील में कितने ऐसे मन्दिर हैं जिनको व्यवस्था सीधी (डाइरेक्ट चार्ज) सरकार के अधीन है ? तथा कितने ऐसे मंदिर हैं जिनकी पूजा के लिए सरकार पुजारियों को आर्थिक सहायता देती है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) आर्थिक सहायता किन किन पुजारियों को कितनी-कितनी दी जाती है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या पाली में मन्दिरों का कभी निरीक्षण होता है ? यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा और कब ?

उपमंत्री, देवस्थान (श्री रामदेवसिंह): (1) पाली तहसील में डाइरेक्ट चार्ज श्रेणी का कोई भी मन्दिर सरकार के अधीन नहीं है। सहायता प्राप्त श्रेणी के 15 मन्दिरों को सहायता दी जाती है सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इसका उत्तर भी उक्त सूचि में आ गया है।

(3) जी हां, सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जोधपुर ने पाली के मंदिरों का निरीक्षण सन् 1965 में ही किया था।

(कृपया परिशिष्ट सं० 1 देखिए)

श्री मूलचंद डागा : क्या पुजारी को आप एक रुपया देते हैं तो एक रुपये से काम चल जाता है ?

श्री रामदेवसिंह : जो पुरानी स्टेट के टाइम में था वही चला आ रहा है।

श्री मूलचन्द डागा : एक रुपये महीने में क्या तो पुजारी खाता है और क्या पूजा करता है ?

श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या जिन मंदिरों को सहायता कम दी जाती है और उससे न तो पुजारी का खर्चा चलता है और न मंदिरों की व्यवस्था ही पूरी होती है, ऐसे मंदिरों की सहायता बढ़ाने का सरकार विचार रखती है ?

श्री रामप्रसाद लढ़ा (देवस्थान मंत्री): जहां तक सहायता देने का प्रश्न है ये मंदिर सरकारी नहीं हैं, और सरकारी नहीं होने की वजह से उनकी व्यवस्था का जिम्मा सर-

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
कार का नहीं है, लेकिन पुराने टाइम से जिन को सहायता दी जाती थी वह हम अभी तक जारी रख रहे हैं। अब उसमें बढ़ोत्तरी करने का जो प्रश्न है वह सरकार के सामने है, लेकिन वित्तीय परिस्थितियों को देखते हुए हमें इस मसले पर निर्णय लेना होगा, क्योंकि सहायता-प्राप्त मंदिर राजस्थान में एक नहीं, दो नहीं, दस बीस नहीं, बल्कि 10 हजार सहायता-प्राप्त मन्दिर हैं। अगर 10 हजार सहायता-प्राप्त मंदिरों का हिसाब लगायें तो कितना धन खर्च करने की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : कब से विचाराधीन है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : विचाराधीन होने का सवाल नहीं है। जिस तरह का प्रश्न पूछते हैं उसी तरह की बात सामने आती है। लेकिन क्योंकि 10 हजार से ऊपर ऐसे मंदिरों का नंबर है इसलिये सब के लिये वित्तीय सहायता देना संभव नहीं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि जिस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था इन मंदिरों को है उसके कारण उनकी पूजा ठीक तरह से नहीं हो सकती ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं यह नहीं कहता कि पूजा ठीक प्रकार से नहीं होती लेकिन यह बात मान सकता हूं कि सरकार से जो सहायता प्राप्त होती है वह अपर्याप्त है और शुरू से ही थी। जिसका मंदिर है उसका उत्तरदायित्व बाकी व्यवस्था जुटाने का है। पुजारियों की तनख्वाह शुरू से ही कम रखी गई है। इसका एक कारण यह भी कि उनको दूसरी आमदनी होती है। केवल 1), 10), या 15) रु. माहवार सहायता देते हैं इस पर यह आधारित नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अधिकांश मंदिर, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है और जो सरकार के डाइरेक्ट चार्ज में हैं वे बंद पड़े हैं और सरकार के अधिकार में है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सरकार के डाइरेक्ट चार्ज की श्रेणी में आने वाले मंदिरों के बंद पड़े रहने की सूचना मेरे पास नहीं है। यदि डाइरेक्ट चार्ज के मंदिर बंद पड़े हुए है तो माननीय सदस्य मुझे सूची दें, मैं आवश्यक जानकारी प्राप्त करके जो कुछ किया जा सकता है करने का प्रयत्न करूंगा।

श्री सुवालाल : पुराने जमाने में जिन मंदिरों के नीचे जमीन थी उस जमीन पर पुजारियों ने या दूसरे लोगों ने धारा 15 के अनुसार कब्जा कर लिया और इस तरह से मंदिरों की इन्कम का साधन खत्म कर दिया, क्या सरकार इस बारे में उचित व्यवस्था करेगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जागीर रिजम्पशन एक्ट के तहत जो प्रावधान हैं उनमें ऐसा प्रावधान नहीं था कि देवस्थान की बाकियों की जमीन को एग्जेम्पशन दिया जाय। इसलिये उसमें जो प्रावधान था उसके अनुसार जिसके पर्सनल कल्टीवेशन में जमीन थी वह उसके नाम से दर्ज हो गई। लगान से जो आमदनी होती है उसमें से एन्यूटी के रूप में दो किश्तों में वापिस व्यवस्थापकों को दे दी जाती है।

# Page No.11



श्री मूलचन्द डागा : मंदिरों की अव्यवस्था के कारण क्या देवताओं का प्रकोप हुआ या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : देवता बहुत खुश हैं।

श्री भैरोंसिंह : देवताओं के प्रकोप के कारण पाली में बुद्धि का ह्रास हो रहा है।

प्रश्न संख्या 620

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकुमार नन्दवाना (चित्तौड़गढ़)

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 621

श्री रामानन्द अग्रवाल : (अलवर)

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 622

श्री श्रवणलाल : (हिन्डौन)

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

गंगानगर शुगर मिल्स में डाइरेक्टर के रिक्त स्थान पर नियुक्ति

623. श्री भैरोंसिंह ( किशनपोल, जयपुर) : क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गंगानगर शुगर मिल्स की 31 जनवरी, सन् 1967 की बैठक में श्री फली वी. इलाविया, उदयपुर को डाइरेक्टर्स के एक रिक्त स्थान पर लिया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि श्री फली स्वयं शराब बनाने का कार्य करते हैं और व्यापारिक दृष्टि से वह गंगानगर शुगर मिल्स के एक काम्पीटीटर हैं ?

(3) क्या यह सही है कि एक ही प्रकार के कारोबार में लगे हुए व्यक्ति को उसी प्रकार के कारोबार के प्रशासन में रखने से ट्रेड सीक्रेट्स सुरक्षित नहीं रहते ?

(4) क्या यह सही है कि दी इण्डियन कम्पनी लॉ की धारा 375 तथा आर्टिकल 197 आफ दी गंगानगर शुगर मिल्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन के अनुसार श्री फली जैसे व्यक्ति को डाइरेक्टर नहीं बनाया जा सकता है? यदि हां, तो ऐसा क्यों हुआ ?

(5) श्री फली का नोमिनेशन कब आया और नियमों के अनुसार कब आना चाहिये था?

श्री प्रद्युम्नसिंह (उपमंत्री, राजकीय उपक्रम) : (1) जी हां।

(2) जी हां। यह कहना सही नहीं है कि श्री फली वी. इलाविया व्यावसायिक दृष्टि से गंगानगर शुगर मिल्स का प्रतियोगी है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) दिनांक 16-1-67 को। साधारण मीटिंग के 14 दिन पहले।

श्री भैरोंसिंह : क्या इनका नोमिनेशन फार्म 14 दिन पहले प्रस्तुत किया गया था? यदि हां, तो किस अधिकारी या संस्था के सामने ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : सेक्रेटरी, गंगानगर शुगर मिल्स को दिया गया था।

श्री भैरोंसिंह : 14 दिन पहले फायल कर दिया गया था क्या ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैंने अर्ज किया कि 16-1-67 को दिया गया था ।

श्री भैरोंसिंह : नामजदगी या नोमीनेशन कब हुआ डाइरेक्टर के पद पर ? क्या वह 14 दिन पहले फायल कर दिया गया था ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : जी हां, मेरे पास सूचना है उसके अनुसार 14 दिन पहले कर दिया गया था ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह श्री फली शराब निकालने का काम करते हैं ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैंने जवाब दिया कि वे शराब निकालने का काम करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि श्री गंगानगर शुगर मिल्स और श्री फली दोनों का शराब निकालने का एक ही धन्धा है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : फली साहब भी शराब निकालते हैं और गंगानगर शुगर मिल्स भी शराब निकालता है लेकिन वे हमारे प्रतिद्वन्दी नहीं हैं क्योंकि गंगानगर शुगर मिल्स देशी शराब ज्यादा बनाता है इंडियन मेड फोरिन लिकर भी दोनों बनाते है लेकिन दोनों का मार्केट अलग अलग है इसलिये इनको डाइरेक्टर बनाने पर कोई अड़चन नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या इंडियन मेड फोरिन लिकर और देशी शराब बनाने में एक ही तरह का मोलेसिस काम में आता है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : जी हां, यह सही है।

श्री भैरोंसिंह : क्या गंगानगर शुगर मिल्स का जो मोलेसेस अवेलेबल होता था वह श्री फली को डाइवर्ट करने के कारण गंगानगर शुगर मिल की आवश्यकता के अनुसार पूरा मोलेसेस अवेलेबल नहीं होता और इसलिये हम कांट्रेक्टर्स की मांग पूरी नहीं कर सकते । कांट्रेक्ट सिस्टम के अनुसार हमने जितना शराब सप्लाई करने की जिम्मेदारी ली है उसको पूरा नहीं कर सकते इसलिये कांट्रेक्टर्स गवर्नमेंट के खिलाफ क्लेम कर रहे है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : जहां तक मोलेसेस के एलोटमेंट का सवाल है वह मोलेसेस कंट्रोलर द्वारा एलोट किया जाता है । इसलिये मोलेसेस एलोट करने में गंगानगर शुगर मिल्स कहीं पिक्चर में नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि कंट्रोलर ओफ मोलेसिस गंगानगर शुगर फैक्ट्री और श्री फली दोनों की रिक्वायरमेन्ट को देख कर कोटा एलॉट करता है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह मेरे ध्यान में नहीं है। केवल राजस्थान का मोलेसस ही हमारे लिये काफी नहीं है इसलिये बाहर से भी मंगाना पड़ता है । यदि यहां का मोलेसस हमें पूरा भी मिल जाय तो भी हमारा काम पूरा नहीं चलने वाला है, बाहर से तो मंगाना ही पड़ेगा ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि श्री फली इंडियन मेड फोरिन लिकर तैयार करते हैं ? वह श्री गंगानगर शुगर मिल में तैयार नहीं किया जाता इसलिये कि उनका चलता रहे ?

# Page No.13



श्री प्रद्युम्न सिंह : यह मुझे मालूम नहीं है लेकिन हम जो इंडियन मेड फोरिन लिकर तैयार करते हैं "रम" वह आर्मी में काफी चलता है।

श्री भैरोंसिंह : इण्डियन मेड फोरिन लिकर श्री फली भी डिस्टिल करते हैं और आप भी करते हैं रम। रम के मारकेट को डाउन करने के लिये श्री फली भी अपने द्वारा तैयार किया हुआ शराब मिलिटरी में प्रचलित करने की कोशिश कर रहा है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मुझे इस की जानकारी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा इम्पोरटेन्ट प्रश्न है। प्राइवेट पार्टीज को किस तरह से प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। उसको गंगानगर शुगर मिल्स का डाइरेक्टर नियुक्त किया जाता है। कंपनी लॉ के अनुसार, मंत्री महोदय मानें या न मानें, एक ही तरह का धंधा करने वाले को डाइरेक्टर नहीं बनाया जा सकता। अपने ट्रेड सीक्रेट्स को बचाने के लिये वैसे आदमी को शामिल नहीं किया जाता। उसको मोलेसस का कोटा मिल रहा है, रेक्टिफाइड स्प्रिट का कोटा मिलता है। यह सारा का सारा यदि गंगानगर शुगर मिल्स को एवेलेबल होता तो स्टेट की रेवेन्यू बढ़ती और मिल लोस में नहीं जाती।

श्री मथुरादास माथुर (मंत्री, राजकीय उपक्रम): उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर में प्राइवेट डिस्टलरी श्री फली चलाते है उससे गंगानगर शुगर मिल्स का कांपीटिशन नहीं है। वह 'आशा' और 'रम' दो चीज तैयार करते हैं और इतना ही पैदा करते हैं जितना आॅर्डर मिलता है। और हमको भी मिलिटरी से ओर्डर मिलता है उसके अनुसार तैयार करते हैं। जहां तक मोलेसस एलोट करने का संबंध है वह कंट्रोलर ओफ मोलेसस द्वारा एलोट किया जाता है...

श्री भैरोंसिंह : वह भी राजस्थान के ओफिसर हैं, आपके प्रभाव में आ सकते हैं। उन्होंने जो कोटा एलाट किया है उसका लिस्ट देख कर जांच करें तो पता चलेगा कि गंगानगर शुगर मिल्स को कितना एलॉट किया गया है...

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सदस्य शायद गलत फहमी में है। गंगानगर शुगर मिल्स जो मोलेसेस तैयार करता है उसको तो दूसरों को एलोट करने का सवाल ही नहीं है। अब सवाल रह जाता है भोपालसागर शुगर मिल्स द्वारा तैयार किये गये मोलेसस का। उसका 90 प्रतिशत मोलेसस गंगानगर शुगर मिल्स को मिलता है।

श्री भैरोंसिंह : मैं आपको बता दूं, आपको शायद मालूम नहीं है, वहां का माल लिया ही नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : वह पूरा का पूरा कोटा काम में ले लिया गया....

श्री भैरोंसिंह : मैं मंत्री महोदय को चैलेंज करता हूं। मैं बताने के लिए तैयार हूं, जो वर्नमेंट ने इस असेम्बली में जवाब दिया है, उसके आधार पर।

श्री मथुरादास माथुर : मैं निवेदन करता हूं कि 1966 ...

श्री भैरोंसिंह : यह आपने स्वीकार किया है।

# Page No.14



श्री मथुरादास माथुर : 1966-67-68 के अन्दर जो मोलेसेज का कोटा था, वह मोलेसेज के कन्ट्रोल के आर्डर से ही बेचा जा सकता था और किसी के द्वारा नहीं बेचा जा सकता था, उनके पास 1967-68 के अन्दर पचास हजार टन मोलेसेज था, उनके अलाटमेंट के अन्दर 90 परसेन्ट एलाटमेंट तो गंगानगर शुगर फैक्ट्री को हुआ है और दस परसेन्ट प्राइवेट फैक्ट्री को एलाट हुआ है, जिसके लिए कि आपने कहा, वह गंगानगर शुगर फैक्ट्री में डाइरेक्टर हैं। जो कंट्रोलर मोलेसेज के द्वारा एलाटमेंट होता है वह हमको उठाना पड़ता है। मैं फिर कहता हूं कि 67-68 के अन्दर जो भी पुराना और नया मोलेसेज भोपाल सागर शुगर मिल के पास था, उसका 90 परसेन्ट एलाटमेंट तो गंगानगर शुगर फैक्ट्री को हुआ है और दस परसेन्ट प्राइवेट फैक्ट्री को हुआ है। हमें जो एलाटमेंट हुआ वह सबका सब हमने उठा लिया है और एक ड्राप भी नहीं छोड़ा है। अब जो मोलेसेज पैदा हुआ हो, उसकी बात दूसरी है लेकिन पहले जो एलाटमेंट हुआ उसमें से एक ड्राप भी नहीं रही है और पूरा का पूरा मोलेसेज उठा कर हमने उसको डिस्टिल करवा दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री भैरोंसिंह : एक एश्योरेन्स मैं चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय ! क्या मंत्री महोदय यह एश्योरेन्स दे सकते हैं कि जिस समय इस फैक्ट्री को लाइसेन्स दिया है प्राइवेट फैक्ट्री को और जिस समय इन्हें डाइरेक्टर अपाइन्ट किया है, उसके बाद में भोपाल सागर शुगर मिल से जो कोटा मिला था वह पूरा का पूरा उठा लिया है ?

श्री मथुरादास माथुर : बिल्कुल ! वह देख लीजिए। डाइरेक्टर बनने से इसका संबंध नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : सम्बन्ध तो है। डाइरेक्टर हैं किस बात के ? और आपको सिवाय शराब बनाने वाले के दूसरा व्यक्ति डाइरेक्टर बनाने को नहीं मिला।

श्री मथुरादास माथुर : आप इसको देख लीजिए। जो कोटा मोलेसेज कंट्रोलर ने इनके डाइरेक्टर होने के बाद में 1967-68 को साल में भोपाल सागर शुगर मिल के मोलेसेज में से 90 परसेन्ट का कोटा हमें दिया, उस साल के अन्दर हमने सेन्ट परसेन्ट उठा लिया है।

श्री भैरोंसिंह : मैं बताऊंगा !

प्रश्न संख्या 624

श्री उपाध्यक्ष : देवेन्द्रकुमार मीणा

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

श्री विजयसिंह !

पंचायत समिति श्रीनगर एवं पीसांगन द्वारा लघु उद्योग धन्धों के लिए कर्जा

625. श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति श्रीनगर और पंचायत समिति पीसांगन ने लघु उद्योग धन्धों के लिये कर्जा दिया है ? यदि हां तो सन् 1960 से लेकर

(श्री विजयसिंह रावत)

अब तक दोनों पंचायत समितियों ने अलग अलग कितना कितना धन कर्ज के रूप में दिया है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त कर्जे की धनराशि सन् 1960 से लेकर अब तक किन किन किस्म के उद्योग धन्धों व किन किस आदमी को किस किस ग्राम में दी है ? और इनमें से इस वक्त कितने उद्योग धन्धे किस ग्राम में चालू हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

राज्य मंत्री, सामुदायिक विकास (श्री हीरालाल देवपुरा): (1) जी हां। सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) सदन की मेज पर रखी गई सूचना में यह विवरण भी दिया हुआ है ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री विजयसिंह रावत : आपने यह सूची रखी है, इसका आइटम नं. 3 है, इसके अन्दर लिखा है मदारपुरा फल रस केन्द्र को दो हजार रुपया दिया, और इसके आगे लिस्ट में देखिये, सीरिअल नम्बर 3८, इसके अन्दर लिखा है। फलरस स. स. मदारपुरा को दो हजार रुपया दिया। तो सीरिअल नम्बर तीन के अन्दर जो है उसमें दो हजार रुपया दिया, उसके अन्दर काम इन्होंने चालू किया है और यह जो है सीरिअल नम्बर 38, इसके अन्दर भी दो हजार रुपया दिया है और काम चालू किया है, तो यह दो दफा दो दो हजार रुपया दिया है या एक दफा दो हजार रुपया दिया है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : इनके समक्ष तारीख भी लिखी हुई है उनसे ज्ञात हो जायगा कि अलग अलग दिया है ।

श्री विजयसिंह रावत : अच्छा ! इसमें सीरिअल नम्बर 6 है, इसके आगे देखते जाइये, सीरिअल नम्बर 12, सीरिअल नम्बर 22, सीरिअल नम्बर 25, सीरिअल नम्बर 28, सीरिअल नम्बर 29, सीरिअल नम्बर 31, सीरिअल नम्बर 32, सीरिअल नम्बर 33, सीरिअल नम्बर 35, सीरिअल नम्बर 49 और सीरिअल नम्बर 52–इनमें चर्म उद्योग के नाम से जितने लघु उद्योगों के लिए कर्जा दिया है पंचायत समिति ने, उनमें से एक भी नहीं चल रहा है। क्या मंत्री महोदय को जानकारी है कि चर्म उद्योग के लिए जितना पैसा उठाया गया वह वहां के सरपंच और प्रधान ने अपने काम में ले लिया है और इस कारण से चर्म उद्योग के लिए जो 61 में कर्जा दिया गया, उससे अभी तक काम चालू नहीं हुआ है और न रकम वापिस ली गई है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, जो जो उद्योग चल रहे हैं और जो जो उद्योग चालू नहीं हैं उनके बारे में बता दिया गया हैं। नियमानुसार जो जो उद्योग चालू हैं, उनसे रकम किश्तों के हिसाब से वसूल की जा रही है, और जो उद्योग प्रारम्भ किये गये हैं और जिनकी किश्तें चालू नहीं हुई हैं उनसे नियमानुसार किश्तों में राशि वसूल की जायगी और जो काम चालू नहीं किये गये हैं उनकी वसूली की कार्यवाही पी. डी. आर. के अन्तर्गत चल रही है ।

श्री विजयसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय यह एक विचित्र बात है कि पंचायत समिति

# Page No.16



(श्री विजयसिंह रावत)
श्री नगर को 1 लाख 10 हजार रुपया लघु उद्योग के लिए दिया गया, उसके अन्दर से 72 हजार रुपये का दुरुपयोग हुआ है और केवल 38 हजार रुपया लघु उद्योगों के काम में लिया गया है। तो लघु उद्योगों के लिए कर्जा 1961 से अभी तक दिया गया, नियमानुसार यदि उद्योग नहीं खुले तो साढ़े बारह प्रतिशत उस राशि पर ब्याज लगा कर तीन महीने के अन्दर गवर्नमेंट के पास में पैसा जमा करा दिया जाना चाहिए। क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पंचायत समिति ने अभी तक भी इन लघु उद्योगों को न खोलने वाले, जिनको कि कर्जा दिया गया था, आदमियों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया है और एक्शन न लेने का एकमात्र कारण यह है कि यह रकम सरपंच और प्रधान की जेब में चली गई है, एक्शन लेने वालों के द्वारा ही इस पैसे का गबन हुआ है, तो वह एक्शन किसके खिलाफ लेंगे ?

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही नहीं है। मैंने निवेदन किया जो उद्योग आज चालू हैं, उनसे नियमित रूप से किश्तों में राशि वसूल हो रही है। दूसरे जो उद्योग प्रारम्भ किये गये और जो नुकसान के कारण या और किसी कारण से आगे चल नहीं सके उनसे भी रकम किश्तों के रूप में वसूल करने का प्रावधान है और किश्तों में रकम को वसूल किया जा रहा है। इसके अलावा जो उद्योग चालू नहीं किये जा रहे हैं उनके लिए मैंने निवेदन किया है कि पी. डी. आर. के तहत वसूली की कार्यवाही चल रही है।

श्री विजयसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय यह बड़े ताज्जुब की बात है, आप कह रहे हैं कि 1961 में और 1962 में 52 को कर्जा दिया पंचायत समिति श्री नगर ने और इसी तरह से पंचायत समिति पंचायत ने कर्जा दिया सब मिला कर बारह को, इसमें से केवल दो काम चालू हुए और दस काम गायब हो गये, इसी तरह से पंचायत समिति श्रीनगर ने 52 को कर्जा दिया, उसमें से 5 काम चालू हुए हैं। तो बाकी की रकम कहां गई ! आप कह रहे हैं कि 61 में जिनको कर्जा दिया उनकी वसूली के लिए मामले पी. डी. आर. में दिये हैं। जब कि नियम यह है कि तीन महीने के अन्दर वह पैसा गवर्नमेंट को वापिस ले लेना चाहिए अगर वह उद्योग नहीं खोलें, तो नियमानुसार साढ़े बारह पर्सेन्ट ब्याज लगा कर तीन महीने के अन्दर वसूल कर लेना चाहिए। लेकिन इस सम्बन्ध में अभी तक कार्यवाही नहीं हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप इसके सम्बन्ध में जांच करवा कर इसके ऊपर किसी निश्चित अवधि के अन्दर कार्यवाही करने के लिए तैयार हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि जो केसेज के ऊपर पी. डी. आर. के तहत कार्यवाही चल रही है, उस कार्यवाही के लिए एक प्रोसीजर बना हुआ है, उसके हिसाब से नोटिस दिये जायेंगे। इन मामलों में कोई कार्यवाही रोकी हुई नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न :

श्री विजयसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, शासन की ओर से होना तो यह चाहिए कि शासन सरकार को इसके लिए

(श्री विजयसिंह रावत)
आग्रह करें। यह जो 1961 के कर्जे हैं, 1962 और 1963 के कर्ज हैं–इनके संबंध में मैं तो यह जानना चाहूंगा कि यह जितना रुपया दिया है, इनके मामलों को पी. डी. आर. को कब रेफर किया है पंचायत समिति ने? दूसरे जो लघु उद्योग के लिए कर्ज देने का नियम है, उसके तहत पी. डी. आर. को यह मामले देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? इसके बारे में बतायें स्पष्ट रूप से।

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट निवेदन कर दिया, आपका जो क्वश्चन था उसके आधार पर। अब जो आप पूछ रहे हैं कि कब कब किस किस कर्ज की वसूली के लिए क्या कार्यवाही की तो उसके लिए अलग से प्रश्न पूछ लीजिये, मैं उसका जवाब दे दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न ! श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री विजयसिंह रावत : मैं जानना चाहता हूं कि जो नियम····

श्री उपाध्यक्ष : अलग सवाल है। इसमें नियम और कानून का प्रश्न नहीं आयेगा। आपने जो जानकारी चाही है वह जानकारी आपको दे दी है।

श्री विजयसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, 1 लाख 25 हजार रुपया आपने दिया है, इसको पंचायत समिति के सरपंच और प्रधान ने लेकर गायब कर दिया है और सरकार उस पर मौन है।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न !

श्री विजयसिंह रावत : मैं एक जानकारी और चाहता हूँ····

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या चाहते हैं। आपने जो जानकारी चाही वह आपको दे दी।

श्री विजयसिंह रावत : क्या मंत्री महोदय यह जांच करके बताने को तैयार हैं·····

श्री उपाध्यक्ष : आसन को संबोधित करके बात कहें। आप हमें कहें।

श्री विजयसिंह रावत : क्या सरकार इस बात की जानकारी करने के लिए तैयार है कि 1961–62–63 के अन्दर जो कर्जा दिया था, उसके मामले पी. डी. आर. को कब रेफर किये थे, वह नियमानुसार कब करने चाहिए थे? एक प्रश्न और दूसरा प्रश्न कि पैसे का दुरुपयोग किन किन कारणों से हुआ है? इसकी छानबीन करके जो दोषी व्यक्ति पाये जायं उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए आप तैयार हैं।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि राज्य मंत्री जी ने बताया माननीय सदस्य को कि 62 कामों के लिए कर्जा दिया गया, उसमें से 20 काम चालू हैं। जो काम चालू हैं उनके बारे में तो प्रश्न नहीं उठता क्योंकि उनमें कार्यवाही हुई है····

श्री विजयसिंह रावत : कितने ?

श्री परसराम मदेरणा : आप सुनिये ! बीस। बाकी के काम 18 काम ऐसे थे जो चालू होने के बाद में बन्द हो गये। जो काम

(श्री परसराम मदेरणा)

बन्द हो गये उनमें डिफीकल्टी यह आई कि वह अर्थाभाव के कारण चालू नहीं रख सके। और 16 काम ऐसे हैं जो काम चालू नहीं हुए हैं, जो बिल्कुल चालू नहीं हुए हैं, उनकी डिमाण्ड बना कर पंचायत समिति ने रेवेन्यू आफिसर के पास भेज दी। ऐसे मामलों में वसूली पी. डी. आर. के तहत होती है, उसकी वसूली पंचायत या बी. डी. ओ. नहीं करता है। यह वसूली एरियर आफ लैण्ड रेवेन्यू की तरह रेवेन्यू आफिसर करता है। वह कार्यवाही कर रहा है। अब जो काम चालू हैं और जिनकी किश्त ड्यू हो गई है उनकी डिमाण्ड भी भेज दी गई है। और जो चालू होकर बन्द हो गये हैं उनकी भी वसूली की कार्यवाही हो रही है। मैं निवेदन कर दूं कि इसमें कोई गबन का मामला नहीं है, जिस काम के लिए कर्जा दिया गया था उसमें वह उपयोग नहीं किया गया तो पी. डी. आर के अन्तर्गत पूरी की पूरी रकम की मय व्याज के वसूली की जायगी, उस पर पेनल इन्ट्रेस्ट लिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री विजयसिंह रावत : नहीं उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने जो जानकारी दी है वह बिलकुल गलत दी है ....

श्री उपाध्यक्ष : गलत दी है तो उसके लिये आप अलग से कार्यवाही कीजिये।

श्री विजयसिंह रावत : उन्होंने जो लिस्ट दी है कामों के चालू होने की वहां 35 ही चालू हैं, पीसांगन में 12 बताये हैं, वहाँ 10 कार्य बिलकुल नही चले है, दो चालू हैं, इस लिहाज से, यह जो लिस्ट आपने दी है, वह बिलकुल झूठी है....

श्री उपाध्यक्ष: Order please. Next.

श्री परसराम मदेरणा : जो कुछ मैं उतर दे रहा हूं, माननीय सदस्य रोश में न आकर ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश करें। मैंने तीन तरह के काम बताये हैं, एक तो वह जो चालू होकर बन्द होगये हैं, दूसरी केटेगरी में वे काम बताये हैं जो चालू नहीं हुए और तीसरी केटेगरी वह है जो काम चालू है। इस तरह तीनों श्रेणियों में विभक्त करके जिन कामों के बारे में, मैं निवेदन कर रहा हूं, माननीय सदस्य उनको एक साथ लेकर कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष. Order order. Next. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री विजयसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, यह काम बिलकुल नहीं चालू किये। यह पैसा निजी कामों में खर्च किया जारहा है।

श्री उपाध्यक्ष : Order, order please. आपने जो प्रश्न पूछा, उसका उत्तर दे दिया। प्रश्न समाप्त हुआ। आप बार बार उसी बात को वापिस कह रहे हैं।

Next. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

**राजस्थान नहर स्वायत्त अधिकरण विधेयक**

626. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या राजस्थान केनाल परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर परियोजना के सम्बन्ध में राज्य सरकार

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

द्वारा प्रेषित राजस्थान नहर स्वायत प्रधिकरण विधेयक के संबन्ध में योजना आयोग और वित्त मंत्रालय ने अपनी स्वीकृति दे दी थी ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह सही है कि जून 66, में केन्द्रीय सिंचाई मंत्री श्री फखरुद्दीन अली-अहमद ने जयपुर में एक संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की थी कि इस परियोजना को केन्द्रीय अधिकरण द्वारा क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में न तो कोई बाधा है और न कोई फिर से विचार करने का प्रश्न ही पैदा होता है ? यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस योजना को कब रद्द किया और क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि जुलाई, 66 में राज्य के मुख्य मंत्री महोदय ने इस योजना के दूसरे चरण में होने वाले निर्माण कार्य को स्थगित करने की घोषणा की थी इसलिये कि दूसरे चरण के अन्तर्गत जो क्षेत्र आते हैं दूर दूर तक आते हैं और वहां के नागरिक पशुपालन पर ज्यादा निर्भर हैं ? इस परियोजना को केन्द्र के अन्तर्गत नहीं लेने का निर्णय कब लिया गया ?

(4) क्या यह सही है कि 66—67 के बजट अधिवेशन में सरकार ने सदन में यह घोषणा की थी कि राजस्थान नहर परियोजना का अधिकरण बनाने हेतु एक विधेयक विधान सभा के चालू सत्र में ही पेश किया जावेगा ?

(5) इस योजना पर अब तक कुल पूर्व योजनानुसार कितनी धनराशि होनी चाहिये थी और कितने क्षेत्रफल में सिंचाई होनी चाहिये थी और क्या इन लक्ष्यों की उपलब्धि हो सकेगी ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) :

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

इस सम्बन्ध में कोई आफिशियल रेकार्ड उपलब्ध नहीं है। लेकिन उस समय के अखबारों के कटिंग्स से मालूम हुआ है कि जून 66 में केन्द्रीय सिंचाई मंत्री श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने जयपुर में एक संवाददाता सम्मेलन में इस आशय का वक्तव्य दिया था कि राजस्थान नहर स्वायत्त अधिकरण विधेयक के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय जल्दी ही लेने का प्रयत्न करेंगे।

(3) जी नहीं।

राजस्थान नहर परियोजना अधिकरण के प्रस्ताव को स्थगित कर की सूचना भारत सरकार के पत्र दिनांक 25 अगस्त, 66 के द्वारा प्राप्त हुई थी।

(4) जी हां।

(5) पूर्व योजना के अनुसार राजस्थान नहर परियोजना का तखमीना 18.409 करोड़ रुपये का है इसके अनुसार 28.75 लाख एकड़ भूमि सिंचित करने का लक्ष्य है, योजना पूर्ण होने पर सिंचाई के उपरोक्त लक्ष्य की उपलब्धि हो सकेगी।

लेकिन पंचवर्षीय योजनाओं में जो लक्ष्य रखे गये हैं वह धनराशि के प्रावधानों की कमी के कारण पूरे नहीं हो सके हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रश्न के भाग (3) के उत्तर में आपने क्या इस सम्बन्ध में वक्तव्य दिये जाने की जानकारी मुख्य मंत्री जी से की, या समाचार पत्रों के माध्यम से यह बात कह रहे हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : प्रश्न के भाग तीन के सम्बन्ध में, क्योंकि मैं राजस्थान केनाल का मंत्री हूँ इसलिये, मुझे जानकारी है। माननीय सदस्य के दिमाग में इस सम्बन्ध में जो गलतफहमी है, उसको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। श्री सुखाड़ियाजी ने अपने वक्तव्य में यह कभी नहीं कहा कि जैसलमेर तक नहर नहीं ले जायेंगे, राजस्थान केनाल योजना के द्वितीय चरण को पूरा नहीं करेंगे। राजस्थान केनाल के निर्माण के लिये जितनी धनराशि उपलब्ध होनी चाहिये थी वह इन तीनों पंचवर्षीय योजनाओं में उपलब्ध नहीं हुई, तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में हम 38 करोड़ चाहते थे वहां हमें 14 करोड़ ही मिले। तो तीनों पंचवर्षीय योजनाओं में जो धन राशि इसमें लगा पाये, दो-दो, तीन तीन करोड़ रुपयों की धनराशि से इस योजना को पूरा करने में चले तो काफी समय लग जायगा राजस्थान केनाल योजना को पूरा करने में। पर इन्डस वाटर ट्रीटी के अनुसार हमें जल्दी ही ज्यादा पानी मिलने की संभावना है, उस सम्भावना को देख कर कमेटी आफ डायरेक्शन ने यह सुझाव दिया था कि जहां तत्काल नहर पहुंचाई जा सकती है वहां इस इन्टेन्सिटी को बढ़ा दिया जाय। इस समय इन्टेंसिटी 78 परसेन्ट हैं उसको बढा दिया जाये फंड्स उपलब्ध न होने के कारण उस पानी को डिस्ट्रीब्यूटरीज, लाइन्स से पहुंचाने में हमें देरी भी लगे पर जो पानी उपलब्ध हो, उसका उपयोग कर सकें इसलिये इन्टेन्सिटी को बढ़ाने का प्रस्ताव कमेटी आफ डायरेक्शन ने रखा था। इस प्रस्ताव के जाने पर एक टेक्निकल कमेटी अपोइन्ट की थी, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इन्टेन्सिटी 78 परसेंट से बढ़ाकर 110 परसेंट करने का प्रस्ताव किया है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 110 परसेंट इन्टेन्सिटी हो जाने से पानी की कमी आ जाती है, या रुकावट आती है, ऐसी बात नहीं है क्योंकि रिवाइज्ड प्रोजेक्ट में चैनाल्स और लाइनिंग का प्रावधान कर दिया गया है। अब हमारा 8.4 मिलियन एकड़ हिस्सा बना है, इस तरह पानी भी पहले से अधिक मिलेगा। लिफ्ट चैनल 1000 क्यूसेक्स का था, वह लेटेस्ट रिविजन से पांच सौ, छः सौ क्यूसेक्स का बनायेंगे, इससे तत्काल ज्यादा पानी मिलने की संभावना है, उसे काम में ले सकेंगे। इस योजना के दूसरे चरण को स्थगित रखने का तो सवाल ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : यह इस वक्त नहीं, मांग का उत्तर दें उस समय कहें, बहुत लम्बा हो जायगा।

रामप्रसाद लड्ढा : मैंने कह दिया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 31 मार्च, 67 तक इस योजना से कितने लाख एकड़ में पिलाई हो जानी चाहिये थी आपकी योजना के अनुसार और इस समय वास्तव में कितने लाख एकड़ में हो रही है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ईयरवाइज इर्रिगेशन के टारगेट्स फिक्स नहीं किये हैं, 50 माइल पर कार्य चल रहा है ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा तो सिम्पल क्विश्चन है और सिम्पल सा ही रिप्लाई दे दें। एरिया आफ इरीगेशन इस वक्त राजस्थान केनाल का कितना है ? और होना कितना चाहिये था योजनानुसार ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जब तक उद्गम स्थान तक नहीं पहुंच जायेंगे · · ·

श्री भैरोंसिंह : सवाल सीधा सा है कि इस समय राजस्थान केनाल का एरिया आफ इरिगेशन कितना है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस साल करीब 2 लाख एकड़ में सिंचाई होगी ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : होगी नहीं हुई कितनी है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यही कह रहा हूं, अन्दाज दो लाख एकड़ खरीफ और रबी दोनों में मिला कर होगी ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपकी योजना के अनुसार कितने लाख एकड़ में सिंचाई होनी चाहिये थी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : योजना आज से ताल्लुक नहीं रखती ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : टारगेट्स तो फिक्स किये होंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : 38 करोड़ की बजाय, 28 करोड़ की बजाय 18.19 करोड़ ही मिले और वे सारे टारगेट्ज थर्ड फाइव ईयर प्लान में पूरे करने थे, वह पूरे नहीं हो सके । उसके बाद फोर्थ प्लान में रखा था वह भी रुपया नहीं मिला । इसलिये फर्स्ट स्टेज का काम चल रहा है, जिसको अनूपगढ़ योजना कहते हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं जानकारी चाह रहा हूं, मेरे तो सवाल का जवाब दे दें तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक राजस्थान केनाल से कितने लाख एकड़ में सिंचाई का लक्ष्य था और इस समय कितने लाख एकड़ में सिंचाई कर रहे हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अनूपगढ़ स्कीम को खूब मुकम्मिल कर देना चाहिये था पर तीनों पंच वर्षीय योजनाओं में वह पूरी नहीं हुई है । इसलिये सिंचाई का 9 लाख एकड़ कल्चरेबल कमाण्ड है, वह पूरा नहीं हुआ तो जितना पानी आता है, उसको दो लाख एकड़ में दे पाते हैं, जब तक कि पूरी केनाल नहीं बन जाती ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): मन्त्री महोदय ने कहा है कि इस योजना का प्रथम चरण अभी समाप्त नहीं हुआ है, क्या मैं जान सकता हूं कि कितने करोड़ रुपया और खर्च करना पड़ेगा, इस प्रथम चरण को समाप्त करने के लिये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रोजेक्ट है, उसके अनुसार प्रथम चरण में 65 करोड़ चाहिये, 40 करोड़ खर्च कर चुके हैं ।

श्री लादूराम सुलानियां : यह एक दो करोड़ का तो फिक्र ही नहीं कर रहे हैं, जैसे इनकी जेब से जाता है · · ·

एक माननीय सदस्य : ये तो अपनी जेबों में भरते हैं, इनकी जेबों से जाता कहां है ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : 25 करोड़ तो इस तरह की स्टेजेज को पूरा करने में

# Page No.22



(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाने में लाइनिंग करने में लग जायगा, 13 करोड़ और मिले तब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि लाइनिंग भी अधूरा रह जायगा।

श्री केदारनाथ : कितना एलोकेशन था और कितना खर्चा किया गया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह अलग से प्रश्न है लेकिन अब तक 2 करोड़ का खर्चा किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भगवानदास शास्त्री।

**सोमवार को होटल आदि में खाना**

627. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सोमवार को होटल, रेस्टोरेन्ट आदि में आधे दिन खाना, चावल आदि नहीं परोसे जाने का बन्धन सरकार ने हटा दिया है ?

(2) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्धी सार्वजनिक घोषणा करदी गई है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उप मंत्री खाद्य (श्री रामदेव सिंह) : (1) जी हां।

(2) जी हां, इस सम्बन्ध में सार्वजनिक घोषणा हेतु अधिसूचना राजकीय गजट में दिनांक 31-1-68 को प्रसारित करदी गई है।

श्री भगवानदास शास्त्री : किन किन जिलों में यह बन्धन हटाया गया है, घोषणा किस रूप में को गई है और क्या पूरे राजस्थान में की गई है ?

श्री रामदेव सिंह : पूरे राजस्थान से बन्धन हटाया गया है।

श्री भगवानदास शास्त्री : जैसे जोधपुर है वहां भी हटाया गया है ?

श्री उपाध्यक्ष : जो गजट में बताए गए हैं वहां से बन्धन हटाया गया है।

श्री भगवानदास शास्त्री : इसका मतलब आज की सूचना सर्वमान्य मानलें और शास्त्रीजी ने जो सोमवार को आधा दिन व्रत रखने के लिए कहा था कि होटलों में सोमवार को 3 बजे के बाद अन्न की कोई वस्तु उपलब्ध नहीं दी जायगी, उस बन्धन को आपने हटा दिया पूरे राजस्थान से ?

श्री रामदेव सिंह : वह घोषणा पूरे राजस्थान के लिए है।

श्री भैरोंसिंह : माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि पूरे राजस्थान से यह बन्धन हटा लिया या नहीं ?

श्री भगवानदास शास्त्री : मेरी समझ में नहीं आता, कम से कम इसका उत्तर पूरा तो मिलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय ने कहा कि पूरे राजस्थान से यह बन्धन हटा लिया, तो फिर आप क्या चाहते हैं ?

श्री भगवानदास शास्त्री : जरा जोर से बोलें। पूरे राजस्थान से यह बन्धन हटा दिया गया।

# Page No.23



श्री उपाध्यक्ष : जी हां, ऐसा उन्होंने कह दिया।

श्री भगवानदास शास्त्री : जवाब तो आने दो।

श्री उपाध्यक्ष : जवाब दे दिया।

प्रश्न सं. 628

श्री कल्याणमल मीणा :

अनुपस्थित

(कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं. 629

श्री दौलतराम सारण :

अनुपस्थित

(कृपया आगे देखिये)

श्री हरजीराम बुरडक :

पटवारी द्वारा भूख हड़ताल

630. श्री हरजीराम बुरडक : (लाडनूं): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पटवारी श्री मगनीराम वैष्णव, पटवार हल्का रताऊ जिला नागौर को सेवा से कब और किस आरोप से हटाया गया ?

(2) क्या यह सही है कि पटवारी श्री मगनीराम वैष्णव को कमिश्नर जोधपुर ने बिना कोई दण्ड दिए ही बहाल कर दिया ? यदि हां तो कब किया और सेवा से हटाते समय उसको क्या वेतन मिलता था और वापस सेवा पर लेते समय कितना वेतन देना शुरू किया गया ?

(3) उपरोक्त पटवारी को जब वापिस सेवा पर लिया गया तो कहां पर नियुक्त किया गया और उसके बाद कहां कहां पर कितने कितने समय बाद किन किन कारणों से बदला गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त पटवारी ने जब वह डीडवाना तहसील में था तो एस. डी. ओ. आफिस के सामने भूख हड़ताल की थी ? यदि हां, तो भूख हड़ताल करने का कारण क्या था और उसने उक्त हड़ताल समाप्त किस आधार पर की थी ?

(5) क्या यह पटवारी अभी भी सरकारी सेवा में है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) :

(1) श्री वैष्णव को स्वयं की प्रार्थना पर त्याग पत्र मंजूर कर जिलाधीश नागौर कार्यालय के आदेश सं. 2553 दिनांक 17-10-66 के द्वारा सेवाओं से पृथक् किया गया।

(2) यह सही नहीं है। श्री मगनीराम वैष्णव पटवारी को कमिश्नर जोधपुर ने एक साल की वेतन वृद्धि रोक कर दिनांक 12–4–61 को बहाल किया था तथा वेतन 40) रु. भत्ता 35) रु. के अनुसार दिया गया। फैसले की सूचना 18–1–63 को मिलने के कारण 19–1–63 को इस कार्यालय में उपस्थिति की रिपोर्ट पेश की।

(3) श्री वैष्णव को बाद में बहाली मावड़ा तहसील नागौर में दिनांक 7–2–63

(श्री गंगाराम)

को लगाया गया था बाद में स्थानांतरण किया जाकर उसे एस. डी. ओ., डीडवाना के पास अलॉट किया गया था। एस. डी. ओ. डीडवाना ने उसे डाबगांव तहसील डीडवाना में लगाया था जहां से तहसील लाडनूं में स्थानांतरण किया गया था। तहसील लाडनूं से अतिरिक्त पटवारी मंडावरा तहसील नावां में 6 सितम्बर 1966 में लगाया था। यह स्थानांतरण कम कम समय में प्रशासनिक कारणों से किये गये थे क्योंकि पटवारी श्री मगनीराम हर एक अधिकारी से अनुशासनात्मक हीनता से पेश आता है। प्रार्थी के दुर्व्यवहार के कारण अधिकारीगण, कर्मचारीगण सरपंच एवं प्रधान आदि इसके विरुद्ध रहते हैं। यह तथ्य उन्होंने अपने त्याग-पत्र में स्वयं स्वीकार किए हैं।

(4) यह सही है कि श्री वैष्णव ने उप क्षेत्रीय अधिकारी डीडवाना के कार्यालय के सामने भूख हड़ताल की थी। भूख हड़ताल के निम्न कारण थे:—

1. शिकायत सरपंच श्री मगनीराम डाबगांव एवं पटवारी श्री मुरलीधर के संबंध में।

2. श्री मुरलीधर पटवारी के गबन के संबंध में।

3. पटवार खाने की मरम्मत के पैसे श्री मुरलीधर के द्वारा गबन किए जाने पर।

4. श्री मगनीराम पटवारी डाबगांव ने भूख हड़ताल दिनांक 16-11-65 की रात को 9 बजे तोड़ दी थी उसकी मांग के अनुसार कार्यवाही चल रही है। श्री मुरलीधर पटकरी के खिलाफ गबन के मामले में आरोप-पत्र दिए जा चुके हैं। अन्य जांच एवं मांगों की रिपोर्ट उप क्षेत्रीय अधिकारी, डीडवाना से प्राप्त नहीं हुई है जिसके लिए ताकीद जारी है।

5. श्री मगनीराम पटवारी राज्य सेवा में नहीं है क्योंकि उसकी स्वयं की इच्छा से त्याग-पत्र मंजूर कर दिया गया है।

श्री हरजीराम बुरड़क : क्या यह सही है कि भूख हड़ताल के कारणों में यह भी कारण था कि राजकोष से गबन कर लिया गया था ?

श्री गंगाराम चौधरी : इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। जो कारण थे मैंने निवेदन किए हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क : उसको इसलिए सस्पेंड किया गया था कि राजकोष से उन्होंने गबन किया है . . .

श्री गंगाराम चौधरी : राजकोष के संबंध में मेरे पास सूचना नहीं है, जो चार्जिज थे, मैंने निवेदन कर ली।

प्रश्न संख्या 631

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रेमसिंह सिंघवी

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

श्री जुझारसिंह।

पैसेन्जर टैक्स में गड़बड़ी रोकने के लिए व्यवस्था

632. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(श्री जुझारसिंह)

(1) पैसेन्जर टैक्स लागू होने के बाद से प्राइवेट पार्टीज की टिकिट बुक्स में गड़बड़ रोकने के लिए टिकिट की किताबों को छपाने, बंटाने व जांच करने की सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गई है ?

(2) फर्जी टिकिट बनाने या पूरी बिक्री का हिसाब छिपाने आदि के कितने मामले सरकार के सामने आए हैं और भविष्य में गड़बड़ी रोकने की क्या योजना बनाई है ?

**उपमंत्री कर (श्री प्रद्युम्न सिंह) :** (1) प्राइवेट बस के टिकिट की किताबों को सरकार द्वारा तथा बांटने की व्यवस्था प्रचलित नहीं है। प्राइवेट पार्टीज द्वारा छपाए गए टिकटों की किताबों की जांच वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों द्वारा की जाती है।

(2) राजस्थान यात्री तथा माल कर अधिनियम की धारा 16 (1) (बी) के अन्तर्गत इवेजन आफ टैक्स के वर्ष 1965-66 में 166, वर्ष 1966-67 में 111 और 1967-68 (30-11-67) तक 72 मामले पकड़े गए। फरजी टिकट बनाने या पूरी बिक्री का हिसाब छिपाने के अपराध भी उक्त संख्याओं में शामिल हैं।

भविष्य में यात्री कर टिकटों पर स्टाम्पस चिपकाए जाने के तरीके से लिए जाने का प्रबन्ध किया जा रहा है। आशा है इससे इस प्रकार की गड़बड़ी कम होगी।

**श्री जुझारसिंह :** इस बात की गारंटी क्या है कि जितने टिकिट बिकते हैं, उनका यात्री कर आपके पास आ जाता है, क्या प्रकाशन्त ले रहे हैं ?

**श्री प्रद्युम्नसिंह :** जरा जोर से बोलें।

**श्री जुझारसिंह :** मेरा पूछना यह है कि यात्री कर लग जाने से सरकार भी टिकिटों की बिक्री में एक इन्ट्रेस्टेड पार्टी हो जाती है। टिकिट छपवाकर मोटर मालिक देते हैं तो वे अपनी मर्जी से छपवायें यह जरूरी नहीं है। जितने भी टिकिट बेचें उनका यात्री कर की चोरी न हो और जितने टिकिट बिकें उन पर बिक्री कर मिल जाय, उसके लिए आपने क्या व्यवस्था की है ?

**श्री प्रद्युम्नसिंह :** जालसाजी के मामलों को रोकने के लिए विभागीय अधिकारियों द्वारा चैकिंग की जाती है, समय समय पर बसों को रोक कर तथा अब स्टाम्पस चिपकाने का तरीका भी इन्ट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जिससे आशा की जाती है कि इस प्रकार की गड़बड़ी भविष्य में कम होगी।

: **श्री जुझारसिंह :** स्टाम्पस चिपकाने का जो तरीका आपने चालू किया है, यह अपने आप में इस बात का सबूत है कि अब तक की प्रथा फूल-प्रूफ नहीं थी, उसमें गड़बड़ी थी, इस कारण आपने यह तरीका चालू किया ?

**श्री प्रद्युम्नसिंह :** गड़बड़ी तो होती है, मैंने आंकड़े दे दिये फिर भी उसको रोकने के लिए हर संभव प्रयत्न किया जाता है। इसलिए स्टाम्पस सिस्टम चालू करने जा रहे हैं 1-4-68 से।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री बालसिंह सोढा।

### जिला जैसलमेर में नल कूपों पर भूमि का आवंटन

633. **श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर) :** क्या राजस्व मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे:—

# Page No.26



(श्री बालसिंह सोढा)

( ) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर में लाठी बांधण नल कूप सिरीज में सहकारी समितियों को भूमि आवन्टित की गई थी और उक्त भूमि के आवन्टन को सरकार ने निरस्त कर दिया है ? अगर हां, तो क्या कारण है ?

(2) क्या यह सही है कि नल कूपों की जलदेय क्षमता नहीं होते हुए भी सरकार ने यह शर्त रखी थी कि आधी भूमि को सिंचित करना पड़ेगा ? अगर हां तो क्या कारण है ?

(3) क्या यह सही है कि नल कूपों पर भूमि आवन्टन करने के लिए एक नई भूमि आवंटन समिति बनाई गई है जिसमें एक भी जन प्रतिनिधि सदस्य नहीं रखा गया है ? अगर हां तो क्या कारण है ?

उप मंत्री राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) :

(1) जी हां लाठी वांधण नलकूप सीरीज में सहकारी समितियों को भूमि आवंटित की गई थी जिन समितियों के आवंटित भूमि का राजस्थान भू राजस्व (सहकारी समितियों को भूमि आवंटन) नियम 1959 के नियम 5 के उप नियम 4 में वर्णित शर्तों का पालन नहीं किया उनके भूमि आवंटन को निरस्त कर दिया गया ।

(2) जी नहीं, राजस्थान अंडर ग्राउंड बोर्ड जोधपुर द्वारा नल कूप की जलदेय क्षमता व निर्धारित कमान्ड एरिया को ध्यान में रखकर नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की गई ।

(3) राजस्थान लैंड रेवेन्यू ( नलकूप भूमि आवंटन) नियम 1966 के अंतर्गत नलकूप भूमि आवंटन सलाहकार समिति का गठन किया गया और उसमें निम्न सदस्य रखे गए :

1-जिलाधीश ।

2-सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां ।

3-प्रोजेक्ट अधिकारी, जैसलमेर ।

4-जिला कृषि अधिकारी ।

श्री बालसिंह सोढा : क्या यह सही है कि जिस समय सहकारी समितियों को आवंटन किया गया, वह 5 सालों के लिए किया गया ?

श्री गंगाराम चौधरी : यह पहले के नियमों के अंतर्गत किया गया था ।

श्री बालसिंह सोढा : 5 साल में सहकारी समितियां इस भूमि को कल्टीवेट करेंगी, क्या इसी शर्त पर आवंटन किया गया था ?

( 12 मध्यान्ह )

और क्या यह भी सच है कि 5 वर्ष पूरा होने के पहले ही अलॉटमेंट कैन्सिल कर दिया गया ?

श्री गंगाराम चौधरी : काश्त करने में यह शर्त थी कि· · · ·

श्री बालसिंह सोढा : जब यह शर्त थी कि 5 वर्ष तक कल्टिवेट करेंगे तो 5 वर्ष पूरे नहीं हुये उससे पहले ही अलाटमेंट क्यों केन्सिल किया गया ?

श्री गंगाराम चौधरी : 5 वर्ष में पूरी भूमि, जो कमान्ड एरिया है, उसको काश्त

(श्री गंगाराम चौधरी)

करने का था और इसमें प्रति वर्ष 1/4 बाद में 1/2 जमीन काश्त करेंगे, इस तरह की शर्तों का पालन नहीं किया इसलिए यह निर्णय लेना पड़ा कि उनका आवंटन रद्द कर दिया जाय।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : प्रश्न यह है कि जब स्पेसिफिक 5 साल तक उनको भूमि अलॉट कर दी गई थी तो बीच में ही केन्सिल करने के क्या कारण है ?

श्री गंगाराम चौधरी : प्रति वर्ष 1/4 हिस्सा पूरा काश्त कर लेना था–कमान्ड ऐरिया में, इस प्रकार की कुछ शर्तें थीं।

एक माननीय सदस्य : कुछ शर्तें क्या थीं ?

श्री गंगाराम चौधरी : 5 साल में पूरी भूमि को काश्त करना था। एक साल में 5 बीघा दूसरी साल में 10 बीघा इस तरह से उसको पांच साल में पूरा करना था, वह नहीं किया।

राजस्व मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : ऐसी बात है कि 5 साल में पूरी जमीन के ऊपर काश्त कर लेनी चाहिए थी। और हर साल कुछ भूमि पर अधिक काश्त करने की शर्त थी। जिन लोगों ने बिल्कुल काश्त नहीं की, उन लोगों की जमीनों को केन्सिल किया गया है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : क्या माननीय मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने दिन, कितने महीने और कितने बरस बाद जमीन उनसे छीन ली गई ? प्रश्न के तीसरे खण्ड में नई भूमि आवंटन करने सम्बन्धी समिति गठन कायम करने का उल्लेख है। यह कोई नई भूमि आवंटन करने की समिति है तो इसकी क्या आवश्यकता थी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इन नलकूपों के अन्दर जितनी जमीन आती थी और जिन शर्तों पर काश्त करने को दिया गया था, उनके रूल्स के लिए इसका निर्माण किया गया था। इसमें जो शर्तें थीं वह यह है कि पहले साल में 1/4 भूमि उसके बाद 1/2 भूमि, इस तरह से वे आगे बढ़ाते रहेंगे और काश्त करते रहेंगे। जिन लोगों ने पहली साल में 1/4 भूमि काश्त नहीं की और दूसरी कन्डीशन्स का पालन नहीं किया, उनका आवंटन केन्सिल किया गया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि आवंटन की शर्तों में एक शर्त यह रखी थी कि पानी की व्यवस्था स्वयं सरकार करेगी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : पानी की सप्लाई के लिये ही तो नल कूप लगाये हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि अलॉटमेंट जिनका केन्सिल किया गया है, सरकार ने एक बिस्वा जमीन पर भी, उनको पानी सप्लाई नहीं किया है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : ऐसी बात नहीं है :

श्री बालसिंह संधा : अलाटमेंट केन्सिल करने के पूर्व क्या उनको नोटिस दे दिये गये थे ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मंत्री महोदय, ने अभी यह कहा कि रूल्स के अन्तर्गत यह शर्तें रखी थी कि पहले साल में 1/4 भूमि काश्त की जायगी। उपाध्यक्ष महोदय,

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
यह रेगिस्तानी इलाका है इसमें पानी की व्यवस्था और दूसरे साधन जुटाने की व्यवस्था बहुत मुश्किल से उपलब्ध हो सकती है ऐसी स्थिति में मेरे ख्याल से 1/4 हिस्सा काश्त करने की शर्त रखना जरूरत से ज्यादा सख्ती है। क्या मंत्री महोदय, इस सम्बन्ध में पुनः विचार करके इस शर्त पर छूट देने की व्यवस्था के बारे में विचार करेंगे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : ये शर्तें पहले से डिक्लेअर कर दी गई थीं और इन शर्तों के बावजूद भी लोगों ने अब तक काश्त नहीं की है अब तो नल कूप में आवंटन के लिये दूसरे नियम बन चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

श्री बालसिंह सेढ़ा : शर्तें तो यह रखी गई थीं कि 5 साल के अन्दर भूमि कल्टीवेशन के अन्दर ली जायगी और पानी की सप्लाई सरकार करेगी परन्तु अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक साल भी नहीं हुआ और उससे पहले ही अलाटमेंट केन्सिल कर दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए । स्थगित प्रश्न ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्या मंत्री महोदय, केन्सिलेशन को पुनः केन्सिलेशन करने पर विचार करेंगे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अब तो नये सिरे से अलॉटमेंट किया जा रहा है।

श्री लादूराम सुलानिया : (फागी) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न में क्लीयर लिखा है कि अलॉटमेंट कमेटी बनाई है। यह अपनी मरजी से बनाई है। केवल सहकारी समिति का ढोल बजाते हैं यह पानी देने की कोई योजना नहीं बनाती है। इनको एक बून्द भी पानी नहीं दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए। आर्डर प्लीज। स्थगित प्रश्न।

श्री देवीदत्त गाड़िया : स्थगित प्रश्न (11-3-68), बारां में बाढ़ से क्षति।

श्री देवीदत गाड़िया : (बारां) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बारां नगर एवं बारां उप जिला क्षेत्र में सन् 1967 में बाढ़ किस माह में आई और उसके कारण कौन कौन से नगर एवं गांव प्रभावित हुये और उसके कारण किस किस परिवार का कितना कितना नुकसान हुआ और कितने परिवार बेघरबार हुए ?

(2) बारां नगर में बाढ़ आने का प्रमुख क्या कारण है ?

(3) क्या बारां नगर में सन् 1957 में भी बाढ़ आई थी ? यदि हां, तो किस कारण से आई ?

(4) क्या सरकार ने बारां नगर में बारम्बार आने वाली बाढ़ को रोकने के लिये कोई ठोस कदम उठाया है या कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो किस प्रकार की योजना बनाई गई है ?

(5) क्या सरकार ने इस इलाकों के बाढ़ पीड़ितों व परिवारों को किसी प्रकार की सहायता दी है ? यदि हां, तो किस किस क्षेत्र में नागरिकों को सहायता, कर्जा व अनुदान

(श्री देवीदत्त गाड़िया)
दिया गया है? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उप मंत्री राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) बारां उप जिला क्षेत्र में माह अगस्त सन् 1967 में बाढ़ आई थी । इस बाढ़ के कारण बारां खास व 11 ग्राम और प्रभावित हुये हैं जिनकी पारिवारिक सूची तहसील एवं ग्राम वाईज अनुमानित क्षति की संलग्न है ।

(2) बारां कस्बे का उत्तरी, पश्चिमी व दक्षिण हिस्सा समतल है । बाढ़ के आने का प्रमुख कारण मात्रा से अधिक वर्षा होने का है जैसा कि दिनांक 20 अगस्त, 1967 को 7 इंच 50 सैन्ट वर्षा हुई है ।

(3) जी हां । बारां कस्बे में सन् 1957 में बाढ़ आई थी । उसका प्रमुख कारण बारां कस्बे के दक्षिण में ग्राम कलमंडा व वामला के तालाबों के टूट जाने का है ।

(4) बारां कस्बे में बार बार (प्रति वर्ष) बाढ़ नहीं आती है । सन् 1957 में जो बाढ़ आई, उसका कारण दो ग्रामों के तालाबों के टूटने का था जबकि साथ ही वर्षा भी हो रही थी । अब सन् 1967 में (10 वर्ष पश्चात्) जो बाढ़ आई है वह अत्यधिक वर्षा होने का है । अतः किसी भी प्रकार की योजना नहीं बनाई गई।

(5) सरकार ने इस कोटा जिले की तहसील बारां व मांगरोल के बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के परिवारों के लिये पंचायत समितियों द्वारा निम्न प्रकार से धनराशि दी है :–

| क्रम सं. | नाम तहसील | नाम पंचायत समिति | सहायतार्थ धनराशि | ऋण के रूप में धनराशि | कुल योग |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | बारां | बारां | 5,000 | 3,000 | 8000) |
| | मांगरोल | अन्ता | 5,000 | 4,500 | 9500) |
| | | कुल योग | 10,000 | 7,500 | 17,500) |

(सूची के लिये परिशिष्ट संख्या 2 देखिये)

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह जो आपने बताया कि इसके अन्दर बारां और मांगरोल में कुल नुकसान 1 लाख 5 हजार पांच सौ पन्द्रह बताया । यह नुकसान की सूची किस आधार पर तैयार की है ? बारां नगर के अन्दर नुकसान हुआ और कितनी पिछड़ी जातियों के मकान गिरे और कितनी भूमि किसानों की नष्ट हुई ? इस सम्बन्ध में कलेक्टर और एस.डी.एम. की जो रिपोर्ट है, उसमें कितना नुकसान बताया है? यह बतायें ।

राजस्व मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा): उस रिपोर्ट के आधार के ऊपर ही 172 परिवार ग्रसित हुये बारां तहसील में और नुकसान 77,550 रुपये आंका गया और गांवों की जो उसमें संख्या थी वह 8 थी । तहसील मांगरोल में 4 गांव और 66 परिवार ग्रसित हुये जिसमें 27,665 रुपये का नुकसान आंका गया है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : फसल को कितना नुकसान हुआ ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उसकी विगतवार सूची अभी मेरे पास नहीं है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : विगतवार सूची नहीं तो, कुल नुकसान कितना हुआ यह बता दें ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैंने निवेदन किया कि अभी इसकी सूची नहीं है ।

Page No.30



श्री देवीदत्त गाड़िया : बारां नगर में कितनी हुई ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : 172 परिवार अफैक्ट हुये और 77,550 रु. के नुकसान का अनुमान है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं यह जानना चाहता हूं कि बारां नगर में कितना नुकसान पिछड़ी जातियों को मकान गिरने से हुआ। उनको कितनी धनराशि प्रदान की गई ? और क्या यह सही है कि पिछड़ी जाति के मकान गिरे, उनको एक भी पैसा मुआवजे के रूप में नहीं दिया गया है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जहां तक मुआवजा देने का प्रश्न है। रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा तय किया गया है। और जहां तक राहत देने का प्रश्न हैं, उसी वक्त राहत पहुंचाई गई है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, बारां नगर में पिछड़ी जातियों के लोगों के जो घर नष्ट हुए हैं उसके कारण वे लोग दर-दर की ठोकरें खाते रहे हैं या उनको किसी प्रकार की आर्थिक सहायता दी गई ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आर्थिक सहायता की रकम आपको बता दी गई। यदि आप इस बारे में पर्टीकुलर क्वश्चन करते तो इसका भी जवाब दिया जाता।

श्री देवीदत्त गाड़िया : बारां नगर के 60 पिछड़ी जाति के परिवारों को नुकसान हुआ जिसमें 12 परिवार तो ऐसे थे जिनके पास खाने को अनाज नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, रहने को मकान नहीं रहा, उनको एक पैसे की भी आर्थिक सहायता नहीं दी गई। न उनको ऋण या अनुदान के रूप में कुछ भी सहायता दी गई ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आपने जो प्रश्न पूछा उससे बारां नगर व बारां उप जिला क्षेत्र में सन् 1967 में बाढ किस माह में आई और उसके कारण कौन कौन से नगर··

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप खंड 5 पढ़िये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : क्या सरकार ने इन इलाकों के बाढ़ पीड़ित परिवारों को किसी प्रकार की सहायता दी है ? यदि हां, तो किस किस क्षेत्र में नागरिकों को सहायता, कर्जा व अनुदान दिया गया है ?

मैंने निवेदन किया कि बारां के लिये पांच हजार रुपया सहायता और तीन हजार रुपया ऋण।

मांगरोल में पांच हजार रुपया सहायता और 4500 ऋण।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इस बाढ़ के कारण गरीब किसानों की काश्त को नुकसान और मकान गिरने का मवेशी बहजाने का जो पिछड़ी जाति को नुकसान हुआ है वह करीब 25 लाख रुपये का नुकसान हुआ है।

क्या यह सही है कि 1957 में जो बारां में बाढ़ आयी उसके लिये उपजिलाधीश और कलेक्टर ने इस प्रकार की रिपोर्ट दी है कि बारां के अन्दर पानी का बहाव नहीं होने के कारण बाढ़ आती है इस बाढ़ को रोकने के लिये बहाव को बाहर निकालने के लिये नाली सिस्टम करना चाहिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : गटर या नाले बनाने से बाढ़ रुकने का प्रश्न नहीं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : बहुत पानी आने से नाले से पानी बाहर नहीं निकल पाता वह वापिस शहर में आ जाता है और इस तरह से पानी के वापिस आने के कारण बाढ़ आ जाती है। सरकारी दफतरों में पानी भर जाता है। सरकारी फाइलें भीग जाती हैं। सरकारी अस्पताल में पानी भर जाता है। एस. डी. ओ. और मजिस्ट्रेट्स की अदालतें तीन तीन रोज तक बन्द पड़ी रहती हैं।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : सरकारी रेकार्ड भीगता है क्या यह सही है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : एकस्ट्रा आर्डिनरी रेन्स के कारण पानी इकट्ठा हुआ था जिसके कारण थोड़ा बहुत रेकार्ड भी भीगा था?

श्री देवीदत्त गाड़िया : कई मामलों की फाइलें भीग जाने के कारण एस. डी. ओ. की अदालत में चलने वाले केसेज 9 प्रतिशत की फाइलें खराब होगई इसके कारण सरकार को आर्थिक नुकसान भी हुआ और रिकवरीज भी नहीं हो पा रहीं हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय मंत्री इसकी गम्भीरता को देखकर भी द्रवीभूत नहीं हुए और उत्तर देने की चेष्टा नहीं करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामचन्द्र आर्य।

श्री लादूराम तुलानियां : विरोधी दल के नेता द्वारा पूछने पर भी मंत्री महोदय जवाब देना नहीं चाहते। मैं निवेदन करूंगा मंत्री महोदय को कहा जाय वे पहले उसका उत्तर दें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय मंत्री महोदय तो मौम के माफिक गल गये मालूम देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामचन्द्र आर्य।

स्थगित प्रश्न

11–3–68

पंचायतों को दी गई भूमि

519. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायतों को पन्द्रह पन्द्रह बीघा भूमि दी गई है? यदि हां, तो जिला श्री गंगानगर में कुल कितनी पंचायतों को भूमि दी गई है और कितनी पंचायतों को नहीं दी गई है और क्यों?

(2) जिन पंचायतों को 15 बीघा भूमि अलॉट हो चुकी है व जिनको अब तक नहीं हुई है उनके नामों की सूची तहसीलवार सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उप मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जी हां। कुल 350 पंचायतों में से 159 को भूमि अलॉट हो चुकी है व 191 पंचायतों को अभी भूमि दी जाना बाकी है। जिन पंचायतों को भूमि दी जाना बाकी है उनमें से 13 पंचायतों को भूमि आवंटन करने की मिसलें विचाराधीन हैं। कई पंचायतों द्वारा भूमि अलोटमेन्ट सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र भी प्राप्त नहीं होने के कारण भूमि अलॉट नहीं की गई। कई ग्राम पंचायतों

(श्री गंगाराम चौधरी)
को राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट द्वारा भूमि अलॉट की जानी है।

2. सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री रामचन्द्र आर्य : बाकी पंचायतों को कितने अरसे बाद भूमि अलोट की जायगी ?

श्री गंगाराम चौधरी : बहुत जल्दी की जायगी। कुछ को तो राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट विभाग कन्सीडर करेगा जिन्होंने एप्लाई कर दिया है उनको जल्दी निपटाया जायगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह जो सूची दी गई है बिल्कुल गलत दी गई है।

श्री गंगाराम चौधरी : ऐसी बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री रामचन्द्र आर्य : मुझे सूची दी गई है जिसमें एक तहसील पंचायत का नाम ही नहीं दिया गया है। दूसरा घनेला पंचायत को जमीन मिली हुई है तीन साल हो गये वे काश्त कर रहे हैं उनका नाम इसमें नहीं है। इस तरह से यह सूची गलत दी गई है।

श्री गंगाराम चौधरी : जिनको अलोट हो चुकी है उनकी सूची है।

श्री रामचन्द्र आर्य : ग्राम पंचायत घनेला तहसील नोहर का नाम नहीं है जब कि उसको तीन साल से जमीन मिल चुकी है उसका नाम जमीन नहीं मिलने की सूची में है। इसलिये यह सारी सूची गलत दी गई है ?

श्री रोशनलाल : घनेला पंचायत का अलॉटमेन्ट क्या नाजायज है ?

श्री गंगाराम चौधरी : अब तक कब्जा नहीं मिला होगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय।

श्री रोशनलाल : क्या घनेला पंचायत समिति ने नाजायज कब्जा कर लिया है ?

श्री रामचन्द्र आर्य : इसकी सूची गलत दी गई है अतः इसको स्थगित कर दिया जाय।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इस पंचायत समिति की जांच करवा ली जायगी कि जमीन पर कब्जा जायज है या नाजायज।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह सूची जो दी गई है। इस प्रकार गलत जवाब देना यह बड़े शर्म की बात है रोजाना इस तरह से गलत उत्तर दिये जाते हैं। इस बारे में आश्वासन चाहता हूं इसको स्थगित किया जाय।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये परिशिष्ट 3 देखिये)

**अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर**

ग्राम नगरी में भूमि का आवंटन

620. श्री रामकुमार नन्दवाना (चित्तौड़गढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री रामकुमार)

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 21-6-66 को तहसील गंगरार के अन्तर्गत ग्राम नगरी में लैण्ड अलाटमेन्ट कमेटी द्वारा पंचायत क्षेत्र नगरी-ग्रांवल हेडा के ग्राम के किसानों व बलदरखां गांव के भूमिहीन किसानों को भूमि आवंटित की गई थी ? यदि हां, तो कितने किसानों को कितनी कितनी भूमि एलॉट हुई थी।

(2) क्या उन भूमिहीन किसानों को जो भूमि एलॉट हुई उसका कब्जा उन्हें दे दिया गया है ? यदि हां, तो कितने किसानों को किस तारीख को दिया गया ?

(3) यदि कब्जा नहीं दिया गया तो किन कारणों से तथा कितने किसानों को नहीं दिया गया ?

(4) क्या यह सच है कि इस भूमि के एलाटमेन्ट के लिए नियमानुसार कोई अपील किन्हीं प्रार्थी द्वारा दायर की गई है ?

उत्तर

1–जी हां। 30 भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गई उनमें से जिन 2 व्यक्ति को जितनी 2 भूमि एलॉट हुई उसकी सूची संलग्न है।

2–उपरोक्त जिन भूमिहीन किसानों को भूमि आवंटित की गई उनमें से 5 व्यक्तियों को तारीख 10, 11, 12 अगस्त, सन् 1966 को कब्जा दे दिया गया।

3–पच्चीस व्यक्तियों को कब्जा नहीं दिया गया है। इसका कारण यह है कि आवंटन के औचित्य के संबंध में जांच की जा रही है।

4–जी हां। इन एलॉटमेंट को कैन्सिल करने के लिये सिवाय गोरधन लाल के किसी की कोई अपील किसी की जानिब से पेश नहीं हुई है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

### जयसमन्द बांध को डूब में आई भूमि का मुआवजा

621. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि अलवर तहसील में जयसमन्द बांध की मोरियां खोलने के विषय में ग्राम उमरेण के निवासियों, जिनकी जमीन इस बान्ध के बीच में गर्क है और बाहर के गांव जिनको जमीन इस बान्ध से सिंचित होती है, हर साल तनाजा होता है ?

(2) क्या यह सही है कि इस बान्ध को बनाने पर उमरेण ग्राम के किसानों को उनकी गर्की में आने वाली जमीन का कोई मुआवजा नहीं दिया गया था ?

(3) क्या राज्य सरकार की ओर से अब या भूतपूर्व अलवर राज्य में इस बान्ध के बारे में कोई निर्णय किया हुआ है कि कितनी मात्रा तक इस बान्ध में पानी किस तारीख तक निकाल दिया जाया करेगा ताकि बेरून सिंचाई के लिए पानी का उपयोग भी हो सके और गर्की जमीन का भी बड़ा हिस्सा काश्त के लिए उपलब्ध हो सके ?

(4) इस बांध से बेरून सिंचाई किन किन गांवों की कितनी कितनी रकबा भूमि की होती है ? गत दस वर्ष के आंकड़े दें।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(5) इस बांध के भरे रहने से अन्दर की जमीन कितनी कितनी गर्क रही या समय पर न निकलने के कारण बिना काश्त रही ? गत दस वर्ष के आंकड़े दें।

(6) क्या इस बान्ध में ग्राम दिवाकरी, खुदनपुरी की भी सिंचाई हो सकती है ?

उत्तर

1. जी नहीं, हर साल तनाजा नहीं होता है। केवल इसी साल इस तरह का प्रश्न सामने आया है। इस बांध के सबमरजेंस में पहले राजकीय भूमि आती है और किनारों की तरफ किसानों की भूमि आती है जो उनके खातेदारी में दर्ज है और आम तौर पर उक्त जमीनों पर वे पेटा काश्त करते हैं।

2. इन खातेदारों को मुआवजा देने का कोई रेकार्ड उपलब्ध नहीं है।

3. उपलब्ध रेकार्ड से ऐसा होना नहीं पाया जाता।

4. वांछित सूचना संलग्न सूची में अंकित है।

5. वांछित सूचना संलग्न सूची में अंकित है।

6. इसका अभी तक सर्वे नहीं कराया गया है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत समिति महुआ द्वारा बिजली के फिटिंग का ठेका

622. श्री श्रवणलाल (हिण्डौन): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि पंचायत समिति महुआ द्वारा बिजली के फिटिंग के कार्य को कराने के लिए टेन्डर मांगे गये थे ?

(2) यदि हां, तो कितने टेण्डर आये व किस रेट पर और किसका टेण्डर मन्जूर किया गया है ?

(3) क्या यह सच है कि बिजली विभाग से आवश्यकता सर्टिफिकेट प्राप्त करने से पहले ही ठेकेदार को पेमेन्ट कर दिया गया है ?

(4) यदि हां, तो कितने का और क्यों किया गया है ?

(5) क्या यह सच है कि अब तक भी कार्य पूरा नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

1. जी हां।

2. पांच टेण्डर आये। मेसर्स धामानी इलेक्ट्रिक, जयपुर का टेण्डर 30) रु. प्रति पोइंट पर स्वीकार किया गया।

3. जी हां।

4. 2650.50 पै. का पेमेन्ट किया गया। बिजली विभाग का सर्टिफिकेट आवश्यक नहीं है।

5. जी नहीं। कार्य पूरा हो गया है।

कोयला बनाने, बांस काटने व लकड़ी निकास आदि के ठेके

624. श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (गोगुन्दा सु.)—क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री देवेन्द्रकुमार)

(1) वन विभाग उदयपुर द्वारा रेन्ज कोटड़ा, गोगुन्दा व झाड़ोल में वर्ष 1967-68 में कोयला बनाने, बांस काटने व लकड़ी निकास करने के ठेके किस किस कूप के किस किस ठेकेदार को दिये गये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि गुजरात के ठेकेदारों को भी ठेके दिये गये हैं ? यदि हां, तो किस किस कूप के किस किस ठेकेदार को ?

(3) क्या उक्त ठेकेदारों में से किसी ने नाजायज तौर पर जंगल काटा है ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

(4) क्या उक्त कूपों के माफर वन ठेका सहकारी समितियों को दिए गए थे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

1–सूची संलग्न है।

2–जी हां, ब्लाक ग्वालिया बेरी खाकरिया की नाल कूप नं 6 के 500 सालर वृक्ष क्रमांक 2501 से 3000 तक का ठेका श्री फकीर मुहम्मद पिता मोहम्मद भाई निवासी विश नगर जिला महसाना गुजरात को।

3–जी नहीं।

4–जी हां।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिए)

जहाजपुर तहसील में सीमा निर्धारण का कार्य

628. श्री कल्याणमल मीणा (जहाजपुर सु.) क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जहाजपुर तहसील की कौन कौन सी पंचायत एवं ग्राम देवली रेन्ज के अन्तर्गत लगाये गये है ?

(2) जहाजपुर रेन्ज से हटा कर ग्राम देवली रेन्ज में लगाने की मांग किसके द्वारा की गई ?

(3) क्या यह सही है कि ये ग्राम देवली रेन्ज के अन्तर्गत नहीं रहना चाहते हैं ?

(4) क्या ये ग्राम तहसील एवं पंचायत समिति की सीमा के अनुसार जहाजपुर रेन्ज में लगाये जा सकते हैं ?

(5) यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या यह सही है कि इन गावों में इन दिनों सीमा का निर्धारण का कार्य होने से जनता में भारी असन्तोष बढ़ रहा है ?

(7) यदि हां, तो क्या सीमा निर्धारण का कार्य जब तक ये ग्राम पुनः जहाजपुर रेन्ज के अन्तर्गत नहीं लगें तब तक स्थगित रखा जा सकता है ?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत इटोदा, लुहारी, टीकड तथा गांडोली के गांव मनोहरगढ़, लुहारी बडी, लुहारी छोटी, गांडोली, टीकड पोलिया, हामपुरा तथा कुवलवाड़ा।

(2) मांग किसी के द्वारा नहीं की गई। प्रशासनिक दृष्टि से देवली रेन्ज में लगाये गये हैं।

(3) इसकी जानकारी इस विभाग को नहीं।

(वन मंत्री)

(4) जी नहीं।

(5) प्रशासनिक दृष्टि में इसका देवली रेन्ज में रखना उचित है।

(6) वन सीमा पर मीनारें लगाए गए हैं। सीमा निर्धारण का कार्य वन बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा किया जावेगा। असन्तोष की जानकारी इस विभाग को नहीं है।

(7) सीमा निर्धारण का कार्य वन भूमि पर अतिक्रमण करने की घटनाओं को रोकने हेतु अत्यन्त आवश्यक है अतः इसे स्थगित करना प्रशासनिक दृष्टि से उचित नहीं है।

### निम्बाहेड़ा में पत्थर ढोने वाली ट्रकों से भाड़ा-कर की वसूली

629. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान यात्री तथा माल कर विनियम के तहत निम्बाहेडा में अब तक पत्थर ढोने वाली ट्रकों से भाड़ा-कर कितना वसूल किया गया है? यदि कर वसूल नहीं किया गया है तो क्यों?

(2) क्या सरकार के ध्यान में है कि वहां सौ ट्रक रोजाना पत्थर के आते हैं और उनसे आर. पी. जी. टी. एक्ट के तहत एक पैसा भी वसूल नहीं होता? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी है?

उत्तर

(1) राजस्थान यात्री एवं माल कर अधिनियम (आर. पी. जी. टी.) के तहत कर, पब्लिक कैरियर के रुप में रजिस्टर्ड ट्रकों से, निश्चित रकम (लम्पसम) के रूप में तिहाई लिया जाता है। निम्बाहेड़ा में पत्थर ढोने वाले ऐसे ट्रकों से भी नियमानुसार हर तिमाही कर लिया जाता है तथा जो समय पर जमा नहीं कराते हैं उन पर शास्ती कायम की जाती है।

(2) प्रश्न नहीं उठता, परन्तु यदि किसी ट्रक का नम्बर आदि बताया जाय तो पूछताछ की जा सकती है।

### ग्राम पंचायत छीपाबड़ोद की आय बढ़ाने के लिये दी गई जमीन

631. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा):- क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या कोटा जिले की पंचायत समिति छीपाबडोद की ग्राम पंचायत छीपा-बडौद को अपनी आय बढ़ाने के लिये 15 बीघा जमीन राजस्व विभाग से दी गई है? अगर हां, तो कौन से नम्बर की?

(2) क्या इस जमीन में से कुछ जमीन बेच दी गई है? तथा कुछ जमीन पर लोगों ने अवैध तरीके से नाजायज कब्जा कर लिया है? अगर हां, तो कितना कितना और किस किस ने?

उत्तर

(1) जी हां। खसरा संख्या 1231 से।

(2) जी नहीं।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पंचायत समिति छीपाबड़ौद म तकावी का वितरण

270. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) छीपा बड़ौद पंचायत समिति जिला कोटा में जो तकावी सन् 1962 से 30 दिसम्बर, 1967 तक बांटी गई है व किन किन लोगों को बांटी गई है व कितनी कितनी बांटी गई है ?

(2) उपरोक्त बांटी हुई तकावी में से किन किन व्यक्तियों से तकावी वसूल की जा चुकी है और अब कितनी तकावी किन लोगों की तरफ शेष है ?

(3) उक्त तकावियां किन किन प्रयोजनों के लिये दी गई थीं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सदन की मेज पर रखी गई सूचना में इसका उल्लेख कर दिया गया है।

(3) सदन की मेज पर रखी गई सूचना में इसका उल्लेख कर दिया गया है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

चूंडावाड़ा तालाब से सिंचाई

271. श्री रतनलाल रोत (चौरासी सु.):— क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जिला डूंगरपुर में चूंडावाड़ा नामक तालाब, जो कि डूंगरपुर के नरेश का है, उससे पानी लेने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

(2) क्या यह सही है कि चूंडावाड़ा तालाब, जो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा तालाब है यदि उसका पानी सिंचाई के लिए निकाला जाय तो वहां की काफी भूमि सींची जा सकती है ?

(3) यदि हां, तो क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए चूंडावाड़ा तालाब से नहर निकालने की कोई योजना है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

गुड़गावां केनाल में आई भूमि का मुआवजा

272. श्री मजलिस खां (कामां): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि गुड़गांवां केनाल में जो कृषकों की भूमि एक्वायर की गई है, उनको इसका मुआवजा नहीं मिला है ? यदि हां, तो कब तक दिला दिया जाएगा ?

उत्तर

शीघ्र मुआवजा दिलाने के बारे में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

सिचाई विभाग अलवर द्वारा कार्यों के ठेके

273. श्री गंगासहाय (कठूमर सु.)— क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) गत पांच वर्षों में सिचाई विभाग अलवर ने कितने कार्यों का ठेका टेन्डर द्वारा दिया और कितना वर्क आर्डर द्वारा दिया गया? वर्क आर्डर द्वारा दिये गये ठेकों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या उक्त कार्य ठेकेदारों ने निर्धारित अवधि में पूरे कर दिये?

(3) क्या सरकार ऐसे ठेकेदारों पर कोई पैनल्टी लगाती है जो समय पर काम पूरा नहीं करते तथा जो कार्य दूसरे ठेकेदारों से ऊंचे रेट पर कराने पड़ते हैं?

उत्तर

(1) गत पांच वर्षों में सिंचाई विभाग अलवर द्वारा 112 कार्यों का ठेका टेन्डर द्वारा तथा 537 कार्यों का ठेका वर्क आर्डर दिया गया। वर्क आर्डर द्वारा दिये गये कार्यों की सूची संलग्न हैं।

(2) उपरोक्त प्रश्न के क्रम में जो सूची संलग्न की जा रही है उसमें यह सूचना भी अंकित कर दी गयी है।

(3) जी हां। यदि ठेकेदार की गलती से कार्य समाप्ति में देर हुई हो।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजस्थान कैनाल क्षेत्र में चकों में आबाद लोगों को सहूलियतें

274. श्री हंसराज आर्य (भादरा): क्या कोलोनाईजेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान कैनाल क्षेत्र में चकों में लोगों को आबाद करने के सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठा रही है और किसानों को क्या क्या सहूलियतें दे रही है ताकि वह नये काटे गये चकों में आबाद हो सके?

(2) राजस्थान कैनाल क्षेत्र में कुल कितने चक काटे गये हैं और चकवाईज कितने कितने मुरब्बे भूमि लोगों को आबाद होने के लिये छोडी गई है?

(3) जिन चकों में आबाद होने के लिए भूमि छोडी गई है वह भूमि आबाद होने वालों को ग्राम पंचायतें अलाट करेंगी या कोलोनाईजेशन विभाग अलाट करेगा?

(4) चकों में आबाद होने वाले लोगों को भूमि निःशुल्क दी जावेगी या कीमत लेकर दी जावेगी?

(5) यदि कीमत ली जावेगी तो क्या वह कीमत ग्राम पंचायतों को मिलेगी?

(6) यदि नहीं तो क्यों नहीं?

(7) चकों में लोगों को कब तक आबाद कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) राजस्थान नहर योजना क्षेत्र में लोगों को चक आबादी में बसाने के लिए कृषकों की सहूलियत को देखते हुये चक आबादी काटी जाती है और चक आबादी के विकास के लिए डिग्गी, नरसरी, स्कूल, सड़क, चिकित्सालय आदि की प्राथमिक

(कोलोनाईजेशन मन्त्री)
आवश्यकताओं का प्रबन्ध किया जाता है और इच्छुक व्यक्तियों को गृह निर्माण के लिए ऋण प्रदान किया जाता है।

(2) राजस्थान नहर योजना क्षेत्र की नौरंगदेसर, रावतसर, खेतेवाली, जोरावरपुरा, सरदारपुरा, खोड़ा, और सूरतगढ ब्रांच तक सिंचाई क्षेत्रों में दिसम्बर 1967 तक 99 पुरानी आबादी व 43 नई चक आबादी काटी गई है–चक आबादी के लिए 16490 बीघा भूमि आरक्षित की गई है।

(3) इस सम्बन्ध में नियम बनाये जा रहे हैं।

(4) इस सम्बन्ध में नियम बनाये जा रहे हैं।

(5) मामला विचाराधीन है।

(6) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(7) जहां जहां चक आबादी काट दी गई है और प्लान तैयार हो चुके हैं उन आबादियों को बसाने की कार्यवाही चालू की जा चुकी है।

**नहरी एवं बांधों से सिंचित क्षेत्रों में सरकारी भूमि**

276. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या कोलोनाईजेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में सिंचित क्षेत्रों में पानी नहरों और बांधों से सिंचित क्षेत्रों में जो सरकारी भूमि खाली पड़ी थी या किसानों को आरजी तौर पर एलाट कर रखी थी उसे अब या तो मुस्तकिल एलॉट किया जा रहा है या नीलाम किया जा रहा है?

(2) यदि हां, तो ऐसी भूमि की जिलेवार तथा प्रोजेक्टवार फी बीघा क्या कीमत रखी गई है?

(3) ऐसी भूमि जिलेवार फी परिवार कितने एकड़ तक एलाट की जावेगी?

उत्तर

(1) जी हां, आम तौर पर विभिन्न नियमों एवं आदेशों के अन्तर्गत भूमि आवंटन या विक्रय का कार्य किया जा रहा है और कुछ जगह नीलामी भी।

(2) जिन जिन प्रोजेक्ट्स में आनेवाली भूमि की कीमत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कर दी गई है उसकी सूची साथ में संलग्न है।

(3) जिलेवार फी परिवार जमीन आवंटन करने के सम्बन्ध में कोई नियम नहीं बनाये।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

**ग्राम गंदीफली में सड़क निर्माण के लिए इकट्ठा किया गया धन**

276. श्री बृजवल्लभ (दीगोद): (1) क्या पंचायत गंदीफली में ग्राम सांगोद जाने वाली सड़क से मिलाने के लिए योजना बनाई गई थी?

(2) क्या यह भी सही है कि गन्दीफली के नागरिकों द्वारा चन्दा इकट्ठा किया गया था? यदि हां, तो कितनी राशि?

(श्री बृज वल्लभ)

(3) क्या यह सही है कि उस चन्दे का उपयोग अब तक नहीं किया गया है ?

(4) क्या यह सही है कि पंचायत इस रकम का अब उपयोग करने का विचार कर रही है ?

(5) यदि हां, तो कब तक उस रकम को काम में लाया जा सकेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। 899.18 पैसे इकट्ठे हुए।

(3) जी हां।

(4) जी हां।

(5) पंचायत द्वारा शीघ्र कार्यवाही किये जाने की संभावना है।

**उप जिला विकास अधिकारी नागौर के कार्यालय में विचाराधीन शिकायतें**

277. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे:–

उप जिला विकास अधिकारी नागौर के कार्यालय में पंचों, सरपंचों, न्याय पंचायतों के अध्यक्षों तथा प्रधानों और विकास अधिकारियों के खिलाफ कौन कौन सी शिकायतें कब कब से विचाराधीन हैं तथा प्राप्त होने की तारीख से आज तक उनमें क्या क्या कार्यवाही हुई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

सूची सदन को मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

**पंचायत समिति निवाई क्षेत्र में निर्माण के अधूरे कार्य**

27. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) पंचायत समिति निवाई के क्षेत्र में कितने निर्माण कार्य कब से अधूरे पड़े हैं ? स्कूल भवन, अध्यापक भवन, नये पुराने कुए, ग्राम सेवक क्वार्टर, खुरे, नाले, तालाब, रास्ते आदि की अलग अलग सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि बहुत से कामों पर पंचायत समिति के द्वारा पहली किश्त की धनराशि दी गई और बाद में दूसरी या तीसरी किश्तों में नहीं दी गई जिससे कार्य पूर्ण नहीं कराये जा सके ? यदि हां, तो ऐसे कितने निर्माण कार्य हैं और किश्त नहीं देने के क्या कारण हैं ?

(3) अब इन अधूरे कार्यों को पूर्ण कराने के लिए क्या योजना है ?

उत्तर

(1) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) 146 कार्य अधूरे हैं। इनमें से 98 कार्यों का हिसाब नहीं दिया गया है, 15

(पंचायत मंत्री)

कार्य ऐसे हैं जिनमें पहली किश्त का कार्य नहीं हुआ है, 4 कार्यों में जन सहयोग प्राप्त नहीं हुआ है व 18 कार्यों के हिसाब में गलतियां हैं तथा 11 कार्यों के लिए धनराशि नहीं थी।

(3) नियमानुसार अनुदान दिया जाकर कार्य पूरे कराये जायेंगे।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

**जिला सवाई माधोपुर के अभावग्रस्त ग्रामों में लेवी की वसूली**

279. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

क्या यह सही है कि जिला सवाई-माधोपुर में ऐसे ग्रामों से भी लेवी वसूल की गई है जो अकालग्रस्त हैं? यदि हां, तो किस किस अकालग्रस्त ग्राम से कितनी कितनी लेवी वसूल की गई है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

सवाई माधोपुर जिले में 3-8-67 को निम्न 5 ग्राम अभावग्रस्त घोषित किये गये थे-

| | |
|---|---|
| तहसील बोंली- | अनियाल |
| तहसील हिन्डौन- | खेडली, घोंसला |
| तहसील नादोती- | बीमोरी, बाढमामोर |

उक्त घोषणा के पश्चात् इन ग्रामों से कोई लेवी वसूल नहीं की गई। अतएव सूची सदन की मेज पर रखने का प्रश्न ही नहीं उठता।

**आदिवासी क्षेत्रों के कूपों का ठेका**

280. श्री ललितसिंह (बड़ी सादड़ी) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करने का विचार रखती है कि भविष्य में कोई कूप उस क्षेत्र के आदिवासियों के अतिरिक्त अन्य किसी ठेकेदार को नहीं दिया जायेगा?

(2) क्या सरकार आदिवासियों को ऐसी सुविधायें देने का विचार भी रखती है ताकि वे अपने क्षेत्र के जंगल प्राप्त कर सकें?

उत्तर

(1) जी नहीं। अभी यह संभव नहीं है।

(2) आदिवासी वन श्रमिक सहकारी समितियों को कूप काटने हेतु दिये जाते हैं।

**अधीक्षक, सिलाई प्रशिक्षक एवं अध्यापकों आदि के फिक्सेशन के मामले**

281. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(2) राजस्थान समाज कल्याण विभाग में कितने अधीक्षक, सिलाई प्रशिक्षक, अध्यापक व लेखक हैं जिनका फिक्सेशन आज तक भी नहीं हुआ?

(2) क्या यह सही है कि इस विभाग में जिन कर्मचारियों का फिक्सेशन हो चुका है उनमें से बहुतों को फिक्सेशन एरियर का भुगतान नहीं किया गया है? यदि हां, तो ऐसे

(श्री गंगा सहाय)
कर्मचारियों की संख्या कितनी है ? उनके एरियर को कितनी रकम व कब से भुगतान हेतु बकाया पड़ी हुई है ?

(3) समाज कल्याण विभाग में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनको गत 3 वर्षों से वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी गई है और इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) समाज कल्याण विभाग में 103 अधीक्षक, 13 सिलाई प्रशिक्षक, 24 अध्यापक व 141 लिपिक है जिनमें से 24 अधीक्षक, 2 सिलाई प्रशिक्षक, 3 अध्यापक तथा 3 लिपिकों का फिक्सेशन होना बाकी है।

(2) 2 ऐसे कर्मचारी हैं जिनके वेतन का फिक्सेशन हो चुका है, किन्तु फिक्सेशन ऐरियर का भुगतान करना बाकी है। उनके ऐरियर की धनराशि लगभग 2109 रुपये 51 पैसे देय है और यह दिनांक 1-9-1961 से देय है।

(3) इस विभाग के केवल एक कर्मचारी श्री भूदर सिंह को गत 8 वर्षों से वेतन वृद्धि नहीं मिल पाई है क्योंकि इनकी विकास अधिकारी पीसांगन जिला अजमेर के कार्यालय में वेतन वृद्धि नहीं की गई थी। अब वहां वेतन वृद्धि कर दी गई है तदनुसार इस विभाग में भी वेतन वृद्धि कर दी जावेगी।

पंचायतों में सरपंचों आदि के निर्विरोध चुनाव

282. श्री केसरीसिंह हाडा (हिन्डौली) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बूंदी जिले में पंचायतों के चुनाव में गत दो वर्षों से सांवतगढ़ पंचायत के सरपंच क्या निर्विरोध चुने गये? इस जिले में इनके अतिरिक्त और कहां कहां के सरपंच निर्विरोध चुने गये थे ?

(2) क्या सरकार ने 1000) रु. का पुरस्कार उन सब पंचायतों को दिया है जहां चुनाव निर्विरोध हुए हैं ?

(3) यह पुरस्कार जिला बूंदी में अब तक किस किस को और कब कब दिया गया है ?

(4) क्या यह सत्य है कि सांवतगढ की पंचायत को एक बार भी यह पुरस्कार नहीं दिया गया ?

उत्तर

(1) जी हां। सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं, 25 पैसा प्रति व्यक्ति के हिसाब से विशेष अनुदान दिया गया।

(3) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जी नहीं, विशेष अनुदान दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

बेलासर, सियल एवं ऊदासर आदि गांवों की हरिजन बस्तियों में सुविधाएं

283. श्री शीशराम (सादूलपुरा): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

# Page No.43



(श्री शीशराम)

(1) क्या यह सही है कि बेलासर, सिंथल, ऊदासर आदि गांवों व कस्बों की कतिपय हरिजन बस्तियों में बिजली पानी की सुविधाओं का अभाव है? अगर हां, तो इस सम्बन्ध में विभाग ने अब तक क्या कदम उठाया है ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने विभाग को ऐसे मोहल्लों में उपरोक्त सुविधाएं पहुँचाने हेतु इस साल के बजट में धनराशि का प्रावधान किया है ? अगर हां, तो क्या विभाग उक्त राशि में से उपरोक्त सुविधाओं को मुहैया करने हेतु कदम उठायेगी?

उत्तर

(1) राजस्थान के अनेक गांवों और कस्बों में नल एवं बिजली नहीं है। राज्य सरकार के पास इतने वित्तीय साधन नहीं हैं जिससे सब गांवों एवं कस्बों, मोहल्लों में नल-बिजली की व्यवस्था की जा सके।

(2) राज्य विद्युत् मन्डल के वर्तमान 1968-69 के वित्तीय बजट में हरिजन बस्तियों में बिजली की व्यवस्था के लिए 10.00 लाख रु. का प्रावधान रखा गया है। नल के लिये विभाग के 1967-68 के बजट में 1.00 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया था। विभाग में नियमानुसार नल एवं बिजली के जितने प्रस्ताव प्राप्त हुये थे सब आवश्यक कार्यवाही हेतु मुख्य अभियन्ता विद्युत् मन्डल एवं स्वास्थ्य विभाग को भेज दिये गये हैं।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता

284. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य के हर जिले व डिविजन में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता देने के लिये किस किस एडवोकेटों को तय कर रखा है और उनकी नियुक्ति किस प्रकार की जाती है ? उनको कितना वेतन दिया जाता है ? एडवोकेटों के नाम उनको मिलने वाले वेतन की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) टोंक जिले के लिये पेनल लॉयर में किसका नाम मंजूर किया है ?

(3) क्या इसमें अनुसूचित जाति व जन जाति के वकीलों को प्राथमिकता दी जाती है? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य के हर जिले व डिवीजन के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सहायता देने के लिये किसी भी वकील को विभाग ने तय नहीं कर रखा है।

वकीलों की नियुक्ति नियम की धारा 6 के अन्तर्गत सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा की जाती है ऐसी नियुक्ति तहसील सब डिवीजन एवं जिले पर उपलब्ध सूचियों में से प्रत्येक केस के लिये अलग अलग अथवा मासिक क्रम से की जाती है।

(2) वकीलों का वेतन नियमों में निर्धारित नहीं है तहसीलदार केस के अनुसार स्वयं ही वेतन निर्धारित करते हैं।

टोंक जिले में पिछड़े वर्गों को कानूनी सहायता के लिये पेनल की कोई सूची विभाग

(समाज कल्याण मन्त्री)

में प्राप्त नहीं हुई और न किसी वकील की नियुक्ति की गई है।

(3) नियमों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति का वकील नियुक्त करने का भी कोई प्रावधान नहीं है। क्योंकि मुकदमें की ठीक पैरवी के लिये बिना किसी जाति पाति के भेद के अच्छे वकीलों के पैनल की सूची तैयार की जाती है। जिसमें से अमुक केस के लिये अमुक व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है।

खेरवाडा तहसील में भूमि एलाटमेन्ट कमेटी की बैठकें

285. श्री विद्यासागर (खेरवाडा सु.) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) खेरवाड़ा तहसील, जिला उदयपुर में सन् 1965 जनवरी से सन् 1967 दिसम्बर तक भूमि एलाटमेन्ट कमेटी की बैठकें कहां कहां किन किन तारीखों में हुई ?

(2) एलॉटमेन्ट कमेटी की बैठकों में कौन कौन व्यक्ति कहां कहां उपस्थित थे ?

(3) किन किन पंचायतों में किस किस व्यक्ति को भूमि एलाट की गई ? क्या जिन व्यक्तियों को भूमि एलाट की गई उन्हें पटवारियों द्वारा जमीन नाप कर पानड़ी दे दी गई है ?

(4) यदि हां, तो गांव व पंचायत सर्किलवाईज किन किन व्यक्तियों को कितनी बीघा जमीन किस नम्बर की नाप कर पानड़ी दी गई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2-4-68 को पुनः पूछा गया)

पाली तहसील के तालाबों की मरम्मत

286. श्री मूलचन्दडागा (पाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पाली तहसील में इस साल बाढ आने से कौन कौन से तालाब किस किस गांव के नष्ट हो गये ? क्या सरकार उन तालाबों के लिये कोई धनराशि मरम्मत करवाने के लिए देने की व्यवस्था करेगी ? और यदि करेगी, तो कब तक ?

(2) क्या यह सत्य है कि इस साल बाढ आने से तालाब इतने टूट गये हैं कि जिनकी मरम्मत नहीं हुई तो आगामी वर्षा में इनमें पानी नहीं टिक सकेगा ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

जी हां। मरम्मत के लिए 50,000 रु. की राशि आवंटित की गई है। इसे जिलाधीश पाली उपयोग में ले रहे हैं। आशा है कि काफी तालाबों की मरम्मत हो जाएगी।

(2) जी हां। इस साल बाढ आने से तालाब अधिक टूट गये हैं जिनकी मरम्मत कराये जाने का प्रबन्ध किया जा रहा है। मरम्मत न होने पर सम्भव है कि आगामी वर्षा में इनमें पानी कम टिकेगा।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

गोचर भूमि में काश्त करने वालों की फसल की कुड़की

287. श्री दौलतराम (देसूरी सु.) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने गोचर भूमि में काश्त करने वालों की फसल को तहसीलदारों द्वारा कुडक व मवेशी चराने के आदेश पारित हुए थे ?

(2) उक्त आदेश से पाली जिले में किस किस तहसीलदार ने कौन कौन से गांवों में गोचर भूमि में काश्त करने वालों की फसल कुड़क की व मवेशी चराई गई ? जहां कुडक नहीं की व मवेशी को नहीं चराई वे कौन कौन से गांव हैं और उनका कारण क्या था ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखे।

उत्तर

(1) जी हां। आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है।

(2) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।
(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

गिरदावरों को यात्रा भत्ता

288. श्री सुवालाल चौधरी (दूदू) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील दूदू व फुलेरा में पटवारियों को आफिस कानूनगो व गिरदावर से वेतन ज्यादा मिलता है ?

(2) क्या सरकार यह अनुभव करती है कि गिरदावरों को यात्रा भता नहीं मिलने के कारण पटवारियों के कार्य का वे पूरी तरह निरीक्षण नहीं कर पाते हैं ? यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या विचार है ?

उत्तर

(1) जी नहीं

(2) जी नहीं

जिला बांसवाड़ा के अकालग्रस्त क्षेत्रों में लगान की वसूली

289. श्री हीरा भाई (कुशलगढ़ सु.) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1965 व 1966 में जिला बांसवाड़ा की तमाम तहसीलों में अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित किये गये थे ?

(2) किन किन क्षेत्रों में कितना कितना प्रतिशत नुकसान गिरदावरी रिपोर्ट के अनुसार आंका गया था ?

(3) क्या इन क्षेत्रों में नियमानुसार लगान में छूट दे दी गई थी ? यदि हां, तो कितनी छूट दी जाकर कितने प्रतिशत लगान वसूल किया जा रहा है ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त वर्षों का जो लगान इस वर्ष वसूल किया जा रहा हैं वह पूरा का पूरा वसूल किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों ?

# Page No.46



उत्तर

(1) जी हां निम्न अनुसार ग्राम अभाव ग्रस्त घोषित किये हुये थे:--

| नाम तह. | तदाद अभाव ग्रस्त ग्राम सं. 2021 | सं. 2022 में | |
|---|---|---|---|
| बांसवाड़ा | 26 | 307 | |
| घाटोल | 73 | 296 | |
| गढ़ी | 167 | 167 | दोनों |
| कुशलगढ | 130 | 397 | वर्षों में |
| बागीदार | 148 | 258 | समस्त तहसील गढी |
| योग | 544 | 1425 | |

(2) तालिका सदन की मेज पर रखदी गई है।

(3) लगान में छूट दिये जाने के लिये आवश्यक कार्यवाही जिलाधीश कर रहे हैं।

(4) जी नहीं।

(12.20 म. प.)

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

**सदन की मेज पर रखा गया पत्र**

श्री उपाध्यक्ष : श्री कृषि मंत्री।

श्री शोभाराम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राज्य गोदाम निगम के वर्ष 1966-67 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखता हूं।

**स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था**

श्री उपाध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों से सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, वे इस प्रकार हैं :

(1) श्री देवीदत्त गाडिया व श्री ब्रजवल्लभ सदस्य विधान सभा ने कई प्रान्तों में चलने वाली रेल गाड़ियों में से अलाभकारी यात्री गाड़ियों को बन्द करने सम्बन्धी घोषणा के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(2) एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री परसराम गंगाराम, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है, जिसमें रीजनल कालेज अजमेर में दिनांक 6-3-68 को सुखलाल जब अपनी उपासना में बैठा था, उसके हनुमानजी व सत्यनारायणजी के चित्र व कथा अली महमद द्वारा फाड़ देने तथा एक मोटर कार जला देने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया है।

(3) श्री रावतराम व श्री मेघराज सदस्य विधान सभा ने जो स्थगन प्रस्ताव को सूचना दी है उसमें तहसील रतनगढ, चूरू के हजारों किसानों को पानी के कुण्ड व चारा डालने के बाड़ों से बेदखली के नोटिस देना बतलाया है।

(4) श्री रामानन्द अग्रवाल सदस्य विधान सभा ने उदयपुर में धारा 144 लगाने व कम्यूनिस्ट पार्टी के 8 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(5) एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना भी श्री रामानन्द अग्रवाल ने दी है जिसमें

(श्री उपाध्यक्ष)
राजस्थान राज्य कर्मचारियों में व्याप्त असन्तोष से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया है।

(6) श्री श्रवणलाल सदस्य विधानसभा ने करौली में पुलिस की लापरवाही झगडे से उत्पन्न स्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव को सूचना दी है, तथा

(7) हरजीराम बुरडक सदस्य विधान सभा ने एक मिलट्रीमैन की ग्राम तनमावड़ा (नीम-का-थाना) में आवंटित भूमि की फसल को कुछ व्यक्तियों द्वारा नष्ट किये जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों में उल्लिखित विषय इतने अविलम्बनोय लोक महत्व के नहीं हैं, कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जाकर इन पर विचार किया जाय। इसके अतिरिक्त इन स्थगन प्रस्तावों में उल्लिखित विषयों को इनसे सम्बन्धित विभागों की मांगों पर होने वाली बहस के दौरान कटौती प्रस्तावों के जरिये उठाया जा सकता है। जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है विभिन्न विभागों की मांगों पर बहस आज से प्रारम्भ हो रही है ऐसी स्थिति में उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

**श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस अजमेर के रीजनल कालेज के बारे में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी थी। वह तो लिया ही नहीं गया है। वहां स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि उत्तेजनापूर्ण लड़कों ने एक मोटर जला डाली।

**श्री उपाध्यक्ष** : यह मालूम कर रहा हूँ कि कब आपने दिया है। स्थान ग्रहण करें। पहले ही भाषण कैसे दे सकते हैं ? इसका वैसे उल्लेख आ गया है इसमें।

**श्री भगवानदास शास्त्री** : मुस्लिम छात्र ने...

**श्री उपाध्यक्ष** : उनको समय, आगे वाद-विवाद पर कटौती प्रस्तावों के समय, कभी दिया जावेगा।

**श्री भगवानदास शास्त्री** : विद्यार्थियों ने मोटर जला दी। प्रोफेसर मुस्लिम था। तो इतनी भयंकर स्थिति आज अजमेर में पैदा हो गई है। आठवां रोज आज है। अजमेर की स्थिति इतनी तनावपूर्ण थी कि हिन्दू मुस्लिम झगड़ा हो जाता।

**श्री देवीदत्त गाडिया** (बारां): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो मेरा रेलवे से सम्बन्धित स्थगन प्रस्ताव है उसका डिमाण्ड से कोई सम्बन्ध नहीं है।

**श्री उपाध्यक्ष**: आपने जो स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी उसे सरकार के पास भेजा है। सूचना प्राप्त नहीं हुई है। सूचना प्राप्त होने पर व्यवस्था दे दी जावेगी।

**श्री भगवानदास शास्त्री** : मेरा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव था।

**श्री देवीदत्त गाडिया** : इसके सम्बन्ध में अभी तक शासन की ओर से आश्वासन नहीं मिला था कि इस तारीख तक इसका जवाब दे दिया जायेगा। तो फिर स्थगन प्रस्ताव देने का मतलब क्या रहा ?

557

श्री उपाध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव तो इस लिये दिया जाता है कि सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जावे। अब जितने स्थगन प्रस्ताव दिये जाते हैं अगर वे सभी स्वीकार कर लिये जावें और अगर यह आपने माना है तो सदन की कार्यवाही ही नहीं चल सकती साल भर में महीना डेढ महीना सदन चलता है अब उसमें अगर स्थगन प्रस्ताव ही लिये जाते रहे, तो कार्यवाही नहीं हो सकती। इस लिये स्थगन प्रस्तावों पर आसन व्यवस्था देकर जिसमें उचित समझता है जवाब दिलाना, वहां सरकार से जवाब मंगा लिया जाता है। नहीं तो और तरीकों से आय व्ययक पर वाद-विवाद चल रहा है तो उसकी बहस के दौरान ये मुद्दे उठा लिये जावें उसका उत्तर मिल जावेगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इसका सम्बन्ध इस डिमाण्ड से नहीं है। सेन्टर और रेलवे से यह सम्बन्धित है।

श्री उपाध्यक्ष : फिर तो जो यहां के बजट से सम्बन्धित नहीं हैं, उसको यहां उठाया नहीं जा सकता?

श्री देवीदत्त गाडिया : रेलगाडी एक भी नहीं तोड़ी जावे।

श्री उपाध्यक्ष : आप थोड़ा नियमों की ओर ध्यान दीजिये। आसन अपने पैरों पर है तो कृपया स्थान ग्रहण करें।

वैसे नियमानुसार देखा जावे तो रेलवे का सम्बन्ध राज्य से नहीं है।

श्री देवीदत्त गाडिया : नहीं साहब, रेलवे से सम्बन्धित मसला जरूर है पर स्टेट से सम्बन्धित है। सेन्टर ने पत्र लिखा है।

श्री उपाध्यक्ष : उस माने में यह अनुमति दे दी गई है कि इसको ट्रान्सपोर्ट की या अन्य सम्बन्धित मांग पर बहस के समय उठा लिया जावे। सरकार के पास हमने भी सूचना भेज दी है। जवाब आ जावेगा कि सरकार क्या करना चाहती है इसमें आवेश में आने की ऐसी कौनसी बात है।

श्री देवीदत्त गाडिया : कोटा बीना दो गाडियां जाती है।

श्री उपाध्यक्ष : मांग पर बहस के समय आप इसे ले लें।

श्री देवीदत्त गाडिया : यातायात से सम्बन्धित आज कोई मांग नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : कौनसी लाइन बन्द हो रही है!

श्री देवीदत्त गाडिया : सरकार को खुद को जानकारी नहीं है। बारां के स्टेशन मास्टर ने कहा है कि कोटा से बीना सुबह शाम गाड़ी जाती है। इसी तरह से बीना से दो गाड़ियां चलती हैं। बीना से एक गाडी कोटा से बीना जाने वाली और एक बीना से कोटा जाने वाली तोडी जावेगी। सिर्फ अब एक गाडी आवेगी और एक जावेगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाजार) यह जो स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है और उसमें जिन मुद्दों को उठाया गया है और जिसमें उपाध्यक्ष महोदय, आपकी भी रुचि होगी सदन की भी रुचि होगी। सम्पूर्ण देश की भी रुचि होगी, यही नहीं आज लोकतन्त्र की रक्षा के सम्बन्ध में बड़ी चिन्ता का विषय यह बन गया है। आज

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
जिस प्रकार का रवैया एक्जीक्यूटिव के द्वारा अपनाया जा रहा है वह एक गम्भीर प्रश्न है।

अध्यक्ष के आसन से व्यवस्था होने के बाद गवर्नर आर्डिनेन्स के द्वारा विधान सभा को बुलाना, अध्यक्ष के आसन पर तो कुठाराघात है ही, विधान सभा के गौरव और गरिमा को भी समाप्त किया जा रहा है। इस प्रकार की व्यवस्था और प्रक्रिया अपनाई जा रही है जो विधान सभा के अधिकारों को घटाने वाली है। इसलिये यह जो लेजिस्लेचर को एक्जीक्यूटिव के सबोर्डिनेट बनाने की प्रक्रिया और एक्जीक्यूटिव को विधान सभा से भी सुप्रीम बनाने की जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है इसके घातक परिणाम आने वाले हैं यह घटना यहां भी आ सकती हैं। तो इस सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव की सूचना मैंने आपकी सेवा में प्रस्तुत की है। यह अहम मसला है। फिर भी इसको आज और अभी ही लिये जाने का मैं आग्रह नहीं करता। इसके लिये आज या जब भी आप चाहें। समय निर्धारित कर दें तो अच्छा होगा। यह डिमाण्ड पर पेश नहीं हो सकता। इसके कान्सीक्वेन्सेज के सम्बन्ध में इधर और उधर बैठने वाले सभी समान रूप से चिन्तित हैं।

इसी प्रकार कुछ बंगाल में हुआ! अब पंजाब में हुआ। यहां अध्यक्ष बीमार हैं और आपको शोभा कहीं इसी तरह गई तो यह हमें चिन्ता है। इसलिये हम तो अध्यक्षीय शासन की गरिमा को बनाये रखने के लिये चिन्तित है। अध्यक्ष सदन का ऊंचा है। अध्यक्ष के आदेश को गवर्नर तक एक्जीयूटिव का हेड उलट दे और उस पर अपना अधिकार चलाये और वह भी सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का टूल बनकर या इन्स्ट्रूमेन्ट बन कर तो यह बहुत बड़ा कुठाराघात है अध्यक्ष के अधिकारों पर और सदन की गरिमा पर। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है आप कभी भी इस पर विचार का समय तै कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : अभी मैंने स्थगन प्रस्ताव को देखा ही नहीं है। मेरे सदन में आने के बाद में आया होगा। उसको पढ़कर देख कर कुछ कहा जा सकता है।

श्री विजयसिंह (मकराना) : उपाध्यक्ष महोदय, सतीशचन्द्र जी ने जो कहा है उससे राजस्थान में भी लोकतन्त्र को खतरा है और यहां यह लोकतन्त्र का गढ़ गिर गया तो फिर क्या होगा?

श्री उपाध्यक्ष : श्री दिग्विजयसिंह। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायत पीपल के सरपंच द्वारा गबन करने आदि के सम्बन्ध में मेरा एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है।

उपाध्यक्ष महोदय! इस पर मैं कुछ कहूं इससे पहले मन्त्री जी का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इन मुद्दों का वे जिस समय उत्तर दें इन बातों का भी वे जवाब साथ में दें।

सबसे पहले उपाध्यक्ष महोदय, इस सरपंच के विरुद्ध 27-7-63 को नायब तहसीलदार द्वारा जांच की गई, उसकी तो क्या रिपोर्ट आई।

(श्री दिग्विजयसिंह)

दूसरी जांच एस. डी. एम. टोंक ने की 4-2-67 को उसकी क्या रिपोर्ट आई। फिर डिप्टी बी. डी. ओ. टोंक ने 29-1-68 को की इसकी क्या रिपोर्ट आई। यह बताया जावे।

साथ ही यह भी जानना चाहूंगा कि किन परिस्थितियों के कारण एक ही सरपंच की तीन तीन बार ऐन्क्वायरी कराने की जरूरत पडी। बहुत देर तक इस गबन के मामले को दबाने की इस तरह की कोशिश की गई है। इसके सम्बन्ध में जब कि सरकार के पास रिपोर्ट आ गई तो सरकार क्या कार्यवाही इस सम्बन्ध में करने जा रही है।

**श्री हीरालाल देवपुरा (राज्य मंत्री)** : उपाध्यक्ष महोदय उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य ने सरपंच श्री फौजमल ग्राम पचायत ककोड के विरुद्ध कुछ आरोप बताते हुए उनके विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के संबध में ध्यानाकर्षण किया। वास्तव में इस मामले की वास्तविक स्थिति इस प्रकार है कि सरपंच श्री फौजमल पंचायत ककोड के विरुद्ध अकाल राहत कार्यो आदि के धन का दुरुपयोग करने से संबंधित दिनांक 14-8-67 को जनता कस्बा कंकोड की ओर से सर्व श्री रामचन्द्र, बृजमोहन एवं नारायण के हस्ताक्षरों से शिकायत जिलाधीश टोंक में प्राप्त होने पर जिलाधीश ने कार्यवाहक उप जिला विकास अधिकारी टोंक को जांच करने हेतु आदेश दिया। दिनांक 26-8-67 के कार्यवाहक उप-जिलाधीश (उप-जिला विकास-अधिकारी) मौके पर जांच हेतु पहुँचे परन्तु पंचायत भवन पर ताला लगा हुआ मिला और सरपंच व सचिव मौके पर नहीं मिले इसलिए दिनांक 4-9-67 को जांच करवाई। चूंकि जांच अधिकारी की जांच रिपोर्ट कई बिन्दुओं पर अधूरी थी इसलिए जिलाधीश ने उन्हें पुनः आदेश दिया है कि शीघ्र ही शेष जांच पूर्ण करके रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जांच पूरी होने पर यदि सरपंच दोषी पाया गया तो सरपंच के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जा सकेगी।

अभी अभी माननीय सदस्य ने यह भी बताया कि यह जांच रिपोर्ट राज्य सरकार के पास आ गयी है और राज्य सरकार उस पर क्या एक्शन लेने वाली है तो मैं निवेदन करूं कि यह जांच रिपोर्ट अभी सरकार के पास नहीं आई है। आपका ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जब सरकार के पास आया तो सबसे पहले राज्य सरकार के पास यह सूचना थी और जिसके आधार पर जिलाधीश टोंक से यह जानकारी प्राप्त की गयी तो जिलाधीश टोंक के पास सबसे पहले इतला 14-8-67 को मिली और उस पर यह कार्यवाही आरम्भ की। आपने कहा कि तीन-तीन अधिकारियों ने इसकी जांच की और अब आगे क्या जाच की जा रही है। मैं निवेदन करूं कि यह जांच तीन-तीन अधिकारियों से नहीं करवाई गई। डिप्टी डी. डी. ओ. ने यह जाच की और ए.डी.एम. जो आफिशियेटिंग कर रहे थे उनकी रिपोर्ट जब जिलाधीश के पास आई तो उन्होंने उस रिपोर्ट को अधूरा माना और स्पेसिफिक चार्जेज क्या क्या होने चाहिए वह उस रिपोर्ट से स्पष्ट नहीं हो पाया तो उन्होंने कुछ बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण मांगा है उसके पश्चात् सरपंच के विरुद्ध कुछ स्पेसिफिक चार्जेज बनते होंगे तो जिलाधीश के द्वारा वह प्रतिवेदन राज्य सरकार को दिया जायेगा

(श्री हीरालाल)
और कानून के अन्तर्गत जरूर एक्शन लिया जायेगा।

श्री दिग्विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : इसमें प्रश्नोत्तर नहीं होगा। आपने ध्यान आकर्षित कर दिया और मंत्री महोदय ने उसका उत्तर दे दिया।

श्री दिग्विज सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही बहुत सूक्ष्म में ध्यान आकर्षित किया है और आप स्वीकृति दें तो थोड़ा सा कह दूं। जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा कि जिलाधीश से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई तो मैं कल ही जिलाधीश महोदय से मिलकर आया हूं और उनको खुद को मैंने निवेदन किया है। उन्होंने कहा कि हमने यह रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी है और अब आप कह रहे हैं कि रिपोर्ट नहीं है। तो किस को सही मानूं। वह भी सरकार है वह झूठे या क्या मैं नहीं कहना चाहता हूं। उन्होंने खुद ने कहा कि मैंने रिपोर्ट दे दी है और गबन किया है और फोर्ज्ड डाकुमेन्ट्स बनाये हैं और उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नमेन्ट सरवेन्ट्स को पेमेन्ट करना बताया है इतनी गम्भीर बातें लिखी हैं और उन्होंने खुद ने कहा है और आप कह रहे हैं कि रिपोर्ट नहीं आई तो मैं किस तरह से मानूं कि रिपोर्ट पहुँची या नहीं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने निवेदन किया कि जिसको रिपोर्ट माननीय सदस्य कह रहे हैं वह रिपोर्ट नहीं है। इस ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के ऊपर जो जिलाधीश महोदय से जानकारी चाही गई थी वह जानकारी चाही गई थी वह जानकारी उन्होंने दी है। उसी को रिपोर्ट मानते हैं तो आप अपनी गलतफहमी दूर कर लें। अभी पूरी जांच नहीं हो पाई है और जांच में बहुत सी कमियां रह गई थीं उन कमियों को दूर करके रिपोर्ट देंगे मैंने कहा है कि रिपोर्ट आने के बाद कार्यवाही करने में विलम्ब नहीं किया जावेगा।

श्री दिग्विजयसिंह : 4–9–67 को ए. सी. एम. टोंक ने जांच करके रिपोर्ट पेश कर दी है यह सही कहा। उसके बाद में 29–1–68 तक ढाई तीन महीने तक कोई एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद में फिर डिप्टी डी. डी. ओ. को कहा और उसने जांच करके रिपोर्ट दे दी। तो फिर समझ में नहीं आता कि ऐसे कौन से मुद्दे रह गये हैं जिनके ऊपर विचार करना बाकी है और रिपोर्ट नहीं आई है और दूसरे निवेदन करूं कि ताज्जुब यह है कि ए. सी. एम. द्वारा जांच की गयी और ए. सी. एम. मजिस्ट्रेट होता है और मजिस्ट्रेट ने जांच करके अपनी फाइन्डिंग्स दे दी। उसके उपरान्त डिप्टी डी. डी. ओ. वह खामियां निकाल रहा है और ताज्जुब यह है कि डिप्टी डी. डी. ओ. और ए. सी. एम. दोनों एक ही व्यक्ति हैं। तो ए. सी. एम. ने जांच करके दे दी और क्या दूसरी बार में जब कि वह दोनों एक ही व्यक्ति हैं तो क्या अपनी ही खामियां निकाल करके बतायेगा कि यह कमियां रख दी हैं। He is officiating as Dy. Development Officer also. तो यह सारी इन्क्वायरी को किस प्रकार से लीपापोती कर रहे है मैं इस संबंध में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि ए. सी.

# Page No.52



(श्री हीरालाल)

एम. ने इन्क्वायरी की है। उसने इन्क्वायरी मजिस्ट्रेट की हैसियत से नहीं की थी और न ही कलेक्टर ने मजिस्ट्रेट की हैसियत से उनको यह इन्क्वायरी करने के लिए दी थी। वह डिप्टी डी. डी. ओ. की हैसियत से आफिशियेटिंग कर रहे थे और इन्क्वायरी में और स्पष्टीकरण मांगा है वह इसलिए नहीं मांगा है कि उसने कोई खामियां रह गयीं लेकिन कुछ कमियां रह गई थीं और कुछ स्पष्ट नहीं बता पाये थे कि क्या हुआ। इन कमियों की पूर्ति के लिए दिया गया है न कि किसी को बताने के लिए। ज्योंही कलेक्टर की रिपोर्ट आयेगी सरपंच के विरुद्ध जरूर कार्यवाही की जायेगी।

**श्री दिग्विजय सिंह** : वह तो भेज नहीं रहे हैं। आप कब मंगवा लेंगे ?

**श्री उपाध्यक्ष** : चर्चा समाप्त हुई।

**श्री दिग्विजय सिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और है। आप कह रहे हैं कि कलेक्टर भेज देगा और हम कर देंगे। 6-9-67 से वह भेज नहीं रहे हैं इसलिए मैं कहूंगा कि वह नहीं भेजते हैं तो सरकार उस जांच को कब तक मंगवा लेगी ?

**श्री परसराम मदेरणा**: उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझ नहीं पाया कि माननीय सदस्य किस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। डिप्टी डी. डी. ओ. ने कलेक्टर के पास रिपोर्ट भेज दी और कलेक्टर ने कहा कि कुछ कमियां हैं। तो किस को भेजना और कहां भेजने का सवाल है। जैसा राज्य मंत्री जी ने कहा कि जांच पूरी करने के बाद में सरपंच दोषी पाया जायेगा तो कार्यवाही की जायेगी और अगर दोषी नहीं पाया गया तो कार्यवाही नहीं की जायेगी।

**श्री दिग्विजय सिंह** : वह तो हम ही कहते हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : आयव्ययक पर हुई बहस का सरकार द्वारा उत्तर माननीय श्री मुख्यमंत्री जी।

## आयव्ययक 1968-69 पर की गई बहस का सरकार द्वारा उत्तर

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** (मुख्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष का जो बजट प्रस्तुत किया गया है और उस पर इस समय तक जो वाद-विवाद हुआ स्वाभाविक था कि जब इस बजट के अन्दर जो अब तक टैक्स नहीं लगे हैं उसके बारे में कोई प्रस्ताव नहीं हो, तो कुछ बहस फोकी हो जाती है और दूसरी तरह कामकाज के लिहाज से भी बहुत सी बातें यहां पर रखी गयीं। आम तौर से बजट के मोके पर यह शब्द सुनने को मिलते थे कि "कमर तोड़ मंहगाई और कमर तोड़ टैक्स इन दो शब्दों का उपयोग इस बार इस बजट में नहीं हो पाया-यह मैं समझता हूं कि एक नयी और ज्यादा से ज्यादा इस पर क्रिटिसिज्म नहीं होने का कारण भी इस पर था.....

**श्री देवीदत्त गाड़िया** : किसान रो रहा है।

**श्री उपाध्यक्ष** : ऑर्डर प्लीज।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : माननीय उपाध्यक्ष जी, इस साल सौभाग्य से देश के अन्दर और राजस्थान में ठीक वर्षा होने की

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
वजह से खेती का उत्पादन जो बढ़ा है उसकी वजह से कीमतों के अन्दर भी काफी फर्क पड़ा है। लेकिन कई बार जब हम इस बात को कहते हैं तो इसका मतलब यह लगाया जाता है कि जो अधिक पैदा हुई वह अधिक पैदा योजनाओं के परिणामस्वरूप नहीं है और केवल वर्षा की ही वजह से ज्यादा पैदावार हो गई। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर हमेशा यह वर्षा नहीं हुई हो ऐसी बात नहीं है। राजस्थान में 1951-52 में कुल खाद्यान्न की पैदावार 29 लाख टन हुई थी। उसके बाद 1956-57 में जो कि योजना का प्रथम वर्ष था दूसरी का उसमें राजस्थान के अन्दर जो पैदावार हुई थी वह 47 लाख टन थी। उपाध्यक्ष महोदय, सैकण्ड प्लान के लास्ट ईयर में 44 लाख टन पैदावार हुई, और अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा पैदावार 1961-62 में 54.81 लाख टन हुई। उसके मुकाबले में वित्त मंत्रीजी ने जो 61 लाख टन बजट में कहा वह एक कन्जर्वेटिव एस्टीमेट है। मैं भी मानकर चलता हूं कि अगर मौसम ठेठ तक फेवरेबिल रहा और कोई विशेष डेमेज क्राप्स को न हो तो इस बात की भी सम्भावना है कि इसके अन्दर 8-10 पर्सेन्ट और बढ़ोत्तरी हो सकती है आज जो फसल खड़ी है उस फसल को देखते हुए। इस प्रकार यह बारिश, जिसके कारण हालत ठीक रही और 65-66 लाख टन 54-55 लाख टन के मुकाबले पैदावार हुई, वही केवल इसका कारण नहीं है दरअसल में इस बीच में जो कई सिंचाई की योजनाएं, बहुत से गांवों तक बिजली पहुंचाने की योजनाएं, अच्छा खाद और बीज और नये टैक्निक्स को अपनाना यह कारण भी इसके साथ जुड़े हैं, और इसके साथ साथ आज देश के अन्दर इस नीति को भी अपनाया गया है कि काश्तकारों की पैदावार ज्यादा हो जाय तो मुक़र्रकीमतों के नीचे उनके भाव नहीं गिरने चाहिएं, इस बात से किसानों को पैदावार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन हुआ है। आज इन सब कारणों के लिए केवल हम यह कह कर नहीं चल सकते कि वर्षा की वजह से ही होगया है, लेकिन यह भी सच है कि आज चाहे बड़े बड़े बान्ध बन गये हों चाहें कई कुए खोदे हों, लेकिन बारिश नहीं हो तो योजनाओं का बहुत सा असर भी बेकार हो जायगा। इसलिए वर्षा प्रधान है इस बात को योजनाओं के साथ में मानकर चलना होगा। इसी वजह से हम कहा करते हैं कि आज हिन्दुस्तान देश जो कि कृषि प्रधान देश है वह वर्षा पर काफी निर्भर करता है उपाध्यक्षजी, यह राजस्थान की ही बात नहीं है आस्ट्रेलिया जैसा मुल्क जो कि लाखों, मिलियन्स आफ टन्स जिसको कहना चाहिए, गेहूं बाहर भेजता है। पिछले वर्ष वहां पर अकाल पड़ गया तो वह भी मुश्किल के अन्दर पड़ गया था। रशिया जैसे देश को करोड़ों टन अनाज बाहर से मंगाना पड़ता था। तो वर्षा आज भी काफी महत्व रखती है। लेकिन पहले के मुकाबले में आज इसमें परिवर्तन हुए हैं वे अपने सामने हैं कि जहां 1951-52 में 29 लाख टन होता था योजनाओं का यह परिणाम है कि 66-67 के साल में जो कि खराब साल था उस खराब साल के अन्दर भी 44 लाख टन के करीब पैदा हुआ, तो वह इस बात को जाहिर करता है कि एक आधार राजस्थान के अन्दर भी बना जिसको वजह से हम बहुत सी मुश्किलों से पार निकलने के अन्दर कामयाब हुए हैं।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

आज राजस्थान की जो वित्तीय स्थिति है और वित्त मंत्रीजी ने अपने भाषण में कहा है कि जो हमारा आर्थिक ढांचा है राजस्थान का उसमें काफी सुधार हुआ है। स्पष्टतया जहां पर यह बात कही गई है राजस्थान की अर्थ व्यवस्था में काफी फर्क पड़ा है, मेटेरियल इकोनोमी जिसको अंग्रेजी में कहें, उसके अन्दर निश्चित बात है राजस्थान के अन्दर इस साल करोड़ों रुपये की आमदनी खेती की पैदावार बढ़ने की वजह से लोगों को होगी। प्रति व्यक्ति जो आमदनी है वह आमदनी बढ़ेगी, लेकिन जहां तक सरकार की वित्तीय स्थिति का प्रश्न है इसके ऊपर पिछली मंहगाई की वजह और मंहगाई और दूसरे कारणों की वजह से जो ओवरड्राफ्टस हुए हैं उन ओवरड्राफ्ट्स के रिपेमेन्ट को इन सब बातों को अपने लक्ष्य में लेकर चलते हैं, साथ ही साथ राजस्थान को जो एक बेकवर्ड इकोनोमी रही है, उस प्रश्न को सामने लेकर चलते हैं तो तक स्टेट के फाइनेन्सेज का सवाल है, राजस्थान की वित्तीय स्थिति का सवाल है, सरकार पर उसका इस बजट में जो दबाव है वह स्पष्ट तौर से सामने आता है।

उपाध्यक्षजी, यहां पर इस बात को कहा गया और स्वाभाविक है यह चिन्ता होना कि डेवलपमेंन्ट के लिए लोन्स लिये गये हैं यह समझ में आता है, लेकिन अगर केपिटल रिसीटस से रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर को मीट करने पड़े तो वह सुखद बात नहीं कही जा सकती, और इस संदर्भ में यहां पर यह कहा गया कि रेवेन्यू साइड में 14 करोड़ के ऊपर डेफिसिट है, और उसके बाद जो 67 लाख के करीब डेफिसिट केवल बच गया है उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए केपिटल साइड से खर्च किया जायगा। मैं सदन की जानकारी के लिए यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर इस बजट में जो 14 करोड का डेफिसिट शो किया गया है उस 14 करोड़ के डेफिसिट में 5.93 करोड का जो खर्चा है वह खर्चा जो पिछला चल आ रहा है उसकी वजह से डेफिसिट न होकर 5.93 करोड रुपया इस वजह से इसके अन्दर रखा गया है कि जो प्लान के अन्दर रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर की स्कीम हैं उसके अन्दर एक हिस्सा गवर्नमेंन्ट आफ इंडिया देती है और कुछ हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट को कान्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। हमारे सामने यह प्रश्न होता कि हम जो गवर्नमेंट आफ इंडिया से प्लान के लिए रेवेन्यू एक्सपेन्डीज मिलता है उसको फोरगो करें और उसको फोरगो करके प्लान के अन्दर इस डेफिसिट को नहीं जोड़े तो मैं समझता हूं कि वह सारे विकास के क्रम को रोकने वाली बात बन जायगी। इसलिए उसको बढ़ाने के दृष्टिकोण से इस डेफिसिट को भी इसके अन्दर मानने की तैयारी रखी गई है।

उपाध्यक्षजी, उसी प्रकार इसमें 4.80 करोड रुपया एमोटाइजेशन के लिए रखा गया है जो एक तरह से वह है जिसमें कई एक्सपेन्डीचर में डेफिसिट नहीं है, उनको दोनों को निकाल देते हैं तो निकालने के बाद जो पुराना खर्चा चला आ रहा है उस लिहाज से 3.36 करोड, 3.30 या 32 करोड के करीब डेफिसिट रहता है उसमें यह सदन को जानकारी है कि 15 करोड अकेले पिछले वित्तीय कमीशन की रिपोर्ट के बाद अगले वर्ष के बजट के अन्दर मंहगाई भत्ते के अन्दर रखा हुआ है।

# Page No.55



(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

यह 15 करोड़ का एक्सपेन्डीचर जिस वक्त चौथा फाइनेन्स कमीशन बैठा था उस फाइनेन्स कमीशन के सामने कोई भी कन्टेम्प्लेट करके नहीं चलता था, उस वक्त भी हमारी तरफ से भी और कई स्टेट्स की तरफ से भी फाइनेन्स कमीशन के सामने यह दलील रखी गई थी कि फाइनेन्स कमीशन जिस वक्त बैठता है उन हालातों पर आधारित फैसला न करें, बल्कि बीच की परिस्थितियों के अन्दर कोई परिवर्तन हों तो वित्त कमीशन को बीच में उन प्रश्नों पर भी विचार करना चाहिए और इसमें इन्टरिम एवार्ड की जरूरत पड़े और रिलीफ की जरूरत पड़े तो फाइनेन्स कमीशन को देना चाहिए, लेकिन उस बात को अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। और इसी वजह से जो बहुत सा मंहगाई का वजन बढ़ा है वह आप सब के सामने हैं। यह जो बजट बना है उसके लिए हम ज्यादे से ज्यादा प्रयत्न करना चाहते हैं। माननीय उपाध्यक्षजी, मजबूरियां जो सामने थीं उनकी सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है। मैं बार-बार उनको नहीं दोहराना चाहता। उन कारणों की वजह से ओवर ड्राफ्ट और बहुत सी बातें हुई हैं।

यहां यह हम सब जानते हैं कि राजस्थान देश का सबसे पिछड़ा हुआ हिस्सा है अगर मैं यह कहूं तो गलत बात नहीं होगी, रहा है। हमारे यहां चाहे बिजली के क्षेत्र को लें, चाहे सिंचाई के क्षेत्र को लें, चाहे उद्योगों के क्षेत्र को ले लें, चाहे खनिजों के क्षेत्र को लें, शिक्षा का मैं जिक्र कर ही चुका हूं, इस प्रकार चारों तरफ हमारे यहां पर पिछड़ापन था। दूसरा, हमारे लिए यह एक बहुत बड़ी चीज रही है कि पर केपिटा एक्सपेन्डीचर केरल जैसी स्टेट में या बंगाल जैसी स्टेट में या पंजाब जैसी स्टेट में जो एक काम्पेक्ट है, थोड़े से क्षेत्र के अन्दर जिसकी आबादी है, उस क्षेत्र के अन्दर जितना खर्चा आता है, उसके मुकाबले में राजस्थान के अन्दर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्डीचर हमारे यहां ज्यादा आता है। आज विस्तृत क्षेत्र की वजह से एक तरफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्डिचर ज्यादा होता है दूसरी तरफ उपाध्यक्षजी, यह भी राजस्थान के सामने प्रश्न है कि जो रिलीफ हम देना चाहते हैं चाहे बिजली का हो, चाहे सड़क का हो जो रिलीफ हम देना चाहते है उसका पर केपिटा के हिसाब से हमारा एक्सपेन्डिचर बहुत ज्यादा हो जाता है और कम दिखता है। दूसरे प्रान्तों में यदि 25 मील की सड़क बनानी है तो उसका लाभ 3 लाख या 5 लाख लोगों को पहुंचाने वाला है लेकिन हमारे यहां पर यदि 25 मील की सड़क बनावें तो उससे शायद 10 हजार लोगों को ही लाभ पहुंचेगा और इस कारण से पर केपिटा एक्सपेन्डिचर पर फर्क पड़ जाएगा।

इसी प्रकार बिजली के क्षेत्र में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिये ट्रान्समिशन लाइन पर जो खर्चा होगा उसका भी फर्क पड़ेगा, खर्चा बढ़ता है और पर केपिटा पर फर्क पड़ता है। और बातों को जाने दीजिये भाखरा या राजस्थान कैनाल को ले लीजिये। पंजाब में पानी पहुंच जायगा उसके बाद हमारे यहां आये पंजाब नजदीक सोर्स के पास है इसलिये उसका पर केपिटा एक्सपेन्डिचर हमारे से कम होगा। पंजाब के ओपरेशन के लोसेज करते हुए हम राजस्थान नहर को लेकर राजस्थान में आते हैं तो हमारी शुरूआत वहां से होती

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

है । इस प्रकार हमारा केपिटल एक्सपेन्डिचर बढ़ता है । लेकिन यह सारी हालत होते हुए भी मैं एक बात निश्चित मानता हूं कि चाहे राजस्थान की हालत पिछड़ी हुई रही हो लेकिन राजस्थान की धरती के नीचे और धरती के ऊपर जो उत्पादन की शक्ति है पानी की, बिजली की और वर्तमान अन्वेषणों की ओर खनिज की जो शक्ति है वह अपार है । पिछले 10 वर्षों में जो खोज हुई है उससे मैं समझता हूं राजस्थान में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ है । आज से 10 साल पहले कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि खेतड़ी के प्रोजेक्ट पर 90.95 करोड़ रुपया लगा कर कोपर का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तयार किया जायगा । आज से 10—15 वर्ष पहले उदयपुर में जिंक स्मेल्टर लगाने से 18 हजार टन जिंक निकालने की संभावना मानते थे लेकिन आज सभी मानते हैं कि 50 हजार टन तो अब तक जो खोज हुई है उसके अनुसार ही मानने लगे हैं । आगे चल कर यह बढ़ेगा और 25-30 करोड़ का उत्पादन बढ़ेगा और खेतड़ी में भी करोड़ों रुपयों का उत्पादन बढ़ेगा । हमें राजस्थान में अमोनियम सल्फेट, सुपर फासफेट, पेस्टिसाइड्स मिलना मुश्किल था । मैं निवेदन कर चाहता हूं कि राजस्थान में आज हमारी स्थिति हुई है । न केवल सुपर फासफेट राजस्थान के लिये ही पर्याप्त है बल्कि राजस्थान के अलावा और प्रदेशों को भी हम सुपरफासफेट भेजने की स्थिति में हो जायेंगे इसके अलावा हमारे यहां यह स्थिति होने वाली है । नवम्बर अक्टोबर में नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर कोटा में उत्पादन शुरू होगा उससे पूर्ति न केवल हम स्वयं कर लेंगे बल्कि हम देश के दूसरे हिस्सों को भी फर्टिलाइजर भेज सकेंगे । पेस्टिसाइटस में भी इम्प्रूवमेन्ट हुआ है, दूसरी चीजों में भी हुआ है ।

तो आज हम निगाह डालें जिस प्रदेश में हमने इतनी उपलब्धियां हासिल की है, बिजली के क्षेत्र में भी हम एक सीमा तक आगे पहुंच गये हैं, जो प्रयत्न चल रहे हैं, अोटोमिक पावर स्टेशन से भी बिजली मिलने लगेगी तो हमारा एक फर्म बेस होगा । हाइडल पावर फार्मिग के लिए पीक वर्षो में काम आयगा । दूसरे बड़े बड़े देशों में भी हाइडल और थरमल बिजली को बेस बनाते हैं, अब यह अोटोमिक पावर का नया जरिया निकला है, हम भी आशा करते हैं कि 1970-71 तक हम इसको बेस बनायेंगे । राजस्थान गवर्नमेन्ट ने खेती का उत्पादन बढाने के लिये, देश के विकास के लिये और राजस्थान की बहबूदी के लिये हर संभव प्रयत्न किये हैं । इसके साथ साथ इस बात की भी जरूरत है कि खेती के उत्पादन के साथ साथ औद्योगिक उत्पादन भी बढ़े । पिछले वर्षों में कई जगह कारखाने खड़े हुए हैं वहां पर पहले से काफी ज्यादा अंतर आया है। करोडों रुपयों की वस्तुओं का उत्पादन राजस्थान में भी होने लगा है। इस उत्पादन से न केवल गवर्नमेन्ट को ही करों के रूप में या और रूप में आमदनी होती है बल्कि लोगों को रोजगार मिलता है और उससे बहबूदी आती है ।

हिन्दुस्तान के और प्रान्तों के बजट पर निगाह डालें, चाहे महाराष्ट्र को लें, गुजरात के बजट को देखें या बंगाल के बजट पर निगाह डालें तो आपको ज्यादा इम्पोर्टेन्ट

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

चीज यह मालूम होगी कि विकास के काम के लिये काफी खर्चे का प्रावधान रखा गया है और दूसरी तरफ चाहे मध्यप्रदेश को लें, राजस्थान को लें या आन्ध्र जैसे बड़े एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वाले प्रान्त को लें, उड़ीसा को लें इन प्रान्तों में भी डेफिसिट बजट और ओवर ड्राफ्ट सामने आता है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण यह है कि एग्रीकल्चर के पीछे जो डेवलपमेन्ट होता है उससे जो डाइरेक्ट या इन्डाइरेक्ट रेवेन्यू होता है उसकी एक सीमा है जो हमारे सामने है। उपाध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर सेक्टर से ज्यादा आमदनी करने के लिये बीच में एक प्रस्ताव चला था। प्लानिंग कमीशन और नेशनल डवलपमेन्ट कौंसिल के सामने सवाल आया था कि एग्रीकल्चर इन्कमटैक्स लगाकर एग्रीकल्चर से ज्यादा इन्कम की जाय। हमारी राय थी कि जो दूसरे ट्रेड और सर्विस क्लास के ऊपर इन्कम टैक्स है उसमे ही लोगों को मुश्किल हो रही है तो ऐसी हालत में एग्रीकल्चर सेक्टर में एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स लगाया जावेगा तो बहुत परेशानी होगी। एक बार एक्सपेरिमेन्ट के तौर पर लगाया भी गया था लेकिन उसे वापिस लिया। लेकिन इसके साथ ही साथ यह आवश्यक है कि प्रोडक्टिव कैनल में ज्यादा से ज्यादा लोग नेशनल डेवलपमेन्ट के काम में लगें। इस बात को लेकर चलना आवश्यक होगा इसलिये इस ओर विचार नहीं किया गया। इसलिये उपाध्यक्षजी एक तस्वीर सामने आती है। मैं हमेशा कहता आया हूं कि हम जो प्रयत्न आज कर रहे हैं उससे और अधिक ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करें तो भी मेरी निश्चित मान्यता है कि चौथी पंच वर्षीय योजना काल में हमारे सामने काफी स्ट्रिंजेन्सी की स्थिति होगी। हम यह मान कर चलें कि वित्तीय कठिनाइयां खत्म हो गई या ऐसी स्थिति आ गई है कि फंड्स काफी होंगे, ऐसी बात नहीं है। मैंने निवेदन किया कि महाराष्ट्र और गुजरात की स्थिति हमसे ज्यादा अच्छी है उनका कारण यह है कि जो उत्पादन वहां पर होता है किसी स्टेट में कपडे का, किसी स्टेट में लोहे का या दूसरी चीजों का जो उत्पादन होता है और उनसे जो टैक्स मिलता है उससे करोड़ों रुपयों का लाभ होता है। वहां पर जो इण्डस्ट्रीज लगती है उनसे करोड़ो रुपयों का वितरण होता है उससे बेहबूदी उत्पन्न होती है और उससे लोगों की केपेसिटी बढती है। इस केपेसिटी को प्राप्त करने के लिये राजस्थान को बहुत प्रयत्न करना होगा।

हम राजस्थान में इन्डस्ट्रीज को बढाने की और बड़ी बड़ी इण्डस्ट्रीज को कंसेशन देने की बात कहते हैं तो माननीय सदस्य कहते हैं कि केपिटेलिस्ट को फायदा पहुंचाने के लिये बजट बनाया है। मैं नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि यह बड़ा ही गंभीर प्रश्न है इसलिये इसको समझ कर चलना चाहिये। हमारे यहां पर जो पावर का बेस सन् 71, 72 तक बढने वाला है, 2 लाख किलोवाट पावर की जो क्षमता अधिक होने वाली है, उससे राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन बढ़े इसके लिये कार्यवाही हमें अभी से करनी होगी। हमें इस तरह का प्रयत्न करना होगा कि इस बिजली का कंटिन्यूअस यूज हो। केवल किसानों का उत्पादन बढ़ाने में ही इसका यूज नहीं करना है।

( 1 म. प. )

तो आज हर स्टेट अपनी अपनी तरफ से

# Page No.58



(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दे रहा है। मैं तो आपसे निवेदन करूं कि महाराष्ट्र जैसी स्टेट में, जो स्टेट राजस्थान से कहीं आगे बढ़ी हुई है मुझे यह बताया गया है–रॉ मेटिरियल के ऊपर सेल्स टैक्स तक उन्होंने नहीं रखा और वह ऑक्ट्राय और दूसरी बातों में कन्सैशन तो बहां है। कभी कभी यह बहस खड़ी होने लगती है कि म्युनीसिपेलिटी के दायरे के अन्दर गवर्नमेंट एप्रूव करती है, आक्ट्राय वगैरह का पैसा लेकर। माननीय उपाध्यक्ष जी, आम तौर से यह माना हुआ सिद्धान्त है कि आक्ट्राय इस दृष्टि से लगाया जाता है कि सिटी के अन्दर, टाउन के अन्दर रहने वाले लोग बाग जो चीजें कन्ज्यूम करते हैं वह आक्ट्राय का वजन उठावें। इस दृष्टि से आक्ट्राय होता है। सिद्धान्ततः यह कई जगहों पर माना जाता है कि होल सेल के अन्दर जो ट्रेड करता है, वह ट्रेडर वहां पर माल लाता है, माल लाकर गोदामों में रखता है और गोदामों में रखकर फिर माल को बाहर ले जाता है तो उसको एलाऊ करना चाहिए जिससे होल सेल ट्रेड है वह अफैक्टेड नहीं हो। आज कई इन्डस्ट्रीज ऐसी हैं जो सिर्फ प्रोसेसिंग का काम करती है। वह इन्डस्ट्री रॉ मेटिरियल दूसरी जगह से लाती है और उनका प्रोसेस एक जगह पर होता है और फिर माल बाहर चला जाता है तो क्या उस पर आक्ट्राय की कार्यवाही की जा सकती है। आज एक इन्डस्ट्री एक जगह सिचुएटेड है, और एक जगह सिचुएटेड होने की वजह से आक्ट्राय लेने वाली बात होती है तो वह सही बात होती है। लेकिन उसके लिए विचार कर रहे हैं कि म्युनीसिपिलिटी को जो थोड़ा बहुत कंपेन्सेशन करना पड़ता है तो उसको इस हुकम के अन्दर से एक फिक्स्ड तरीके से कुछ मिले एक साथ वेरिएशन के अन्दर। तो इस प्रकार की बात प्रोसेसिंग के अन्दर भी होती है तो कई फैक्ट्री लगाने वाले होते हैं वह भी झिझकने लगेंगे। आज किसी जगह से रा मेटिरियल आये, और दूसरी जगह पर पहुंचे और फिर वहां से लोड होकर आय, उसको लोड करके वहां से भेजा जाय तो म्युनीसिपेलिटी कहे कि क्योंकि इस स्टेशन से लोड कर रहे हैं इसलिए इस पर आक्ट्राय लगाई जायगी तो मैं कहूंगा कि वह सिद्धान्ततः उपयुक्त बात नहीं कही जा सकती बल्कि उससे इन चीजों में रुकावट पैदा होती है और इससे अलग अलग जगह अलग अलग फर्क पड़ जायगा। हम चाहते हैं कि राजस्थान के अन्दर औद्योगीकरण तेजी के साथ आगे बढ़े। पिछले तीन चार वर्षों के अन्दर वर्षा के अभाव के कारण बिजली का अभाव रहा है, अगर इस साल भी हमारे चम्बल के क्षेत्र में, गांधी सागर में काफी पानी होता तो मैं समझता हूं कि जो बिजली पर आज कट है उसको हटाने की हैसियत के अन्दर आज की तारीख को इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो जाता लेकिन यह कट होने का कारण यह हुआ कि गांधी सागर में जितने पानी की उम्मीद थी उतना पानी नहीं आया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि उत्पादन के लिए साठ–पैंसठ हजार की बात हो सकती है, इसके साथ ही मैं निवेदन कर दूं कि एक बात हम समझ कर चलें कि इस साल वर्षा हुई है वह ज्यादा क्षेत्रों में अच्छी हुई है, लेकिन कई क्षेत्रों में उदयपुर डिवीजन में, कोटा के कुछ क्षेत्रों में, जिनमें गांधी सागर आता है–इन क्षेत्रों के अन्दर, तालाबों के

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

अन्दर जो पानी आना चाहिए उतना पानी नहीं आया है, जितने कुए भरने चाहिए उतने कुए नहीं भरे हैं। तालाबों में उतना पानी आया होता यदि अच्छी वर्षा हुई होती तो ज्यादा अच्छा उत्पादन होता। आज प्लान के जरिये, माननीय उपाध्यक्षजी, पोटेंसियलिटी क्रियेट की जाती है, उसको यूटीलाइज करने के लिए जो हाउ और लोगों को ट्रेनिंग देकर तैयार किया जाता है, उसमें राजस्थान के अन्दर काफी मात्रा में काम हुआ है--यह बात सही है और इसमें दो राय नहीं है कि जो कुछ सरकार ने किया है और जो कुदरत ने मदद की, उसके साथ साथ यह निश्चित बात है कि राजस्थान के किसानों ने पूरी मेहनत करके जो आज सफलता हासिल की है उसके लिए सबसे अधिक श्रेय किसी को देना चाहिए तो वह किसानों को देना चाहिए क्योंकि किसानों ने रात दिन मेहनत की है (करतल ध्वनि) वरना पानी हो सकता था, फर्टीलाइजर स्टोर में पड़ा रह सकता था, लेकिन किसानों के अन्दर एक नई भावना पैदा हुई, नई नई सब बातों की कल्पना हुई उसके साथ ही किसानों ने महनत करके आज यह उत्पादन किया है। उत्पादन होने के बाद एक समस्या सामने आई, कि अपने यहां हमेशा मंहगाई की चर्चा होती थी, वहां इस सदन में इस बारे में चर्चायें शुरू हुई, राजस्थान के कई हिस्सों में इस बारे में चर्चा सामने आई कि अब प्राइसेज कहीं इतनी नीचे तो नहीं जा रही हैं कि जिसकी वजह से किसान ने जो कुछ ज्यादा पैदा किया है, उसके भाव बहुत ज्यादा गिर जायं, जिससे किसानों के अन्दर उत्पादन ज्यादा करने के बारे में जो एक उत्साह है उसमें एक सेट बैक हो। माननीय उपाध्यक्ष जी, आज जो सरकार है उसके सामने दोनों रोल हैं--कम उत्पादन हो उस वक्त में लोगों के लिए इन्तजाम करना और दूसरी तरफ ज्यादा उत्पादन हो तो उप-भोक्ताओं को भी उचित दाम पर मिले और किसान को भी उसकी महनत का उचित दाम मिले-इसके बारे में व्यवस्था करने का दायित्व सरकार का रहता है। पिछले वर्ष में जोनल सिस्टम के जरिये इन परिस्थितियों को सम्भालने की कोशिश की गई थी। यह माननीय सदस्यों को मालूम है कि अभी दो रोज पहले कान्फ्रेन्स हुई फूड मिनिस्ट्री में उसके अन्दर चीफ मिनिस्टर्स ने एक राय से तय किया यह कहूंगा तो ठीक होगा, जहां तक कोर्स ग्रेन सभी तरह के हैं, पल्सेज तो पहले से ही फ्री थीं, और ग्राम के बारे में इस जोनल सिस्टम को खत्म करके राजस्थान में कहीं भी यह अनाज जाय--उसके लिए सिफारिश की है कि इस बात को भारत सरकार नीति के तौर पर स्वीकार कर ले। इस बात से जो खतरा पैदा हुआ था कि कहीं जौ का भाव चालीस-पैंतालीस के आस पास न चला जाय, चने का भाव कहीं बहुत ज्यादा नीचे न चला जाय उसके अन्दर मैं समझता हूं, अन्तर आयेगा। आज गेहूं के बारे में भी यह कल्पना होने लगी थी कि साठ-पैंसठ के आस पास शायद यह फार्म गेहूं चला जायगा, और पता नहीं, जिसको मैक्सीकन गेहूं कहते हैं, यह कहां जाकर टिकेगा इसके बारे में भी भ्रम था। अभी व्हीट के बारे में प्रोक्योरमेंट की फाइनल प्राइस तै नहीं हुई है लेकिन मैं ऐसा मान कर चलता हूं कि इसके बारे में भी जो प्राइस तय होगी वह प्राइस ऐसी होगी कि जिससे किसानों को

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

भी संतोष होना चाहिए और साथ साथ इसके दूसरे पक्ष के बारे में भी सरकार को तो विचार करके चलना होगा क्योंकि सरप्लस प्रोड्यूस करने वाले जहां पर कुछ लोग हैं वहां पर काफी मात्रा के अन्दर किसानों में ऐसे भी हैं, खेतिहर मजदूर भी ऐसे हैं और उनके अलावा बाहर और दूसरी जगह काम करने वाले लोग ऐसे हैं, जो कि आर्थिक रूप से पीडित हैं, उनके लिए भी कहीं ऐसा न हो कि तीन वर्ष के अन्दर जो ज्यादा पैदावार हुई है, उस पैदावार के बाद भी कीमत बढ़ोतरी की ओर जाय। तो इस तरह की परिस्थितियां भी पैदा नहीं होनी चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं इस राय का हूं कि आज इस देश के अन्दर जो बहुत बड़ा डिस्टोर्शन हुआ है, जो हमारी इकानामी पर चोट करने की बात हुई है और भी बातें खड़ी हुई हैं, और जो प्लानिंग में जितनी तेजी के साथ काम करना चाहिए उसमें रुकावट आई है उन सबके अन्दर मंहगाई एक बहुत बड़ा कारण था। इसलिए यह मंहगाई कम होनी चाहिए, जिससे जो मनी एक्सेस हो, वह मनी वापस प्लान्ड इकानामी में लगाया जाय और उससे वापस प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा बढ़े। आज बहुत अच्छा वर्ष आ गया है, तो आखिर हम यह भूल नहीं सकते कि पिछले दो तीन वर्ष बहुत खराब थे उन वर्षों के अन्दर हम अमेरिका की तरफ मुंह ताक कर चलते थे। आज जरूरत इस बात की है कि किसानों के पास पानी पहुंचे, और पानी पहुंचे उसके लिए इन्वेस्टमेन्ट का एक फेज्ड प्रोग्राम तय हो जाय। आज बहुत से किसान ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनको पानी मिले और पानी तभी मिल सकता है जब हमारे पास में सेविंग्स हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जिसके जरिये से योजना आगे बढ़े और उसका लाभ उनको पहुंचे। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए इस वर्ष के अन्दर बहुत कम प्रावधान कर पाये हैं, बीच के अन्दर वित्तमंत्री जी ने बैंकिंग इन्स्टीट्यूशन से बात चीत की थी, कल ही यू.को बैंक का फंक्शन था, उसमें मैं शरीक हुआ था तो यू. को. बैंक के जो चेयरमेन हैं उन्होंने यह विश्वास दिलाया है कि रूरल इलेक्ट्रिसिटी के लिए तीन करोड़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को दे देंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए प्रावधान इसके अलावा और होगा, उससे मैं समझता हूं कि हमारे इस प्रदेश के अन्दर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य को काफी गति मिलेगी और बीच के अन्दर सम्भव हुआ तो हम और इस बारे में प्रयत्न करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष जी, इस सदन में काफी चिन्ता थी सबको इस बारे में कि राजस्थान कैनाल का जो सवाल हमारे सामने है, उसकी प्रगति बहुत रुक गई है, सिर्फ दो करोड 25 लाख शायद हम इस बजट के अन्दर रख पाये हैं। स्वाभाविक था, एक तरफ रिट्रेन्चमेंट का सवाल था, दूसरी तरफ हमेशा के लिए, प्रोडक्शन के अन्दर जो दिक्कत पैदा होगी उसका सवाल भी हमारे सामने था। माननीय उपाध्यक्ष जी, एक वक्त था जब राजस्थान के अन्दर 1961-62 के वर्ष में राजस्थान में इस राजस्थान कैनाल पर 6 करोड 67 लाख रुपया का एक्चुअल एक्सपेंडीचर हुआ, यह 6 करोड 67 लाख रुपया 1961-62 को आइसेज के बाद भी हुआ और 1967-68 के अन्दर एक्सपेंडीचर उस काम के लिए हो दो करोड 25 लाख, तो यह बहुत होता है इस अनुपात से मैंने इसके सम्बन्ध में भारत

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

सरकार के प्राइम मिनिस्टर, फाइनेन्स मिनिस्टर और जो इरिगेशन मिनिस्टर और फूड मिनिस्टर हैं, उनको लिख कर निवेदन किया है कि जो दो करोड पच्चीस लाख हमने प्रोवाइड किया है उसके अलावा 7 करोड 75 लाख रुपये की, मतलब कुल मिला कर इस साल 11 करोड रुपये की राजस्थान कैनाल के लिए व्यवस्था की जानी चाहिये। अगर यह धनराशि उपलब्ध होती है तो बीकानेर और लूणकरणसर की लिफ्ट इरिगेशन स्कीम को शुरू कर सकते हैं और साथ साथ जो दूसरा इस योजना को आगे बढ़ाने का प्रश्न है उसको तेजी के साथ हम आगे बढ़ा कर चल सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, राजस्थान में जैसा मैंने निवेदन किया, चौथी पंचवर्षीय योजना का काल काफी एक तरह से दबाव के वर्ष होंगे। दरअसल जब राजस्थान नहर बन जायगी, पोंग डेम पूरा हो जायगा, पेरेनियल इरिगेशन का लाभ मिलने लगेगा और उसके साथ साथ बहुत सी योजनायें हैं, बहुत सों का सर्वेक्षण का काम आज के दिन हाथ में लिया हुआ है-उस सबके हो जाने के बाद मैं समझता हूं कि कम से कम ऐसा मानना चाहिए कि आज से सात आठ साल के बाद, मैं उसको सेल्फ जनरेटिंग इकानामी का फेज तो नहीं देना चाहूंगा, लेकिन उस वक्त राजस्थान इस हैसियत में होगा कि वह खुद अपने पांवों पर खड़ा होकर आगे बढ़ सकेगा। वह हैसियत बनाने के लिए इन योजनाओं में, जो कि हमारी स्थिति है, वह आप सबके समक्ष है, उन योजनाओं में इस बात की आवश्यकता है कि भारत सरकार भी, योजना कमीशन भी, जिस वक्त कि वह अगली पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करे, तो अगली योजना में इस बात को विशेषतया ध्यान में रख कर चलें कि जो राजस्थान का पोटेंशियल है, जो राजस्थान की बैकवर्डनेस है, इन सारी बातों को ध्यान में रख कर चलने की आवश्यकता है। राजस्थान नहर के सम्बन्ध में, माननीय उपाध्यक्ष जी, और उसके अलावा आज जो बड़ी योजनायें हैं, उन बड़ी योजनाओं के लिए आज और खर्चा क्यों किया जाय, उसके लिए मैं कहा करता हूं कि उससे होने वाला प्रोडक्शन एडीशनल प्रोडक्शन कहलायेगा। लेकिन आज कोटा में चम्बल नहर आती है, यह सही बात है कि कोटा ऐसा क्षेत्र रहा है जहां वर्षा आम तौर पर इतनी होती है जिससे खरीफ की फसल ठीक होती है और रबी भी, जिसे बारानी रबी कहते हैं, आम तौर से होती रही है। वहां सिंचाई के लिए पानी मिलता है तो जो कुछ उत्पादन वहां होता था उसमें बढ़ावा होगा। लेकिन राजस्थान नहर है, इससे जिन क्षेत्रों में पानी पहुँचता है जहां पहले पानी नहीं था तो वहां टोटल प्रोडक्शन नया है, जो देश के लिए उपलब्ध होता है। आज उपाध्यक्ष जी, राजस्थान नहर के परिणाम के अलावा राजस्थान में सौभाग्य से इन पिछले वर्षों में जो कुछ कर पाये हैं, उससे आज राजस्थान की हैसियत अच्छी हुई है। इससे राजस्थान का जो सामान्य वर्ष हो, जिसको मैं कह कर चलता हूं नार्मल ईयर, नार्मल ईयर, सामान्य वर्ष की हालत में भी राजस्थान अपनी आवश्यकता पूरी कर सकता है और दूसरे प्रदेशों को भी दे सकता है तो राजस्थान कैनाल के कारण जो कुछ उत्पादन होगा, दरअसल राजस्थान के लिए उसकी आवश्य-

# Page No.62



(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

कता नहीं है। मैं दूसरों से कहा करता हूं कि जो देश की हैल्प और रुपया इसके अन्दर दिया जायगा, उससे जो पैदावार होगी वह देश के लिए काम में लाई जायगी–उसमें राजस्थान ऐतराज नहीं करेगा। हमारे पास जो कुछ दूसरी योजनायें हैं उनसे हम अपनी आवश्यकता पूरी कर सकते हैं। यह एक तथ्य है। इसके साथ ही यह डिफेन्स की स्ट्रैटेजी के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, इसका जो महत्व है वह हमारे सामने है। तो मैं ऐसा समझता हूं कि इसके ऊपर भारत सरकार से धनराशि ज्यादा उपलब्ध होगी। यह हम मान कर चलें।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं भारत सरकार से इस बारे में यह कहूं कि परकैपिटा आपने प्लान के लिए इस वर्ष में कम दिया दूसरी स्टेट्स के मुकाबले, तो वह शिकायत मैं नहीं कर सकता। सच बात तो यह है कि काश्मीर और ज्यादा से ज्यादा शायद आसाम–एक दो स्टेट्स को छोड़ कर पर कैपिटा प्लान असिस्टेन्स इस राजस्थान का सबसे ज्यादा है। लेकिन सारे प्लान को इस निगाह से देखना होगा–आज मैं इसको इसलिए भी कहना चाहता हूं कि चौथी पंचवर्षीय योजना और पांचवीं पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप तैयार हो रहा है, उस वक्त इन बातों का भी असर होता है हर स्टेट की इकोनामी में कि उस स्टेट के अन्दर जैसे भिलाई स्टील प्लान्ट लगाया जाता है तो वह स्टील प्लान स्टेट के प्लान में नहीं है लेकिन अगर स्टील प्लान्ट लगता है भिलाई के अन्दर, जिसके अन्दर कि छः सौ करोड़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट होगा तो वह स्टेट सेक्टर में नहीं होगा, लेकिन उसका वहां की इकानामी के ऊपर असर होता है, उससे उस स्टेट की इनकम में भी असर होता है। तो किस स्टेट के अन्दर कितना इन्वेस्टमेंट किस तरीके से हो रहा है–इसकी भी टोटल पिक्चर उनके सामने होनी चाहिए। जब स्टेट सेक्टर में उस मनी को दिया जाय तो उसके साथ साथ किसका परिणाम कितने समय में कितना निकलने वाला है–उसे भी दृष्टि के अन्दर रख कर चलना होगा। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी योजनायें हैं उनसे ज्यादा फर्क पड़ता है। तो हम इस दृष्टिकोण को मानने वाले हैं कि बड़ी बड़ी नदी और बिजली की योजनाओं पर क्षेत्रीय आधार पर, प्रादेशिक आधार पर नहीं सोचा जा सकता है। आज देश के अन्दर इस बात की आवश्यकता है कि इसके लिए एक व्यापक दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए। जब नर्वदा घाटी की योजना के बारे में आती है, तो हम अपने दिमाग में बहुत स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश के लिए अगर उसका पानी काम में आ सकता है तो उसको पानी हम देना चाहते हैं, नर्वदा घाटी योजना के जरिये उसका विकास हो सकता है तो उसमें हम रुकावट नहीं डालना चाहते हैं, लेकिन एक्सपर्टस इस बात को कहें जैसा कि डाक्टर खोसला ने कहा, उनका मानना है कि मध्य प्रदेश इतने ज्यादा पानी का उपयोग नहीं कर सकता, तब हम जो कह कर चलते हैं, उसमें देश की दृष्टि है, अगर वहां पर इस पानी का पूरा उपयोग नहीं होता है तो उस पानी में से हमको हिस्सा मिले, जिससे पाकिस्तान के बोर्डर पर जो चौहटन का इलाका है उसके अन्दर उस पानी को लाया जा सके। मैं समझता हूँ कि इसमें किसी को गिला नहीं होनी चाहिए बल्कि इसका स्वागत ही किया जाना चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से मैंने इन प्रश्नों को सामने

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

रखा है और उसी दृष्टिकोण को लेकर हम इन बातों के अन्दर आगे बढ़ना चाहते हैं। हम जानते हैं कि उस क्षेत्र के अन्दर कोई दूसरी योजना नहीं है जिस योजना से पानी पहुंचाया जा सके। मैं आशा करता हूँ कि इसके ऊपर जब फैसला हो तो भारत सरकार इसके लिए प्रयत्न करे और कोई न कोई रास्ता जल्दी इस सम्बन्ध में निकाला जाना चाहिए जिससे जो इतना बड़ा देश का पोटेन्शियल है, जो न आज मध्य प्रदेश में काम में आ रहा है, न गुजरात में काम में आ रहा है, उसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा हो सके। और उसमे राजस्थान को भी लाभ प्राप्त हो सकता है उसको भी हम प्राप्त कर सकें।

माननीय उपाध्यक्ष जी, जो इस वर्ष में प्लान रोका गया तो कइयों का यह ख्याल हुआ जैसे कोई प्लान होलीडे वाली बात हो। प्लान होलीडे की बात नहीं है, लेकिन प्रयत्न किया गया है इस बात का जो साधन ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध हो सकते थे उनके जरिये हम प्रयत्न करें कि देश का विकास हो।

यह भी यहां पर कहा गया कि जो छोटी जोतों के ऊपर लगान के बारे में पिछले बजट में छूट देने की बात कही गई थी, उसको राजस्थान सरकार ने बिगड़ा किया है। उसके बारे में इस सदन में चर्चा हुई। उपाध्यक्ष जी, मैं भी इस बात को पसन्द करूंगा, यदि सम्भव हो तो हम इस सारे लैण्ड रेवेन्यू के सिस्टम को बदल कर इन्कम टैक्स की तरह कोई सिस्टम बना सकें। लेकिन आज की हालत के अन्दर यह आसान बात मालूम नहीं होती। और इनमें चेंज करने के बजाय इसके कि जो जमा हुआ मेथड है, उस मेथड में एक नया मेथड चालू करें-जिसके लिए कइयों ने कहा कि पहले सिस्टम ड्यूटी थी, वह आसान थी। कुछ ने कहा कि एक जगह से पैदावार लेकर दूसरी जगह चला जाता है तो उस पर सेल्स टैक्स की तरह की चीज हो। उसमे परेशानी हो तो जैसे एक्साइज ड्यूटी है वैसी ड्यूटी सेल्स टैक्स के बजाय हो। और सोर्सेज आफ इन्कम पर कोई टैक्स हो तो ज्यादा अच्छा होगा। इन बातों पर ख्याल रखते हुए इस ख्याल के अलावा दूसरे ख्याल पर दिमाग नहीं जमता है, तो इन छोटी जोतों के बारे में किसानों की सहूलियतें बढ़ाने की दृष्टि से फैसला किया गया। इसके अलावा कई व्यक्ति गांवों में जाते हैं, तो इस बारे में जो चर्चायें और प्रतिक्रियायें सामने आती हैं, तो मालूम होता है कि इसको बहुत बड़ा यह नहीं समझा गया है कि इससे किसानों को बहुत ज्यादा रिलीफ मिल गया हो। तो इस तरह आम लोगों ने राय दी, कई जगह लोगों ने कहा कि इस टैक्स को हमारे यहां माइनर इर्रीगेशन के लिए दे दीजिये, कई जगह कहा गया कि इसको हमारे यहां डवलपमेंट के लिए दे दीजिये। तो इस टैक्स से उन्हें छूट दे दी जाय इसके लिए उनमें उत्सुकता नहीं है। वह चाहते हैं कि उनके यहां पर डवलपमेंट ज्यादा हो यह आम तौर पर लोगों की भावना सामने आई। इसके अतिरिक्त मैं चर्चाओं और भ्रम में नहीं जाना चाहता, कि लगान नहीं देंगे तो रसीद नहीं मिलेगी और जमीन हमारी नहीं रहेगी, यह सरकार की हो जायगी। इस प्रकार की चर्चाएं भी कई जगहों पर हुई। आज जो साधन हमारे हैं, वे सीमित हैं और विकास के प्रोग्राम को हम हाथ से लेकर चलना चाहते हैं तो साथ ही हम चाहते हैं कि जो आज वजन लोगों पर पड़ रहा है वह न पड़े तो अच्छा है...

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

लेकिन आज खाने पीने की चीजों पर, आटे दाल पर सेल्स टैक्स लगा कर पैसा ले रहे हैं, तो उसका असर गरीबों पर जा रहा है, देश के विकास में गरीबों पर भी टैक्स आता है, इसलिये इस रकम को छोड़ सकें, तो हमारी वित्तीय स्थिति आज है, उसमें यह आसान बात नहीं है। साथ ही लघु सिंचाई में, विकास के कामों में यह रकम लगा कर हम आगे तेजी से चल सकें, उस लिहाज से हमने सोचा है ताकि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन और दूसरे कामों में इस रकम से कुछ किया जाय।

मैं समझता हूं इस बजट के सम्बन्ध में आम तौर से माननीय सदस्यों ने कहा कि गांवों में पीने के पानी का इन्तजाम होना चाहिये, इस सम्बन्ध में चर्चा की है, मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा न कह कर यही कहूंगा कि वित्त मन्त्री जो मेरे बाद में बोलेंगे वे इस सम्बन्ध में कहेंगे। मैं और चीजों के बारे में सदन का समय नहीं लेना चाहता, कुछ बातों के बारे में मैंने सदन के समक्ष निवेदन किया। मैं समझता हूं, सदन में, राजस्थान में और देश भर में जो राजस्थान का बजट पेश किया गया है, उसका स्वागत किया गया है और जिन माननीय सदस्यों ने इस बजट की टीका की है, वे भी दिल में तो इसका स्वागत ही करते होंगे, यह मैं आशा करता हूं।

**श्री रामचन्द्र आर्य :** (नोहर) मुख्य मंत्री जी उत्तर दें कि छोटी जोतों पर पहले लगान माफ करने का किसने विचार डाला था? वास्तविकता यह है कि संयुक्त मोर्चे ने 17 सूत्री कार्यक्रम बनाया था और उसमें भूमिकर को बन्द करने का प्रोग्राम रखा था, उस पर पर्दा डालने के लिये, यह फैसला आपने लिया था और इस तरह से किसानों को और राजस्थान के लोगों को धोखा देने के लिये यह फैसला लिया था······

**श्री उपाध्यक्ष :** आर्डर, आर्डर, आर्डर प्लीज!

**श्री रामचन्द्र आर्य :** अब आप कहते हैं कि गांवों में जाते हैं तो लोग यह कहते हैं, तो पहले कैसे छोटी जोतों पर भूमि कर खत्म किया था?

यह सब सदन को और लोगों को धोखा देने के लिये किया है·····

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय सदस्य! आर्डर प्लीज ·····

यह चर्चा समाप्त हो गई

**श्री मोहनलाल सुखाडिया :** मैं स्पष्ट करदूं, चुनाव हो रहे थे तो चुनावों के मौके पर दो तीन पार्टियां विशेष तौर से प्रचार कर रही थीं कि लगान माफ कर दिया जायगा। लेकिन हमने तो उस समय भी यही कहा था कि हम लगान माफ नहीं कर सकते। यह फैसला किया गया था वह चुनावों के बाद में किया गया था, किसी को धोखा नहीं दिया गया है।

**श्री रामचन्द्र आर्य :** यह फैसला किया तो आपको लागू रखना चाहिये था।···

**श्री उपाध्यक्ष :** आर्डर, आर्डर! वित्त मन्त्री जी!

**श्री मथुरा दास माथुर** (वित्त मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष जी, 1968–69 के बजट को ले कर सदन में माननीय सदस्यों ने अपने कई तरह के विचार प्रकट किये हैं, इस बजट की रूपरेखा को माननीय सदस्यों ने कई तरह की संज्ञाएं दी हैं। मैं मुख्य मन्त्रीजी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने अपने बजट के सम्बन्ध में भाषण के सिलसिले में बोलते हुए कई मुद्दों पर प्रकाश डाला है। मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि जो बातें उन्होंने कही हैं उन बातों को सदन में नहीं दोहराऊं।

खासतौर से यह कहा गया है कि जब हमने 67–68 के आंकड़े पेश किये थे, उस समय शुरू में बजट पेश किया था। तो अनुमानित 8 लाख का सरप्लस बजट पेश किया था उसके बाद सदन जानता है कि कई कर प्रस्ताव थे उन कर प्रस्तावों को वापिस ले लिया गया और आखिर जाकर 58 लाख के करीब डेफिसिट बना। मैंने उस वक्त सदन में इस बात का आश्वासन दिया था कि मैं सदन में इस प्रकार के सुझाव लाऊंगा कि जिससे डेफिसिट दूर हो जाय।

अब मैं सदन में खड़ा हूं तो उस समय माननीय सदस्यों ने इस बात को आम रूप से कहा कि पहले 8 लाख का सरप्लस बजट पेश किया और अब 18 करोड़ का डेफिसिट बजट लेकर आ रहा हूं, और कहा कि सरकार के तखमीने पेश करते वक्त इतने अन्तर कि बात समझ में नहीं आती। मैं समझता हूं मैंने बजट स्पीच में इस सम्बन्ध में काफी रोशनी डालने की कोशिश की है। फिर भी इस बारे में गलतफहमी हो तो मैं उस गलतफहमी को दूर करने के लिये निवेदन करना चाहूंगा। राजस्थान सरकार ने बजट पेश किया था, तखमीने पेश किये थे तो उस समय जो स्थितियां थीं, जो हालात थे, उनके आधार पर बजट के तखमीने पेश किये जाते हैं, पर दौरान उस अर्से के ऐसी स्थितियां पैदा हो जायं, जिनके कारण राज्य सरकार को और खर्चा करना पड़े तो वह तखमीने उसमें गौरतलब नहीं हो सकते, बाद में वह खर्चा बढ़ जाता है। इसलिये मैंने अपनी बजट की तकरीर में 18 करोड़ का पूरा ब्यौरा सदन के समक्ष रखा था और फिर माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि 18 करोड़ में से महंगाई भत्ते के 4 करोड़ खर्च हुए, वह गजेन्द्रगड़कर की रिपोर्ट उस समय हमारे सामने पेश नहीं हुई थी, इसलिये 4 करोड़ के खर्चे को बजट में नहीं रख सके।

दूसरे मैंने कहा कि एक्साइज ड्यूटी से हमें मिलने वाला था, उसमें डेढ करोड़ की कमी हुई, रॉ मेटिरियल, स्पिरिट जो हमें मिलनी चाहिये थी, भारत सरकार ने जो दूसरे प्रान्तों में अलोट किया था, वह नहीं मिला, देश भर में कमी रही इसलिये जितनी शराब बना कर हम बेच सकते थे वह नहीं कर सके, इसलिये 1½ करोड़ की यह कमी रही, ये दोनों बातें ऐसी थीं जिनका दोनों को मिला कर 5½ करोड़ होता है, जिनका खयाल नहीं किया जा सकता था।

इसके बाद में राजस्थान केनाल में जमीन बेच कर 4·314 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया था। माननीय सदस्य जानते हैं कि इस पर सदन में चर्चा भी हुई थी कि इस तरह जमीन की निलामी नहीं की जाय

(श्री मथुरादास माथुर)

तो जमीन का नीलाम नहीं हुआ और इस तरह से 4½ करोड़ की प्राप्ति नहीं हुई।

5 करोड़ पब्लिक लोन लेने का फैसला किया था पर रिजर्व बैंक ने 4 करोड़ के लोन की ही स्वीकृति दी इसलिये एक करोड़ की एस्टीमेट्स में यह कमी रही।

इसके अलावा 7 करोड़ के ऋण पंचायत समितियों में ड्यू हो चुके थे, हमने सोचा था कि करीब करीब 4.16 करोड़ रुपया मिल जायगा, पर वह भी नहीं मिला इसलिये यह डेफिसिट हुआ। राजस्थान नहर की जमीन नहीं बिकी तो यह कोई घाटा नहीं है। वह जमीन अब आगे बिक जायगी और राज्य सरकार को वह पैसा मिल जायगा। राज्य सरकार को माननीय सदस्यों से दबाव आते हैं इसलिये फैसला करना पड़ता है।

इस तरह सदन के सामने 18 करोड़ का डेफिसिट का बजट रखा है, उसका पूरा ब्यौरा मैंने सदन के सम्मुख रखा है और मैं कहना चाहता हूं कि एस्टीमेट्स राज्य सरकार ने बनाये थे वे बिल्कुल ठीक बनाये थे। जो बातें बाद में हुईं, उनके कारण एस्टीमेट्स में यह चीज नजर आती है, तो यह कोई गलती नहीं है।

जो अगला बजट है उसमें 68 लाख का डेफिसिट पेश किया है, उसमें बजट हैड्स में साफ यह बता दिया है कि भारत सरकार को एडहोक लोन्स के पेमेंट का है, 13 इन्स्टालमेंट्स के बारे में भारत सरकार से निवेदन किया गया है, हमें आशा है कि जैसी इन्स्टालमेंट्स मुकर्रर हो जायंगी और सेन्ट्रल कन्ट्रिब्यूशन से जो अमाउन्ट हमें मिलने वाला है, वह मिल जायगा, इस सबके आधार पर 68 लाख का घाटा दिखाया है। मुझे इसलिये यह सारी बात पुनः रखनी पड़ी कि कई माननीय सदस्यों को इस बारे में गलतफहमी रही और उन्होंने इसके सम्बन्ध में चर्चा की।

माननीय सदस्यों ने, मुख्तलिफ लोगों ने, मुख्तलिफ संज्ञाएं इस बजट को दी, किसी ने कहा कि यह पूंजीपतियों का बजट है, पूंजीपतियों को प्रोत्साहन देने के लिए यह बजट है। इसका उत्तर मुख्य मंत्रीजी दे चुके हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर हम यह चाहते हैं कि राजस्थान में उद्योगों का प्रसार हो, प्रचार हो, राजस्थान में उद्योग ज्यादा लगें तो उद्योगों को लगाने के लिए कुछ सहूलियतें, सस्ती जमीन देने में, चाहे टैक्सों में सहूलियत देने में, चाहे बिजली में, चाहे पानी में, सहूलियतें देनी होंगी। इस प्रकार की सहूलियतें दी जायेंगी तो राजस्थान में उद्योग लग सकेंगे और हम राजस्थान की अर्थ व्यवस्था में काफी तब्दीली ला सकेंगे। इसलिए शुरू में हर प्रान्त को इस तरह की छूट देनी पड़ती है, महाराष्ट्र ने इस प्रकार की छूट दी है, बैंगलोर ने दी है, जहां इन्डिस्ट्रियल काम्प्लेक्स नहीं बढ़ता है, वहां इस प्रकार का छूट दी जाती है।

हमारे जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि स्टेट इन्कम में 1.9 परसेंट फैक्टरीज को सरकार कन्ट्रिब्यूट करती है। यह बात ठीक है। उसमें 10 परसेंट कन्ट्रिब्यूशन किया जा सकता है। हमारे यहां 2 परसेंट कन्ट्रीब्यूशन है, इसीलिए हमने य

# Page No.67



(श्री मथुरादास माथुर)
सुझाव रखा है ताकि हमारे यहां ज्यादा उद्योग लगें। हमारी स्टेट इन्कम का 38 परसेंट कन्ट्रीब्यूशन कृषि में रहता है और इन्डस्ट्रीज में 2 परसेंट ही है तो इन्डस्ट्रीज में 2 परसेंट की जगह ज्यादा कन्ट्रीब्यूशन स्टेट इन्कम का हो, जिससे कि हमारी अर्थ व्यवस्था में तरक्की हो, उसे बल मिले।

अगर यह कोशिश की जाती है तो माननीय सदस्य कहते हैं कि पूंजिपतियों और उद्योगपतियों को सहूलियतें देने के लिए बजट बनाया गया है। इसमें किसी भी विशेष व्यक्ति को सहूलियत देने की दृष्टि से नहीं बल्कि राजस्थान में ज्यादा औद्योगीकरण हो, ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, ज्यादा पैदावार हो, ज्यादा स्टेट इन्कम बढ़े, ज्यादा पर केपिटा इन्कम लोगों की बढ़े, इस दृष्टि से यह कदम उठाए गए हैं।

यहां पर माननीय सदस्यों ने केन्द्र और राज्यों के वित्तीय सम्बन्धों पर काफी रोशनी डाली है और यहां तक भी सुझाव दिए हैं कि परमानेन्ट फाइनेन्स कमीशन बनना चाहिए। जब फोर्थ फाइनेन्स कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी उस समय यह कहा था कि अवार्ड देने के बाद में जो कान्ट्रीजेन्सी पैदा होती है उसको हल करने के लिए भी भारत सरकार सोचे, यह चौथे वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। उसके बाद भारत सरकार ने इस बात को मद्देनजर रखते हुए यह मामला प्रशासनिक सुधार आयोग के सामने रखा है और उस आयोग की रिपोर्ट आने वाली है। उसके बाद में ही राज्य सरकार अपना कोई दिमाग बनाकर सदन के सामने पेश कर सकेगी। प्रशासनिक सुधार आयोग इस मामले को लेकर विचार कर रहा है, वह देखें कि क्या रिपोर्ट देता है। सरकार इस बात को मानती है, और हमने तो पहले ही कहा था कि फाइनेन्स कमीशन जो बन रहा है, वह तुरन्त बनना चाहिये था, हमने नेशनल डेवलपमेंट कमीशन के सामने भी यह कहा और मुझे खुशी है कि पांचवें वित्त आयोग बनने की कार्यवाही चालू हो चुकी है। कान्टीजेन्सी को अवार्ड के बाद किस तरह से हल करें ये सब समस्याएं प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट के बाद ही कर सकेंगे।

आज देश के अन्दर विभिन्न दल और सिस्टम्स बने हुए हैं। उसको लेकर अभी जो केरल के वित्त मन्त्री ने भाषण दिया था और राज्यों के वित्त मन्त्रियों ने सेन्टर वर्सेज स्टेट की समस्याओं को हाईलाइट किया है, इस पर राज्य सरकार अपने विचार रखती है। मगर वह उस समय ही सदन में रखना पसन्द करूंगा जब प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट····

**श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) :** यदि प्रशासनिक सुधार आयोग अपनी राय जाहिर करता है, उसके बाद में आप क्या कहेंगे ? आप पहले ही बता दीजिए।

**श्री मथुरादास माथुर :** प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट एक रिकमेंडेटरी रिपोर्ट होती है, उस पर सब राज्यों की राय पूछी जायगी क्योंकि राज्य सरकार राजनैतिक दृष्टिकोण से नहीं देखती है, बल्कि प्योरली फिस्कल दृष्टि से देखकर अपनी रिपोर्ट रखेगी दूसरे कुछ राज्य जो इस बात पर जोर दे रहे हैं उनमें मोर ऑर लेस पोलिटिकल कान्पोनेन्ट ज्यादा नजर आता है।

# Page No.68



**श्री भैरोंसिंह :** केरल में केवल वित्त मन्त्री ने ही नहीं कहा है बल्कि राज्यपाल के अभिभाषण में यह बात कही है। यदि आप राज्यपाल के भाषण को राजनैतिक रूप देना चाहें.....

**श्री मथुरादास माथुर :** राज्यपाल ने कहा है। जहां तक चौथे वित्त आयोग का सवाल था, उसके लिए राज्यपाल ने कहा है, परमानेन्ट फाइनेन्स कमीशन के बारे में उन्होंने नहीं कहा है। केन्द्र और राज्यों के सम्बन्धों के बारे में जो प्रशासनिक सुधार आयोग बैठा है वह इस चीज को तय कर रहा है। तो मैंने इतना निवेदन किया है कि राज्य सरकार अभी अपने विचार नहीं रखना चाहती है मगर इसका मतलब यह नहीं है कि देश में हमारी जो समस्याएं हैं, उनके प्रति राज्य सरकार जागरुक नहीं है।

बहस के दौरान अलवर से आने वाले माननीय सदस्यों ने कहा कि हमारे रेवेन्यू अकाउंट के अन्दर जो डेफीसिट है, उसको कैपीटल अकाउंट की सरप्लस से पूरा करना ठीक नहीं है। यह सही है, यह सिद्धांततः ठीक है। अगर मुख्य मन्त्री ने जैसे अपने भाषण में कहा है जो डेफीसिट 14 करोड़ की रेवेन्यू अकाउंट में दिखती है वह एक्चूअल डेफीसिट नहीं है। 3-4 करोड़ का एक्चुअल डेफीसिट है। बाकी डेफीसिट के कारण मुख्य मन्त्री अपने भाषण में बता चुके हैं। एक्चुअल डेफीसिट 3 करोड़ की है, यह भी नहीं रहनी चाहिए और कैपीटल अकाउंट से ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए, यह हम मानते हैं मगर जो हालात हैं मंहगाई भत्ते इत्यादि के कारण, हमें यह करना पड़ रहा है और बहुत से राज्यों में जहां अर्थ-व्यवस्था में ऐसी कमजोरी आई है, ऐसा करना पड़ा है।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि यह राज्य कर्जे से ही चलता है और कहा कि रेवेन्यू रिसीट्स के अन्दर जो 127 करोड़ हैं, उसके अन्दर 98 करोड़ कर्जे के हैं। जो 127 करोड़ रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर बताए हैं, उनका ब्रेक-अप यदि माननीय सदस्य करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे तो उनको मालूम होगा कि भारत सरकार के जर्ये से जो हमारी टैक्स को इन्कम का हिस्सा है या एक्साइज ड्यूटी का हिस्सा है, वह सब मिलाकर 18 करोड़ उसके बाद भारत सरकार से मिला 31.13 करोड़ और करीब 50 करोड़ रुपए राजस्थान में कर के जरिए, 17.7 करोड़ कर के और दूसरे तरीकों से वसूल हुए, इस तरह 127 करोड़ की आमदनी होती है। इसलिए यह किसी लोन का एडजस्टमेंट नहीं है।

यह भी कहा गया कि हमने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है विभिन्न जो स्टाक कंपनीज व कार्पोरेशन्स में वह करीब 5.70 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। यह भी कहा गया कि इतना इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस इन्वेस्टमेंट का अगर कोई एनेलिसिज करे तो इसमें से 1.22 करोड़ राजस्थान बनने से पहिले की जो हमारी विभिन्न रियासतें थीं, उन्होंने इन्वेस्ट किया था। इसमें 8 कंपनियां ऐसी है जो लिक्विडेशन के अन्दर चल रही हैं। इसलिए अगर इस धनराशि को जोड़ लिया जाय तब तो रिटर्न्स कम नजर आते हैं। बाकी 4.48 करोड़ राजस्थान बनने के बाद का इन्वेस्टमेंट

# Page No.69



(श्री मथुरा दास माथुर)

है। इसमें बहुत सी कंपनियां सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर हैं और थोडी सी निजी क्षेत्र के अंदर हैं। इसलिए आज 4.48 करोड़ में से 3.67 करोड़ सरकार की कंपनियों में इन्वेस्टेड है और 81 लाख रुपए प्राइवेट कंपनीज और कार्पोरेशन्स में इन्वेस्ट किया है। अब मेटल कार्पोरेशन आफ इंडिया जिसमें 25 लाख रुपए इन्वेस्टेड हैं, क्योंकि यह नेशनेलाइज्ड हो चुका है, फैसला नहीं हुआ, इसलिए उसका रिटर्न नहीं मिल रहा है। उसकी वजह से कमी नजर आती है। एसोसिएटेड आईरन एण्ड स्टील कंपनी लिमिटेड, ओरीयन्टल पावर केबिल्स, समाचार भारती इनके इन्वेस्टमेंट को एक एक या दो दो साल हुए तो अगर पुराने इन्वेस्टमेंट को निकाला जाय तो करीब 4.9 प्रतिशत या 5 प्रतिशत रिटर्न होता है। इसलिए हमारी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल डेड इन्वेस्टमेंट हो या रिटर्न नहीं मिल रहा हो, यह गलत है।

इस तरह जो राजस्थान बनने के बाद की इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें करीब 4.9 प्रतिशत रिटर्न मिलता है और राजस्थान से पहले की कंपनीज आप जानते हैं कि बहुत सी तो लिक्विडिशन में हैं और बहुत सी छोटी हैं उनका 3.9 प्रतिशत रिटर्न है। पुरानी इन्वेस्टमेंट्स के जो शेयर्स व डिबेन्चर्स हैं उनको बेच सकते हैं लेकिन मार्केटेबुल नहीं हैं। वह जो बेकलोग हैं राजस्थान बनने से पहले का उससे परे नहीं हो सकते हैं, उसका रिटर्न कम मिलता है।

राजस्थान बनने से पहले कितना परसेन्ट...

श्री भैरोंसिंह : मैं पूछना चाहता हूं कि कितना परसेन्ट आईडल पड़ा है।

श्री मथुरादास माथुर : राजस्थान बनने के पहले के मैंने फीगर दिये हैं।

श्री भैरोंसिह : नहीं नहीं। कितना आईडल पडा है इसमें।

श्री मथुरादास माथुर : 1.02 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हैं। इसमें 7 लाख लिक्विडेशन में चला गया। बाकी इन्वेस्टमेंट है। बाकी कम्पनीज का कोई रिटर्न नहीं मिलता है।

श्री भैरोंसिह : गवर्नमेंट का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है?

श्री मथुरादास माथुर : गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट नहीं है। उसमें शेयर होते हैं। डायरेक्टर्स नहीं होते हैं। और इसी कारण से टोटल जब आप देखते हैं तो कम नजर आता है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नम्र निवेदन यह है कि राजस्थान बनने के बाद जो इन्वेस्टमेंट किया गया है। किशनगढ में जो इन्वेस्टमेंट किया गया है, उससे 7 लाख मिलता है। भीलवाडा में 6 परसेन्ट रिटर्न मिलता है। प्राईवेट के अन्दर कम किया है। पब्लिक सेक्टर में किया है इसलिये इन्वेस्टमेंट का टोटल परसेन्टेज कम नजर आता है।

श्री भैरोंसिह : इन्वेस्टमेंट पर इन्टरेस्ट कितना परसेन्ट मिलता है?

श्री मथुरादास माथुर : जब शेयर ले लेते हैं तो आर्डिनरी शेयर, प्रिफरेन्शियल शेयर तो इन्टरेस्ट का सवाल ही नहीं उठता है।

श्री भैरोंसिह : यह रुपया प्राईवेट सेक्टर में लगाते तो साढे नौ परसेन्ट रिटर्न मिलता।

श्री मथुरादास माथुर : लोन के अन्दर रुपया ज्यादा मिल सकता है। लेकिन उसमें सोशियल परपज नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट में सोशियल परपज भी होता है। किशनगढ में मिल बन्द हो जाने से मजदूर बेकार हो गये वहां के मजदूरों की यह मांग थी कि यहां मिल कायम हो। तो मेरा मतलब यह है कि इन्वेस्टमेंट में रिटर्न कम मिलता है पर सोशियल परपज सर्व होता है। लोन में सोशियल परपज कतई सर्व नहीं होता है। जहां जहां राज्य सरकार ने इन्वेस्ट किया है वहां वहां यह देखा गया है कि सोशियल परपज सर्व होता है या नहीं। सोशियल परपज में लोगों को एम्पलायमेंट मिलता है, इससे बेकारी की समस्या हल होती है। इसी लिये 4.9 परसैन्ट रिटर्न मिलता है।

(1 41 म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत, सभापति, पदासीन।)

इसलिये राजस्थान का इन्वेस्टमेंट गलत है, सभापति महोदया मैं मानने को तैयार नहीं हूं। हमारे बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य हैं उन्होंने लोन की बात कही। उन्होंने यह कहा कि कुल हमारा जो कर्जा दिया गया है उस कर्जे के ऊपर 7 परसेंट इन्टरेस्ट मिलता है। मैं उन्हें निवेदन करना चाहता हूं कि 134.54 करोड रुपया जो लोन का है उसमें 80 करोड 45 लाख रुपया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिये है। हमने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कर्जा दिया है वह 80 करोड़ और 45 लाख का होता है। दूसरे म्यूनिसिपैलिटीज को वाटर सप्लाई स्कीम के लिए भी 6 करोड़ 47 लाख का कर्जा दिया गया है। 5 करोड़ रुपया पंचायत समितियों को दिया गया है अगर आप कर्जे की हालत देखें तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से हमें कोई इन्टरेस्ट नहीं मिलता है। इन्टरेस्ट मिलता है बाकायदा लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अपने नियम हैं। टोटल इन्टरेस्ट की रकम बाद करके, डेप्रीशियेसन आदि काट कर रकम होती है। इसलिये इन्टरेस्ट नहीं मिलता है। 80 करोड़ का इन्टरेस्ट नहीं मिलता है। इस तरह से फीगर नीचे आ जाता है। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने, जो अभी सदन में नहीं हैं उन्होंने यह कहा कि कमानी इन्जीनियरिंग कार्पोरेशन और जे.के. सिन्थेटिक्स को रुपया देते हैं और राजस्थान कैनाल में नहीं लगाते। उन्होंने 4। करोड़ के आंकड़े दिये हैं, यह गलत है। कुल हमने, मैं उनको निवेदन करना चाहता हूं लिक्विडेशन मनी नहीं दिया-रुपये नहीं दिये हैं। जे. के. सिन्थेटिक्स को रुपये नहीं दिये हैं और न ही कमानी को रुपये दिये हैं। हमने तो गारन्टी दी है। रोकड़ो रुपये नहीं दिये हैं। बैंक को गारन्टी दी है कि रुपये दे दो। स्टेट की गारन्टी है, और इस गारन्टी के लिये भी हम फीस चार्ज करते है। 1/2 परसेंट चार्ज करते हैं। वे यह कहते है कि राजस्थान कैनाल में डाईवर्ट कर दो। पहले तो उन्होंने जो 4। करोड़ का फीगर दिया है, वह गलत है। कुल 14 करोड़ रुपया है। इसलिये हम लोग पूंजीपतियों को-कमानी को और जे. के. सिन्थेटिक्स को रुपया देते हैं यह गलत है। फिर उसके बाद यह बहुत ज्यादा कहा जाता है, सदन में भी कई बार कहा जाता है कि स्टेट एन्टरप्राईज लास में चलते है। और बहुत ज्यादा लास में चलते हैं। मैं माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि ये दो तरह के होते हैं। कुछ कार्मसियल कार्पोरेशन होते हैं

(श्री मथुरादास माथुर)

और कुछ कम्पनी बनाकर चलते हैं। स्टेट गंगानगर शुगर फैक्टरी है, वह फायदा दे रही है। उसकी जो रिपोर्ट आई है, उसको मैं सदन की मेज पर रख चुका हूं। गंगानगर शुगर फैक्टरी बराबर फायदा दे रही है। भीलवाड़ा की जो काटन मिल-मिटेक्स है वह भी मुनाफा दे रही है। 64 65 में मुनाफा दिया है, 65-66 में 5 लाख 28 हजार का मुनाफा दिया है, 66-67 में 5 लाख 40 हजार का मुनाफा दिया है। सोडियम सल्फेट ने जबसे प्रोडक्शन शुरु किया है, बराबर फायदा दे रहा है 65-66 में तीन लाख का नेट फायदा दिया है 66-67 में 6 लाख का फायदा दिया है- 6 लाख नेट का फायदा है। और यह फायदा बराबर हो रहा है। इसमें 35 लाख का इन्वेस्टमेंट है। 6 लाख का फायदा हो रहा है-तीन साल से। इसका बहुत सा रुपया तो वसूल भी हो चुका है। न जाने कुछ माननीय सदस्य यह बराबर कहते रहते हैं कि स्टेट एण्टरप्राईज में घाटा चलता है। मेरे बयान देने के बावजूद भी कहते हैं कि स्टेट एण्टरप्राईज बराबर घाटे में चलता है इसलिए पब्लिक सैक्टर को छोड़ देना चाहिये। वह घाटे में नहीं चलता है इसलिये सभापति महोदय, मैंने यह बात सदन में दोहराई है। हाईटेक जरूर नुकसान में चला। कुछ दिन उसको देखा बाद में बन्द कर दिया गया। 2-3 साल हो गये उसको बन्द किये। जो घाटे में चलता, उसको हम पहले ही बन्द कर देते हैं। उसके ऊपर भी मैं सदन में प्रकाश डाल चुका हूं। किस प्रकार स्टेट एण्टरप्राईज पैदा हुआ हर बार मैं बजट भाषण में कह चुका हूं। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने, न मालूम उनको इसमें क्या चीज दिखाई देती है जो बार बार कहते हैं यह घाटे में चल रहा है। हमने हाईटेक को भी मुनाफे में लाने की कोशिश की। दो साल यह कोशिश की कि यह ठीक हो जाय किन्तु वह मुनाफे में नहीं आया। दो साल हो गये, उसको बन्द किये। समझ में नहीं आता है कि मरे हुए मुर्दों को बार बार उखाड़ कर लाया जाता है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं स्टेट एण्टरप्राईज में जो खर्च किया गया है उनसे उसका रिटर्न ठीक मिल रहा है। कई माननीय सदस्यों ने सदन में यह भी कहा है कि हमारे यहां राजस्थान सरकार में घाटा ही घाटा है मालूम में घाटा है। मैंने आंकड़े देखे हैं, यह कोई कार्मशियल डिपार्टमेंट नहीं है फिर भी राज्य सरकार को वर्ष के अन्दर सवा करोड़ डेढ करोड़ की रेवेन्यू होती है। पिछले वर्ष हमारा बजट पार्लियामेंट के अन्दर पेश हुआ था तब यह आंका गया था। कुछ लोगों में डिक्री के पैसे रुके हुए हैं वे रुपये भी अब साल भर के अन्दर मिल जायेंगे। डेढ़ करोड़ का प्रावधान रखा है उसके अगेन्स्ट में करीब 1 करोड़ 40 लाख या 35 लाख तक मिलने की उम्मीद है। माईका ट्रेड के अन्दर स्लम्प्स आ गये, जो मुनाफा होता था वह नहीं आया। माननीय सदस्यों ने कई बार कहा है सदन के अन्दर कि न जाने राजस्थान सरकार को घाटा ही घाटा क्यों हो रहा है। मैं बहुत नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है। मैं कहता हूं कि इसको रिवाइज करने से ज्यादा रेवेन्यू हुई है। एक माननीय सदस्य कहेंगे, फिर दूसरे माननीय सदस्य कहेंगे, यह कोई 5-10 लाख की ऐसी बात नहीं है।

माननीय सभापति महोदया, यह भी कहा गया, और बड़े जोरों से कहा गया कि

(श्री मथुरादास माथुर)
बेकवर्ड क्लासेज के लिये, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये, राज्य सरकार जो धनराशि निर्धारित करती है, उसको भी खर्च नहीं कर पाती और वह लैप्स हो जाती है। मुझे यह सुनकर बड़ी चिन्ता हुई कि यह क्या बात है। लेकिन देखने से मालूम पड़ा, सभापति महोदया, कि हम बराबर इस मद के अन्दर जो भी राशि होती है वह खर्च करते हैं। दो चार लाख इधर उधर हो सकते हैं, वह अलग बात है, बाकी बराबर पूरी धनराशि इसके अन्दर खर्च की जा रही है।

भारत सरकार से कुछ सेंट्रली स्पांसर्ड स्कीम के लिये 67.48 लाख रु. मिलते थे उसमें भारत सरकार ने कमी कर दी और 30.20 लाख ही दिया तो कुदरती हमको भी कम खर्च करना पड़ेगा। और दूसरा हमारे एस्टीमेट्स के अन्दर कम खर्च हुआ। बाकी सारे कार्यक्रम, स्कॉलरशिप वगैरा के जो होते हैं जो सदन द्वारा एप्रूव्ड हैं, वे सारे के सारे कार्यक्रम किये गये। अब भारत सरकार अगर कम कर देती है तो नेचुरली हमें भी कम करना पड़ता है। हमने भारत सरकार को भी लिखा है अब भारत सरकार ने क्यों कम दिया इसका मुझे इल्म नहीं है।

श्री जयनारायण सांलोदिया (निवाई) : हर साल अपने बजट के रुपये खर्च नहीं किये और भारत सरकार कहती है कि जब आप खर्च ही नहीं कर पाते तो फालतू क्यों दें ? खर्च तो करते नहीं। इसलिये कम किया है।

श्री मथुरादास माथुर : राज्य सरकार को जो पैसा हम देते हैं उससे दो चार लाख ज्यादा ही खर्च करती है। बाकी जो सेंट्रली स्पोंसर्ड स्कीम्स हैं उनका कन्ट्रोल तो सेंटर ही करता है।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आप कोशिश करेंगे कि भारत सरकार से पूरी डिमांड लें ?

श्री मथुरादास माथुर : जो बराबर मिलता रहता था उसको मद्दे नजर रखकर ही तो बजट बनाया है। अब उन्होंने 60 लाख से 30 लाख ही कर दिया तो इसके लिये भारत सरकार से पूछना पड़ेगा कि उन्होंने क्यों कम किया।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या यह सही है कि शाहबाद क्षेत्र में आदिवासियों के क्षेत्र के लिये जो दो लाख रुपये सड़कों और पुलों पर काम के लिये दिया गया था वह आज भी खर्च नहीं हुआ ?

श्री मथुरादास माथुर : यह प्रश्न तो जब डिमांड्स पर बहस हो तब आप सम्बंधित मंत्री से पूछिये, वे जवाब दे देंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : केन्द्र सरकार जो आपको पैसा देती है वह आप पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाते हैं, इसीलिये केन्द्र सरकार ने कटौती की है।

श्री मथुरादास माथुर : केन्द्र सरकार ने कटौती क्यों की है यह तो केन्द्र सरकार ही बतायेगी। लेकिन अब तक जो अलॉट होता रहा है वह पूरा खर्च होता रहा है यह मैंने निवेदन किया। क्यों कम किया इसके लिये राज्य सरकार ने भारत सरकार से पूछा नहीं है, बाकी राज्य सरकार को हमेशा

(श्री मथुरादास माथुर)
यही कोशिश रहती हैं कि जो पैसा अलॉट हो वह पूरा का पूरा खर्च किया जावे।

सभापति महोदया, यहां पर यह भी कहा गया कि 1967-68 के बजट के अन्दर यह घोषणा की गई थी कि 2.35 करोड़ रुपये की कटौती करेंगे, वह नहीं हुई। मैं निवेदन करूं कि उसमें से 1.36 करोड़ की कटौती तो पूरी हो गई। यह कम इसलिये हुई कि जुलाई के अन्दर बजट पास हुआ था। गुजरे साल, और आर्डर्स उसके बाद में निकले, महीने कम रह गये इसलिये कई मदों में कटौती कम हुई हैं। अगले साल उम्मीद है कि कटौती पूरी हो जायेगी।

सभापति महोदया, यह भी कहा गया, बड़े जोरों से इस सदन में कि जहां तक योजनाओं का सवाल है, हमारे यहां एक जिले और दूसरे जिले के बीच बहुत डिसपैरिटी है। यह भी कहा गया कि कुछ जिलों का पर-कैपीटा एक्सपेंडीचर दूसरे जिलों के मुकाबले में बहुत ज्यादा हुआ है। माननीय सभापति महोदया, कई जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं उसके खर्चे को हम जिले के ऊपर ही फैलावें यह ठीक नहीं होगा। मिसाल की तौर पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गंगानगर के अन्दर राजस्थान कैनाल का काम हुआ है। अब इस राजस्थान कैनाल से जो लाभ होगा वह केवल गंगानगर जिले को ही नहीं होगा। इससे बीकानेर जिले को भी लाभ होगा, उसके बाद जैसलमेर जिले को भी उससे फायदा पहुँचेगा। इसके अलावा दूसरे जिलों के जो लोग वहां जाकर बसे हैं उन सब को भी वहां पर जमीन से फायदा होगा। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं या इन्डस्ट्रीज हैं उनके खर्चे को केवल उसी जिले के ऊपर ही नहीं लगाना चाहिये। यह बड़ा डेंजरस प्रोपोजीशन हो जायेगा। जयपुर में मेडीकल कालेज खुला। अब उसमें जयपुर के लड़के तो बहुत कम होंगे, राजस्थान के दूसरे जिलों और हिन्दुस्तान के दूसरे प्रान्तों के लड़के ज्यादा होंगे। अब उस मेडीकल कालेज पर जो खर्चा होगा, मान लीजिये एक करोड़ रुपया कैपीटल एक्सपेंडीचर हुआ और उसके अलावा रिकरिंग एक्सपेंडीचर होता है। अब यह सारा एक्सपेंडीचर लेकर अगर केवल जयपुर जिले के आदमियों पर पर-कैपीटा एक्सपेंडीचर नापा जाये तो यह बहुत ही एक डेंजरस प्रोपोजीशन होगा। जोधपुर में इन्जनियरिंग कालेज खुला। उसमें जोधपुर शहर या जिले के तो बहुत कम लड़के मिलेंगे, 10 या 12 ही होंगे। बाकी लड़के राजस्थान और हिन्दुस्तान के अन्य भागों के होंगे। इसलिये उस इन्जनियरिंग कालेज का खर्चा जोधपुर की आबादी पर फैलाया जाये कि जोधपुर के आदमियों पर पर-कैपीटा एक्सपेंडीचर बहुत ज्यादा हुआ है, तो यह मेरे ख्याल में बिलकुल गलत होगा। कई स्टेट प्रोजेक्ट होते हैं, कई नेशनल प्रोजेक्ट होते हैं, अब इन बड़े प्रोजेक्ट्स का खर्चा उसी पार्टीक्यूलर जिले पर डाल कर यह कहा जाये कि डिसपैरिटी है, तो यह गलत होगा।

हरेक जिले की नेचरल सर्कम्सटेन्सेज और नेचरल पोटेन्शल देखकर ही वैसा प्रोजेक्ट वहां पर बनाया जायेगा। अब राजस्थान कैनाल है, वह तो गंगानगर में ही बनेगा। कहीं पर सड़कें ज्यादा बनेंगी, कहीं बांध की जरूरत होगी तो बांध बनेंगे। इस तरह अलग अलग जिलों के अन्दर जो जाग्राफीकल पोटेंशल है,

(श्री मथुरादास माथुर)
जो उसकी लिमीटेशन्स हैं, उन सब को देखकर ही काम किया जाता है।

(1 55. म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, यह जो कहा गया कि जिलों के अन्दर डिसपैरिटी है, वह ठीक नहीं है।

चौथी पंचवर्षीय योजना बनाई जा रही है और मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि जिस जिले के अन्दर विकास का काम कम हुआ है, उसमें और ज्यादा खर्च करेंगे।

**श्री दिग्विजयसिंह :** यह चौथी योजना जो बनाई जा रही है वह पांच वर्षीय योजना होगी या अल्प योजना होगी ?

**श्री मथुरादास माथुर :** पांचवर्षीय योजना ही होगी। ऐन्युअल प्लान्स तो एक, दो, तीन निकल चुकी हैं।

**श्री आईदानसिंह :** यह तो राज्य सरकार मानती है कि किसी जिले के अन्दर कम खर्च हुआ है ?

**श्री मथुरादास माथुर :** कहीं अगर सड़कों पर कम खर्च हुआ है तो वहां पर फिर शिक्षा पर ज्यादा हुआ है। ओवर आल टोटल अगर आप देख लेंगे तो सब के सब बराबर हैं एक दो को छोड़ कर। कोई टेक्नीकली ज्यादा है तो कोई एज्युकेशनली ज्यादा है। कहां पर अगर ऐग्रीकल्चर पर ज्यादा खर्च हुआ है तो कहीं पर इन्डीस्ट्रीज पर ज्यादा हुआ है। इस तरह मिलाकर अगर आप देखेंगे तो हिसाब करीब करीब बराबर हो जायेगा। कुछ जिले, जैसे जैसलमेर है, या सवाई माधोपुर है, ये जरूर कुछ बेकवर्ड हैं। उनके विकास के लिये राज्य सरकार पहले ही सोच रही है और उन के लिए स्पेशल स्कीम्स बना रहे हैं।

**एक माननीय सदस्य :** इस बजट के अन्दर तो ऐसा कोई भी प्रोवीजन नहीं है।

**श्री मथुरादास माथुर :** सेंटर को लिखा गया है और चौथी पंचवर्षीय योजना में इसका समावेश होगा।

माननीय उपाध्यक्षजी साथ में यह भी कहा गया कि राज्य सरकार ने जो किसानों को सहूलियतें दी थीं वे वापिस ले लीं। उनको जो फर्टिलाइजर्स के लिये सबसिडी देते थे वह भी बन्द कर दी गई, पेस्टीसाइड्स के लिये सबसिडी देते थे वह भी वापिस ले ली। इस तरह बड़े जोरों से कहा गया कि हर तरह की फैसिलिटी किसान से वापिस ले ली गई है। साथ साथ यह भी कहा गया कि भारत सरकार पर राजस्थान सरकार डिपेंडेंट है, और म्युनिसिपेलिटीज राज्य सरकार पर डिपेंडेंट हो रही हैं और किसान राज्य सरकार पर डिपेन्डेंट हो रहा है। अब ये दोनों बातें पारस्परिक विरोधी हैं। एक तरफ तो आप यह कहते हैं कि किसान को राज्य सरकार पर डिपेंडेंट मत होने दीजिये और फिर आप पूछते हैं कि सबसिडी बन्द क्यों की। ये दोनों ही बातें मेरी समझ में नहीं आतीं। सबसिडी क्यों दी जाती है ? यह तो माननीय सदस्य भी मानेंगे कि जब किसी चीज का प्रचार करना जरूरी होता है तब सबसिडी दी जाती है। फर्टिलाइजर का ज्यादा से ज्यादा लोगों में हमें प्रचार करना था इसलिए फर्टीलाइजर पर हमने सबसिडी दी थी। पेस्टी-

(श्री मथुरादास माथुर)

साइड्स को प्रचलित करना था, इसलिये उस पर सबसिडी दी गई। अब किसान ने दोनों को एडाप्ट कर लिया, इन दोनों चीजों से परिचित हो गये तो सबसिडी बन्द कर दी गई। इन्डस्ट्रीज के अन्दर भी सबसिडी दी जाती हैं वह तब तक दी जाती है जब तक कि इन्डस्ट्री डवलप हो जाये। जब इन्डस्ट्री डेवलप हो जाती है तो उसको सबसिडी बन्द की जाती है। वैसे देखा जाये, उपाध्यक्ष महोदय, तो हमारे राजस्थान में जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उन सब में हमें तीन करोड़ रुपये का घाटा है, लेकिन उन तीन करोड़ों का फायदा दूसरे किसानों को पड़ जाता है। इसलिये राजस्थान के अन्दर तो इरिगेशन भी एक तरह से सबसिडाइज्ड है। कामशियल रेट्स के हिसाब से देखा जाये तो इरिगेशन चार्जेज बहुत ज्यादा होनी चाहिये। ये तीन करोड़ टैक्स पेयर्स देते हैं। तो इस हद तक किसानों को इरिगेशन पर भी सबसिडी मिलता है।

(2 म. प)

तो सबसिडी का प्रिन्सिपल मानते हुए यह जरूरी है कि देनी चाहिये, लेकिन परमिट परपीच्युअल नहीं हो सकता राज्य सरकार इस नतीजे पर पहुंची है फरटीलाइजर की कमी है और किसान अब उसका उपयोग जान गया है और ज्यादा मांग आने लगी है सबसिडी से हम उसको कांप विथ नहीं कर सकते इसलिये सबसिडी बन्द की गई। इससे कोई यह ख्याल करे कि यह हमारी एन्टी किसान पोलिसी है यह उनका भ्रम है। यह गौर करने की चीज है कि प्लान का 75 प्रतिशत पैसा सबसिडी को तौर पर खर्च होता है। हमारा हमेशा यह ध्येय रहा है कि किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन दिया जाय। इस पर भी कोई यह भ्रम फैलाने की कोशिश करे कि हमको किसान से प्रेम नहीं किसान को दी गई सुविधा कांग्रेस सरकार लेना चाहती है यह जो भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं वे इसमें कामयाब नहीं होंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): माननीय किसी भी सदस्य ने यह नहीं कहा होगा कि किसान को सबसिडी न दी जाय। हमारा यह निवेदन है कि ग्राप लैंड रेवेन्यू को साइण्टिफिक बेसिस पर लागू करें जैसे इनकमटेक्स में कुछ हजार तक की आमदनी वालों को एग्जेम्प्शन दिया गया है उसी प्रकार यह सरकार के सोचने की बात है कि जो अनार्थिक जोत पर लगान माफ करने की बात कहकर उसको वापिस ले लिया मैं समझता हूं यह अशोभनीय व्यवस्था है।

श्री मथुरादास माथुर: विरोधी दल के माननीय नेता ने जो बात कही है उससे यह मालूम देता है कि वे एग्रीकलचर इनकम टैक्स की तरह टैक्स लगाने की बात करते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा एग्रीकलचर इनकम टैक्स लागू करने की बात की गई थी लेकिन सदन की मन्शा से उसको वापिस ले लिया गया। विरोधी दल के अन्दर जो किसान हितैषी पार्टियां है, किसान हितैषी लोग हैं उनका कहना है कि एग्रीकलचर इनकम टैक्स नहीं लगाना चाहिये। नेशनल डिफेन्स कौंसिल की जब मिटिंग हुई थी उसमें भी यह तय किया गया था जिसमें सभी मुख्य मंत्री उपस्थित थे एग्रीकलचर इनकम टैक्स नही लगना चाहिये इससे किसान बरबाद हो जायगा। ऐसी हालत में किसान से कोई भी टैक्स न लिया जाय और फिर

(श्री मथुरादास माथुर)

राज्य सरकार से यह आशा की जाय कि वह योजना बद्ध तरीके से विकास का कार्य करे मुमकिन नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : पिछले बार जब आपने निर्णय लिया था। कौन से फेक्टर्स आपके सामने थे जिनके कारण आपने अनार्थिक जोत पर से लगान वापिस लेने का निर्णय लिया था ?

श्री मथुरादास माथुर : इस पर मुख्य मंत्री जी ने चर्चा कर दी है।

श्री भैरोंसिंह : इस पोइन्ट पर नहीं बोले हैं।

श्री मथुरादास माथुर : जो कर राज्य सरकार ने लगाया है उस पर दुबारा विचार करके उसको एग्जेम्पशन भी कर सकती है। लास्ट ईयर हमने मोटर वाहन टैक्स 15 से 12 परसेन्ट कर दिया इस बार दस कर रहे हैं हालात बदलते हैं उसके अनुसार इसमें चेन्ज कर सकते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं अत्यन्त आभारी हूंगा अगर सरकार इस पर भी पुनर्विचार करे। मैं यह मानता हूं कि बहुमत के सिद्धान्त पर जो सरकार ने आश्वासन दिया था वह वापिस ले लिया गया उसके साथ साथ मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इस पर पुनर्विचार करें। आप यह न माने कि हमेशा मेजोरिटी वर्डिक्ट ही सही होता है कभी कभी माइनोरिटी डिसीजन भी सही हो सकता है। अतः मेरा निवेदन है कि इस पर आप पुनर्विचार करें।

श्री मथुरादास माथुर : विरोधी दल के नेता का व्यक्तिगत विचार है कि एग्रीकलचर इनकम टैक्स लगाना चाहिये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मेरे शब्दों को लेकर जिस प्रकार का अर्थ लगाया जा रहा है यह उनको अधिकार है कि वे चाहे जिस तरह अर्थ का अनर्थ लगा सकते हैं यह उनको अधिकार है मैंने कभी ऐसी भावना व्यक्त नहीं की है। किसानों को टैक्स से आजाद करने के लिये उन पर लगे हुए टैक्स को घटाया जाय-उनको मुक्त किया जाय। जो टैक्स आपने लगाया है वह आपको मुबारिक हो।

श्री मथुरादास माथुर : मैं जहां तक समझा हूं आपका मतलब है ग्रेडेशन से टैक्स लगना चाहिये जो ज्यादा पैदा करते हैं उन पर ज्यादा और कम पर कम।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : एग्रीकलचर इनकम टैक्स लगाना लैण्ड रेवेन्यू पर है जो ज्यादा आमदनी वाले किसान हैं उन पर लगा सकते हैं। जिस तरह इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन देते हैं उसी प्रकार आप किसान को भी जिनके पास वायोबिल यूनिट्स है स्वालम्बन के लिये उनको एग्जेम्पशन दे यह कहने का मूल ध्येय है।

श्री मथुरादास माथुर : इस प्रश्न पर जैसा विरोधीदल के नेता ने कहा बड़े किसानों पर टैक्स ज्यादा हो और छोटों पर कम हो।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह :—एक हद तक बड़े किसानों पर टैक्स का विरोध कम तो कर सकता हूं लेकिन उन पर इतना टैक्स लगा देना कि उनकी रीढ की हड्डी ही टूट जाय बहुमत के आधार पर यह मैं उचित नहीं मानता। साइन्टिफिक बेसिस पर टैक्स लगाने का हामी हूं छोटे किसानों को टैक्स

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
से बिल्कुल मुक्त कर दें, जिस प्रकार की व्यवस्था करने का आपने सोचा था और जिस बात से आप वापस हट गये यह अशोभनीय है, इस पर आप पुनर्विचार करें यह मेरा निवेदन है।

श्री मथुरादास माथुर : विचार, पुनर्विचार और पुनः विचार होते ही रहते हैं समस्याओं पर.....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अब तो पुनर्विचार वही होता है कि आया राम के 40 हजार तो गया राम के बीस हजार।

श्री मथुरादास माथुर : विचार ही देते हैं और कुछ देते नहीं हैं। इस पर मैं विचार करूंगा ग्रेडेशन के हिसाब से लेण्ड रेवेन्यू हो इस पर हम विचार करेंगे।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : लेकिन छोटी जोतों पर लगान माफ करने का विचार आप नहीं करेंगे ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मेरे कथन का जिस प्रकार का अर्थ वित्त मंत्री ने लगाया है मैं उसको डिनाइ करता हूं, यह गलत है।

श्री मथुरादास माथुर : मैं भी इस मामले पर पुनर्विचार करने के आश्वासन को डिनाइ करता हूं।

हमारे इस बजट बहस के दौरान कई बातें कही गईं। खास तौर से यह कहा गया कि इरीगेशन पोटेन्शियल फुल्ली एक्सप्लोइट नहीं होता है। कुछ आंकड़े बताकर यह बताने की कोशिश की गई कि 67-68 के अन्दर मिडियम इरीगेशन कुल मिलाकर 3.35 लाख का पोटेन्शियल क्रिएट किया गया था जिसमें से 3.33 लाख एकड़ का पोटेन्शियल क्रिएट हुआ था। दूसरा उन्होंने यह कहा था कि हमारे यहां पर जो मल्टी-परपज प्रोजेक्ट हैं उनकी वजह से दस करोड 20 लाख एकड था उसमें से 9.20 लाख का पोटेन्शियल क्रिएट हुआ। चम्बल एरिया के अन्दर कम हो रहा है थोडा राजस्थान केनाल में होता है। नोर्मली दस साल के अन्दर एक प्रोजेक्ट बनता है। दस साल में पूरा एक्सप्लोइट होना चाहिये। राजस्थान केनाल और चम्बल और मिडियम इरिगेशन के द्वारा जो कार्य हो रहा है वह काफी नहीं बल्कि बहुत काफी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भी कहा गया...

श्री भैरोंसिंह : एक स्पष्टीकरण कर दें। जिन फेक्टर्स पर इरिगेशन पोटेन्शियेलिटी आप बताते हैं उसके यूटीलाइजेशन के क्या आंकडे हैं ? पोटेन्शियेलिटी और यूटीलाइजेशन दोनों में अन्तर है। इरिगेटेड लेंड में एक बार पानी चला गया यह पोटेन्शियेलिटी का पूरा उपयोग नहीं है। तो पोटेन्शियेलिटी का आपने क्या क्राइटेरिया फिक्स किया है ?

श्री मथुरादास माथुर : जो क्राइटेरिया मुकर्रर किया है उसी को कह रहा हूं। इसलिये आज के दिन राजस्थान केनाल की जो पोटेन्शियेलिटी क्रिएट हुई है उस सेन्ट परसेन्ट पोटेन्शियेलिटी का यूटीलाइजेशन तो मुमकिन नहीं है। तो आज जो 10.2 और 9.2 में एक लाख का जो फर्क है वह फर्क इन्हीं कारणों से है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भी कहा गया कि हम जनरेट जो इनर्जी कर पाये

(श्री मथुरादास माथुर)
उसकी पोटेन्शियेलिटी का भी पूरा यूटीलाइजेशन नहीं कर पाये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सिर्फ लुधियाना—हिसार ट्रान्समिशन लाइन जो पंजाब सरकार बना रही है, उसकी अभी तक पूर्ति नहीं होने से, भाखरा राइट बैंक में और प्लान्ट लगा उसको पूरा एक्सपेन्शन नहीं कर पाये। बाकी हमारा हिस्सा जितना है उसका एक्सप्लोइटेशन पूरा करते हैं। यह भी कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में वह लाइन जल्दी पूरी हो जावे तो उसको भी एक्सप्लोइट कर सकें।

हमारे विरोधी दल के नेता ने फ्लोराइट के लिये निवेदन किया था। इसके बारे में मैं निवेदन कर दूं कि इसका प्रोजेक्ट बन चुका है और टेकनिकल एप्रूवल भारत सरकार से आते ही इसे जारी कर दिया जावेगा। इसके लिये हमने पूरी धनराशि बजट में रखी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भी कहा गया है कि हमारे यहां पर बोर्डर रोड्स को लेकर जो करीब करीब 86 लाख का हमने सरेन्डर किया है।

श्री भैरोंसिंह : लेप्स हुआ है।

श्री मथुरादास माथुर : लेप्स हुआ है इस बारे में मेरा निवेदन है कि हमें शुरुआत में तीन करोड़ और एक लाख रुपया इसके लिये मिला था। इसके बाद में भारत सरकार ने अगस्त में जाकर हमें यह सेंक्शन भेजी 8 करोड़ 45 लाख तक की। अगस्त से अब यह पांच छः महीने का समय हमें मिला। तो उस वक्त भी हमने यह कहा था कि क्योंकि अब यह रोड जो बन रही है इन्टीरिअर में जा रही है इसलिये अर्थमूविंग मशीनरी हमें उपलब्ध करानी चाहिये। भारत सरकार ने इस मार्च की शुरुआत तक अर्थमूविंग मशीनरी हमें नहीं दी तो जो मशीनरी और मेन पावर अवेलेबल था उसी से हमें काम करना पड़ा और इसके करते करते भी करीब करीब 8 करोड़ रुपयों में से 7॥ करोड़ हमने खर्च करके काम किया है इसलिए थोड़ा बहुत लेप्स हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : ऐक्चुअल्स कितना लेप्स हुआ ?

श्री मथुरादास माथुर : एक करोड़ के आसपास हमारे हिसाब से, मार्च के फिगर अभी और आने बाकी हैं, आपके हिसाब से 86 लाख होते हैं। आपके लेप्स के आंकड़े को सही मान लें तो।

श्री भैरोंसिंह : आप तो अपने हिसाब से बताइये।

श्री मथुरादास माथुर : हमारे हिसाब से एक करोड़ और कुछ लाख होंगे। वह बराबर सा है।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, बाद में भी पूछ सकता हूँ, पर यह मेजर इस्यू है, फिर टापिक दूसरा आ जावेगा। आपने कहा कि एक तो आपके पास मशीनरी अवेलेबल नहीं थी, क्या यह सही है कि राजस्थान कैनाल की आइडल मशीनरी इतनी बड़ी है कि जिसका उपयोग बोर्डर रोड्स के बारे में किया जा सकता था और जो रुपया लेप्स हुआ है उसका यूटीलाइजेशन हो सकता था। एक पोइन्ट

(श्री भैरोंसिंह)

दूसरा पोइन्ट बोर्डर रोड के टेण्डर आपने इन्वाइट किये। आपने उनको तीन तीन चार महीनों तक एप्रूव नहीं किये और इसलिये समय पर काम हाथ में नहीं लिये जा सके।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो बाते पूछीं हैं। दोनों बातें सत्य से परे हैं। एक तो यह कि तीन-तीन, चार चार महीने लगे। इतना नहीं लगा। फिर कोई हाई टेण्डर अगर आ जावे और उसको अगर आंख मूंद कर सेक्शन कर दें तो आप ही कह देते कि आपने ज्यादा दे दिया।

श्री भैरोंसिंह : आंख मींच कर। जल्दी करें और आंख मींचे तो इसका प्रोवीजन टेण्डर में नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : नोर्मल टेण्डर रेट से हेवी ऊंची रेट आवे तो फिर हम नेगोशियेसन करते हैं। रिटेण्डर करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह नेगोशियेशन ही तो घोटाला है सबसे बड़ा।

श्री मथुरादास माथुर : राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट की मशीनरी यहां पर आई हो या नहीं तो यह मैं नहीं कह सकता। भारत सरकार ने मशीनरी बिहार से भेजेंगे यह कहा था। फिर भी आप यह न समझें कि राजस्थान पी.डब्लू.डी. का महकमा पीछे रहा हो, उसने तेजी से काम किया है और सात करोड़ छः महीने में खर्च कर दिये यह इसका सबूत है तो यह इटसैल्फ राजस्थान सरकार की सतर्कता का सुबूत है माननीय सदस्य इसको समझें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा हरेक माननीय सदस्य के पोइन्ट को कवर करना मेरे लिये इस स्टेज पर तो मुमकिन नहीं होगा। बहुत से ऐसे पोइन्टस् डिमाण्ड के वक्त ले लिये जावेंगे। अमूमन सदन में ड्रिंकिंग वाटर के लिये बहुत कुछ कहा गया है।

रूरल एरिया के बारे में। इधर से भी और उधर से भी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस वक्त रूरल ड्रिंकिंग वाटर के लिये कुए खोदने के लिये खास तौर से वैसे तो इस साल, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने रूरल वाटर सप्लाई के लिये 60 लाख रुपये तो पम्पिंग वाटर सप्लाई स्कीम के लिये रक्खे हैं। दस लाख कुओं के लिये पांच लाख कैनाल और पांच लाख जनरल। यों 70 लाख रक्खे हैं।

इस साल हमने इस महीने में 20 लाख रुपये रूरल वाटर सप्लाई के लिये मान प्लान में से दिये। यह इस माह में तो खर्च नहीं हो सकते अगले साल ही खर्च होंगे। इसलिये कुल 90 लाख हो गये। यह थोड़ा है। इसलिये मैं···

श्री रघुनाथ बिश्नोई : सारे राजस्थान के लिये पांच लाख ?

श्री भैरोंसिंह : ग्रामीण क्षेत्रों के कुओं के लिये केवल पांच लाख।

श्री मथुरादास माथुर : यह सभी देहातों के लिये है। यह 90 लाख रुपया रूरल वाटर सप्लाई स्कीम में होगा।

# Page No.80



श्री रघुनाथ विश्नोई : आपने ग्रामीणों के लिये क्या रखा ?

श्री मथुरादास माथुर : सभी ग्रामीणों के लिये है। ट्यूब वेल भी खोदेंगे तो वह भी ग्रामीणों के लिये है। शहरों के लिये नहीं कह रहा हूं। बाकासर में खोदते है तो वह भी ग्रामीणों के लिये है और बोहटन में खोदते हैं तो वह भी ग्रामीण लोगों के लिये ही है।

श्री भैरोंसिंह : इसमें अभी भी ट्यूब वेल खोदे गये जिनसे पाइप लाइन कर रहे हैं उसका खर्चा तो शामिल नहीं है ?

श्री मथुरादास माथुर : वह तो शामिल नहीं है। उसके लिये अलग से कह चुका हूं बजट में। आप पढ़ लीजिये।

मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि मेरी यह इच्छा है कि रूरल वाटर सप्लाई और खास तौर से कुए खोदने के लिये यह धनराशि बढ़ाई गई है और जितनी और बढ़ सकेगी आज तो नहीं कह सकता मगर मैं कुछ ही दिनों के बाद में इस बजट सैशन के दौरान कितने लाख और दे सकता हूं वह में आपको सुनाना चाहूंगा।

(तालियां)

श्री भैरोंसिंह : तालियां तो बज गई।

श्री मनोहरसिंह मेहता : एक दो ही बजी है।

श्री मथुरादास माथुर : हमारे बाडमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत कहा खास तौर से बाडमेर टाउन सप्लाई योजना के बारे में। बाडमेर टाउन अपने आपने बडा महत्व रखता है स्टेटिटिक पोइन्ट से भी। उसके महत्व को हम समझते हैं। उसका और भी उपयोग होता है इसलिए उसको एक्सपेण्ड करने की जरूरत थी। उनको यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस साल हम इस स्कीम को एक्सपेण्ड करने का प्रोग्राम लेकर इस पूरी स्कीम को उनकी जो है, पूरा करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में हमारी एक्साइज पालिसी को लेकर कुछ बातें कही गई।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : बनास से पानी जो पाइप लाइनों से अजमेर के लिए जा रहा है उन पाइप लाइनों के आस पास पड़ने वाले गांव में जहां पानी की कमी है क्या उन पाइपों से पानी दिया जावेगा ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं तो जनरल बात कह रहा हूं। मगर बनास के पानी की डिटेल आप जानना चाहें तो मिनिस्टर कन्सर्ड से पूछ लीजिए।

श्री विजयसिंह रावत : मैंने प्रश्न रखा था तब आप उपस्थित नहीं थे।

श्री मथुरादास माथुर : ठीक है, मैं भी था, सभी थे। फिर भी इस पर मैं विचार करूंगा। इस समय ऑफ हैण्ड कुछ नहीं कह सकता।

श्री श्रवणलाल : यह स्पष्ट और कर दें जो बारां में नगरपालिका के द्वारा नल योजना लागू है उसको कब तक चालू कर दिया जावेगा ?

श्री मथुरादास माथुर : यह एल. आई. सी. से एक करोड़ का लोन मिलेगा। यह बजट भाषण में कह चुका हूं।

# Page No.81



(श्री मथुरादास माथुर)

तो अब मैं निवेदन करना चाहता हूं एक्साइज पालिसी के बारे में दो तीन बातें कहीं गईं। एक तो गारन्टी सिस्टम के बकाया के बारे में। उसके लिए सदन में काफी कहा जा चुका है और मेरे पहले के मन्त्री ने भी कई बार कहा है कि 62-63 में और इसके बाद में दो तीन वर्षों में गारन्टी पूरी नहीं हो पाई थी शराब कम सप्लाई होने के कारण तो उस बारे में हमारे वित्त आयोग के सभापतित्व में एक कमेटी बनाई थी। उसकी रिपोर्ट आ चुकी है और राज्य सरकार ने उसे मन्जूर कर लिया है। और मन्जूर करने के बाद में अब उस फार्मूला को वर्क आउट किया जा रहा है। आज करीब 43 लाख को गारन्टी के एरियर्स होते हैं उसमें से कितना वसूल कर पायेंगे मैं पूरी तरह नहीं कह सकता लेकिन फार्मूला तय होते ही यह 43 लाख रुपये एरियर्स के वसूल कर लिए जायेंगे ....

श्री भैरोंसिंह : एक बात आप बता दें कि जो कमेटी ने रिकमन्डेशन की है उनको गवर्नमेन्ट ने स्वीकार कर लिया तो स्वीकार करने से पहले आपने इसका असेसमेन्ट तो किया होगा कि जो 43 लाख रुपये का बकाया है उस 43 लाख को बकाया के अगेन्स्ट में गवर्नमेन्ट ने कमेटी की रिकमन्डेशन स्वीकार कर ली तो कुल रिकवरी कितनी होगी और ड्यू कितना होगा और दोनों में डिफरेन्स क्या होगा ?

श्री मथुरादास माथुर : यह केलकुलेट हो रहा है। यह तय किया था :

"......by effecting proportionate cut in the amount of guarantee for the days the shops remained closed for want of coming liquor from State Warehouses. The exact quantum of relief in each case will be worked out by the Excise Commissioner"

अब वह वर्क आउट होगा। एक दुकान पर 25 दिन बन्द रही तो उसने इन्डेन्ट कटा लिया और शराब सप्लाई नहीं किया तो यह सब डिटेल्स वर्क आउट होगी। ....

श्री भैरोंसिंह : यह तो कामनसेन्स की बात है।

श्री मथुरादास माथुर : वह तो एक्साइज कमिश्नर कर रहा है।

श्री भैरोंसिंह : वह तो कमेटी नहीं बैठती तो भी करते कि सप्लाई हुआ कि नहीं।

श्री मथुरादास माथुर : कमेटी ने यह फैसला किया कि किस हद तक उनको रिलीफ दिया जाये और वह फार्मूला बनाया है अलग अलग सालों का और वह फैसला करेंगे ....

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब यह है कि गवर्नमेन्ट ने बिना वर्क आउट कराये ही कि इससे गवर्नमेन्ट के फाइनेन्सेस के ऊपर कितना इम्पेक्ट पड़ेगा गवर्नमेन्ट ने कमेटी की रिकमन्डेशन को स्वीकार कर लिया। कोई भी गवर्नमेन्ट ऐसा नहीं कर सकती। 45 लाख रुपये में से कितनी रिकवरी करेंगे और कितना ड्यू होगा, कमेटी का रिकमन्डेशन स्वीकार कर ली तो जो चार्ज हम लगाते है कि गवर्नमेंट की काम्पलीसेन्सी है कि जो ड्यूज है, गारन्टी सिस्टम के वह ठेकेदार हजम कर रहे हैं और ठेकेदार और सरकार दोनों मिलकर फार्मूला वर्क आउट कर रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सदस्य को भ्रम है। गवर्नमेन्ट ने जब कभी फार्मूला बनाया तो उसको एक एक कान्ट्रेक्टर के ऊपर वर्क आउट किया जायेगा। 1962-63 के जितने भी एरियर्स हैं उनके अन्दर यह कहा गया कि--

"Difference between the performance for the year 1961-62 and 62-63 which ever is higher."

यह फार्मूला बन गया तो अब वह हर एक कान्ट्रेक्टर को वर्क-आउट किया जायेगा। वैसे इसके अन्दर किया गया है कि 1962-63 के हमारे एरियर्स थे करीब 36 लाख रुपये के उसमें से हमें उम्मीद है कि करीब 21 लाख रुपया गवर्नमेन्ट को मिल जायेंगे। अब उसकी डिटेल्स वर्क-आउट होंगी कि वह 21 हो या 22 होगा। आगे फिगर्स 1963-64 की यह हैं :

"In the year 1963-64 the Government were unable to supply sufficient liquor to enable the licencees to fulfil the guarantee and therefore it is only legitimate that the licencees should be given relief to the extent that there was a shortfall in the supply of liquor necessary to fulfill the guarantee. Therefore, Government have decided to give relief to the licencees by effecting proportionate cut in the amount of guarantee for the days the shops remained closed for want of coming liquor from State warehouses. The exact quantum of relief in each case will be worked out by the Excise Commissioner."

तो यह 43 में से 36 का मैंने बता दिया। अब इसमें डिटेल्स बाकी 7 लाख की वर्क-आउट करने के लिए एक्साइज कमिश्नर को पावर्स दी हैं। उम्मीद ऐसी है कि इन 43 लाख में से एक्जेक्ट कितनी रिकवरी होगी यह मैं स्टेटमेन्ट कमिट नहीं करता लेकिन वर्क आउट करने की जरूरत है। ....

श्री भैरोंसिंह : पाइन्ट आफ आर्डर सर, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने एक कमेटी जो राज्य सरकार ने अपाइन्ट की थी उसके एक्सट्रेक्ट्स इस सदन में पढ़कर सुनाये। सदन को यह विश्वास में लेने की कोशिश की है कि गवर्नमेन्ट इन्डीपेन्डेन्टली कोई डिसीजन नहीं लेती है बल्कि कमेटी की रिकमन्डेशन के आधार पर निर्णय लिया है। सदन के नियमों के अनुसार यदि किसी कमेटी की रिपोर्ट या किसी डाकूमेंट को रेफर करके मन्त्री महोदय उसके कारण से सदन को अपने पक्ष में लेना चाहें तो नियम यह कहते हैं कि उस रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी जाये। यहां तो मन्त्री महोदय ने उसका रेफरेन्स ही नहीं दिया बल्कि उसके एक्सट्रेक्टस पढ़कर सुनाये हैं। इसलिए सदन का इन्ट्रेस्ट इसमें है कि 43 लाख की बकाया है और सदन में भी चार्जेज लगे हैं कि गवर्नमेन्ट की काम्पलीसेन्सी के कारण यह बकाया रह गयी तो हाउस चाहेगा कि उस कमेटी की रिपोर्ट की एक प्रति मन्त्री महोदय सदन की मेज पर रखें ताकि सदन जानकारी कर सके कि स्थिति क्या है और किस प्रकार की रिकवरी मिल सकती है और किस प्रकार के ड्यूज रह सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय कुछ कह दें पाइन्ट आफ आर्डर पर।

श्री मथुरादास माथुर : पाइन्ट आफ आर्डर का क्या है । रूलिंग आप दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष : दोनों पक्ष को सुन लूं बाद में दूंगा ।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सवाल कई दफा सदन में आ चुका है । इस प्रकार की एग्जीक्यूटिव टाइप की जो कमेटी गवर्नमेन्ट बनाती है सदन की मेज पर उसकी रिपोर्ट रखनी चाहिए लेकिन डिपार्टमेन्टल कमेटी कई विभागों में होती है । प्रिन्सिपल की बात है । मुझे पर्सनली रिपोर्ट को छुपाने में इन्टरेस्ट नहीं है लेकिन यह प्रिन्सिपल को बात है कि सदन की मेज पर रखी जाये या नहीं । यहां कई दफा बहस हो चुकी है । तो इस तरह की कमेटी बने हाउस की मन्शा से कमेटी बने उसको रिपोर्ट आनी चाहिए मगर गवर्नमेन्ट कमेटी बनाये, गवर्नमेन्ट रेफरेन्स करे ऐसी रिपोर्ट सदन के अन्दर चाहिए या नहीं माननीय उपाध्यक्ष जो रूलिंग दे दें हम पेश कर देंगे ।

श्री भैरोंसिंह : आज तक जो रूलिंग हुई हैं वह केवल कमेटी के रेफरेन्स के पाइन्ट पर हुई हैं । जिस कमेटी के एक्सट्रेक्ट्स को पढ़ कर सुनायें ।

श्री मथुरादास माथुर : मैंने उनको नहीं सुनाया । कमेटी की रिपोर्ट है और उसके ऊपर जो हमारा कन्क्लुजन है वह बोला है ।

श्री भैरोंसिंह : अगर उपाध्यक्ष महोदय इसका फैसला कर लिया जाये कि जो पढ़कर सुनाया वह रिपोर्ट में है या नहीं है ।

श्री मथुरादास माथुर : कमेटी के कन्क्लुजन्स हैं वह पढ़े हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें नियम 288 में बिलकुल साफ है ।

"लेकिन यह और भी कि जब मंत्री ऐसे प्रेषण-पत्र या राज-पत्र का अपने शब्दों में संक्षेप या सारांश बता दें तो संगत पत्रों को मेज पर रखना आवश्यक नहीं होगा ।"

इसलिए यह आवश्यक नहीं है ।

श्री मथुरादास माथुर: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं काफी समय ले चुका हूं अतः जल्दी में ही निवेदन करूंगा · · ·

श्री उपाध्यक्ष : आपस की चर्चा समाप्त करके उत्तर दें और कोई प्रश्न आसन के द्वारा पूछा जाये तो उसी का उत्तर दें वर्ना आप अपना उत्तर जारी रखें ।

श्री मथुरादास माथुर: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में हमारे यहां पर जो शराब के वितरण की व्यवस्था है उस पर भी काफी चर्चा हुई । यह कहा गया कि हमारे यहां पर सबसे पहले लाइसेन्स को आक्शन किया जाता था फिर उसके बाद में आक्शन सिस्टम को ठीक नहीं समझा गया उसमें करप्शन और इल्लिसिट डिस्टिलेशन और कई तरह की कुरीतियां पैदा हो गयीं और रैवेन्यू बोर्ड ने सन् 60 में फैसला किया कि आक्शन सिस्टम जो लाइसेन्स का है यह बहुत खतरनाक है क्योंकि इसमें करप्शन पैदा होता है और इसको बन्द कर देना चाहिए । टेकचन्द कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि यह आक्शन सिस्टम बन्द होने चाहिए क्योंकि रैवेन्यू बोर्ड ने अपने फैसले में कहा कि जो लाइसेन्स हम आक्शन करते हैं उस आक्शन करने की जो रकम आती है और उसमें जो प्राफिट होता है उसके अन्दर

# Page No.84



(श्री मथुरादास माथुर)

रकम बहुत गुना होती है इसलिए सिवाय इल्लिसिट डिस्टिलेशन के या और कानून में बन्द करके जो रास्ता उठाया जा सकता था उसी को पूरा किया। इसलिए टेकचन्द कमेटी ने और रेवेन्यू बोर्ड ने यह कहा उसके बाद राज्य सरकार ने 3–4 साल पहले आक्शन सिस्टम खत्म करके गारन्टी सिस्टम जारी किया। इसमें इल्लिसिट डिस्टीलेशन की गुन्जायश नहीं थी किन्तु इसमें बिक्री को प्रोत्साहन की गुन्जायश रही जिसके बारे में सदन में कई दफा चर्चा भी हुई। जब राज्य सरकार ने गारन्टी सिस्टम बन्द कर दिया और आक्शन सिस्टम बन्द कर दिया तो सवाल उठा कि कौन सा सिस्टम लागू हो तो बंगाल में जो आफर सिस्टम चालू था उसको लागू किया गया। उसके लिए एक कमेटी बिठाई डिटेल्ड डिस्कशन्स के लिए। उसके बाद में यह सुझाव दिया गया है कि एक साल के लिए इस सिस्टम को ट्राई किया जाय कि आफर देकर गुड बिहेवियर वाले हैं उनको लाइसेन्स फी पर जो मोनोपोली है उसके लिए एक्सक्लूजिवली प्रिविलेज दिया जाना चाहिए उस एरिया में बेचने के लिए। यह एक साल के लिए चालू किया गया है और देखते हैं कि कितना कामयाब होता है। उसके ऊपर आगे निर्णय लिया जायगा। माननीय उपाध्यक्ष, इसलिए इसके लिए राज्य सरकार ने यह नीति बनाई है कि गारन्टी और आक्शन सिस्टम दोनों को हटाकर जो हमारी प्रोहिबिशन की पॉलिसी है उसको नजर में रख कर....

श्री मनोहरसिंह मेहता : गुड बिहेवियर का आपने कहा तो गुड बिहेवियर का क्या मापदण्ड है ?

श्री मथुरादास माथुर : हमारे यहां रेकार्ड रहता है हरएक ठेकेदार का कि आया वह डिफाल्टर है, या उस पर मुकदमा चल रहा है वह देने का फैसला किया गया है। तो माननीय उपाध्यक्ष......

श्री विजयसिंह रावत : इस आफर सिस्टम की एक बात और क्लियर कर दें। यह जो लाइसेन्स फी उतनी ही है या वह, उपाध्यक्ष महोदय, कुछ दुकानदारों को हटाने के लिए निर्णय लिया है तो दुकानदारों ने राज्य सरकार को एप्रोच किया है कि हमारी बिक्री एक दुकान पर तीन लाख की होती थी तो तीन लाख मुकर्रर किये जायं जो आफर आपको देता है उससे। यह जो ठेका है उसके देने से पहले दूसरे दुकानदारों को इन्वाइट किया जाय न कि आबकारी की रेवेन्यू के अन्दर कमती करें।

श्री मथुरादास माथुर : रेवेन्यू वही होगी। क्योंकि ठेकेदार चाहे आफर न करें लेकिन लाइसेन्स फी उतनी ही रहेगी।

श्री विजयसिंह : लाइसेन्स फी कमती नहीं लेंगे ?

श्री मथुरादास माथुर : नहीं।

माननीय उपाध्यक्षजी, एक सवाल शीप एण्ड वूल का जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया था। इस मामले को मिनिस्टर महोदय स्वयं एक्जामिन करेंगे और उपयुक्त समय पर आपको इसकी सूचना देंगे कि राज्य सरकार क्या नीति अपना रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, भीलवाड़े से आने वाले माननीय श्री गिरधारीलालजी ने एक सवाल उठाया था कि मिलिट्री केन्टीन्स में

(श्री मथुरादास माथुर)
जो सामान बिकता है उसके ऊपर भी सेल्स टैक्स लगता है तो उसका एक्जेम्पशन होना चाहिए। यह सुझाव ठीक है और मैं इसको मानता हूं।

श्री भैरोंसिंह : टोंक की जागीर का बता दें।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्ष, टोंक की जागीर के सवाल के लिए मैं इस वक्त इतना ही कह सकता हूं कि इसकी फाइल पूरे गौर से देखी गई है और उसमें जागीर कमिश्नर के द्वारा कोई फैसला किया गया है और रेवेन्यू बोर्ड का फैसला हो चुका है। रेवेन्यू बोर्ड का फैसला होने के बाद हम उसको एक्जामिन कर रहे हैं कि क्या राज्य सरकार इस वक्त हाई कोर्ट में जा सकती है? क्या कदम उठा सकती है इसके लिए विचार कर रही है। और रेवेन्यू मिनिस्टर जब कभी मौका आयेगा आपको चर्चा करके क्या लाइन आफ एक्शन लेंगे वह आपको बतायेंगे।

इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष, मैंने करीब करीब माननीय सदस्यों ने जो बड़े बड़े मुद्दे उठाये थे उनका जबाब देने की कोशिश की है...

श्री मनोहरसिंह मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी एक दो बातें बिना उत्तर के रह गई हैं। थोड़ी देर को यदि आप फरमावें तो मैं इनसे पूछ लूं।

वैसे जहां शराब है तो शराब के बेटे-बेटी आयेंगे ही जुआ वगैरह। इधर उधर दोनों तरफ से माननीय सदस्यों ने लाटरी का विरोध किया है अत : लाटरी सिस्टम को बन्द करें।

मैं दूसरा आप से निवेदन करूंगा कि मैंने आपसे यह भी निवेदन किया था कि गांधी शताब्दी आप मनाने की सोच रहे हैं 2 अक्तूबर 69 को तो उस समय तक कम्प्लीट प्रोहिबिशन होना चाहिए। आपने फर्माया कि शराबबन्दी में निष्ठा है तो यह तो वही बात हुई कि मैंने आपके पास अमानत जमा कराई और जब मांगने गये आपने कहा कि दूध से धोकर दूंगा, लेकिन कब तक? कब तक आप कम्प्लीट प्रोहिबिशन कर देंगे? इन दोनों को स्पष्ट कर दें तो अच्छा हो।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : माननीय उपाध्यक्ष वित्त मंत्रीजी ने पिछले बजट के भाषण में यह घोषणा की थी कि राज्य सरकार शहरों में और कस्बों में जहां (शिड्यूल्ड कास्ट्स) के लोग रहते हैं उनकी बस्तियों को इलेक्ट्रिफाई करने का प्रयत्न करेंगे। तो मैं यह जानकारी चाहूंगा कि वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट भाषण में उल्लेख किया था लेकिन पिछले वर्ष के बजट में कहीं प्रावधान नहीं किया गया तो क्या यह बात सत्य है?

श्री मथुरादास माथुर : पिछले साल के बजट के भाषण में मैंने इस बात को कहा था। 10 लाख हमने सोशियल वेलफेयर डिपार्टमेंट के हैड में रखे हैं यह मैंने भाषण में कहा है।

श्री रामनारायण चौधरी : वह तो इस साल का है। गत वर्ष का?

श्री मथुरादास माथुर : गत वर्ष में 5 लाख के लिए कहा था। उसके लिए बाद में बजट में एलाटमेंट किया गया था और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का बजट पहले ही बन चुका था इसलिए उस बजट में प्रावधान नहीं हो सका

(श्री मथुरादास माथुर)

था । इसलिए उस वक्त भी लिखा था बोर्ड को और मंत्री महोदय से भी कहा है कि 5 लाख रुपया अपने बजट में इस काम में खर्च करें । इसके लिए फिर हमने यह सोचा है कि सोशियल वेलफेयर डिपार्टमेंट में इसको लिस्ट है उसमें प्रावधान कर दिया है । बोर्ड की हैसियत और डिपार्टमेंट की हैसियत भिन्न है । इसलिए 10 लाख रुपये सोशियल वेलफेयर डिपार्टमेंट में रखा है ताकि झगड़ा न हो...

**श्री भैरोंसिंह :** केवल पांच लाख ही और दिये ?

**श्री मथुरादास माथुर :** 10 लाख रुपये इस साल दिये हैं और 5 लाख रुपये इस साल के लिए हैं वह इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड करेगा। 10 लाख अगले साल के लिए हैं ।

**श्री रामकिशन :** इकट्ठी गिनती बताने में क्या दिक्कत है कि 15 लाख हुए ।

**श्री मथुरादास माथुर :** मार्च 31 तक 5 लाख और 10 लाख 68-69 के लिए ।

**श्री रामनारायण चौधरी :** इसका मतलब यह हुआ कि इस साल जो डिमाण्ड सोशियल वेलफेयर डिपार्टमेंट की मनवानी है वह 5 लाख की तैयार की गई है और उससे उन बस्तियों का इलेक्ट्रिफिकेशन होगा ?

**श्री मथुरादास माथुर :** 10 लाख रुपया इस साल का होगा और 31 मार्च तक की जो योजना है वह इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को भेज दी गई है इस साल के लिए । वह 5 लाख रुपये की है वह बोर्ड एक्जीक्यूट कर देगा । अगले साल के लिए नई योजना सोशियल वेलफेयर डिपार्टमेंट बनायेगा और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड उसको एक्जीक्यूट कर देगा ।

माननीय उपाध्यक्षजी, एक लाटरी सिस्टम के बारे में भी कहा गया है । राज्य सरकार ने इस बारे में जो नीति घोषित की गई है उसको बदलने की मैं कोई गुन्जाइश नहीं समझता हूं । केरल ने लाटरी खोली है, उड़ीसा में चल रही है, बिहार में चल रही है और पंजाब में लाटरी खोलने का प्रावधान किया गया है । यह हर रोज नहीं खोली जाती है । साल में दो चार बार ही खोली जायगी । इससे लोगों में इन्सेन्टिव होता है कि एक लाख रुपये का इनाम मिल जायगा और 5) रुपये ही जायेंगे तो वे देश के कल्याण के लिए जायेंगे, देश के विकास के लिए जायेंगे । इसलिए आप (श्री मनोहरसिंह मेहता) चाहे इससे सहमत न हो...

**श्री मनोहरसिंह मेहता :** सहमत होने का प्रश्न ही नहीं है ।

**श्री मथुरादास माथुर :** जो कुछ भी कहें इसको वापिस लेने का अभी नहीं सोचते हैं ।

दूसरा, कहा गया है प्रोहिबिशन के बारे में...

**श्री भैरोंसिंह :** लाटरी विभाग का मन्त्री कौन बनेगा ?

**श्री मनोहरसिंह मेहता :** जो सबसे ज्यादा शराबी हो ।

**श्री विजयसिंह रावत :** Who is the Director ?

**श्री मथुरादास माथुर :** यह डिपार्टमेंट डायरेक्टर आफ स्माल सेविंग्स और लाटरी एक साथ ही रखा जायगा ।

श्री भैरोंसिंह : यह डिपार्टमेंट कम से कम बरकत साहब को दे दें क्योंकि उनके पास और काम नहीं है यह काम होता रहेगा ।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्ष, दूसरी बात यह कही गई राजस्थान की जो प्रोहिबिशन पालिसी है उसके बारे में। मैं अपने बजट की स्पीच में बहुत साफ कह चुका हूं और कई दफा कह चुका हूं कि प्रोहिबिशन पालिसी हमारी राज्य सरकार की है। वह चाहते हैं कि कम्पलीट प्रोहिबिशन कौन सी तारीख तक हो जाय यह राज्य सरकार कहने को तैयार नहीं है। राज्य सरकार ने इस बारे में अभी निर्णय नहीं लिया है कि कम्पलीट प्रोहिबिशन कब तक कर दिया जायगा । राज्य सरकार हर साल प्रोग्रेसिवली प्रोहिबिशन की तरफ बढ़ती जायगी । माननीय सदस्यों को मालूम है कि लास्ट बजट सेशन और इस बजट सेशन के बीच में प्रोग्रेसिवली प्रोहिबिशन की तरफ कितना कदम उठाया है। इसकी सराहना माननीय सदस्यों ने इस सदन में भी की है । इसलिए नहीं कह सकते हैं कि जो हम कहते हैं वह गलत है। वह कर रहे हैं । कम्पलीट प्रोहिबिशन एक तारीख तक हो जाय यह राज्य सरकार कहने की स्थिति में नहीं है और न यह सम्भव है, और इसलिए मुझे खेद है कि इस समय मैं बयान देने को तैयार नहीं हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने···

श्रीमती कान्ता कथूरिया : (कोलायत): उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो तीन बातों का स्पष्टीकरण चाहूंगी । एक तो यह कि माननीय वित्त मंत्रीजी ने 18 करोड़ रुपयों का घाटा बताया है। जिसका विश्लेषण उन्होंने इस तरह से किया है। राजस्थान नहर की जमीन की बिक्री से आय एक्साइज ड्यूटी वगैरह यह सब मिलाकर 16.16 करोड़ बनता है। आपने जो 18 करोड़ बताया यह इतना फर्क किस तरह से है यह बताया जाय ? दूसरी बात यह है कि 4 करोड़ 75 लाख रुपयों का घाटा म्युनिसिपैलिटीज से पानी के क्लेम की वसूली नहीं की जो बट्टे खाते कर दिया गया है। क्या वह भी 18 करोड़ में शामिल है या नहीं ? तीसरी बात यह है कि वित्त मंत्रीजी ने स्टेट एन्टरप्राइज के बारे में कहते हुए पलाना कोलरी के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। पिछली बार बजट पेश करते समय कहा था कि पलाना कोलरी घाटे में चल रही है इसलिये आगे चलाने की मंशा नहीं रखते इसके बावजूद भी इस साल के बजट में इसके लिये 5 लाख व्यय और 3 लाख में आय बताई गई है व इस साल के बजट में भी इसी प्रकार इस 3 लाख का आंकड़ा व्यय में और 1 लाख का आंकड़ा आय में रखा गया है इसका क्या मतलब है ? क्या यह पेरासाइट्स को पाला जा रहा है ?

श्री मथुरादास माथुर : जहां तक पलाना का संबंध है जब तक पावर स्कीम नहीं बन जाती तब तक पलाना का कोयला निकालना लाभप्रद नहीं है और इससे फायदा नहीं उठाया जा सकता। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि कोयला निकालने के बाद यह फौरन आग पकड़ लेता है इसलिये इसको निकाल कर इकट्ठा करना बन्द कर दिया है। इसके लिये जो खर्चे का प्रावधान रखा है वह इसलिये रखा है कि यहां पर चौकीदार आदि रखने पड़ते हैं उनके खर्चे को मीट करने

(श्री मथुरादास माथुर)

के लिये रखा गया है। राज्य सरकार भी चाहती है और माननीय सदस्य भी आये थे उन्होंने भी कहा था, राज्य सरकार कोशिश कर रही है। पॉवर प्रोजेक्ट की योजना बन जायगी तो माइन और पॉवर प्रोजेक्ट दोनों ही काम हो जायेंगे। चौथी योजना में इस बारे में ध्यान रखा जायगा। माननीय सदस्या ने आंकड़ों में फर्क के बारे में कहा, मैंने बड़े बड़े आंकड़े बताये थे पूरा विवरण नहीं दिया था। म्युनिसिपेलिटीज के बारे में मैंने अपने बजट भाषण में भी कहा था भाषण का पेराग्राफ 18 पढ़ लीजिये स्पष्ट हो जायगा। आपको तीनों बातों का उत्तर मैंने दे दिया है।

श्री विजयसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर म्युनिसिपेलिटीज हैं वहां सब जिलों में सिनेमा टैक्स राज्य सरकार ने लेना शुरू किया है लेकिन अजमेर ऐसा जिला है जहां पर पहले सिनेमा टैक्स म्युनिसिपेलिटी लेती थी और इलेक्ट्रिसिटी के बिल म्युनिसिपेलिटी पे करती थी और वहां पर जो हास्पिटल चलता था उसका पेमेन्ट भी म्युनिसिपेलिटी करती थी। अजमेर के मरजर के बाद भी वही रूल पहले का चला आ रहा था। इलेक्ट्रिसिटी के बिल म्युनिसिपेलिटी देती थी। इससे वह घाटे में चलती है फिर भी अजमेर म्युनिसिपेलिटी को एड नहीं मिलती है। होस्पिटल के लिये भी एड नहीं दी जाती है। राज्य सरकार ने अब आक्ट्रोय ड्यूटी रखी है इसलिए एक्स्ट्रा बरडन लोगों पर पड़ता ...

श्री उपाध्यक्ष : वित्त मन्त्री जी का भाषण समाप्त हुआ। इस पर अब कोई प्रश्नोत्तर नहीं होगा। उद्योग मन्त्री जी मांगें पेश करें।

## अनुदानों की मांगों पर विचार एवं उन पर मतदान

### मांग संख्या 21

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35, उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1969 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 61,68,000 रु. तक की राशि प्रदान की जावे।

### मांग संख्या 14

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27 वैज्ञानिक विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1969 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 61,58,000 रु. तक की राशि प्रदान की जावे।

### मांग संख्या 40

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 66, औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च 1969 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,13,20,099 रु. तक की राशि प्रदान की जावे।

उपरोक्त मांगों पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए

मांग संख्या 21

श्री रामनारायण (मंडावा) :

1. मांग संख्या 21 मुख्य शीर्षक 35 उद्योग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (राजस्थान में तेल उद्योग के प्रति सरकार की उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

2. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (झुन्झुनूं जिले में उद्योगों की स्थापना किये जाने पर चर्चा के लिये)।

3. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (झुन्झुनूं जिले में कुटीर उद्योग की स्थापना की ओर राज्य सरकार द्वारा उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

4. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (खादी ग्रामोद्योग को दी जाने वाली सहायता की उपयोगिता पर चर्चा के लिये)।

5. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जुलाहों की बस्तियों के लिये अनुदान में होने वाली अनियमितता पर चर्चा के लिये)।

6. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (बुनकर सहकारी समितियों को ऋण देने में अनियमितता तथा फिजूल खर्ची पर चर्चा के लिये)।

7. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योगों में से 100) रु. कम कर दिया जाय (छोटे उद्योगों को अनुदान देने में विभाग की ढिलाई पर चर्चा के लिये)।

8. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (झुन्झुनूं कस्बे में Industrial Estate कायम करने हेतु बजट में प्रावधान न रखने पर चर्चा के लिये)।

9. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (झुन्झुनूं जिले में उद्योग स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 14

10. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27–वैज्ञानिक विभाग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (खनिज सम्पदा की खोज में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 21

11. श्री जुझारसिंह (रामगंजमण्डी): मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (राजस्थान में मत्स्य-पालन व विकास की धीमी गति पर चर्चा के लिये)।

12. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (गत वर्ष राज्य सरकार द्वारा टौंक में चर्म कारखाना खोलने की घोषणा की जाने पर भी वह कारखाना नहीं खुलने पर चर्चा के लिये)।

# Page No.90



13. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : मांग संख्या 21 मुख्य शीर्षक 35–उद्योग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (उद्योगों की उचित वृद्धि न होने के बारे में चर्चा के लिये)।

14. श्री केसरसिंह हाड़ा (हिण्डोली): मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग में से 100)रु. कम कर दिया जाय (बूंदी जिले में सीमेन्ट वर्क्स की स्थापना नहीं करवाकर निम्बाहेड़ा में उसकी स्थापना पर चर्चा के लिये)।

15. श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1) रु. कर दिया जाय (राज्य सरकार की उद्योग नीति के बारे में नीति का अननुमोदन)।

16. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1)रु. कर दिया जाय (राज्य सरकार की प्राइवेट सैक्टर, सहकारी सैक्टर एवं पब्लिक सैक्टर में औद्योगिक नीति का अननुमोदन)।

17. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग में से 100)रु. कम कर दिया जाय (भरतपुर इण्डस्ट्रियल ऐस्टेट की दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

18. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग में से 100)रु. कम कर दिया जाय (भरतपुर के तेल उद्योग को प्रोत्साहन न करने की हालत पर चर्चा के लिये)।

19. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (ग्रामीण एवं कुटीर धन्धों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति पर चर्चा के लिये)।

20. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (उद्योगों में ओटोमाईजेशन तथा स्वचालित विद्युत संयन्त्रों को बढ़ावा देने के कारण सरप्लस मैन पावर का उपयोग न होने से बेकारी की स्थिति उत्पन्न होने पर चर्चा के लिये)।

21. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़): मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग में से 100)रु. कम कर दिया जाय (खादी ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देने पर चर्चा के लिये)।

22. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1)रु. कर दिया जाय (बेकारी और बढ़ती हुई आबादी को देख कर बड़े उद्योगों के स्थान में गृह उद्योगों तथा ग्रामोद्योगों पर मुख्यतया ध्यान न देने सम्बन्धी नीति का अननुमोदन)।

मांग संख्या 14

23. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27–वैज्ञानिक विभाग में से 100)रु. कम कर दिया जाय (मांडलगढ़ तहसील की पत्थर की खानों को वैज्ञानिक ढंग से चलाने पर चर्चा के लिये)।

24. श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27–वैज्ञानिक विभाग में से 100)रु. कम कर दिया जाय (माइका माइन्स के लीज़ होल्डर्स की लीजेज एवं मजदूरों को मजदूरी का पेमेंट समय पर न मिलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(श्री गिरधारी लाल व्यास)

मांग संख्या 21

25. श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (उद्योगों के विस्तार में लगी धनराशि के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 40

26. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 96–औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत में से 100) रु० कम कर दिया जाय (औद्योगिक विकास एवं आर्थिक विकास पर लगाई गई पूंजी में भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 21

27. श्री जयनारायण सार्गोदिया (निवाई) : मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (कुटीर उद्योग के संबंध में उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

28. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (चर्म उद्योग की उपेक्षा के कारण इस उद्योगों में लगे गरीब लोगों की दयनीय दशा पर चर्चा के लिये)।

29. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल जयपुर) : मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (उद्योग विकास हेतु लगे सरकारी धन के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

30. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (प्रवासी राजस्थानी उद्योगपतियों को सरकार द्वारा प्रोत्साहन न देने पर चर्चा के लिये)।

31. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (कुटीर उद्योगों के प्रति राज्य सरकार की उदासीन प्रवृत्ति पर चर्चा के लिये)।

32. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1) रु० कर दिया जाय (लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु आर्थिक सहायता देने सम्बन्धी नीति में पक्षपात होने के कारण सरकार की इस विषयक नीति का अननुमोदन)।

33. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1) रु० कर दिया जाय (उद्योगों के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी नीति से आर्थिक हानि होने के कारण सरकार की इस सम्बन्धी नीति का अननुमोदन)।

34. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (कोटा नगर में औद्योगिक कारखानों में विद्युत, कच्चे माल के परमिट व लाइसेंस दिए जाने में सारी धांधली पर चर्चा के लिये)।

35. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान में औद्योगिक कारखानों में विभाग द्वारा दिए गए कर्जे व कच्चे माल व परमिट लाइसेंस में होने वाली धांधलियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

36. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (कोटा जिले में उद्योगों के नाम पर दिए गए कर्जे पर भारी गोलमाल व पक्षपात पर चर्चा के लिये)।

37. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रु० कम कर दिया जाय [मांगरोल (कोटा) के बुनकर सोसाइटी व बुनकरों को किसी प्रकार की सहायता देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।]

38. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (शाहबाद पंचायत समिति क्षेत्र में उद्योगों के सम्बन्ध में होने वाली उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

39. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (बारां क्षेत्र को घोषित औद्योगिक क्षेत्र होने पर भी उसे कार्य रूप में परिणित नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 14

40. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27-वैज्ञानिक विभाग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (राजस्थान में एवं कोटा जिला में पुरातत्व विभाग की धांधली व अव्यवस्था पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 40

41. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 96-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत में होने वाली भारी अनियमितताओं पर चर्चा के लिए)।

42. श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा): मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 96-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत में से 100) रु. कम कर दिया जाय (झुन्झुनूं जिले में वूलन फैक्ट्री तथा ग्वार फैक्ट्री स्थापित करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 21

43. श्री मूलचन्द डागा (पाली): मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पाली जिले में उद्योगों को समुचित प्रोत्साहन नहीं देने पर चर्चा के लिए)।

44. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रुपये कम कर दिया जाय (कुटीर व लघु उद्योगों में लगे मजदूरों के लिये आमोद-प्रमोद के साधन हेतु व्यवस्था न करने पर चर्चा के लिए)।

45. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रुपये कम कर दिया जाय (पाली शहर में बुनकरों को आवश्यक ऋण न देने पर चर्चा के लिए)।

46. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रुपये कम कर दिया जाय (पाली जिले में कुटीर और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन न देने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 14

47. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27-वैज्ञानिक विभाग में से 100) रु. कम कर

(श्री मूलचन्द डागा)
दिया जाय (राज्य में अजायबघरों के पुनर्गठन तथा विकास हेतु चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 40

48. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 96-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत में से 100) रुपये कम कर दिया जाय (राजकीय वाणिज्यिक एवं औद्योगिक कार्यों में लगे धन के दुरुपयोग पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 21

49. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35 -उद्योग में से 100) रुपये कम कर दिया जाय (हाथ कर्घा उद्योग के विकास एवं कृषि पर निर्भर अन्य उद्योगों के विकास उचित रूप से न होने पर चर्चा के लिए)।

50. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योगों में से 100) रुपये कम कर दिया जाय (सांचोर भीनमाल में हड्डी मिल एवं चर्म उत्पादक उद्योग खोलने के बारे में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 14

51. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27-वैज्ञानिक विभाग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (जालोर जिले में खनिज विकास के लिए सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 21

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद):

52. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (कोटा व परमिटों के देने में दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

53. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (कुटीर तथा लघु उद्योग में दिये गये कर्जे व अनुदान में भारी पक्षपात व भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

54. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (औद्योगिक शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त छात्रों में बेकारी से भारी रोष पर चर्चा के लिये)।

55. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों द्वारा दिये गये लघु उद्योगों के सम्बन्ध में ग्रान्ट्स इन एड द्वारा दी गई राशियों में भारी घोटालों व भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

56. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर शेष के उद्योगों के विकास के काम का पूरा व्यय भारत सरकार वहन करे, इस सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 14

57. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27-वैज्ञानिक विभाग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (अजायबघरों की मरम्मत समय पर न होने से उनकी दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

58. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27-वैज्ञानिक विभाग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (अजमेर जिले में तांबे व शीशे की खानों का सर्वे न होने से प्रान्त को होने वाली क्षति पर चर्चा के लिये)।

(श्री विजयसिंह रावत)

59. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27-वैज्ञानिक विभाग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (पाटन की चूने की खानों के ठेकों में बरती गई अनियमितताओं व पक्षपात पर चर्चा के लिये)।

60. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27-वैज्ञानिक विभाग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (खान विभाग की बकाया वसूली केवल राजनैतिक दृष्टिकोण से रुकी हुई है इसे तुरन्त वसूल कराने पर चर्चा के लिये)।

61. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27-वैज्ञानिक विभाग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (खान विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

**मांग संख्या 40**

62. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 96-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत में से 100) रु. कम कर दिया जाय (अजमेर सहकारी समितियों में घोटालों पर चर्चा के लिये)।

63. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 96-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत में से 100) रु. कम कर दिया जाय (अजमेर उपभोक्ता भंडार में घोटालों पर चर्चा के लिये)।

64. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 96-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत में से 100) रु. कम कर दिया जाय (नसीराबाद कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी में घोटालों पर चर्चा के लिये)।

65. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 96-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत में से 100) रु. कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

**मांग संख्या 21**

**श्री शंकरलाल (जैतारण) :**

66. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (नागौर में ग्राम औद्योगीकरण कार्यक्रम के संचालन में गलत प्रणाली के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

67. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (खादी तथा ग्रामोद्योगों को अर्थ सहायता देने की प्रणाली का विकेन्द्रीकरण करने पर चर्चा के लिये)।

68. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (छोटे उद्योगों को ऋण एवं सहायता उचित तौर पर न दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

69. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (औद्योगिक बस्तियों को पर्याप्त सुविधाएं न मिलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

**मांग संख्या 40**

70. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 96-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत में से 100) रु. कम कर

(श्री शंकर लाल)
दिया जाय (सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा ऋण दिए जाने की प्रणाली में परिवर्तन न करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

71. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक, 96–औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत में से 100) रु. कम कर दिया जाय (सहकारी उपभोक्ता भण्डारों की असफलताओं पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 21

72. श्री गोरधन सोनी (मेड़ता): मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (उद्योगों की राजस्थान में स्थापना के लिये उद्योग पतियों को आकर्षित करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

73. श्री राजकुमार नन्दवाना (चितोड़गढ़): मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (चितौड़गढ़ में उद्योग खोलने के संबंध में चर्चा के लिये)।

74. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (कपासन में जूट मिल एवं कॉटन मिल खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

75. श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन-सु): मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (बून्दी सीमेन्ट फैक्ट्री बन्द होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

76. श्री मोहनलाल मोदी (नीम–का-थाना): मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (राजस्थान निवासियों को उद्योग स्थापना में प्रेरणा न मिलने पर चर्चा के लिये)।

77. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (प्राइवेट उद्योगों को प्रोत्साहन न देने के सम्बन्ध में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

78. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35–उद्योग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (हाथ कर्घा उद्योग में लगे बुनकरों के धन्धों के प्रति सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 14

79. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27–वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत इस मांग को घटाकर 1) रु. कर दिया जाय (पलाना ओपनकास्ट माईनिंग प्रोजेक्ट को प्राथमिकता न देने में राज्य सरकार की दुर्लक्षपूर्ण नीति का अननुमोदन)।

मांग संख्या 40

80. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 96–औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी को लागत के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1) रुपया कर दिया जाय (राजकीय क्षेत्र में औद्योगिकरण के लिये पूंजी के नियोजन के प्रति सरकार की दुर्लक्षपूर्ण नीति का अननुमोदन)।

मांग संख्या 21

81. श्री आलमअली खां (फतेहपुर) : मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों की व्यवस्था न होने पर चर्चा के लिये)।

82. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (गंगानगर सुगर फैक्टरी में अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

83. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (सामुदायिक विकास खण्डों में लघु तथा अन्य उद्योगों को सफल बनाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए)।

84. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (उद्योग विभाग में डाक टिकट व तार तथा टेलिफोन पर खर्चा कम करने पर चर्चा के लिए)।

85. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योगों में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (खादी तथा ग्रामोद्योगों को दी जाने वाली सहायता के दुरुपयोग पर चर्चा के लिए)।

86. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (औद्योगिक प्रगति में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 14

87. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27-वैज्ञानिक विभाग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (औद्योगिक विकास में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 40

88. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 96-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (औद्योगिक विकास में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 21

89. श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा सु.): मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (समूचे राजस्थान एवं विशेष तौर पर जिला बीकानेर में लघु उद्योगों की सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिए)।

90. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (हाथ कर्घा उद्योग में लगे बुनकरों के धन्धे के प्रति सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिए)।

91. श्री श्रवणलाल (हिण्डौन-सु.): मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (हाथ कर्घा उद्योग में लगे बुनकरों के प्रति सरकार के उदासीनता पूर्ण रवैये पर चर्चा के लिए)।

92. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय

(श्री श्रवणलाल)
(छोटे-छोटे ग्रामोद्योगों को अनुदान व सबसिडी देने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिए)।

93. श्री सुवालाल चौधरी (दूदू): मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (नरेना हंसा केमीकल्स उद्योग को आवश्यकतानुसार बिजली न मिलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

94. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (चर्म उद्योग के प्रोत्साहन हेतु आवश्यक धन राशि की व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

**मांग संख्या 40**

95. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 96-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (छोटे उद्योगों पर अधिक खर्च करने पर चर्चा के लिए)।

**मांग संख्या 21**

96. श्री मूलचन्द बाफना (सुमेरपुर): मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (खादी तथा ग्रामोद्योगों को उचित सहायता प्रदान नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

97. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (चूरू और नागौर में ग्रामोद्योगीकरण कार्य क्रम की असफलता पर चर्चा के लिये)।

98. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (गृह उद्योगों को पनपाने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

**मांग संख्या 14**

99. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27-वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (बीकानेर जिप्सम लि० में घोटाला व अव्यवस्था से राज्य कोष को होने वाली क्षति के संबंध में चर्चा के लिए)।

**मांग संख्या 21**

100. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर): मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1) रु० कर दिया जाय (उद्योगों के प्रोत्साहन में पार्टीबन्दी व पक्षपात होने के कारण सरकार की इस सम्बन्धी नीति का अनुमोदन)।

**मांग संख्या 40**

101. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 96-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में से 100) रु० कम कर 1) रु० कर दिया जाय (जयपुर उद्योग लिमिटेड सवाई माधोपुर को दिए गए ऋण की वसूली न होने के संबंध में चर्चा के लिए)।

102. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 96-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत में से 100) रु० कम कर 1) रु. कर दिया जाय (जयपुर उद्योग लिमिटेड को ऋण-राशि अनुचित शर्तों पर देने के विषय में चर्चा के लिए)।

Page No.98



(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

103. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 96-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत में से 100) रु० कम कर 1) रु० कर दिया जाय (अलाभकारी उद्योगों पर धन का अपव्यय किए जाने के संबंध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 21

104. श्री रामचन्द्र (खण्डेला) : मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अन्तर्गत इस मांग को हटा कर 10) रु० कर दिया जाय (राजस्थान में उद्योगों के खोले जाने के स्थानों के चयन में राजनैतिक दृष्टिकोण सम्बन्धी सरकार की नीति का अननुमोदन)।

105. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1) रु० कर दिया जाय (राजस्थान में रसायनिक खाद का कारखाना पब्लिक अथवा प्राइवेट सेक्टर में नहीं खुलवाने में सरकार की असफलतापूर्ण नीति का अननुमोदन)।

106. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (कई बार सरकारी घोषणा होने पर भी सीकर जिले के नीम-का-थाना में सीमेन्ट का कारखाना नहीं खोलने पर चर्चा के लिये)।

107. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (सीकर जिले में पब्लिक अथवा प्राइवेट सैक्टर में कोई भी कारखाना न खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

108. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान में औद्योगिक प्रगति में सरकारी उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

109. श्री देवीलाल (सराड़ा-सु) : मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (तहसील सराडा क्षेत्र में नये उद्योगों की स्थापना कराये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

110. श्री देवीलाल बुरासियां (केकड़ी-सु.) : मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100)रु. कम कर दिया जाय (केकड़ी क्षेत्र में लघु तथा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन नहीं देने पर चर्चा के लिये)।

111 श्री गंगासहाय (कठूमर-सु) : मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100)रु. कम कर दिया जाय (कुटीर तथा लघु उद्योग के प्रति बरती जा रही उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

112. श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा-सु.): मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100)रु कम कर दिया जाय (उद्योग विभाग द्वारा पिछड़ी जातियों हेतु किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं देने पर चर्चा के लिये)।

113. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (राजस्थान के उद्योग देश की मांग पर बाजार नहीं बना पाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 40

114. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 96, औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
की लागत में से 100) रु. कम कर दिया जाय (औद्योगिक विकास में सरकारी धन व्यय होने पर भी बेकारी का निदान न कर सकने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 21

115. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा औद्योगिक सहकारी समितियों को दिये गये अनुदानों में होने वाले घोटालों पर चर्चा के लिये)।

116. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (लघु उद्योग निगम को विभाग द्वारा दो ऊनी मिलों की स्थापना के लिए दिये गये धन के दुरुपयोग के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 14

117. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27-वैज्ञानिक विभाग में से 100) रु. कम कर दिया जाये (विभाग द्वारा जो रोयल्टी वसूल की जाती है उससे कृषकों को दी जाने वाली छूट की असफलता पर चर्चा के लिये)।

118. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27-वैज्ञानिक विभाग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (लाडनूं शहर की इमारती पत्थर की रोयल्टी की वसूली के सम्बन्ध में होने वाले घोटालों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

119. श्री गोकल प्रसाद शर्मा (बीकानेर): मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (नागौर व चूरू में ग्राम औद्योगीकरण कार्यक्रम के नाम पर होने वाले अपव्यय को कम करने पर चर्चा के लिये)।

120. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (औद्योगिक बस्तियों के लिये होने वाले अपव्यय को मिटाने के लिये चर्चा के लिये)।

121. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (बुनकर सहकारी समिति को ऋण सुविधा देने में होने वाले अपव्यय को रोकने के हेतु चर्चा के लिये)।

122. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (खादी तथा ग्रामोद्योगों को दी जाने वाली अर्थ सहायता जरूरत मन्द लोगों को न दी जाकर गलत लोगों को देने के सम्बन्ध में रोकने पर चर्चा के लिये)।

123. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर क्षेत्र में विकास के नाम पर होने वाले व्यर्थ खर्च को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

124. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35-उद्योग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (कुटीर तथा लघु उद्योग के नाम पर होने वाले अपव्यय को रोकने एवं उसके सदुपयोग के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 14

125. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27-वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत इस मांग

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

को घटाकर 1) रु. कम कर दिया जाय (टंगस्टन परियोजना पर होने वाले व्यय के सम्बन्ध में सरकार की असफल नीति का अननुमोदन)।

126. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27-वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपये कम कर दिये जायं (खानों के सुधार की योजना के नाम पर होने वाली फिजूल-खर्ची को रोकने पर चर्चा के लिए)।

127. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27-वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपये कम कर दिया जायं (जिप्सम-परियोजना पर होने वाली अनियमितताओं पर फिजूलखर्ची को रोकने पर चर्चा के लिए)।

128. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27-वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (फ्लोराईट परियोजना पर होने वाली फिजूलखर्ची रोकने पर चर्चा के लिए)।

129. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27-वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (संचालन और अधीक्षण पर होने वाले अपव्यय को कम करने पर चर्चा के लिए)।

130. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 72-वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (ग्रेनाइट प्रीमार्जन निर्माण पर होने वाली अव्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिए)।

131. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27-वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (पाटन के चूने की खान पर होने वाले योजना रहित व्यय से बचने हेतु चर्चा के लिए)।

132. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27-वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (पलाना की कोल माइन्स पर होने वाले अनियमित व योजना रहित व्यय को रोकने के हेतु चर्चा के लिए)।

133. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27-वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (भाखरी की पत्थर की पट्टियों की खानों पर किये जाने वाले अपव्यय को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

134. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27-वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (खनिजों को सर्वेक्षण व पर्यवेक्षण पर होने वाले अप-व्यय को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

135. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27-वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (पलाना ओपन कास्ट के सम्बन्ध में अव्यवस्थित योजना-विहीन खर्च से जो हानि हुई है उसे योजनाबद्ध करने हेतु चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 40

136 मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 96-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी लागत के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के सम्बन्ध में नवीन व्यय को रोका

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)
जाय जिससे कि राज्य अपव्यय से बचे, इस सम्बन्धी चर्चा के लिए)।

137. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 96-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपये कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों में विनियोजन से होने वाली धन हानि को रोकने हेतु चर्चा के लिए)।

138. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 96-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपये कम कर दिया जाय (उद्योग विभाग के माध्यम द्वारा हिस्सों के क्रय में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिए)।

139. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 96-औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपये कम कर दिया जाय (खनिज विभाग के माध्यम से इस मद में होने वाले खर्च को तुरन्त रोका जाय अन्यथा यह राशि व्यर्थ खर्च होगी, इस सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

### मांग संख्या 14

140. श्री बिरधीचन्द जैन (बाड़मेर): मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27-वैज्ञानिक विभाग में से 100) रुपये कम कर दिया जाय (बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले में खनिज विकास के लिए सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिए)।

श्री उपाध्यक्ष : मांगों के प्रस्तुत करने सम्बन्धी पद्धति के सम्बन्ध में व्यवस्था।

अनुदानों की मांगों पर विचार करने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस सम्बन्ध में गत कुछ वर्षों से अपनायी जाने वाली पद्धति की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित होगा, मांगें समूह में प्रस्तुत की जावेंगी। आज सदन द्वारा निम्नांकित मांगों पर विचार किया जायगा :

(1) उद्योग

(2) वैज्ञानिक विभाग

(3) औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत।

इन मांगों पर 140 कटौती प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं और उनकी सूचनाएं देने वाले माननीय सदस्यों की संख्या 40 है।

कटौती प्रस्तावों की संख्या को देखते हुए समयाभाव के कारण यह संभव नहीं होगा कि सभी माननीय सदस्यों को जिन्होंने इनकी सूचनाएं दी हैं उन्हें अपने अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाय।

जैसी कि पिछले वर्षों में परिपाटी रही है, सभी मांगों पर दिए गए कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत हुए समझे जाएं और इन्हें सदन में पृथक से प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। जिन माननीय सदस्यों के नाम पुकारे जाएं वे अपने सारे कटौती प्रस्तावों पर एक साथ उसी समय बोलने की कृपा करें। किसी पार्टी के माननीय नेता या अन्य प्रमुख सदस्य जो उनकी पार्टी की ओर से बोलना चाहें वे अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे

(श्री उपाध्यक्ष)
किन्तु वे अपनी पार्टी के समय के भीतर ही बोल सकेंगे ।

जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा, मांगों पर होने वाली बहस के दौरान उठाए गए प्रश्नों के उत्तर मन्त्री महोदय द्वारा उसी दिन दिए जायेंगे और उसके बाद उन मांगों को निपटाया जायगा । जिन कटौती प्रस्तावों के संबंध में माननीय सदस्यों को समयाभाव के कारण उत्तर न मिल सके तो उनके विशेष आग्रह पर सरकार की ओर से संबंधित माननीय सदस्यों को लिखित उत्तर मिल जाय ऐसा मेरा निवेदन है ।

मांगों पर विचार व्यक्त करने के लिए मोटे तौर पर सरकारी पक्ष को 1.45 का समय दिया जायगा जिसमें मंत्रियों द्वारा उत्तर देने का समय भी सम्मिलित होगा, स्वतंत्र पार्टी को 45 मिनिट, जनसंघ को 30 मिनिट व अन्य दलों आदि को 15 मिनिट से 20 मिनिट का समय दिया जायगा ।

जो प्रक्रिया आज की मांगों के संबंध में अपनायी जायगी वही कल से लिए जाने वाली अन्य मांगों के संबंध में भी होगी ।

यह व्यवस्था चर्चा का समय साढ़े चार घंटा मान कर दी गई है । आज क्योंकि मुख्य मंत्रीजी और वित्त मंत्रीजी द्वारा उत्तर दिया गया था इसलिये चर्चा के लिये समय कम मिलेगा इसलिये हर एक दल को समय कम किया जायगा । हरेक माननीय सदस्य 10 से 15 मिनिट लेंगे ।

**श्री हरिदेव जोशी** : इसके माने, रिप्लाई के लिये कितने बजे काम करेंगे ?

**श्री उपाध्यक्ष** : 4.30 बजे ।

**महारावल श्री लक्ष्मण सिंह** : हो सके तो सदन का समय 1 घंटा और बढ़ा दिया जाय ।

**श्री उपाध्यक्ष** : साढे चार बजे तक विचार कर लेंगे बाद में मा. सदस्य बोलने वाले होंगे और सदन की इच्छा होगी तो समय बढाने के बारे में विचार करेंगे ।

**श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद)** : उपाध्यक्ष महोदय, जब बजट चलता है तो पिछले साल से परंपरा रही है कि सरकार की ओर से एक टाइपिस्ट विपक्ष की लांबी के कमरे में और एक टाइपिस्ट सरकारी पक्ष की लांबी के कमरे में बैठाया जाता है । इस साल टाइपिस्ट 4 हैं लेकिन कटौती प्रस्ताव ज्यादा हैं इसलिये हमारा टाइप का काम पूरा नहीं हो पा रहा है । हमने सेक्रेटरी साहब से बात की तो उन्होंने बताया कि गवर्नमेन्ट को रेफर किया है, ला सेक्रेटरी को रेफर किया है लेकिन अब तक प्रबन्ध नहीं हो सका है । आज कटौती प्रस्ताव की इतनी मांग है, माननीय सदस्य प्रस्ताव लाना चाहते हैं लेकिन टाइप के लिये इधर उधर भागते फिरते हैं लेकिन टाइपिस्टों की व्यवस्था नहीं हो रही है···

**श्री उपाध्यक्ष** : आपने बात कह दी, समझ में आ गई···

**श्री विजयसिंह रावत** : आसन की ओर से आप व्यवस्था दें ।

**श्री उपाध्यक्ष** : इस सम्बन्ध में यहां व्यवस्था नहीं दी जा सकती । आप कृपया

(श्री उपाध्यक्ष)
मेरे से या सचिव से मिल लें। यह प्रशासनिक मामला है यहां पर व्यवस्था नहीं दी जा सकती।

**श्री विजयसिंह रावत :** सचिव से हमने कहा है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मार्फत उन्होंने लॉ सेक्रेटरी को लेटर लिखा है। टाइपिस्ट दे नहीं सके। यह बात हो चुकी है। इसमें गवर्नमेंट क्या कहना चाहती है। हमें आज के आज टाइपिस्ट चाहिए यहां पर।

**श्री हरिदेव जोशी** (उद्योग मंत्री) : आई केन नाट से एनीथिंग।

**श्री विजयसिंह रावत :** इससे सदस्यों को बहुत मुश्किल हो रही है इसलिए इस पर निर्णय लेना चाहिए। असेम्बली सेक्रेटेरियट को रेफर कर दिया गया है केस को, लेकिन अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

**श्री गिरधारीलाल व्यास** (आसीन्द) : बात कर लेंगे इनसे, चेम्बर में जाकर बात कर लेंगे।

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय राम नारायण चौधरी।

**श्री रामनारायण चौधरी** (मंडावा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी बड़ी कृपा हुई कि आपने मुझे मेरे कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने की कृपापूर्वक अनुमति प्रदान की मैं इसके लिए आभारी हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस उद्योग विभाग की मांग के सम्बन्ध में कुछ कटौती प्रस्ताव पेश किये हैं, जो सदन के समक्ष प्रस्तुत हैं, उनमें कुछ झुंझुनू जिले के बारे में हैं तथा कुछ राजस्थान से सम्बन्धित हैं। मैं उद्योग विभाग की तरफ से झुंझुनूं जिले के साथ की जा रही उपेक्षा का जिक्र करना चाहता हूं। झुंझुनू जिला सात लाख की आबादी का जिला है और उसका अपना एक महत्व है। झुंझुनू जिला राजस्थान के विकास में, राजस्थान के सर्वांगीण विकास में अपनी क्षमता से अधिक राजस्थान सरकार का सहयोग करता आ रहा है, और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न पर भी इसने सहयोग किया है, चीन और पाकिस्तान के अग्रेशन के वक्त में झुंझुनूं जिले द्वारा फौजी भर्ती में और सुरक्षा कोष में जो सहयोग दिया गया, उसका राजस्थान में रिकार्ड था, और जिसकी आपको भी जानकारी है, उपाध्यक्ष महोदय, झुंझुनूं जिले से पर कैपिटा साढ़े तीन रुपया सुरक्षा कोष के लिए इकट्ठा किया गया था और वह हमारे मुख्य मंत्री को भेंट किया गया था जब कि राजस्थान में एक रुपया पर कैपिटा वसूल करने का लक्ष्य था इसी तरह से झुंझुनूं जिला अल्प बचत अभियान में भी प्रथम रहता आया है। झुंझुनूं जिला का शुद्ध कलेक्शन प्रति वर्ष अस्सी लाख से लेकर एक करोड़ तक रहता है, जो मैं समझता हूं कि राजस्थान के किसी भी जिले का नहीं है। यह सारा का सारा रुपया झुंझुनू जिले का है और वहां से एकत्रित होता है। यह वहां के उन व्यवसायियों के द्वारा दिया जाता है जो राजस्थान के बाहर दूसरे प्रान्तों में प्रवासी हैं, और वह राजस्थान सरकार को सहयोग देते हैं तो इस उम्मीद में देते हैं कि इस जिले की बहबूदी होगी। वह अपने जिले की बहबूदी चाहते हैं। इस दृष्टि से मैंने यह कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं और राजस्थान सरकार का इन कटौती प्रस्तावों के द्वारा ध्यान आकर्षित किया है कि इस झुंझुनूं जिले की औद्योगिक दृष्टि से उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए।

(श्री रामनारायण चौधरी)

झुंझुनूं जिले के अन्दर एक वुलन फैक्ट्री खोली थी, वह पिछले साल बन्द कर दी गई जब कि लाखों रुपया उस पर खर्च हुआ, उसकी बिल्डिंग पर खर्च हुआ हजारों रुपया और चीजों में खर्च हुआ। मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार ने नवलगढ़ की वुलन फैक्ट्री को बन्द करके अच्छा नहीं किया। वूल उत्पादकों को प्रोत्सहन देने के साथ ही इस फैक्ट्री का वहां पर होना अत्यधिक आवश्यक था और उसको बन्द किया जाना राजस्थान सरकार का अदूरदर्शिता का काम है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा और खास कर उद्योग मंत्रीजी को, क्योंकि उद्योग विभाग ही राजस्थान के इन्डस्ट्रियल डवलपमेंट के लिए जिम्मेदार है। वैसे चाहे यह वूल एण्ड शीप डिपार्टमेंट में हो या चाहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हो। कुल मिला कर यह नीति का मामला है, इसलिए मैं समझता हूं कि उद्योग मंत्रीजी अपने प्रभाव को इस मामले में काम में लायेंगे और सरकार से इस बात को मनवाने की कोशिश करेंगे कि झुंझुनूं जिले में जो यह ऊन फैक्ट्री थी उसको वहां चालू किया जाय।

इसके अलावा मैंने झुंझुनूं जिले में इस विभाग से सम्बन्धित कई अनियमितताओं के बारे में भी जिक्र करने का संकेत दिया है। झुंझुनू जिले में बुनकर सहकारी समितियों की बहुत बुरी हालत है। बुनकर सहकारी समितियों को जितना लोन का पैसा मिला है, वह राजस्थान के उद्योग विभाग से दिया गया है लेकिन उसमें से एक पैसा भी बुनकरों को नहीं दिया गया है। और बीच में ही वह सारा पैसा लोगों ने अपने पास रख लिया है, उस पैसे को खा गये हैं, उस पैसे का गबन कर दिया है और वह पैसा जिस लिये दिया गया, उसमें उसका बिल्कुल उपयोग नहीं हुआ है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक बुनकर सहकारी समिति है भोजासर की, जिसको साठ हजार रुपया बुनकरों को हाथ करघा उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए, गृह उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए लोन देने हेतु दिया गया लेकिन उसमें से एक पैसा भी बुनकरों को नहीं दिया गया और उस साठ हजार रुपये का गबन कर लिया गया, उस पैसे का दुरुपयोग हुआ लेकिन राज्य सरकार द्वारा उसमें से पांच सात हजार रुपये के अलावा बाकी के रुपये की रिकवरी नहीं हुई और रिकवरी करने की कार्यवाही की जा रही है। उस तमाम रुपये का दुरुपयोग कर लिया गया है। इस मामले में इन्डस्ट्री विभाग के अधिकारियों के द्वारा जान बूझ कर लापरवाही बरती गई है और उसकी वसूली की चेष्टा नहीं की गई है।

बुनकर कालोनी एक गांव के अन्दर बनाने के लिये डेढ़ लाख रुपया स्वीकार किया गया था, उसमें से मेरी जानकारी के अनुसार उपाध्यक्ष महोदय, करीब साठ हजार रुपया बुनकर कालोनी बनाने में खर्च कर दिया गया। यह बुनकर कालोनी बनाने में जो साठ हजार रुपया खर्च किया गया, इसको किये आठ साल हो गये, लेकिन बाकी रुपये का क्या हुआ यह पता नहीं। मालूम हुआ है कि बीस हजार रुपया एक व्यक्ति खा गया, जिससे वसूली करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। साथ ही बुनकर कालोनी में जो साठ हजार रुपया लगा है, उसका कैसे उपयोग हो, यह कालोनी कैसे बने इसकी ओर भी कोई तवज्जह नहीं दी

(श्री राम नारायण चौधरी)

जा रही है। राजस्थान सरकार के ध्यान में इस मामले को लाया गया था, और उसके परिणामस्वरूप राजस्थान सरकार ने एक कमेटी अपाइन्ट की थी और उस कमेटी का कन्वीनर एस. डी. ओ. को बनाया गया था, जिसकी सहायता के लिए दो सदस्य और भी रखे गये थे। यह भी कहा गया था कि बुनकर कालोनी इस कमेटी की देख रेख में बनेगी और उसके हिसाब किताब की जिम्मेदारी उसकी होगी। लेकिन सात साल हो गये हैं, यह बुनकर कालोनी आज तक भी नहीं बन पाई है और इसमें राजस्थान सरकार के करीब साठ हजार रुपये लग गये है। यह जो रुपया लगा है, यह न लगने के बराबर है, क्योंकि वहां जो मकान बने वह गिरने वाले हैं और वह बुनकरों के काम में नहीं आने वाले है। ऐसी स्थिति में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत सरकार से निवेदन करूंगा कि या तो इस बुनकर कालोनी को पूरा करवाया जाय या ग्राम पंचायत की जमीन पर यह जो लोकेलिटी है इसको साफ करवा दिया जाय क्योंकि इससे कोई लाभ नहीं है, इसमें गवर्नमेंट का हजारों रुपया लग गया है फिर भी यह बुनकरों के काम में नहीं आती है। इस बुनकर कालोनी पर आगे काम नहीं हो रहा है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस बुनकर कालोनी को पूरा करवाया जाय।

इसके साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि झुंझुनूं जिले में ग्वार और मोठ की फैक्ट्री की गुंजाइश है। झुंझुनूं जिले में, झुंझुनूं प्रोपर में जयपुर स्टेट के जमाने में एक इन्डस्ट्रियल एस्टेट कायम किया गया था और वहां गृह उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ जमीन भी रिजर्व की गई थी। उस जमीन का अब कोई उपयोग नहीं हो रहा है और लोग उसको हड़पने में और उस पर नाजायज तौर पर कब्जा करने में लगे हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत इस तरफ राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वह जो जमीन वहां थी, उसको उद्योगों के लिए ही सुरक्षित किया जाय और राज्य सरकार इस ओर विशेष ध्यान देकर इस रिजर्व की हुई भूमि पर उद्योगों को कायम करने के लिए प्रयत्न करे, और वहां पर उद्योगों की स्थापना करने के लिए लोगों का ध्यान आकर्षित करे।

इसके अलावा झुंझुनूं जिले में जो छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं छोटे छोटे उद्योग हैं उनको उद्योग विभाग की तरफ से किसी प्रकार का कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। झुंझुनूं जिले के अन्दर चर्म उद्योगों के अन्दर जूते बनाने का उद्योग है, और दूसरे जो छोटे छोटे कारखाने हैं गृह उद्योग के रूप में, जिनमें लगे हुए लोगों को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। इस प्रकार की कई फैक्ट्री चिड़ावा में हैं, झुंझुनूं में हैं, बिसाऊ में है। इन सब जगह गृह उद्योग को पनपाने के लिए राज्य सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिए क्योंकि इन्डस्ट्रीज आगे बढ़ेंगी तो लोगों के कमाने के साधन भी बढ़ेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि झुंझुनूं जिले में जूते बनाने में जो लोग लगे हुए हैं, उन लोगों को काम मिलता रहे, इसके लिए झुंझुनूं जिले के जूते बनाने वालों के लिए, शू मेकर्स के लिए कुछ प्रावीजन आपके इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट की ओर से होना चाहिए और जूते बनाने के गृह उद्योग में

(श्री रामनारायण चौधरी)

लगे व्यक्तियों को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ कर्ज आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

( 3 म. प. )

एक हमारे जिले के अन्दर एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट इण्डस्ट्री, अच्छे किस्म के सुधरे किस्म के हल बनाने की इंडस्ट्री पनप रही है। आप का एग्रीकल्चर इंजनियरिंग का वर्क शाप है उसके अन्दर सुधरी हुई किस्म के हल तैयार होते हैं, उससे अच्छे किस्म के हल हमारे यहां झूंझुनूं जिले के ग्राम अण-गासर, भयासर, भारू के लोग बना रहे हैं। वह आपके एग्रीकल्चर वर्कशाप से अच्छी किस्म के और सस्ते हैं। आपके वर्कशाप से जो जाते हैं उनके मुकाबले में वह सस्ते पड़ते हैं। मैं इंडस्ट्रीज मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यह इंडस्ट्री है। यह कृषि से सम्बन्धित है, इसलिए माननीय मन्त्री महोदय का, मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, कि वह एग्रीकल्चर डिपार्ट-मेंट को इस बारे में परामर्श दें या अपने यहां से ऐसी व्यवस्था करें कि इस इंडस्ट्री में लगे इण्डीवीजुअल लोग हैं, उन्हें, इम्पलीमेंट बनाने के लिए, इसकी किस्म को कुछ और सुधारने के लिए समुचित मात्रा में लोन दिया जाकर प्रोत्साहन दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, झुंझुनूं और सीकर दोनों मिले हुए हैं। दोनों की आबादी मिलाकर 14 लाख पड़ती हैं । झूंझुनूं और सीकर दोनों के बीच में भांबऊ को खान है, पहाड़ है। उस पहाड़ में बहुत अच्छी तादाद के अन्दर स्टोन मिलता है और वह ऐसी किस्म का स्टोन है कि उससे सीमेंन्ट बनाया जा सकता है। मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि भांबऊ की खान के पत्थर का उपयोग करने के, उससे सीमेंट बनाने के लिए आप प्रयत्न करें, वहां पर कोई सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना हो। इस राजस्थान के जो बाहर प्रवासी हैं विशेष तौर पर जो कलकत्ता और आसाम की तरफ, वह चाहते हैं कि राजस्थान के अन्दर उद्योगों की स्थापना हो । हम अपनी पूंजी को वहां इन्वेस्ट करें । उनमें झूंझुनूं और सीकर जिले के अधिक तादाद में है । वह वक्त वक्त पर जब इधर आते हैं तो वहां आपसे मिलते हैं और यहां भी आपको मिलते रहते हैं। वह यहां पर सीमेंट फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। जहां तक मुझे बतलाया गया है, ऐसे प्रपोजल भी आपके पास पहुंचे हैं और अभी भी कई प्रपो-जल विचाराधीन हैं, कई एप्लीकेशन्स विचारा-धीन हैं। आप राजस्थान के प्रवासी उद्योग-पतियों को विशेष तौर से झूंझुनूं और सीकर के उद्योगपतियों को यह सुझाव दें कि वह वहां पर सीमेंट फैक्टरी लगायें । राजस्थान में सीमेंट का अभाव दिन प्रति दिन बढ़ रहा है और सीमेंट के अभाव में किसानों का उत्पादन कार्यक्रम रोका जा रहा है। और दूसरे घरेलू काम के लिए सीमेंट की आवश्यकता महसूस की जा रही है, निर्माण के काम में भी सीमेंट का उपयोग अधिक होता जा रहा है । इसलिए नीम के थाने और खेतड़ी के बीच में भांबड़ा की पहाड़ी है वहां सीमेंट का स्टोन है, वहां सीमेंट की फैक्टरी स्थापित करने में सफल होते है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि राजस्थान के अन्दर यह एक बहुत अच्छी सीमेंट फैक्टरी हो सकती है और राजस्थान में सीमेंट के अभाव को पूरा ही नहीं कर सकती बल्कि राजस्थान में सीमेंट के मामले में

(श्री रामनारायण चौधरी)

सरप्लस हो सकता है। यहां पर सीमेंट स्टोन काफी मात्रा में अच्छी किस्म का उपलब्ध है, इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय का, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इस ओर ध्यान आकर्षित करता हूं कि वह वहां पर एक सीमेंट फैक्टरी स्थापित करने के लिए अपना प्रयास करने को कृपा करें। और, यदि कोई उद्योगपति तैयार न हो तो मेरा सुझाव है कि माननीय मन्त्री महोदय वहां पर स्टेट एन्टरप्राइजेज के रूप में सीमेंट फैक्टरी लगाने के लिए सर्वेक्षण करवाने की कृपा करें। मैं आपको निश्चयपूर्वक यह कह सकता हूं कि यहां पर सीमेंट फैक्टरी फ्लोरिश होने के लिए पूरे साधन उपलब्ध हैं। अच्छे किस्म का पत्थर वहां मिलता है, अच्छे किस्म का लेबर वहां पर मिलता है, सरप्लस तादाद में लेबर है। तो इन कटौती प्रस्तावों को मेरे निवेदन के साथ उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं प्रस्तुत करता हूं तथा सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय श्री जुझारसिंह।

**श्री जुझारसिंह** ( रामगंज मण्डी ) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती का प्रस्ताव, राजस्थान में मत्स्य पालन, मत्स्य उत्पादन के सम्बन्ध में जो ढिलाई बरती जा रही है इसके सम्बन्ध में है। उपाध्यक्ष महोदय, इस बात की तो मुझे खुशी है कि राजस्थान में मत्स्य पालन को एक इंडस्ट्री की तरह ट्रीट कर लिया गया है। लेकिन उसके विकास में जिस तरह की गड़बड़ी और ढिलाई हो रही है इसकी ओर विशेष तौर से मैं सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह ऐसा विषय है जिसमें बहुत कम सदस्यों को दिलचस्पी है। जो कटौती प्रस्ताव आये है उन्हीं से यह आपको मालूम हो जाएगा। करीब सौ कटौती प्रस्तावों में केवल एक या दो ही प्रस्ताव होंगे। इसलिए मैं संक्षेप में ही जो इसके खास खास मुद्दे हैं उनकी तरफ आपकी मार्फत मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय राजस्थान में जलस्रोत बहुत अधिक तादाद में हैं। राजस्थान के 26 जिलों में से 18 जिले ऐसे हैं जिनमें मत्स्य पालन अच्छी तरह से विकसित किया जा सकता है। जो कुछ मेरी जानकारी में है उसके आधार पर मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि करीब दो लाख 25 हजार एकड़ में राजस्थान में तालाब हैं, जिनमें मत्स्य पालन को रिजर्वायर और मत्स्य पालन की इन्डस्ट्री तैयार की जा सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, अभी राजस्थान सरकार ने मत्स्य पालन के लिए जो बजट प्रावधान किया है उसमें 14 लाख 51 हजार का इस साल प्रावधान है, और इसमें, मैं यह निवेदन करूं कि जो स्टाफ पर और फालतू खर्च है, वह बहुत ज्यादा टाप हैवी है। इसमें दो भाग हैं। प्लान और नॉन प्लान नॉन प्लान बजट में करीब 6 लाख खर्चा किया जायगा। उस 6 लाख का ब्रेकअप उन्होंने दिया है। अधिकारियों पर 47 हजार का खर्च है, महंगाई भत्ते का 30 हजार है और मकान किराये पर 12500 का खर्च है इसमें अन्य भत्ते गाड़ियों के मैंटीनेंस और मकान किराया आदि शामिल है। तो 6 लाख 53 हजार नानप्लान बजट में स्टाफ के ऊपर खर्च करने का प्रावधान किया है। इसके अलावा जो प्लान एक्सपेंडीचर है, उसमें स्टाफ के ऊपर 1 लाख 55 हजार का खर्च है। तो जितना भी मत्स्य के डवलपमेंट के लिए बजट

(श्री जुझारसिंह)

का आपने प्रावधान किया है उसमें से 50 प्र०श० 60 प्र०श० के करीब स्टाफ के भत्ते, उनकी सवारियों, और उनके महंगाई भत्ते में व्यय किया जाता है। इसके अलावा आपने जो सीड्स वगैरह, फिंगरलिंग्स बच्चे वगैरह पालने का करीब 3 लाख 67 हजार रुपये का प्रावधान किया है। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो फिंगरलिंग्स और छोटी मछलियों को खरीदने का प्रावधान है, यह ऐसी चीज है, अगर इसको स्टेट गवर्नमेन्ट अपनी स्टेट में डेवलप करने की कोशिश करे और बाहर से मंगाने में इतना वेस्ट न करे तो ज्यादा उपयुक्त होगा। मछलियां एक ऐसा जानवर है जो बहुत सी वैराइटीज में होता है और कुछ वैराइटीज ऐसी होती है जो बहुत फास्ट ग्रो करती है जिनका साल में 2 पौंड तीन पौंड वजन हो सकता है। दूसरी वह है जिनकी ग्रोथ बहुत स्लो है और राजस्थान में जहां तक मेरी जानकारी है, मत्स्य विभाग ने अभी इस तरह के एक्सपेरीमेन्ट नहीं किये हैं कि कौन सी टाइप की मछली कौन सी नदी में किस जगह पर पाली जाय, कहां छोड़ी जाय जो यह फिंगरलिंग्स, छोटी छोटी मछलियां इन्डिस्क्रीमीनेट वे में तालाबों में छोड़ देते हैं तो वहां मछलियों की प्रोडक्टिविटी कैसे रह सकती है, उनके प्रोटेक्शन का कोई प्रबन्ध नहीं, 60 परसेंट, 80 परसेंट तक को तो बड़ी मछलियां खा जाती है आपके द्वारा सावधानी नहीं बरतने के कारण। इस तरह से तो आप बड़ी मछलियो को फिंगरलिंग्स के रूप में फूड दे रहे हैं, बाकी उनसे आमदनी का कोई साधन नहीं बना पा रहे हैं।

कैसा फूड, कैसी सहूलियतें, और कैसा प्रोटेक्शन इनको दिया जाना चाहिए. इसके बारे में आप कभी नहीं सोचते, उस क्षेत्र में लाची या सोहड़ टाइप की मछली उस पानी में नहीं मिले, जो दूसरी मछलियों को खाती हैं। अभी जो आपका प्रोविजन है उसमें आपने इस तरह का कोई प्रावधान नहीं किया है। आपने यह सब केवल दिखावे के लिए कर रखा है, क्योंकि यह एक फैशन हो गई है। आप यह दिखाना चाहते हैं कि राजस्थान में आल राउण्ड डेवेलपमेंट किया जा रहा है जिसमें पोल्टरी की स्कीम भी है, फिशरीज की भी स्कीम है। तो आपने अपने आपको एक प्रोग्रेसिव स्टेट बताने के लिए अपने इस डिपार्टमेंट को प्रोग्रेसिव डिपार्टमेन्ट बताने के लिए फिशरीज डिपार्टमेन्ट और दूसरे डिपार्टमेन्ट्स कायम किये हैं पर फिशरीज के लिए जिस ढंग से डेवेलपमेंट किया जाना चाहिए, जिस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए, उस तरह की कोई व्यवस्था आप मछलियों के डेवेलपमेंट के लिए नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ फिशेज को कैच करने के लिए जो मोडर्न इक्विपमेन्ट होने चाहिये, उसके लिए आपने अभी तक कोई प्रावधान नहीं किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, अबकी फिशरीज के डेवेलपमेन्ट के लिए राज्य सरकार ने खास प्रयास करने की कोशिश की है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी फिशरीज के डेवेलपमेंट के लिए कहा गया, फिशरीज के डेवेलपमेन्ट के लिए उसमें एक पैराग्राफ रखा गया है और बताया है कि इसके अन्तर्गत 40 लाख स्पान व 2478193 फ्राइज व फिंगर लिंग्स संचय किये गये हैं। यह इस तरह से आंकड़े दिए हैं जैसे आपके पास पूरे पूरे आंकड़े हैं और एक-एक को गिन कर यह फीगर्स दिए हैं। मैं आपके इस तरह के 24 लाख, 78 हजार 193 आंकड़े से इम्प्रेस नहीं

(श्री जुझारसिंह)

हो सकता। क्योंकि यह शायद आपको पता नहीं है कि कितने स्क्वेअर एकड़ पानी में किस प्रोपोर्शन में ये मछलियां रखी जानी चाहिए। 225 हजार स्क्वायर एकड़ पानी में ये किस प्रोपोर्शन में आती हैं, जहां तक मेरी जानकारी है 1500 एकड़ क्षेत्रफल पानी में 3 करोड़ फिंगरलिंग्स चाहिए उस अनुपात में ये आपकी 40 लाख और 24 लाख की फीगर्स किस गिनती में आती हैं, ये फीगर्स रख कर आपने हाउस को और दूसरे लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश की है, पर वास्तव में आपका यह अचीवमेंट नेग्लिजेबल है और इस तरह से 225 हजार स्क्वायर एकड़ पानी में फिशरीज को डेवेलप करने के लिए आपको 25 वर्ष लग जायेंगे।

इस इन्डस्ट्री को साइन्टिफिकेली डेवेलप किया जाय तो यह एक बड़ा सघन फूड का साधन बन सकता है और फिशरीज की ग्रोथ भी हो सकती है, क्योंकि एक मछली का स्पान से थाउजेन्ड्स की तादाद में ब्रीड हो सकती है मुख्य चीज यह है कि इनका विकास किस तरह से किया जाय, इनको प्रोटेक्शन किस प्रकार दिया जाय। फिशरीज के प्रोटेक्शन के लिए राजस्थान में इस प्रकार का कोई कानून नहीं हैं, न कोई फिश मार्केट ही है। लोग बाग पोचिंग करते हैं, चाहे जहां मछलियों को पकड़ कर बेचते रहते हैं, उनको रोकने के लिए कोई कानून नहीं है। फिश को लोग डाइनेमाइट करते हैं और छोटी बड़ी सभी फिशरीज को हजारों की तादाद में मार डालते हैं, सरकारी इन्जीनियर्स और अधिकारी डाइनेमाइट करते हैं। बहुत से लोग नहरों में मछलियों को डाइनेमाइट करते हैं। हमारे क्षेत्र में नहरों का काम चलता था तो देखा गया कि इन्जीनियर्स डाइनेमाइट कर के थाउजेन्ड्स की तादाद में मछलियों को मार डालते थे। इन मछलियों को आपके गवर्नमेंट आफीसर्स से ही जब प्रोटेक्शन नहीं है तो दूसरी बात तो आप इनके प्रोटेक्शन के लिए क्या करेंगे।

मेरा यह निवेदन है कि आपने इस सम्बन्ध में जितने प्रयास किये हैं, वे सफिसियेन्ट नहीं है, आपका ज्यादा खर्चा स्टाफ पर, स्टाफ की तनख्वाह, और ट्रैवलिंग आदि पर ही खर्च हो जाता है। अगर सुव्यवस्थित रूप से साइन्टिफिक वे में इस दिशा में प्रयास किये जायं तो राजस्थान की कई डिस्ट्रिक्ट्स में फिशरीज के डेवेलपमेंट के लिए काफी अच्छे स्कोप हैं। राजस्थान में कोटा डिविजन में हर दो तीन माईल पर नदियां हैं, पुराने तालाब हैं, वहां पर फिशरीज का डेवेलपमेंट बहुत ही इकोनोमिकली और फायदे के साथ किया जा सकता है। आपने जगह जगह फिशरीज के बोर्ड लगाये हैं। यहां से जाते हुए टोंक के पास एक छोटीसी तलैया पर बड़ा सा बोर्ड मिलेगा, वह तलैया कीचड़ से भरी हुई है और बोर्ड तलाई के साइज से बड़ा है। शायद टूरिस्ट्स को इम्प्रेस करने के लिए इस प्रकार के बोर्ड्स आप लगा देते है। यह तो आपका नाटक मात्र है। एक इस तरह का डिपार्टमेंट खोल कर आदमियों को जगह देने की बात है तो वह अलग बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मत्स्य पालन के लिए सीरियस एफर्ट्स करें और साईंटिफिक वे में फिशरीज को डेवलप करने का प्रयास करें।

(श्री जुझारसिंह)

इन्हीं शब्दों के साथ में अपना कट मोशन पेश करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दिग्विजयसिंह।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35 उद्योगों के सम्बन्ध में, 100) रु. कम कर दिया जाय (गत वर्ष राज्य सरकार द्वारा टोंक में चर्म कारखाना खोलने की घोषणा की जाने पर भी वह कारखाना नहीं खोलने पर चर्चा के लिए)।

उपाध्यक्ष महोदय, आज करीब 20 वर्ष हो गये, जिला टोंक के उद्योगों के सम्बन्ध में उपेक्षा की जा रही है। गत वर्ष वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण दिया था तो बड़े जोरों से घोषणा की थी कि 10 लाख रुपया टोंक में चर्म उद्योग के लिए सुरक्षित रखा हुआ है। इसके साथ ही साथ जहां तक मेरी जानकारी है गत वर्ष वित्त मंत्रीजी विदेश यात्रा पर इसी लिए पधारे थे कि चैकोस्लोवाकिया से या किसी दूसरे कन्ट्री से उन्हें बात करनी थी कि टोंक में चर्म उद्योग का कारखाना किस प्रकार लगाया जाय।

मैं बड़े दुख के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि जो इस साल का बजट पेश किया गया है उसमें जो गत वर्ष टोंक में चर्म उद्योग के लिए 10 लाख रखे गये थे कहीं उड़ गये हैं, उन 10 लाख का इसमें कहीं जिक्र ही नहीं है। न मालूम वे विदेश की यात्रा के लिए रखे गये थे या वास्तव में उनकी उद्योग लगाने की मंशा थी। गत वर्ष भी मैंने इस सम्बन्ध में सरकार का ध्यान दिलाया था और उद्योग मंत्री जी से निवेदन किया था क्योंकि बाई-इलेक्शन के वक्त इसे टूल बना कर काम में लेना चाहते थे इसलिए उस वक्त तो आश्वासन दिया था कि हम वहां चर्म उद्योग स्थापित कर देंगे इसी साल, पर वह अभी तक नहीं हुआ है।

टोंक जिला एक बहुत पिछड़ा हुआ जिला है और टोंक खास में तो इतनी बेरोजगारी फैली कि वहां पर कोई न कोई उद्योग होना परमावश्यक है। इसलिए मंत्री महोदय ने कहा था कि टोंक में चर्म उद्योग की स्थापना करेंगे। पर मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि चर्म उद्योग की स्थापना तो दरकिनार पर टोंक के लिए किसी प्रकार के उद्योग का प्रोविजन इस बजट में नहीं रखा गया। मैं अधिक न कह कर इस कटौती प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मंत्री महोदय निश्चित तौर से जानकारी दें कि इस वर्ष टोंक में चर्म उद्योग स्थापित करना चाहते हैं या नहीं ? क्या केवल भुलावा देने के लिए वह प्रावधान रखा गया था।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत।

श्री केसरी सिंह हाडा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती का प्रस्ताव पहले था।

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था दी थी, आपने शायद सुना नहीं।

श्री जयनारायण खालोडिया : लक्ष्मी-कुमारी जी तो हैं नहीं। उनके इन्तजार में हाउस को कब तक बैठा रहना पड़ेगा ?

**श्री केशरी सिंह हाडा :** मेरा कटौती प्रस्ताव सूची नं दो के अन्दर 25 नम्बर पर है।

**श्री उपाध्यक्ष :** वह आ जायेगा अपने टर्न से। श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत।

(विराम)

**श्री केशरी सिंह हाडा :** वे तैयार नहीं हैं।

**श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत (भीम) :** मैं तैयार हूं। बोल रही हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस वक्त जो प्रश्न उत्पन्न हुए थे, हालांकि उसमें कई तरह के इशूज आये गये, लेकिन मैं सरकार और वित्त मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि फौज के कैन्टीन के लिए जो सामान आता है उस पर सैल्स टैक्स लगाया है जो 7 प्रतिशत से 12 प्रतिशत तक आता है।

**श्री गिरधारी लाल व्यास :** ज्यादा तक।

**श्री उपाध्यक्ष :** आपका कटौती प्रस्ताव है, मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35, उद्योग में से 100 रुपये कम कर दिया जाये (उद्योगों की उचित वृद्धि न होने के बारे में चर्चा के लिए)

**श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत :** मैंने कटौती प्रस्ताव रखा है कि इण्डस्ट्रीज के बारे में जिस तरह का काम होना चाहिए उस तरह से नहीं हो रहा है, इसके लिए। जब हमने बजट को देखा तो उसमें और कई बातों का जिक्र किया गया है लेकिन उद्योगों की बढ़ोतरी के लिए विशेष रूप से ध्यान देने की कोई बात उसमें नहीं की गई है। जब मैं देखती हूं कि सारे बजट में कहीं भी किसी नये उद्योग को बढ़ाने के लिए कोई जिक्र नहीं है, तो उपाध्यक्ष महोदय, यह देखकर दुःख होता है। सबसे बड़ी बात तो यह है, उपाध्यक्ष महोदय कि जब दूसरे राज्यों में अनेक प्रकार के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उस वक्त हमारे राज्य में एक भी बड़ा प्रोजेक्ट हमको नहीं दिया गया है। कहां पर किस किस्म का बड़ा प्रोजेक्ट है और कहां पर किसका, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि राजस्थान को केन्द्र ने इस बारे में बिल्कुल ही वंचित क्यों रखा है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि उन्होंने इस बारे में कोई चेष्टा की या नहीं और अगर की तो हमें ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट क्यों नहीं दिया गया।

जब हम राज्य की वित्तीय स्थिति की तरफ देखते हैं तो सब से बड़ा सवाल आता है कि हमको अपनी नॉन टैक्स रेवेन्यु बढ़ानी चाहिये। इसके दो मुख्य स्रोत हमारे सामने हो सकते हैं, एक तो सबसे मुख्य हो सकता है वह है इण्डस्ट्रीज का। राजकीय उद्योग इस बारे में हमारी सब से ज्यादा मदद कर सकते हैं। अभी माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने पिछले साल जो कुछ हमारी उपलब्धियां प्राप्त की उसके बारे में ब्यौरा दिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे सामने जो चित्र प्रस्तुत किया गया था वह बहुत ही सुन्दर चित्र था। लेकिन हम अगर अपने आप से पूछें कि आज तक जो हमारे उद्योगों ने प्रगति की है वह क्या संतोषजनक है, तो अगर माननीय मुख्य मंत्री से भी यह सवाल पूछा जाय तो वे भी यह उत्तर नहीं दे सकेंगे कि हमारे उद्योगों ने संतोषजनक प्रगति की है। जो महत्वाकांक्षी राज्य होता है उसकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

होती हैं । जब तक महत्वाकांक्षाएं नहीं होंगी तब तक वह देश अपने मकसद की तरफ नहीं बढ़ सकेगा । पूरे संतोष का तो हमारे सामने सवाल ही पैदा नहीं होता । हमारी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा हैं और हमने जो काम किया है उससे हमें संतोष नहीं हो सकता । यदि कोई राज्य अपने आप के कर्मों से संतुष्ट हो जाये तो वह राज्य आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि :

असंतुष्टा : द्विजा नष्टा: सन्तुष्टाश्च महीपति । अगर कोई ब्राह्मण असंतुष्ट होता है तो उसका क्षय होता है, लेकिन अगर कोई राजा संतुष्ट हो जाता है तो उसका भी क्षय हो जाता है और उसकी बढ़ोतरी नहीं होती ।

इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, हमको संतोष नहीं करना है । हमारे राज्य में नॉन टैक्स रैवेन्यु बढ़ाने का एक बहुत बड़ा जरिया हमारे राजकीय उद्योग हो सकते हैं । आपने जो एक सुन्दर तसवीर हमारे सामने रखी वह केवल एक पक्ष था, इस तसवीर का दूसरा पक्ष है उसको भी हमें देखना होगा । आज बड़े दुर्भाग्य की बात है हमारे लिये कि हमारे जो भी इने गिने राजकीय उद्योग हैं, जो कि हम अंगुलियों पर गिन सकते हैं, उनमें भी हमें नुकसान हो रहा है और हम घाटा पा रहे हैं । बहुत थोड़े से हैं जो नफे में चल रहे हैं और वे भी बड़े मुश्किल से चल रहे हैं । आज हमारे राजकीय उद्योगों की यह हालत है और हमें चित्र के इस दूसरे पक्ष को भी देखना पड़ेगा । धौलपुर के कारखाने को हमें बन्द करना पड़ा । अभी अभी वित्त मंत्री महोदय ने कहा कि बार बार इस सदन में इस धौलपुर के कारखाने की बात को दोहराया जाता है । मैं यह कहूंगी कि इस बात को बार बार रखा जाना चाहिये और रखा जायेगा । इसलिए नहीं कि एक हौआ बनाना है कि राजकीय उद्योग सफल नहीं हो सकते । यह मेरी मान्यता नहीं है । लेकिन हमारी मान्यता यह है कि जिस ढंग से इस कारखाने को चलाया गया और फिर बन्द किया गया उससे जनता में एक हौआ बनाता है कि राजकीय उद्योग सफल नहीं हो सकते । हमें राजकीय उद्योगों में सुव्यवस्था लानी हैं ताकि वे सफलता से चल सकें । इस तरह अव्यवस्था के कारण अगर राजकीय उद्योग बन्द करने पड़ेंगे तो ऐसे प्रश्न के लिये सदन में बराबर कहना चाहिये और कहना पड़ेगा । जब तक हमारे दिमाग में यह नहीं बैठ जायेगा कि राजकीय उद्योग भी सफलता से चल सकते हैं तब तक इस तरह की बात को कहना ही पड़ेगा ।

हनुमानगढ़ में ईंटों का कारखाना है, उसमें भी सफलता नहीं मिली । खानों की तरफ देखें तो खानों में भी हमें घाटा होता रहा है । आप इने गिने जो नफे के उद्योग है वह तो गिनते हैं, लेकिन जो हमारे ज्यादातर उद्योग घाटे में चल रहे हैं उसका आपने जिक्र ही नहीं किया, यह बड़े अफसोस की बात है । इसी तरह से व्यापारी पद्धति से चलाये जा रहे हमारे राजकीय मुद्रणालय हैं, जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी । राजस्थान के अन्दर कई राजकीय मुद्रणालय हैं लेकिन अफसोस की बात है कि वे सारे के सारे घाटे में चल रहे हैं । इतना ही नहीं, उनके जो एकाउन्ट्स हैं, वे भी व्यवसायिक पद्धति के अनुसार नहीं रखे जाते । केवल जयपुर के मुद्रणालय की पब्लिकेशन्स शाखा

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

का हिसाब व्यवसायिक ढंग से रखा जाता है लेकिन अफसोस की बात है कि अब हमारे राजस्थान के अन्दर इतने मुद्रणालय हैं, इतने प्रेस वाले हैं और वे सब के सब मुनाफे में चल रहे हैं, सब हमारे जो बड़े बड़े सरकारी मुद्रणालय हैं वे सब घाटे में चल रहे हैं। इतने बड़े मुद्रणालय हैं, जयपुर का प्रेस इतना बड़ा प्रेस है, काफी मशीनें लगा रखी हैं। इसी तरह से बीकानेर का राजकीय मुद्रणालय है वह बीकानेर स्टेट के समय मुनाफे में चलता था लेकिन आजकल वह भी घाटे में चल रहा है। जितने भी गवर्नमेंट प्रेसेज हैं वे सारे के सारे घाटे में चल रहे हैं। यही हालत गंगानगर शुगर मिल्स की है। गंगानगर शुगर मिल्स का जो शुगर मिल्स वाला भाग है वह तो नुकसान में जा रहा है, केवल डिस्टिलरी वाला भाग है वह फायदा दे रहा है। लेकिन शुगर मिल्स तो घाटे में ही चल रहा है। मशीनरी पुरानी हो गई उसको रिप्लेस नहीं किया जा रहा है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है।

और तो रहने दीजिये, मैं आर. एस. ई. बी. के लिए आपको बताना चाहूंगी, जो कि राज्य का बहुत बड़ा उद्योग है, जिसकी शाखाएं केवल जिले जिले में ही नहीं, बल्कि सारी तहसीलों में भी हैं, जिसके लिये कहा जाता था कि जनता को कई तरह की सुविधायें दी जायेंगी और अन्न के उत्पादन में भी मदद मिलेगी, वह आर. एस. ई. बी. भी आज घाटे में चल रहा है। और वह घाटा नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, 1.43 करोड़ का घाटा है। यह तो तब है जबकि इस तरह की सर्विस देने वाले और छोटे छोटे जो प्राईवेट पावर हाउसेज हैं वे फायदे में चल रहे हैं। और हमारा आर. एस. ई. बी. घाटा दिखा रहा है। इस सदन में कई बार बहस हुई है कि कुएं पर बिजली का कनेक्शन देने के लिए एक हजार रुपये किसान से वसूल किये जाते हैं और उसको प्राथमिकता दी जाती है। यह सब होते हुए भी हमारा यह विद्युत् बोर्ड घाटे में चल रहा है।

दूसरा हमारे सामने है रोडवेज। जहां दूसरे राज्यों में इन रोडवेज से कमाई हो रही है अफसोस की बात है कि पहले साल इसने नफा दिया लेकिन अब हर साल दिनों दिन हमारे यहां के रोडवेज नुकसान में जा रहे हैं। इस साल का घाटा 20 लाख का है। यह मंत्री महोदय की आंख खोलने के लिए एक मिसाल है। हमारे यहां ऐसे बड़े बड़े उद्योग घाटे में चले तो सोचने की बात है।

इसी तरह से पलाना खान है। कई सालों से इस खान का कुछ तखमीना किया जाता है, कभी कोई और तजवीज की जाती है लेकिन कुछ नहीं हुआ है। एक बार कहा गया था कि रूस से कोलेबोरेशन किया जा रहा है और 50 से 100 मेगावाट बिजली की शक्ति होगी। बाद में कहा गया कि युगोस्लोवेकिया को यह दिया जा रहा है और 15 मेगावाट की शक्ति इसमें होगी। यह पलाना की खान कभी

(समय समाप्ति, सूचक घंटी)

युगोस्लोवेकिया के बीच में तो कभी भारत सरकार के बीच में शटल कौक की तरह फेंकी जा रही है। इससे क्या होगा ?

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

इसी तरह से नमक का उद्योग है, वह राजस्थान का ही नहीं बल्कि भारत भर में यह बहुत बड़ा उद्योग माना जाता है लेकिन 28 प्रतिशत राजकीय उद्योग में चल रहा है और बाकी का औरों को दिया जाता है। अब खानों को लेकर वित्त मंत्री ने ने कहा था कि डेढ़ करोड़ की आमदनी खानों से हो रही है । मुझे अफसोस होता है कि राजस्थान एक रतनगढ़ है जिसमें अनेक प्रकार के रतन है, वहां डेढ़ करोड़ की आमदनी पर न मालूम मंत्री महोदय कैसे गौरव करना चाहते हैं । हम तो सोचते हैं कि यहां की एक एक खान डेढ़ करोड़ की आमदनी सालाना दे । लेकिन सारे राजस्थान की केवल डेढ़ करोड़ की आमदनी पर इस प्रकार मंत्री महोदय द्वारा शान से कहना, हमारी समझ में नहीं आता ।

जालोर, बाडमेर और जैसलमेर में फास्फेट की खानें हैं जिनसे फर्टीलाइजर बन सकता है । कोटा में एक कारखाना स्थापित किया गया है लेकिन हमारी क्षमता को देखते हुए हमें संतोष नहीं है । फास्फेट को लेकर रासायनिक खाद बनाई जाय तो जो हमारे यहां खपत 9 करोड़ को होती है वह भविष्य में बढ़कर 2–14 करोड़ को हो सकती हैं । यह हमारी असली संपदा है, इसको हम कम काम में ले रहे हैं ।

टंगस्टन और फ्लोराइट की खानें फायदा दे रही हैं लेकिन टंगस्टन की खान का राजस्थान में पूरा सर्वे नहीं हुआ है । अगर इसका सर्वे कराया जाय और खामियों को पूरा किया जाय तो अच्छा हो । लेकिन हमारी मुसीबत यह है कि थोड़ी सी भी सफलता मिली और एक लाख का भी नफा हुआ तो शान मानने लग जाते हैं कि घाटे में नहीं चल रहा है लेकिन हमें एक व्यवसाई की दृष्टि से सोचना चाहिए कि कितना उत्पादन हो सकता है, कितनी क्षमता है और कितनी आमदनी होनी चाहिए. उसके अनुसार अपने टारगेट्स बना कर पूरी क्षमता के अनुसार अगर फायदा उठा सकें तो कुछ और बात है।

अब मैं निजी उद्योगों की ओर ध्यान दिलाना चाहती हूं । अगर निजी उद्योग हमारे यहां पनपते हैं तो कई तरह से राज्य सरकार को डाइरेक्ट व इन्डाइरेक्ट फायदे हैं कई प्रकार का विकास कर सकते हैं लेकिन गत तीन सालों में ऐसा लगता है कि जैसे निजी उद्योगों का बढ़ना ही रुक गया है । हम दक्षिण भारत की यात्रा पर गए थे, बंगलोर गए, मद्रास गए और हैदराबाद भी गए । हमारी कई व्यवसाइयों से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हम राजस्थान में किस प्रकार के कारखाने स्थापित करें, वहां रेड-टेपिज्म आफिसेज में इतनी चलती है कि जिसकी हद नहीं । उन्होंने फाइल्स हमारे सामने रखे, उन्होंने तारीखें देकर बताया कि इतने दिनों के बाद वहां से जवाब आया, छोटे-छोटे सवाल थे, स्कीम्स बना कर भेजीं लेकिन कोई न कोई तर्क निकाल कर वापस लौटा दिया, कुछ न कुछ पूछने के लिए भेज दिया है । अगर हमें उद्योगों की स्थापना करनी है तो रेड-टपिज्म को हटाना पड़ेगा और जिस प्रकार दूसरे राज्य अनेक सुविधायें दे रहे हैं, उनको सुविधा देनी चाहिए और व्यवसाइयों का बेकार हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए । जब तक हम उनको हैरेसमेंट से नहीं बचायेंगे तब तक हमारे यहां उद्योग नहीं पनपेंगे ।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री केसरीसिंह ।

**श्री मुकुटबिहारीलाल** : मेरी पार्टी का समय इसके बाद .....

**श्री उपाध्यक्ष** : बाद तो नहीं कह सकता लेकिन समय मिल जायगा । आपके दल का 22 मिनट का समय है। आपके मुख्य सचेतक की ओर से कोई सूची हमारे पास नहीं आई ।

**श्री केसरीसिंह (हिण्डोली)** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव राज्य सरकार के लिए एक चुनौती है राज्य सरकार ने राज्यपाल के गत अभिभाषण में दो महत्वपूर्ण एलान करवाए, एक को तो थूक कर चाट लिया और दूसरे को भी चाटने को तैयार हैं । जो छोटी जोत का एलान था वह तो वित्त मंत्री ने वापस ले लिया । दूसरा एलान था सीमेंट फैक्ट्री बूंदी के लिए उसको भी उद्योग मंत्री ने वापस ले लिया और वहां नहीं खोलना चाहते हैं । उसके बदले निम्बाहेड़ा जिसका कोई जिक्र भी नहीं था उसको बीच में ले फंसा । यह क्षेत्रीय भावना और उदयपुर की तरफ बढ़ता हुआ रुख मंत्री मण्डल का बड़ा ही भयानक और खतरनाक प्रतीत होता जा रहा है । उदयपुर के अन्दर राजस्थान बनने के पहले भूपाल सागर शुगर मिल्स के अलावा कोई उद्योग नहीं था, आज नजर उठा कर देखें तो उदयपुर के अन्दर चिमनियां ही चिमनियां नजर आयेंगी और उद्योग ही उद्योग नजर आयेंगे ..

(3.38 म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत सभानेत्री, पदासीन)

दूसरी योजना में वहां के बड़े बड़े उद्योग खोले गये इसके अतिरिक्त बहुत से ऐसे ऐसे कुटिर उद्योग खुले हैं जिनमें लाखों रुपये की सहायता और अनुदान दिए गए । मुझे अफसोस है कि बूंदी क्षेत्र में, जहां से राजस्व मंत्री चुनकर आए हैं, राज्यपाल महोदय ने सीमेंट फैक्ट्री खोलने की घोषणा की थी, उसको बन्द करने के उपरांत भी वह अपनी कुर्सी पर सुशोभित हैं । मैं चाहूंगा कि वास्तव में अगर वे जनहित का ध्यान रखते हैं तो सरकार के इस निर्णय से वह त्याग-पत्र दे देते । मगर अफसोस है कि वह अपनी लालच, अपने वेतन भत्ते के कारण कुर्सी पर टेढ़े रुख से बैठने में ही अपनी शान समझते हैं । जिस प्रकार अभी हाल ही में सोने का इग्लेंड में किस्सा हुआ, वहां के प्रधान मंत्री ने उप-प्रधान मंत्री के साथ विचार विनिमय नहीं किया, उसी के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, मगर हमारे राजस्व मंत्री इस ओर ध्यान भी नहीं देते हैं कि बूंदी की जनता में कितनी बेरोजगारी हुई, लोग जंगल काटकर लकड़ी लाए और जंगल बरबाद किए । लोग भूखे मरे लेकिन उनको इस पर रत्ती मात्र भी दुःख नहीं है । मैंने उदयपुर का इसलिए ज्यादा जिक्र किया क्योंकि वहां जितना उद्योगिक क्षेत्र में विकास हुआ है शायद ही किसी क्षेत्र में हुआ होगा । माननीय मंत्री महोदय कह सकते हैं कि उदयपुर के अन्दर पोटेंशियलिटी ज्यादा है मगर सभानेत्री महोदया मैं कहूंगा कि बूंदी के अन्दर किसी हद तक कम नहीं है । बूंदी छोटी सी रियासत रही है मजर होने से पूर्व दो रेलों के लिये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन किया गया था और उसके अन्दर भारत सरकार ने दूसरे मेवाड़ सरकार ने रेल्वे लाइन चितौड़ से कोटा तक और कोटा से नसीराबाद तक ले आने की योजना थी, उस कारण बूंदी में बहुत से

(श्री केसरीसिंह हांडा)

उद्योग धन्धे पनपते। आखिर यह सीमेन्ट फैक्टरी जो बूंदी के अन्दर 60-70 साल पूर्व लाखेरी में थी, जैसा कि राजस्थान में इस प्रकार का उद्योग धन्धा राजस्थान बनने के पूर्व एक भी नहीं था। आज उस सीमेन्ट फैक्टरी को खतम करना चाहते हैं और दूसरी तरफ निम्बाहेडा में खोल दिया जाता है, इसका मैं माननीय सभानेत्री महोदया घोर विरोध करता हूं। या तो वापिस बूंदी में सिमेन्ट फैक्टरी खोली जाय, नहीं तो उद्योग मंत्री जी अपने पद से त्याग-पत्र दें। इतना ही कहकर मैं कटोती के प्रस्ताव सदन के समक्ष पेश करूंगा।

श्री **भगवानदास शास्त्री** : मेरा है।

**श्रीमती सभानेत्री** : श्री जुझार सिंह। नहीं। संसोपा के बोलिये।

**श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल** (बयाना): सभानेत्री जी, आज हम सदन में राजस्थान सरकार की उद्योग नीति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में कुल मिलाकर मैंने 6 कटौती के प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत किये थे। वैसे देखा जाय तो राजस्थान सरकार की उद्योगों के बारे में कोई नीति नहीं है। मैं यह बात नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर राजस्थान की सरकार अगर उद्योगों को नही बढ़ाना चाहती है, अगर उद्योगों को प्रश्रय नहीं देना चाहती है तो साफ तरीके से क्यों नही कहें कि उद्योगों के सम्बन्ध में हम कोई नीति नहीं रखते है। आज ज्यादा समय नहीं है, मैं पूरे विवेचन में नहीं जाऊंगा। आज राजस्थान की सरकार का विशाल क्षेत्र है। उसमें राजस्थान सरकार का समय आ गया है, उसको घोषणा करनी चाहिये कि कौनसे सेक्टर में वह धन लगाना चाहती हैं। प्राइवेट सेक्टर को बढ़ना चाहती है, या पब्लिक सेक्टर को बढ़ाना चाहती है या सहकारिता के क्षेत्र को बढ़ाना चाहती है। ये तीन ही सेक्टर हैं। हमारी राजस्थान की सरकार ने इन तीनों को ही कोई प्रायरिटी नहीं दी है। आज समाज वाद को तो ढोल पीटते हैं कि हम समाजवाद लाना चाहते हैं। यह बात तुक नहीं खाती है कि आखिर राजस्थान की सरकार कौनसी तरफ जाना चाहती है। अगर वे प्राईवेट सेक्टर को बढ़ाना चाहते हैं तो पब्लिक सेक्टर को बन्द कर दें और अगर पब्लिक सेक्टर को बढ़ाना चाहते हैं तो प्राईवेट सेक्टर को बन्द कर दें। पब्लिक सेक्टर के अन्दर लोगों की आस्था घटती जा रही है कि उसमें घोटाले होते हैं। मैं आज धौलपुर की बात नहीं कहूंगा। मैं एक बात कहूंगा, सभानेत्री महोदया, कि राजकीय जो उद्योग हैं, उनके लिये राजस्थान की सरकार ने कोई प्रभावकारी कदम् नहीं उठाये हैं। सरकार के मिल घाटे में जा रहे हैं, सेठ मुनाफा कमा रहे हैं। मजदूर जो मिलों में काम करता है, उसके लिये घाटा है परन्तु उसका जो मालिक है वह मुनाफा कमाता है। धीरे धीरे सारा धन काले बाजार में चलता जा रहा है। मैं आज राज्य सरकार से यह चाहूंगा कि वह साफ तरीके से कहें कि कौन से सेक्टर को बढावा देना चाहती है'-यह बात साफ हो जानी चाहिये कि अमुक अमुक प्रकार की इन्डस्ट्री प्राईवेट सेक्टर में चलेगी और अमुक अमुक प्रकार की इन्डस्ट्री पब्लिक सेक्टर में रन करेगी या सहकारिता की इन्डस्ट्री को बढ़ावा देना चाहती है। आज

(श्री मुकुटबिहारी लाल)

तक राजस्थान की सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई। यह योजनाविहीन सरकार राजस्थान को किधर ले जा रही है, यह तो परमात्मा हो जाने। मैं तो एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर राजस्थान की सरकार और दूसरे केन्द्रीय सरकार को यह कहूंगा कि अभी से यह मन बना लेना चाहिये कि हम बड़ी इन्डस्ट्रीज–लार्ज स्केल इन्डस्ट्रीज के रूप में या छोटे उद्योगों के रूप में कोई सीमा निर्धारित करना चाहते हैं। यह बात तय करनी चाहिये कि कुटीर उद्योगों के रूप में चलाना चाहते हैं तो किस प्रकार की इन्डस्ट्री को प्रोत्साहन करना चाहते हैं। आज एक तरफ कोटा के अन्दर बड़ी बड़ी इन्डस्ट्रीज पनप रही हैं। बड़ी खुशी की बात है, कोटा में इन्डस्ट्रीज पनपे। मैं तो बहुत निहायत नम्रता के साथ आपके माध्यम से यह बात कहूंगा कि जो आटोमेशन है–स्वचालित यंत्र बढ़ाने की जो प्रवृत्ति चल रही है। वह हमारे देश के लिये कलंक है। स्वचालित यंत्रों से अपने आप काम होता है। एक आटोमेशन तरीके से काम होता है, वह देश के लिये घोर कलंक है। मैं, सभापति महोदया यह कहना चाहूंगा कि यह नरभक्षी यंत्र है : इन मशीनों को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रोकना चाहिये नहीं तो भयंकर बेरोजगारी होने वाली है। हम आटोमेशन से–आज जो मेन-पावर है, सरप्लस मेन पावर है, उसका पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हमारे सामने आज कोई इस प्रकार की योजना नहीं है। हमारे सामने विचार और नीति निर्धारण के लिए कोई सिद्धान्त नहीं है कि हम आज देश को किधर ले जाना चाहते हैं। आज अगर इस तरह आटोमेशन चलता रहा तो भयंकर बेकारी फैलेगी और सभा नेत्रीजी इसका नतीजा यह होगा कि हमारे देश में बेरोजगारी बेहद बढ़ जायगी और पंचवर्षीय योजना में यह दिनों दिन बढ़ती ही जायगी। आज आवश्यकता इस बात की है कि छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन दें। जो छोटे-छोटे 1–2 हार्स पावर की मशीनों से चलने वाले घरेलू उद्योग धन्धे हैं उनको प्रोत्साहन दें। आज रेयन फैक्टरी, नायलोन फैक्ट्री, बिनायका इन्डस्ट्री है उसको आटोमेशन सिस्टम से चला दें। आज एक बात कहना चाहूंगा कि जिन मुल्कों में कैपिटल की कमी है, जिन मुल्कों में सरप्लस मेन-पावर है उन देशों के अन्दर यह आटोमेशन यूज किया जाय तो निश्चित तौर से बेरोजगारी आयगी। आज अमेरिका जैसे देशों में यह सफल नहीं हुई। उसके लिये प्रेजीडेन्शियल कमीशन बैठाना पड़ा जो उस पर चैक लगाने की बात कह रहा है कि इसको कैसे रोका जाय। तो जहां हमारे देश में जब कि हमें रोजगार के श्रोतों की तलाश करना है तो ऐसे समय में कोई नीति निर्धारित करनी पड़ेगी। आटोमेशन कहां तक करना चाहते हैं ? आज हमारे यहां सरप्लस मेन-पावर है। आटोमेशन में एक आदमी के स्थान पर हजारों आदमियों के काम करने की क्षमता होती है, इसको बिलकुल हटाना चाहिये ताकि हमारे देश को रोजी-रोटी मिल सके, उद्योग धन्धे पनप सकें, हजारों आदमियों को जो बेरोजगार हैं, उनको रोजगार मिल सके, इस प्रकार की नीति को लेकर चलना चाहिये। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि अब समय है जब कि पूरो तौर से योजना तैयार की

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

जाय जो और राज्य सरकार घोषणा करे कि जो इस प्रकार की इन्डस्ट्री को प्राईवेट सेक्टर में लेना चाहते हैं, इस प्रकार की इन्डस्ट्री को पब्लिक सेक्टर में लेना चाहते हैं और इस प्रकार की इन्डस्ट्री को सहकारिता में बढ़ावा देना चाहते हैं और साथ ही कुटीर उद्योगों की इन्डस्ट्री को इस प्रकार चलाना चाहते हैं। गांधीजी देश की नब्ज को जानते थे। ग्राम स्वावलम्बी हों, इस रूप में वे ग्राम को इकाई मान कर चलते थे। वे जानते थे कि इससे देश को गरीबी मिटेगी। देश की गरीबी को मिटाने के लिये उन्होंने चर्खा चलाया। मशीनों के स्थान पर उन्होंने चर्खे का उपयोग बढ़ाया जिससे देश की गरीबी को समाप्त किया जा सके। आज राज्य सरकार को सही तरीके से सामने आना चाहिये जिससे सही तरीके से जनता के सामने यह चीज हो जाय कि सरकार किस प्रकार से उद्योग धन्धों को चलाना चाहती है।

इसके अलावा, भरतपुर में जो इन्डस्ट्रियल एस्टेट एरिया है उस ओर मैं अपने कटौती प्रस्ताव द्वारा राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

सभानेत्री महोदया, वहां जो इन्डस्ट्रियल एस्टेट कायम की उसकी जो दुर्दशा है उससे ज्यादा किसी दूसरी जगह की दुर्दशा नहीं होगी। उस एरिया में पानी उपलब्ध नहीं। उद्योगों में काम करने वालों के लिए पीने का पानी उपलब्ध नहीं। इस के लिये रानीवाला कुआ अलोट किया गया। दो साल हो गये इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट चालीस हजार रुपया चाहता था वह आज तक मन्जूर नहीं हो सका। पानी की समस्या, बिजली की समस्या इतनी खराब है। भरतपुर का बिजली घर मौजूदा हालत में अलवर जिले को, सवाई-माधोपुर, भरतपुर के इलाके को बिजली मुहैया करता है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मैं अपने समय का ही उपयोग कर रहा हूं उसी परिधि में बोल रहा हूं।

मैं निवेदन कर रहा था भरतपुर के इन्डस्ट्रियल एरिया के बारे में बिजली की वहां इतनी कमी है कि लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है। रोड्स पर उस एरिया में लाइट नहीं है वहां हमेशा लुटने का डर रहता है। सुरक्षा की व्यवस्था नहीं। अगर वहां पर इन तीन चीजों की व्यवस्था कर दी जाय बिजली, सड़क और पानी की तो सभापति महोदया, मैं राज्य सरकार को आश्वासन देता हूँ कि अपने आपही वहां बगैर आपके किसी प्रकार के सहयोग के 200 इन्डस्ट्रीज पंजाब से आकर लोग लगाने के लिये तैयार हैं। राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि और अन्य व्यक्ति जब बाहर जाते हैं, मारवाड़ी लोग जो दूसरे प्रान्तों में बसे हैं उनको जाकर बड़े बड़े आश्वासन दे आते हैं, उनके सामने बड़ी तस्वीरें खींचते हैं। अभी माननीय सदस्या बोलीं उन्होंने बेंगलोर की बात कही थी। मैं खुद भी दक्षिण में गया था वहां के लोगों ने मुझ से कहा जब चन्दे का सवाल आता है तो हमें सरसब्ज बाग दिखाये जाते हैं यह भी कहा गया कि एक मंत्री महोदय यहां पधारे थे उधार कपड़ा खरीद कर ले गये उन्होंने पैसे भी नहीं भेजे...

**श्री हरिदेव जोशी :** कौन लेकर आये हैं ?

**श्री मुकुट बिहारी लाल :** अगर मंत्रीजी चुनौती देकर कहें तो कहता हूँ कि यह यादव जी की बात है। यह कोई नई बात नहीं है।

**श्री हरिदेव जोशी :** मेरे डिपार्टमेन्ट की डिमान्ड्स चल रही हैं आप किसी मंत्री का रेफरेन्स देते हैं तो यह मेरे लिये लाजमी होता है कि मैं उसका जवाब दे सकूँ।

**श्री मुकुट बिहारी लाल :** मेरा समय जा रहा है आप इस पर जोर न दें। यह बात मैंने इसलिये कही थी कि बैंगलोर के लोगों ने मुझे बताया था राजस्थान के एक मंत्री हैं जो कुछ रुपया भी उधार ले गये और कपड़ा भी ले गये लेकिन अभी तक लौटाया नहीं। उनको चाहिये कि उधार जो लाया जाय तो वह लौटा देना चाहिये। जब मेरे सामने यह बात चली तो मुझे बहुत बुरा लगा। माननीय मंत्री जी को चाहिये कि वह रुपया वापिस कर दें। ऐसी बात बुरी लगती है उधार जो चीज लाते हैं उसका जरूर भुगतान कर दिया जाना चाहिये।

**श्रीमती सभानेत्री :** आपका समय 12 मिनिट ही है।

**श्री मुकुट बिहारी लाल :** भरतपुर के इन्डस्ट्रियल एरिया के अन्दर पानी, बिजली और सड़कों की व्यवस्था कर दी जाय तो बहुत से मारवाड़ी ऐसे हैं वह बहुत बड़ी कैपीटल लगाने के लिये तैयार हैं। आज स्थिति यह है कि राजस्थान के निवासी जो अन्य प्रान्तों में बसे हुए हैं उनको जगह जगह अपमानित होना पड़ रहा है। आज राजस्थान सरकार में क्षमता नहीं, राजस्थान के लोगों के बारे में कुछ कदम उठावे। आसाम में किस प्रकार का व्यवहार हुआ, बंगाल के अन्दर किस तरह का हो रहा है बिहार और मद्रास में क्या उनके साथ हो रहा है शिव-सेना और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के लोग किस प्रकार उनको तंग कर रहे हैं आज उनको वहाँ पर चैन नहीं है। आपको समय रहते कदम उठाना चाहिये अगर राज्य सरकार औद्योगिकरण के लिये मौका दे तो वे यहां अपनी पूंजी लगा सकते हैं वे हमारे प्रान्त की बेहबूदी में हिस्सा ले सकते हैं। जिस प्रकार हिन्दुस्तान के निवासियों को बर्मा, सिलोन और कीनिया से निकाला जा रहा है वह तो बाहरी देशों की हम आलोचना करते हैं वहां हम देखें कि हमारे ही देश में रहने वालों को देश ही में विदेशी समझा जा रहा है। राजस्थान के निवासी राज्य सरकार को सदैव सहयोग देने के लिए तैयार हैं वे यहां उद्योग लगाने के लिये तैयार है यदि आप कोई उच्चस्तरीय योजना बनाकर चलें तो।

भरतपुर का तेल उद्योग भी नष्ट होता जा रहा है वहां इस समय दस तेल उद्योग चल रहे हैं जिनके लिये बिजली उपलब्ध नहीं है। अपने खुद के इन्जन से वे उद्योग को चलाते हैं ऐसी दयनीय दशा है। उनको कोई भी किसी प्रकार की राहत नाम की चीज नहीं। इस साल बरसात में यह एरिया डूब गया उसके लिए एक लाख रुपया लोन का दिया गया उसका नतीजा क्या हुआ ? हमारे देश का चरित्र कितना गिर गया है कि जिनको सरकार मदद पहुंचाना चाहती है उसमें से लोग कमीशन लेते हैं लोगों से राहत के नाम पर जो पैसा बांटा गया उसमें से दो परसैन्ट कमीशन लिया गया। जिस प्रकार बाढ़ पीड़ितों को सहायता दी गई जिनके घर बरबाद हो

(श्री मुकुट बिहारीलाल)

गये, खेत बरबाद हो गये जिनके पास खाने के लिए अन्न का दाना नहीं था, उन गरीब आदमियों के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई सहायता में पच्चीस परसैन्ट तक वसूल कर लिया गया। इसके साथ साथ एक ही मिनिट में निवेदन कर देता हूँ भीलवाड़ा के अन्दर दो बरतन के कारखाने चलेंगे जिनको ताम्बा मिलता है, पीतल और स्टील मिलता है और कोटा मिलता है सब जाकर बम्बई में जाकर बिक जाता है। चम्मच तक नहीं बनता। एक ताम्बे का ट्रक पकड़ा गया दो साल हो गए राजस्थान सरकार ने उसके लिए कोई कार्यवाही नही की।

यह जो राज्य सरकार की नीति है उसको विकास के लिए ठीक नहीं समझा जा सकता। राज्य सरकार को उद्योग के क्षेत्र में विकास करना है तो यह दृढ निश्चय करना होगा और उसके लिए एक माकूल योजना बनानी होगी। पहले तो इन्जीनियरिंग कालेज खोले गये, सैकड़ों लड़कों को भरती कर लिया पोलीटेकनिक खोल दिये हजारों लड़कों को भरती कर दिया और डींग हांकने लगे कि हम इतने इन्जीनियर तैयार कर देंगे लेकिन अब उन सब को बन्द करना पड़ रहा है इस प्रकार की कल्पना उद्योग में नहीं चलेगी। यह जो नीति है वह दिवालियेपन की नीति के अलावा कुछ नहीं। अन्त में मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा यह समय है परिपक्व तरीके से कोई भी नीति अपनाइये ताकि आप सही तरीके से प्रान्त में उद्योगों की स्थापना कर सकें। राजस्थान में कुटीर उद्योग चलाने का आधार बन सके।

(4 म. प.)

तीनों सैक्टरों के बारे में मैंने बातें रख दीं। स्वावलम्बन, ग्रामस्वराज्य और ग्रामोद्योगों के बारे में आप कहां तक बढ़ना चाहते हैं। यह मोटी मोटी बातें हैं।

और मनुष्य की जो मैन पावर है उसमें पूरे उपयोग की आप प्रतिज्ञा कर लें। सरप्लस मैन पावर को काम में लगाने के लिए यह नरभक्षी मशीनें जो लगाई गई हैं उनको राजस्थान के बाहर समुद्र में ले जाकर डाल दिया जावे। यही बात कहनी है मुझे।

**श्रीमती सभानेत्री :** श्री मेहता।

**श्री मनोहरसिंह मेहता** (मांडलगढ़) : सभानेत्रीजी, लगता ऐसा है कि हमें बिनाश के गड्ढे में डूबना ही है। मैं जानता हूं कि · ·

**श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल :** कितना समय दिया मेरे लिए ?

**श्रीमती सभानेत्री :** 15 मिनट।

**श्री मनोहरसिंह मेहता :** मुझे कितना समय देंगे ?

**श्रीमती सभानेत्री :** सात मिनिट।

**श्री मनोहरसिंह मेहता :** मैंने तो सात ही लिखे हैं।

**श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल :** घंटी बीच बीच में बजती रही। अब शेष समय में मेरे दूसरे साथी बोल देंगे जिन चीजों पर बोलने में समयाभाव के कारण मैं जस्टिफाई नहीं कर सका उन पर।

**श्री मनोहरसिंह मेहता :** बापू का हम बार बार नाम लेते हैं पर हम सब उलटे चलते

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

हैं बापू ने कहा था। जब आजादी आई और नये नये कल कारखाने लगने लगे और कांग्रेस ने तय कर लिया कि हम अब मिलें खोलेंगे तो गांधी ने कहा कि मेरी मिल तो चरखा है और कपड़ा जो कम से कम स्वराज्य में गांव में ही काता और बुना जावेगा और चरखा चलेगा साथ साथ में सभी ग्रामोद्योग जीवित होंगे।

इसका मतलब यह नहीं था कि हवाई जहाजों में लोग न चलें या अखाद्य तेल के टीन में मिलने लगे। जितने खाद्य तेल हैं वे गांवों में निकलें और बाकी अखाद्य तेलों के लिए मिलें लगा सकते हैं। खाद्य तेल गांवों में ही निकलें ताकि तेलियों को काम धन्धा मिले, गांव स्वावलम्बी बने लोग बेकार न हों। गांव अन्न और वस्त्र के मामले में स्वावलम्बी बने। गांधी ने कहा अगर बिड़ला की मिल जल भी जावे तो मैं दुखी नहीं होऊंगा हालांकि बिरला मेरा मित्र है और उस मिल में भूकम्प भी आ जावे तो मैं इसके लिए आराम नहीं पूछने जाऊंगा।

पर सुनता कौन है उस डोकरे की ? आप विकास के नाम पर बहुत कुछ कर रहे हैं। आज जब वित्त मन्त्री ने कहा कि लाटरी में एक रुपया जमा कराता है तो लाख भी मिल सकते हैं तो मुझे महसूस हुआ कि बापू की पीठ पर कोड़ा लगाया है।

क्या यह सारा का सारा उल्टा काम कर रहे हैं ? सभी ग्रामोद्योगों को जीवित करिये।

एक तरफ बैल की मदद देते हैं, दूसरी तरफ ट्रैक्टर मंगाते हैं। अमेरिका में तो ट्रैक्टर इसलिये हैं कि वहां जमीन बहुत है और लोग बैल को खाते हैं। यहां बैल खाना नहीं चाहते। हम गाय को जीवित करना चाहते हैं। पर डालडा की मिल गायमार घी की मिल खोल देते हैं। गौ माता गौ माता कहने से गाय की रक्षा होने वाली नहीं है। अपने मां बाप बूढ़े हो जाते हैं तो क्या कहते हैं कि खूब जीवित रहें पर उनकी आत्मा को सुख मिले इस दृष्टि से उनकी काया सोख मोख हो जावे तो अच्छा है। जब मां बापों के लिये यह कल्पना करते हैं तो केवल गौ माता कहने से क्या होगा। उसको उपयोगी बनावेंगे तब काम बनेगा। ट्रैक्टर से खेती करने लगे हो पर अन्त में पछताओगे। बिना बैल और गाय के आपका काम चलेगा नहीं।

गाय बैल को उपयोगी बनाइये। खाद्य तेल का धन्धा तेली को दीजिये, गांव गांव में उद्योग धन्धे खड़े करिये। अखाद्य तेलों आदि में आप भले ही मिलों का मशीनों का उपयोग कीजिये। पर इस तरह की योजना बनावें जिससे गांव हरा भरा हो जावे। आज तो हालत यह है कि गांवों में सौ पचास घरों में से एक में भी छाछ नहीं मिलती है। हिन्दुस्तान फला फूला हो, छाछ दूध दही मिलता हो, घी मिलता हो। लेकिन आज तो यह सत्य सिद्ध हो रहा है कि—

खांड डली घी भी गम्यों,
यो कईं आयो राज,
दुर्लभ होगी देश में
डली गोल की आज।

आज आपकी इस नीति ने और उल्टे कामों ने गांव में गुड़ की डली भी दुर्लभ कर दी है। आप कहते हैं गांव की तरक्की हुई। पर है क्या ? आप गांव में जाकर देखिये तो सही।

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

बेकारी मारी बढ़ी भूखा मरर्‌या लोग ।
चोपट होग्या चूगता: गांवां रा उद्योग ।।

सब गांवों के कुटीर उद्योगों को चौपट कर दिया गया है। पर भगवान ने तय कर लिया मालूम होता है कि इस देश का तो विनाश करना है एक बार। पढ़े लिखे लोग बेकार होकर निकलते हैं। आज तो हालत यह है कि पढ़ा-लिखा लड़का उसका बाप बक्स उठाकर सिर पर रख कर ले जा रहा है और मां खेत में पानत कर रही है तो भी बेटा उसकी मदद नहीं करेगा। वह श्रम से दूर ही रहेगा, वह बक्स उठा कर ले जाने में शर्म महसूस करेगा। पानत करना अपनी शान के खिलाफ समझेगा। आज आपकी शिक्षा का यह परिणाम निकला है कि श्रम और बुद्धि अलग अलग पड़ गये हैं कृपया करके श्रम और बुद्धि का समन्वय करिये और बुनियादी तालीम चलाइये।

( घंटी )

अधिक वक्त नहीं लूंगा। मन्त्री जी, जिनको गांवों के प्रति दर्द है जो खुद गांव से आये हैं कृपया उद्योगों को ग्राम कुटीर उद्योग का इस तरह से नियोजन करिये जिससे गांव का काम अच्छा चल सके।

कई लोग खादी की आलोचना करते हैं। वाजिब है उनकी आलोचना। क्योंकि विनोबा ने कहा है। खादी को गादी से लड़ना है। खादी होनी चाहिये मोटी। उसमें से 18 सूत्री कार्यक्रम निकलना चाहिये। नहीं निकलता है तो खादी खादी नहीं है। तो खादी की लड़ाई है गादी से। बड़े से बड़ा अधिकारी भी खादी में काम करने वाला हो। अगर वह भी पाक और साफ नहीं है तो महकमा मत दीजिये उसे। किसी खादी संस्था ने बेईमानी की है तो किसी और को आप सजा दें या न दें, पर जो खादी में काम करता हो और वहां उसने बेईमानी और चोरी की हो तो उसे हथकड़ी डालकर सरे बाजार में घुमाइये। इस खादी में धब्बा मत लगने दीजिये। इसलिये महरबानी करो इस पवित्र खादी में धब्बा न लग सके ऐसा करिये। गांधी ने तो दो बजे रात्रि को राउण्ड टेबल कान्फ्रेन्स से लौटने पर भी रात्रि को दो बजे चरखा काता है। अच्छा हुआ गोडसे ने उठा लिया। नहीं तो आज आपको यह सारी करणी देख कर क्या कहता ?

पर इसमें हमारा भी दोष नहीं है। अमेरिका से इतना धन आ रहा है जिसके कारण उल्टा रास्ता सूझ रहा है। धर्म भी गया और बुद्धि भी गई। हमारा सबका सब लुट रहा है। फैमिली प्लानिंग और उद्योगीकरण के नाम से उनकी आड में लूट चल रही है, चारों तरफ से पैसा लो।

मुझे ताज्जुब होता है जिस कारखाने में एक एक करोड़ रुपया लगता है जिसमें ओटोमैटिक मशीनें लगी हैं और वहां कुल 200 तीन सौ आदमी काम करते हैं। अगर वही एक करोड़ रुपया गांवों में कुटीर उद्योगों में लगाया जाय तो न मालूम कितने हजार आदमी काम पर लग सकते हैं। इसलिये आपका चिन्तन इस ओर चलना चाहिये।

यह बात कह कर बैठना चाहता हूं कि ग्रामोदय, ग्रामोद्योगों की ओर ध्यान दीजिये, नहीं तो सर्वनाश की ओर हम बढ रहे हैं, इससे न यह देश बच सकेगा न राजस्थान भी बच सकेगा।

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

आप कहते हैं लाटरी के बारे में। सब जगह चलती है यह इसलिये राजस्थान में चले तो क्या हर्ज हैं। दूसरे स्थानों पर लोग अगर गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो हम क्यों चलें? राजस्थान ने तो मार्ग दर्शन किया है देश का। मीरा और प्रताप, पद्‌मिनी और अन्य महान् सन्तों वीरों ने मार्ग दर्शन दिया है। कृपा करके इसको न भूलें। राजस्थान की भूमि बड़ी वीर प्रसूता है, बड़ी काम की है और सारे राष्ट्र का मार्ग दर्शन राजस्थान को करना है।

श्री भगवानदास : जनसंघ के दल का भी समय था।

श्रीमती सभानेत्री : आ जावेगा।

माननीय गिरधारी लाल।

श्री जयनारायण खालोडिया : कट मोशन की दृष्टि से नहीं ले रहे हैं।

श्रीमती सभानेत्री : सभी साथ आते रहे हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (आसीन्द) : सभानेत्री जी, माइका माइन्स भीलवाड़ा जिले में बहुत हैं और इस उद्योग के द्वारा हजारों मजदूरों को काम मिलता है। उद्योगपतियों को लीजें दी जाती हैं। उनके अन्दर इस प्रकार की शर्त जोड़ देनी चाहिये कि अगर उद्योगपति मजदूरों को पेमेन्ट समय पर न कर सके तो उसकी लीज समाप्त कर दी जावेगी।

माननीय सभापति महोदया, इस बारे में मैंने पिछले दो तीन साल से यहां प्रश्न उठाये हैं और बार बार इसके सम्बन्ध में निवेदन किया है कि हजारों मजदूरों की जीविका के साथ ये चन्द पूंजीपति बराबर खिलवाड़ करते आ रहे हैं और राज्य सरकार अपनी ओर से बराबर इन लोगों को लीज देकर समय समय पर उनकी अवधि बढ़ा कर मजदूरों का खास तौर से शोषण करा रही है।

इस शोषण का अगर राज्य सरकार अन्त करने के लिये इस प्रकार की पाबन्दी नहीं लगाती है तो यह शोषण समाप्त नहीं होगा।

मैं भीलवाड़ा जिले के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर 15 हजार मजदूर माइका में काम करते हैं और आज हजारों केस इस प्रकार के हैं कि कोर्टों में केस चल रहे हैं साल साल भर से मजदूरी उनको नहीं दी गई है।

मैं आपसे और खास तौर से हमारे मन्त्री महोदय से जो खनिज मन्त्री भी हैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस उद्योग को ज्यादा से ज्यादा अगर आप अपनाना चाहते हैं तो अगर हम खानों में काम करने वाले श्रमिकों को शोषण से नहीं बचावेंगे जाग-रुक रह कर समय पर मजदूरों को मज-दूरी नहीं दिलावेंगे तब तक ये उद्योग विकसित नहीं हो सकते न खनिज सम्पदा विकसित हो सकती है।

इस कारण मजदूरों में हड़ताल का रोग दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है हजारों केस कोर्ट में चल रहे हैं। वकीलों के अभाव में मजदूर अपना मामला सही ढंग से रख नहीं पा रहे हैं। माइनिंग विभाग के पास शिका-

(श्री गिरधारी लाल व्यास)

यत करते हैं तो विभाग कोई कार्यवाही नहीं करता। फिर लीज होल्डरों में मजदूरों के करोड़ों रुपया बकाया है मजदूरी के। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये। जब तक सरकार इधर ध्यान नहीं देगी मजदूरों के शोषण को हम रोक नहीं सकेंगे।

मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर आप राजस्थान में खनिज सम्पदा को ज्यादा से ज्यादा पनपाना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा फैलाना चाहते हैं तो आपको मजदूरों के पेमेन्ट के सम्बन्ध में कुछ न कुछ हल निकालना पड़ेगा और मैं आपको बराबर चार-पांच साल से निवेदन करता आ रहा हूं कि इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ प्रावधान लीज के अन्दर किया जाये लेकिन आप कहकर टाल देते हैं कि जब तक एक्ट के अन्दर संशोधन नहीं होता तब तक हम कोई व्यवस्था नहीं कर सकते तो राज्य सरकार की तरफ से इस एक्ट में संशोधन करने के लिए भारत सरकार को मूव करना चाहिए या व्यवस्था करनी चाहिए। जब तक आप कोई न कोई व्यवस्था नहीं करतें तब तक खानों के मालिक मजदूरों के पैसे से अपना धंधा चलाते रहेंगे और शोषण करते रहेंगे। तो इसके सम्बन्ध में कुछ न कुछ प्रबन्ध होना चाहिए।

दूसरी एक बात और है इस सम्बन्ध में उस ओर भी मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब मजदूरों का साल साल और दो-दो साल से पेमेन्ट नहीं होता और हम पेमेन्ट आफ वेजेज अथोरिटी के पास उसका दावा करने जाते हैं तो जो कम्पन्सेशन उसमें मिलना चाहिए देरी के कारण क्योंकि मजदूरों को समय पर पेमेन्ट नहीं मिलता है तो उसको वजह से जो मानसिक नुकसान उसका होता है, जो ब्याज उसको बोहरों से लाई हुई रकम पर देना पड़ता है तो यह सब इस प्रकार की बातें हैं कि जिनकी वजह से मजदूरों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है और पेमेन्ट आफ वेजेज अथोरिटी जिसको आपने नियुक्त कर रखा है वह इसके सम्बन्ध में कोई ध्यान नहीं देकर इस बात का बहाना लेते हैं कि इस प्रकार का कम्पन्सेशन जब तक एप्लीकेशन में नहीं बताया जाये कि किन कारणों से नुकसान हुआ है जब तक और कारण जाहिर नहीं किये जायें तब तक नुकसान नहीं दिया जाये। तो इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि किसी आदमी को साल-साल और दो-दो साल तक मजदूरी नहीं मिले तो क्या उसको कम्पन्सेशन मिलना स्वाभाविक नहीं हो जाता है? क्या उसके सम्बन्ध में कोई साबित कराने का प्रश्न रहता है। जिस आदमी को साल दो साल से बराबर पेमेन्ट नहीं हो उसका आर्थिक नुकसान, मानसिक नुकसान या और किसी प्रकार का नुकसान क्या उसको नहीं होता है? यह कोई सोचने और समझने की बात है? इसलिए इस सम्बन्ध में आवश्यक प्रावधान कानून में हो तो वह कराया जाना चाहिए। पेमेंट देरी से किया जाता है तो उसमें लाजिमी तौर से मालिक से कम्पन्सेशन मिलना चाहिए मजदूर को इस सम्बन्ध में कोई न कोई प्रबन्ध होना चाहिए।

(श्री गिरधारी लाल व्यास)

दूसरा निवेदन और है। सभानेत्री महोदया, मैं उद्योग मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं फतेहनगर जो शुगर मिल चित्तौड़ भोपालसागर शुगर फैक्टरी चल रही है उसमें कम से कम 15 लाख रुपये का पेमेंट अब तक काश्तकारों का गन्ने का निकलता है। इस सम्बन्ध में उद्योग मन्त्री महोदय कुछ न कुछ व्यवस्था करके उन काश्तकारों को जिनको अब तक पेमेंट नहीं हुआ है उनको जल्दी से जल्दी पेमेंट कराने की व्यवस्था करें और इस सम्बन्ध में उचित निर्देश डाईरेक्टोरेट के जरिये या जो भी अथोरिटी हो जिसको इस सम्बन्ध में एक्शन लेना चाहिए उसको जल्दी से जल्दी निर्देश देकर उस फैक्टरी से काश्तकारों को जल्दी से जल्दी पेमेंट दिलाया जाये।

एक पाइन्ट और है कि चित्तौड़ में जो सीमेंट फैक्टरी है और सूखा सीमेंट वहां पर पैदा होता है। उससे बहुत धुंआ निकलकर आसपास के मीलों जमीन में उसका उड़ा हुआ रेता काश्त की जमीन पर फैल जाता है। उससे काश्त की फर्टीलिटी खत्म होती है और बोई हुई काश्त भी खराब हो जाती है तो मन्त्री महोदय का इस ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इससे हजारों काश्तकारों को नुकसान हुआ है। इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ उचित व्यवस्था कराई जाये जिससे जमीन की फर्टीलिटी खत्म न हो और काश्तकारों की फसल भी खराब न हो।

माइका के सम्बन्ध में मैं और निवेदन करना चाहता हूं खास तौर से कि यह हजारों और लाखों मजदूरों का सवाल है। मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ इस प्रकार की व्यवस्था करायें जिससे गरीब मजदूरों को राहत मिल सके और छोटे मोटे टटपूंजिये आपके लीजहोल्डर्स हैं जिसको लीज दी जाती है वह पैसा समय पर नहीं देते हैं और बराबर उनका शोषण करते रहते हैं तो कम से कम ऐसे लीज होल्डर्स की लीज खत्म कीजिए या फिर इस प्रकार का आर्गेनाइजेशन स्थापित कर दें कि जिससे राज्य सरकार स्वयं माइका निकाले और सरकार स्वयं धंधा करे। यह धन्धा काफी फायदेमन्द है लेकिन ऐसे लोगों के हाथ में यह उद्योग चला जाता है जिसके पास न पूंजी है, न किसी प्रकार के साधन हैं जो इस उद्योग को अच्छी तरह से चला सकें। कई मजदूरों के काम करने के बाद भी पेमेंट नहीं करते और बराबर उनका शोषण करते आये हैं इसलिए इस शोषण को समाप्त करना चाहिए और मजूदरों को उनकी मजदूरी मिले इसकी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि यह उद्योग फले फूले और ज्यादा से ज्यादा लोगों को धंधा दे सकें। इस सम्बन्ध में मैं बारबार यही कहूंगा कि इसकी उचित व्यवस्था करायें।

**श्रीमती सभानेत्री** : श्री भगवानदास शास्त्री।

**श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम): सभापति महोदया, मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 35 उद्योग के बारे में मैंने एक कटौती प्रस्ताव रखा था। कटौती प्रस्ताव रखने के समय हाथ तो बिल्कुल नहीं चलता था कि मैं

(श्री भगवानदास शास्त्री)

कटौती प्रस्ताव रखूं लेकिन वर्तमान सत्ता और वर्तमान गवर्नमेन्ट के प्रशासन में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है बिल्कुल हार्दिक विचारों से मैंने यह कटौती प्रस्ताव रखा है। उद्योग कैसे होने चाहिए, किस को सहायता मिलनी चाहिए जहां तक आप मुर्गी पालन की बात देखें 5 हजार रुपया कमाने वाले भी सौ रुपये का नौकर रख कर सरकार से सहायता ले लेते हैं। उसके साथ ही साथ तांबे का कोटा बन्द कर दिया और कोटा बन्द होने से राजस्थान में जितने उद्योग थे वे बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं। ऐसे ऐसे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कि तांबे का कोटा लेकर जिनके तीन कपड़े बदन पर नहीं थे वह 3 लाख का उद्योगपति है और उसका पूरा समय किशनगढ़ से अजमेर और अजमेर से बम्बई तक है और आज वह जयपुर में भी व्याप्त होने की इच्छा कर रहा है। तो अगर कांग्रेस में ऐसा कार्यकर्ता है तो यह कांग्रेस के ऊपर कलंक है। जो मंत्रियों से दुर्व्यवहार करके झूठे परमिट और कोटा लेकर जनता के कुटीर उद्योगों को खतम करे और खुद कमाये यह सरकार के लिए कलंक है।

(4. 18 म. प.)

(श्री पूनम चन्द विश्नोई उपाध्यक्ष, पदासीन)

अजमेर में गोटा का व्यापार था। अजमेर की चुंगी के कारण गोटा समाप्त हुआ। किशनगढ़ में गोटा फैक्टरी के नाम से तांबे के और अनेक कोटा प्राप्त किये, कोटा आदि का दुरुपयोग हो रहा है। वह उद्योगों के विनाश का कारण है। चाहे आप सत्ता में रहें लेकिन आप अपने कार्यकर्ताओं से सावधान रहें। वह चाहे करोड़पति बन जायें लेकिन वह आपको डुबोकर रहेंगे। जनता अब वह पुरानी जनता नहीं जो कि आपके अन्धविश्वास में थी। आज भारतीयता के नाते राजस्थान की जनता अनेक प्रकार के जितने राजकीय परिवर्तन हुए उसके बाद वह सजग है। उद्योगों के नाम से खामखां पैसा बरबाद हो रहा है और जिसको सहायता मिलनी चाहिए उनको समय पर सहायता नहीं मिलती और आज यदि गोटा फैक्ट्री लग जाये या पावर लूम लग जाये वह 10 परिवारों को पालना दे सकती है। अजमेर के अन्दर चम्बल की लाईट भी आने के बाद किसी को नये कनैक्शन्स नहीं दिये जाते हैं। आपने कपड़े का बिजिनेस ले लिया। आप फूड कारपोरेशन बना रहे हैं। उद्योग में इसके सिवाय कोई बिजिनेस नहीं है। घर घर में पावर लूम होना चाहिए। घर घर में गोटा फैक्ट्री की कम से कम एक मशीन होनी चाहिए जिससे लोग अपनी उदर-पूर्ति कर सकें। वह पुराना जमाना था जब कि एक कमाता था और दस खाते थे आज तो जमाना यह है कि 10 हैं तो 10 ही कमायें तब जाकर उदर-पूर्ति होती है। सुनारों को आपने आमूल नष्ट कर दिया। सुनारों को खा गये मोरारजी भाई। सुनारों को एक हजार रुपया मुआवजा या लोन के रूप में देने से समस्या हल होने वाली नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको कटौती प्रस्ताव के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि उद्योगों को अगर आप बढ़ावा देना चाहते हैं और विशेष तौर से जब आप कोई सहायता देते हैं तो उनके ऊपर इन्सपेक्टर रखे जायं कि जो कोटा, जो तांबा जिस व्यक्ति को जिस नाम से दिया है वह उसको प्रयोग में लाता है कि नहीं। लाइसेन्स

(श्री भगवान दास शास्त्री)

और परमिट के दुरुपयोग के कारण एक व्यक्ति विशेष तो लखपति हो जाता है और पेट-पालना करने वाला एक मामूली व्यक्ति अपने पेट की पालना नहीं कर सकता है। इसलिये जो कुटीर उद्योग हैं-घर-घर में चर्खा चले, घर-घर में पावरलूम्स हों। मत्स्य-पालन के पक्ष में कुछ कहूं, मैं मत्स्य-पालन के पक्ष में हूं या नहीं यह मेरी निजी विचारधारा है, लेकिन इतना कह सकता हूं कि मुर्गी-पालन भारत के लिए कलंक है। लेकिन अन्य नाना प्रकार के जितने भी उद्योग विशेष तौर से लुहारी के, तांबा-पीतल और ब्रास के जितने जितने बिजिनेस थे, जो जो उद्योग थे और जो आज भी ऐतिहासिक निशानियों के रूप में जिन्दा हैं उसके बारे में कटौती-प्रस्ताव आपके समक्ष है। समय काफी हो गया है और मेरे और भी साथी हैं वह बोलने की इच्छा करते हैं, इसलिए मैं इसको यहीं समाप्त करता हूं।

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय उपाध्यक्ष ...

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय ...

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया !

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय उपाध्यक्ष, ...

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय 5 बजे उत्तर देंगे।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): उद्योग विभाग की मांग पर मेरे दो कटौती प्रस्ताव हैं। अभी हमारी पार्टी के एक पूर्व वक्ता ने टोंक के चर्म-उद्योग के एक बड़े कारखाने के खोलने के सम्बन्ध में कुछ बताया, उस सम्बन्ध में आपके द्वारा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। टोंक में राजस्थान की सरकार ने गये साल एक इस तरह की घोषणा की कि हम टोंक में एक अन्तर्राष्ट्रीय चर्म उद्योग का कारखाना खोलने वाले हैं। मुझे जहां तक जानकारी है आज तक उस सरकार की घोषणा, वित्त मंत्री जी की घोषणा का क्या हुआ? उसका क्या वजन है, वह सरकार की घोषणा या मथुरादास माथुर की घोषणा थी, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कुछ दिन पूर्व मुझे जानकारी मिली थी कि कुछ सर्वे-बर्वे इस तरह का हुआ है, कई जगहें देखी गई हैं, लेकिन जो मुझे पूरी जानकारी है वह यह है कि यह सब राजनैतिक स्टण्ट हैं और वहां के बहुसंख्यक समुदाय, शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को जिनका कि चमड़े का धन्धा है, उनको मुगालते में लटकाये रखने की दृष्टि से, उनका फेवर हमेशा रखने की दृष्टि से इस तरह से समय समय पर घोषणा, समय समय पर क्या नाम सर्वे, इस तरह का करवा देते हैं गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह के लोगों की जानकारी के लिए और शहद की बूंद उनके मुंह में टपकती रहे और सरकार की तरफ देखते रहें, सरकार से सम्बन्ध विच्छेद न हो, वे यह देखते रहें कि टोंक में इस तरह का कारखाना लगने वाला है जिससे हमारी आर्थिक और टोंक की स्थिति में बहुत कुछ सुधार होगा। इस तरह की इमरजेन्सी वहां टोंक में पैदा कर रखी है। यह बिल्कुल धोखेबाजी की बात है गरीब लोगों के साथ अन्याय की बात है, उनके वोट गलत तरीके से खरीदने की बात है, उनको सरकार का

(श्री जयनारायण सालोदिया)

समर्थन करने के लिए जबरदस्ती मजबूर करने की बात है। अगर इस तरह की बात नहीं है तो क्या मजबूरी है? मुझे मालूम हुआ कि वित्त मंत्रीजी दूसरे कन्ट्री का दौरा भी करके आये हैं और यह जानकारी भी की है कि चमड़े का उद्योग किस तरह से चलता है और उसमें क्या क्या जरूरत होती है। मुझे यह मालूम नहीं है कि माथुर साहब चमड़े के धन्धे को समझना चाहते हैं। उनको कब से चमड़े के धन्धे में दिलचस्पी होने लगी है, यह तो मुझे जानकारी नहीं है। मुबारक हो उनको यह दिलचस्पी। अच्छा हो कि उनकी दिलचस्पी इसमें बढ़े। लेकिन उनकी दिलचस्पी एक दिखावामात्र है, एक ढोंग मात्र है। और सरकारी घोषणाएं, माननीय उपाध्यक्ष, लोगों के दिमाग में यह घर करती जा रही है कि विधान सभा की घोषणाएं, राज्यपाल महोदय द्वारा कराई गई घोषणाएं, वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणाएं, मुख्य मंत्री द्वारा की गई घोषणाएं, इस तरह की हो गई हैं कि आम जनता के सामने इनका कोई महत्व नहीं है, कोई वजन नहीं है, कोई इम्पॉर्टेन्स नहीं है। वे यह समझते हैं कि यह सरकार इस तरह की घोषणा करने की आदी हो गई है। अभी मैंने एक अखबार में एक कारटून पढ़ा है। अभी मुख्य मंत्री महोदय ने एक घोषणा की थी उसके सम्बन्ध में लिखा है कि मुख्य मंत्री महोदय ने एक घोषणा और की। उसमें कारटून में नीचे लिखा है कि उसने भी सीनियोरिटी की दृष्टि से घोषणाओं की लिस्ट में एक नम्बर और बढ़ा दिया। इस तरह की मान्यता हो जाय सरकार की घोषणाओं के सम्बन्ध में, सरकार के बारे में इस तरह की विचारधारा हो जाय तो इस तरह की सरकार कब तक किस विश्वास पर टिकी रह सकती है, यह आप भी समझते हैं और सरकार भी अच्छी तरह से समझती है। मैं वित्त मंत्री महोदय से पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस तरह का चमड़े का कारखाना टोंक में स्थापित करना है तो अपने जवाब में उस पर पूर्ण प्रकाश डालें। अब तक क्या किया? अब तक क्या मजबूरियां थीं उनके सामने और अब क्या करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं? अगर नहीं करना चाहते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। न हम प्रेस डालते हैं उन पर। यह उनकी ही तरफ से हुआ था। हमारा तो सवा सोलह आना विश्वास है कि यह कुछ करने वाले नहीं हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मौके का इंतजार कर रहे हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : लेकिन मैं निवेदन कर दूं कि उसमें भी इनको बहुत कुछ डिफीट खानी पड़ेगी। आप कारखाने के भरोसे निश्चित वोट लेने जायेंगे तो गलती करेंगे। उनको जानकारी है। उसका अच्छा फल मिलेगा आपको। यह मैं आपको कह देता हूं।

जयपुर में एक राजकीय चर्मकला शिक्षण संस्थान चलता है, माननीय उपाध्यक्ष। उसमें कुछ लड़कों को ट्रेनिंग दी जाती है चमड़े के काम की। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह लड़के अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र, चरित्र के प्रमाण-पत्र लेने के लिए मेरे पास आते हैं। मैं उनसे पूछता हूं और मैंने उस केन्द्र को एक दफा जाकर भी देखा है। वहां इस तरह की बात है कि लड़कों का टाइम खराब होता

(श्री यदनारायण सालोदिया)

है और स्टाफ को उनकी तनख्वाह मिले इसके सिवाय और कुछ नहीं होता है। माननीय उपाध्यक्ष, 19 लड़के एक शिफ्ट में काम करते हैं। दो शिफ्ट हैं 19-19 लड़कों को। 19 लड़के एक शिफ्ट में काम करते हैं और वहां पर जहां तक मेरी जानकारी है आई. ए. एस. आफिसर से लेकर करीब 19 या 22 आदमी हैं उनकी व्यवस्था के सम्बन्ध में उन सब के नाम मेरे पास है, अगर उनका वेतन जोड़ा जाय तो उस स्कीम के बजन को देखते हुए उनके वेतन में ही सारा रुपया पूरा हो जाता है। जितनी भी स्कीम की बात है वह सारी उन लोगों के वेतन पर पूरी हो जाती है, और लड़कों को ट्रेनिंग के नाम पर उनको ट्रेनिंग जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। उनको नाममात्र को 40 रु. महीना वजीफा देते हैं और लड़के बेकार बैठे हैं तो चलो इस ट्रेनिंग सेन्टर में दाखिल हो जायं यह सोचकर आ जाते हैं। सरकारी स्टाफ भी इसी दृष्टि से कुछ करता है, और एक या दो साल का उनका ट्रेनिंग पीरियड होता है वह उसी तरह से हो हुआ कर चलता है। दिक्कत यह है कि कोई लड़का ट्रेन्ड होकर दो साल के बाद ट्रेनिंग सेन्टर से निकलता है तो उसकी तरफ सरकार की कोई तवज्जह नहीं है। उसको प्राइवेट में जाकर कोई काम करे उसके लिए वजीफा दिया जाय। मशीन खरीदने के लिए, फर्म खरीदने के लिए और चमड़ा खरीदने के लिए लंपसम अमाउन्ट दिया जाय और यह देकर विदा किया जाय जिससे घर जाकर वह अपनी ट्रेनिंग का उपयोग कर सके, काम कर सके। लेकिन यह भी सरकार नहीं करती है। दूसरे जहां पर इन्सट्रक्टर्स की भरती होती है तो इस प्रमाण-पत्र की कोई वकत नहीं है। वैसे ही इन्सट्रक्टर्स की जगहें कम हैं। इस स्कीम पर हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपये साल में खर्च होते हैं और लड़कों का समय बर्बाद होता है लेकिन आप अलग से काम करने की व्यवस्था नहीं करते। यदि अलग से काम करने की व्यवस्था की जाय तो महसूस करना पड़ेगा कि आप के द्वारा जो प्रमाण-पत्र मिला है उससे बम्बई में नौकरी करने के लिए उसकी मान्यता होनी चाहिए या पंजाब और दूसरे प्रान्तों में जाकर नौकरी करने के लिये उसकी मान्यता होनी चाहिए, मद्रास के लिए मान्यता होनी चाहिए। इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे हमारा पैसा खर्च होता है उसका कुछ न कुछ उपयोग हो।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं कुटीर उद्योग या छोटे-छोटे धन्धों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मैंने बार-बार सदन में निवेदन किया है कि बड़े-बड़े उद्योगों की तरफ सरकार का ध्यान रहा है लेकिन हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि बहुसंख्यक समाज के छोटे लोग जो पीढ़ियों से काम करते आ रहे हैं उनके विकास के लिए क्या कुछ किया गया है? मैं सरकार से आंकड़ों के रूप में पूछना चाहता हूं लेकिन सरकार कुछ नहीं बता सकती। मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि कुटीर उद्योगों के संबंध में सरवे करना चाहिए कि कौन कौन से गांवों में कितने लोग किस किस तरह का उद्योग पहले करते थे और अब वे किस तरह का उद्योग करना चाहते है और उनके लिए क्या क्या चीजें सरकार मुहैया कर सकती है, इस तरह का सरवे करायेंगे तो आपको फायदा होगा। कुटीर उद्योग थोड़े से

(श्री जयनारायण सालोदिया)
पैसों से पनपेगा और लोगों को फायदा होगा जो लोग बेकार बैठे हैं, कम पढ़े लिखे हैं और जिनके पास किसी तरह का सर्टिफिकेट नहीं है वे भी काम पर लग सकते हैं।

अब मैं एक मिनिट में निवाई के भट्टा उद्योग के बारे में निवेदन कर देना चाहता हूं। हमारे यहां चूना पकाने के भट्टे का उद्योग है जो छोटे और गरीब लोगों के हाथ में है। भट्टे में काम आने वाली मिट्टी और कंकर को जयपुर के एक ठेकेदार को लीज पर दिया है। वह ठेकेदार उन मजदूरों से, जो मुश्किल से मेहनत करके दिन भर में 2) कमा पाते हैं, बजरी, बजरी से मतलब है मिट्टी की एक गाड़ी पर चार आने की गाड़ी के हिसाब से वसूल करता है। इसी तरह से चूने में काम आने वाले कंकड़ जो खुद खोदकर अपने बैलों की गाड़ी पर बैठ कर लाना चाहते हैं उनसे फी गाड़ी 1) रुपया वसूल करते हैं। हम मंत्री महोदय से भी इस संबंध में मिले। उन्होंने कहा कि लोज का मतलब यह है कि वह खुद काम करे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह लीज होल्डर खुद काम नहीं करता है और दूसरों से करवाता है। खुद के द्वारा खोदने की बात नहीं है वह तो नगरपालिका की चुंगी चौकी पर बैठ जाता है और जितनी गाडियां आती हैं उनमें से प्रत्येक से 1) रु. फी गाडी ले लेता है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि 2) रुपये सारे दिन में सारे घर के आदमी मिल कर कमाते हैं उनसे भी वह 1) रुपया वसूल कर लेता है। यह छोटा कुटीर उद्योग है, मध्यम और निम्न श्रेणी के लोग काम करते हैं उनसे लेना शुरू किया है। उसने अफवाह फैलाई है कि सारे निवाई शहर को लीज पर ले रखा है। मंत्रीजी अपने जवाब में स्पष्ट फरमावें कि कौनसा एरिया कितने में लीज पर दिया हुआ है। इसमें समझने जैसी कोई बात नहीं है। मोटी अक्ल का आदमी भी बता सकता है कि लीज पर ठेकेदार को जो जयपुर में रहता है 500) रुपये साल में लीज दे दिया है लेकिन वह चाहे तो 10 हजार रुपये भी साल भर में वसूल कर सकता है। हमने उससे पूछा कि शिड्यूल बताइये किस तरह से वसूल कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा और कम से कम तो उसने कहा कि कोई शिड्यूल नहीं है, गवर्नमेन्ट का कोई हुक्म नहीं है जितनी मेरी मर्जी आवे उतना वसूल कर सकता हूं। आज वह 1) रु. फी गाड़ी वसूल करता है, कल स्वप्न में उसके यह जंच जाय कि 2) रु. गाड़ी वसूल करना चाहिए तो वह 2) रुपये गाड़ी की दर से वसूल कर सकता है यह तो नहीं होना चाहिए कि जिसका 500) रु साल के हिसाब से लीज पर दिया है वह गरीबों से 10 हजार रुपये वसूल करले। इस तरह की व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं करनी चाहिए। समाजवाद का नारे लगाने वाली और गरीबों का हित करने का दावा करने वाली सरकार को यह नहीं करना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल, जयपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उद्योग मंत्रीजी का ध्यान केवल दो तीन बातों की ओर दिलाना चाहूंगा। जहां तक इस उद्योग विभाग द्वारा कोटा, परमिट और लाइसेन्स देने का प्रश्न है उनकी एक-एक गाथा

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

का वर्णन करने लगूं तो समय नष्ट हो जायगा। मेरी इतनी मान्यता है कि उद्योग मंत्रीजी स्वयं अनुभवी हैं, सुनते सुनते उनके कान आदी हो गये हैं लेकिन मैं उद्योग मंत्रीजी आपसे यह जरूर जानना चाहूंगा कि क्या राज्य सरकार का यह पुनीत कर्तव्य नहीं हो जाता है कि देश के उत्थान के लिए, देश की आर्थिक उन्नति के लिए उद्योग विभाग को इस तरह का बनावें कि जिसके द्वारा बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकें और आने वाली कठिनाइयों को दूर कर सकें। जब कभी इस सदन में उद्योग विभाग के सम्बन्ध में या अन्य किसी विभाग के सम्बन्ध में कोई प्रश्न पूछा जाता है और उस प्रश्न का संबंध दूसरे मंत्री से होता है तो उसका जवाब देने के बजाय यह कह देते हैं कि इस प्रश्न का संबंध दूसरे मंत्री से है इसलिए उनके पास भेज दिया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या केबिनेट की जोइन्ट रैस्पोन्सिबिलिटी नहीं है कि सारा मंत्री मंडल मिल कर समस्याओं पर विचार करे। यदि आप लोग मिलकर समस्याओं पर विचार करें तो देश का और प्रान्त का उद्धार कर सकते हैं। मैं दो तीन सवाल रखना चाहता हूं।

इंजीनियरों की बेकारी की समस्या आई तो केबिनेट ने बजाय समस्या का हल करने के डिसीजन लिया कि जो इंजीनियर नौकरी पर आते हैं उनको एम्प-लोयमेन्ट नहीं दे सकते तो उनकी भर्ती की सीटें कम कर दी जायं इसके बजाय क्या राज्य सरकार उचित समझेगी कि निजी कारोबार के लिए यदि कोई लायसैन्स, एड, कोटा या परमिट लेकर काम शुरू करना चाहे तो ऐसे पढ़े लिखे व्यक्तियों को स्वावलम्बी बनाने के लिए उनको हर तरह से सहायता सरकार देने को तैयार है? यदि सरकार इन लोगों को छोटे छोटे कारखाने चलाने के लिए सहायता देने लगे तो ये लोग अपने छोटे कारखाने स्वयं चलाने लगें और 10-20 आदमियों को एम्पलोयमेन्ट भी दे सकें। लेकिन आपने इस समस्या की ओर इस तरह से ध्यान न देकर इस ओर ध्यान दिया कि इंजीनियरों की संख्या ज्यादा बढ़ रही है तो उनकी भरती कम कर दो इसी तरह से आपने पोलीटेक्निक वालों के लिए किया। यह मेरा सुझाव है कि राज्य सरकार के दृष्टिकोण में परिवर्तन आना चाहिये। हमारा दृष्टिकोण इस तरह का होना चाहिये कि देश को विकास की ओर ले जायं। यदि आपका दृष्टिकोण इस तरह से परिवर्तित नहीं होगा तो मैं कहना चाहता हूं कि आप केवल कालेजों से निकलने वालों की नौकरी की तलाश करने वालों की फौज तैयार करना चाहते हैं तो देश का भला इससे नहीं होगा। राजस्थान के नागरिकों को शिक्षा इस तरह की दी जाय कि वे स्वावलम्बी बनें और अपने खुद के उद्योग धंधे खोल कर देश का स्वावलम्बन और आगे बढ़ावें। इस तरह की भावना के साथ यदि उद्योग विभाग चाहे तो समस्या को हल कर सकता है।

मेरी एक छोटी सी समस्या यह है कि उद्योग विभाग के पास छोटे छोटे कारखाने खोलने वाले व्यक्ति आते हैं तो उनके लिए बिजली का कनेक्शन दिलवाने का सवाल आता है, कुछ सहूलियतें राज्य सरकार की

# Page No.132



(श्री दुर्गालाल बादशाह)
ओर से, मिलती हैं, उस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं, एक नहीं पचासों बातें मेरे ध्यान में आई हैं जो आपके नोटिस में लाता हूं।

आपके यहां कनेक्शन के लिए कोई एप्लाई करता है तो यह साधारण बात नहीं है कि उसको कनेक्शन रूटीन के अन्दर मिल जाय। इसके लिए लोगों को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है, उनको लाल फीताशाही का मुकाबला करना पड़ता है, इसके साथ ही उनको इधर उधर का कितना ही व्यय करना पड़ता है—उसका जिक्र मैं यहां पर नहीं करना चाहता। क्या कोई नीति निकाली इतने वर्ष में, माननीय उद्योग मंत्री जी, अपने अनुभव के आधार पर? आप अध्यापक भी रह चुके हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन में रह चुके हैं, सब प्रकार की साईकोलोजी आप जानते हैं, इसके उपरान्त भी क्या इसका निराकरण करने की आपने चेष्टा की। ऐसा प्रतीत होता है कि इस बात पर आप ध्यान नहीं देते। आपके सामने ऐसे लोग आते हैं जिन व्यक्तियों से आपका कोई सम्बन्ध होता है या किसी प्रकार से उनके एप्रोच हो सकते हैं, उनको कर्जा दे देंगे। बड़ी बड़ी लोन दे देंगे, उनको कोटा दे देंगे, लाइसेन्स ग्रान्ट कर देंगे। हम नहीं चाहते कि इन बड़े बड़े पूंजीपतियों को आप निहाल करते रहें वैसे हमें इनसे द्वेष नहीं हैं, ईर्ष्या नहीं है लेकिन हम यह अपेक्षा करके चलना चाहते हैं कि जो स्वावलम्बी बनना चाहते हैं, जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो इस प्रकार बेकार बन कर निकलते हैं और जो स्वावलम्बी बनने के लिए काम करना चाहते हैं उनके लिए राज्य सरकार की योजना इस प्रकार की नहीं है कि उनको प्रशिक्षण दिया जायगा उनको ट्रेनिंग दी जायगी। मैं कहूंगा कि इसके माध्यम से आप बेकारी की बहुत बड़ी समस्या को हल कर सकते हैं। माननीय उद्योग मंत्री जी, एक बात मैं आपके सामने और निवेदन करना चाहूंगा। जहां तक उद्योगों की उन्नति का प्रश्न है, उसके लिए तीन चार बातें बहुत आवश्यक होती हैं, उसके लिए शक्ति संचालन के लिए विद्युत् भी चाहिए, उसके लिए बिजली भी चाहिए और दूसरे साधन भी उनको उपलब्ध होने चाहिए—इन तीनों दृष्टिकोणों से राजस्थान की स्थिति का अवलोकन करते हुए आपको विचार करना पड़ेगा। आज जितनी भी पावर आती है उसके डिस्ट्रिब्यूशन के अन्दर पक्षपात किया जाता है। उसके कारण बहुत अधिक निराशा आम जनता में फैलती है, उसके कारण सबसे अधिक हतोत्साह होकर वह बेईमानी की दिशा में आगे बढ़ते हैं। यह सबसे बड़ा दुःख का विषय होता है। मैं अपेक्षा करता हूं कि आप कोई सिस्टम या अपने प्रशासन में इस प्रकार की नीति बना दीजियेगा, जिसके द्वारा उद्योगों का उत्थान करने में जिन चीजों की आवश्यकता है उन आवश्यकताओं की पूर्ति अवश्य हो। लेकिन देखा यह जाता है कि एक आदमी दो चार हजार रुपये का कर्जा करके इन्वेस्ट करता है और वह मशीन खरीदता है, लेकिन उसके बाद में आपके विभाग के वह महीनों तक चक्कर लगाता है लेकिन उसको कनेक्शन नहीं मिलता। इसके विपरीत ऐसे उदाहरण

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

भी देखे गये हैं कि जो असर रखते हैं वह अपने प्रभाव से दस मिनट में कनेक्शन ले आते हैं। तो आपका क्या क्राइटेरिया है, आपका प्राथमिकता का क्या आधार है –जिनके आधार पर आप इस प्रकार के निर्णय करते हैं। यह मेरी समझ में नहीं आया कि प्रायोरिटी का किस आधार पर निर्णय करते हैं। इसको आप सोचने की कोशिश करिये। इसके अतिरिक्त आपका जो भी क्राइटेरिया है, उसको आप जनता के सामने ले आइये ताकि उसकी समय पर पूर्ति होती जाय। लेकिन आज आपने छोड़ रखा है अधिकारियों के डिस्क्रिमिनेशन पर, अधिकारियों की स्वेच्छाचारिता पर। मैं नहीं कहता कि प्रत्येक अधिकारी भ्रष्ट होता है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि प्रायः इस प्रकार की बातें आपके विभाग में होती हैं जिससे लोगों में असंतोष फैलता है। इसलिए आप इसका निराकरण करने की चेष्टा करिये।

अन्त में मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा, जहां तक हमारे यहां लघु उद्योगों का प्रश्न है, आपने जयपुर जिले को बिल्कुल नेगलेक्ट कर रखा है। आज जो भी कोटा, परमिट, लाइसेन्स और आर्थिक सहायता देने का प्रश्न है, उसके आधार पर सारे जिलों को तुलनात्मक दृष्टि से देखिये। अब तक आपने लघु उद्योगों के दृष्टिकोण से जयपुर जिले को कितना रुपया दिया है उद्योगों में इन्वेस्टमेंट के पिछले दस वर्षों के आंकड़ों के आधार पर माननीय मंत्री महोदय आप निष्पक्षता से विचार करके देखिये, कि आपने कितना रुपया किस जिले को किस भांति वितरित किया है? इस जिले में उद्योगों को प्रश्रय देने के दृष्टिकोण से उद्योगों का उत्थान करने के दृष्टिकोण से आपने कभी विचार किया है? मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप पक्षपात की भावना को हृदय से निकाल दीजिये। आप यह देखियेगा कि आप जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, यह तो समय का प्रभाव है कि आप उधर अधिकारी वर्ग के साथ में बैठे हुए हैं। लेकिन समय परिवर्तनशील होता है, समय का मनुष्य को पता नहीं होता। आज उधर बैठने वाले इधर आ सकते हैं और इधर बैठने वाले उधर जा सकते हैं। लेकिन जो उत्तरदायित्व आपके कन्धों पर जनता ने डाला है उसको आप कितना निभाने की चेष्टा करते हैं, कितनी निष्पक्षता की भावना आपके हृदय से निकलती है और आपके कर्मों से निकलती है, इस पर विचार करना निश्चयात्मक रूप से आपके लिए हितकारी है। मैं अपने फायदे के लिए नहीं कहता, मैं जनता के फायदे के लिए कहता हूं, मैं आपके फायदे के लिए कहता हूं। इन सारी बातों से हमारा लाभ नहीं है, आपका है। आपके पांव इससे जमने वाले हैं। इसलिए आपको इन दृष्टिकोणों से विचार करना चाहिए। यदि आप स्वयं चाहते हैं कि आपका पांव फिसलने वाला है इसलिये एक टांग को अन्याय के बल पर जमा कर आप खड़े रह जायं, तो मैं कहता हूं कि वह टांग भी आपकी फिसलेगी। एक बात माननीय सदस्य ने बताई, मुझे भी दक्षिण में जाने का अनुभव हुआ है और वहां पर व्यापारियों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह सही है कि राजस्थान के नागरिक–कहने का अर्थ यह है कि राजस्थान के मूल निवासी वहां पर गये हैं (समय समाप्ति सूचक घन्टी) केवल दो मिनट, उपाध्यक्ष महोदय••

**श्री उपाध्यक्ष** : एक मिनिट का समय बचा है।

**श्री दुर्गालाल बाडदार** : वह देश के प्रत्येक कोने में इतने व्याप्त हो गये हैं, उन्होंने सारे उद्योगों को अपने हाथ में ले रखा है। लेकिन अब देश की बदली हुई परिस्थिति में आप विचार कर लीजिये वह उद्योगपति यहां आ रहे हैं, तो क्या राज्य सरकार योजना बना सकती है कि जो उद्योगपति आज चारों तरफ फैले हुये हैं वह हमारे काम में आ जायं। कुछ सरकार उनकी सहायता करे और कुछ उद्योगों का इस प्रकार नियोजन किया जाय, जिससे एनर्जी, उनका पैसा और सरकार का सहयोग तीनों मिल कर इस प्रदेश और देश को आगे बढ़ा सकें। इसके लिए मैंने तीन चार सुझाव रखे हैं और मैं आशा करता हूं कि उद्योग मन्त्रीजी देश के विकास की दृष्टि से अपने विकास की दृष्टि से, जनता के विकास की दृष्टि से इनको कार्यान्वित करने की चेष्टा करेंगे। मैं समझता हूं, इनको कार्यान्वित करने की चेष्टा करेंगे तभी देश का कल्याण हो सकता है।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय देवीदत्त जी ! केवल सात मिनिट का समय है।

**श्री देवीदत्त गाडिया** : सात मिनिट ! पांच मिनिट यह बोले हैं पांच मिनिट यह बोले है।

**श्री उपाध्यक्ष** : बारह मिनट, पन्द्रह मिनट बोल लिये हैं, अब सात मिनट का समय बचा है।

**श्री रामकिशन** : सात मिनट में इनका काम नहीं चलेगा क्योंकि बारां और शाहबाद की स्थिति गम्भीर है।

**श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां)** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी राजस्थान की सरकार ने बड़े बड़े उद्योगों को जिस प्रकार राहत देने की घोषणा की उन घोषणाओं से ऐसा लगता है कि राजस्थान सरकार और उद्योग विभाग, जो छोटे छोटे उद्योग चलाने वाले व्यक्ति हैं जो मध्यम श्रेणी के व्यापारी हैं, उनकी उपेक्षा करके चलना चाहती है और जो गांवों में कुटीर उद्योग चलाना चाहते हैं उनको आप चोर बनाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, कोटा के अन्दर जो राजस्थान की रियन्स फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अन्दर कोटा की नगर परिषद् की 1964 से 78 हजार रुपये की राशि चुंगी की बाकी थी। जिस समय उस चुंगी को वसूली करने के लिए नगर परिषद् ने कार्यवाही की तो रेअन्स फैक्ट्री के मालिक यहां आकर मिले और उन्होंने यहां पर आकर धरना दिया। उसके बाद में स्वायत्त शासन मन्त्री ने तो इन्कार किया लेकिन राजस्थान के मुख्य मन्त्री ने बड़े रहस्यमय ढंग से 1964 से जो नगर परिषद् की 78 हजार की चुंगी की बकाया थी उसको एक आदेश जारी करवा कर माफ कर दिया। मुख्य मन्त्री ने उस चुंगी को माफ क्यों किया उस रेअन्स फैक्ट्री के अन्दर सुखाड़िया जी के साले दीना भाई का लड़का बसन्तराय आर्य लाइजन आफिसर की पोस्ट पर काम करता है, इस कारण से नगर परिषद् के रूल्स के विपरीत यह काम किया गया। म्यूनिसिपल एक्ट की धारा 107 में साफ लिखा हुआ है कि स्वायत्त शासन विभाग किसी प्रकार वसूली के आदेश जारी करेगा उसके बाद वह आदेश लागू होगा।

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

लेकिन समझ में नहीं आता कि 1964 से जो म्युनीसिपैलिटी की 73 हजार की चुंगी बाकी थी कि इस प्रकार स्वायत्त शासन विभाग की अनुमति बगैर और म्यूनीसिपैलिटी एक्ट के विपरीत इस प्रकार की कार्यवाही क्यों की। इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, आज यह राजस्थान की सरकार एक ओर तो प्राइवेट सैक्टर की तरफ ध्यान रखती है और दूसरी ओर पब्लिक सैक्टर की बात करती है, इस पब्लिक सैक्टर के अन्दर कोटा के अन्दर जो एक फैक्ट्री काम कर रही है, उस फैक्ट्री को तो, राजस्थान की सरकार ने, जो केन्द्रीय सरकार की इन्स्ट्रूमेंट फैक्ट्री चल रही थी, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी. लेकिन यह राजस्थान रेयन्स और विनिग्रल केमिकल्स, जो बड़े बड़े उद्योगपतियों की हैं, इनको राजस्थान सरकार ने केवल इतनी ही छूट नहीं दी बल्कि उसके साथ राजस्थान केमिकल एण्ड बिनियल्स फैक्ट्री को तो नमक के अन्दर भी सुविधा दी है, उसको एक रुपया का कम से कम बीस किलो नमक दिया है जब कि राजस्थान की जनता को एक रुपये का तेरह किलो नमक मिलता है। आज सारी की सारी सुविधायें इन बड़े-बड़े प्राइवेट सैक्टर में काम करने वाले लोगों और फैक्ट्री को दी जाती है। इसी प्रकार केशोराय पाटन के अन्दर सहकारिता के आधार पर शुगर फैक्ट्री चल रही है, इस फैक्ट्री का, उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक बिल्डिंग का निर्माण भी शुरू नहीं हुआ है, अभी तक मशीनरी नहीं आई है, गन्ने के उत्पादन की दृष्टि से कार्यवाही शुरू नहीं हुई है लेकिन राजस्थान के सहकारी विभाग के रजिस्ट्रार महोदय ने राजस्थान के डिप्टी फाइनेन्स सेक्रेटरी के आदेश की अवहेलना करके एक करोड और 26 लाख की मशीन की खरीद करने के आदेश दे दिये हैं। उस फैक्ट्री को सहकारी विभाग के रजिस्ट्रार महोदय ने चौदह हजार रुपये एडवान्स के रूप में, पहली किश्त के रूप में दे दिये। और मेरी जानकारी है कि चौदह लाख की दूसरी किश्त भी दे दी गई है या दी जा चुकी है। 14 लाख रुपये दूसरी किश्त के रूप में दिये जाने वाले हैं। जब कि डिप्टी फाईनेन्स सेक्रेटरी ने अपने आदेश में स्पष्ट शब्दों में ऐसा लिखा है कि जब तक फैक्ट्री की बिल्डिंग बन कर तैयार नहीं हो जाये, गन्ने के उत्पादन की दृष्टि से फाइनल नहीं हो जाय तब तक इस प्रकार अग्रिम रूप में मशीनरी मंगवाने के नाम पर इस तरीके से एडवांस नहीं दिया जाना चाहिए। इस प्रकार बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन के अन्दर जो 44 लाख रु. खर्च होने वाला है, रजिस्ट्रार महोदय ने बड़े रहस्य मय ढंग से उस काम को पी. डब्लू. डी. के सुपुर्द नहीं करके··

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। ये मुद्दे आपने अपने कटौती प्रस्ताव में तो नहीं उठाये हैं। बिल्कुल नये दे रहे हैं।

श्री देवीदत्त गाडिया : इंडस्ट्रीज के सम्बन्ध में है।

श्री उपाध्यक्ष : आपने जो कटमोशन, पांच, छः कटौती प्रस्ताव दिये हैं उनमें नहीं हैं, जिस मुद्दे की सूचना नहीं है उसका उत्तर नहीं दिया जा सकेगा। और, समय भी व्यर्थ खर्च होगा।

श्री देवीदत्त गाडिया : उत्तर दे देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : यह काफी है। पांच छः कटौती प्रस्ताव हैं, इन पर बोलें।

श्री देवीदत्त गाडिया : मैं इस प्रकार की बात कही कि इस प्रकार सहकारिता के क्षेत्र में लाखों रुपया बिना किसी योजना के डिप्टी फाइनेन्स सैक्रेटरी की आज्ञा के विरुद्ध खर्च करने की कार्य वाही की जाती है, इससे औद्योगिक क्षेत्र में काफी धक्का लगता है।

जहां तक बारां क्षेत्र का प्रश्न है, 1961-62 के अन्दर राजस्थान सरकार ने बारां को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया था। लेकिन इस क्षेत्र को औद्यौगिक क्षेत्र घोषित करने के बाद भी आज तक इसके अन्दर किसी भी प्रकार के नये कारखाने खोले जाने की योजना लागू नहीं की है। बारां के अन्दर सब प्रकार के साधन हैं और उसके पास जो किनाडा जगह है वहां कई चीजें ऐसी हैं जिनसे कच्चा माल तैयार होता है। बारां के अन्दर पांच बात तेल क कारखाने हैं लेकिन उद्योग विभाग और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से इन कारखानों को अच्छे ढंग से चलाने के लिए जिन लोगों ने बिजली की मांग की उसको बिजली आज तक नहीं दी गई। इस प्रकार से मांगरोल, कैथून का जो बुनकरों का केन्द्र है, जिसमें लोग डोरिये का काम और पावर लूम का काम करना चाहते हैं जो अच्छी साड़ियां बनाना चाहते हैं, उनको बिजली नहीं दी जाती है, और, पावर लूम नहीं दिये जाते हैं। राजस्थान के उद्योग मन्त्री जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि गोपाल इंडस्ट्री कोटा के अन्दर जो पावरलूम लगे हुए हैं। वह पावरलूम दो व्यक्तियों के लगे हुए हैं। एक व्यक्ति कांग्रेस के नेता हैं। कांग्रेस के नेता होने के नाते जिनको दहेज के रूप में या पालन पोषण के नाम पर दिए गए हैं। जब कि पावरलूम को वह गोपाल इंडस्ट्री का मालिक चलाता है। मेरी जानकारी के अनुसार गोपाल इंडस्ट्री के मालिक कांग्रेस नेता को एक हजार रु. महीना इसी बात का देता है। इस प्रकार जो बुनकर लोग काम करना चाहते हैं उनको पावर दिया नहीं जाता है। जो बुनकर राजस्थान का नाम उज्वलित करते हैं उनको किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती है। (समय समाप्ति सूचक घंटी) उपाध्यक्ष महोदय, शाहाबाद क्षेत्र के अन्दर जो उद्योगों की उपेक्षा की है उसके बारे में एक रिपोर्ट कोटा के भूतपूर्व कलेक्टर एस. एल. खुराना ने जो सन् 63 में राजस्थान सरकार को दी थी, उसमें उन्होंने इसके बारे में लिखा है:-

"I have also gone through the Geological Survey report of Kota State by W. Jervis published during the year 1942. According to it, Bauxite is available in Mammon and Sirol (Khel) to the extent of about 10,50,000 tons and that deposits spread over about 4 sq. miles. They are all good quality and are particularly suitable for the production of aluminium stals and manufacture of aluminium. As regards red oxide of iron, it can be found at Badora, Mahorikhora, Umedpur & Mundiar."

इस प्रकार की रिपोर्ट है कि उस क्षेत्र के अन्दर अच्छी अच्छी धातु है, शाहाबाद इलाके के अन्दर अच्छा एल्युमिनियम और अच्छा लोहा प्राप्त होता है। उस आदिवासी

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

क्षेत्र में, इस इलाके की प्रगति के लिए केन्द्रीय सरकार लाखों रुपया प्रति वर्ष देती है। लेकिन आदिवासियों की माली हालत ठीक नहीं हो पाई है। वह लोग हाथों से काम करना चाहते हैं, उनकी उपेक्षा की जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बारम्बार घंटी बजाने की तकलीफ नहीं दूंगा, लेकिन मैं एक बात की ओर राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज हमारे उद्योग विभाग के जो ट्रेनिंग सेन्टर खुले हुए हैं, मैं उद्योग मंत्रीजी आपसे पूछना चाहता हूं उन ट्रेनिंग सेन्टर्स को क्यों आपने बन्द किया है। ठीक है, आज आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि राजस्थान के अन्दर रहने वाले गरीब लोग लुहार, खाती, चर्म का धन्धा करने वाले हैं, और जो गरीब विद्यार्थी हैं-उनको ट्रेनिंग दी जाय? अच्छा हो कि यह ट्रेनिंग सेन्टर शिक्षा विभाग के सुपुर्द आप कर दें। लेकिन आपका विभाग इतना भी नहीं करता है। इतना ही नहीं आज जो इन्डस्ट्री विभाग के अन्दर कर्मचारी काम करते हैं, उनमें से दो सौ, ढाई सौ कर्मचारियों को सरप्लस डिक्लेअर करके रिवर्ट किया जा रहा है जब कि राजस्थान सरकार के परमानेन्ट करने के नियम हैं और यह सरकार की नीति घोषित है-और उसी घोषित नीति के अनुसार द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस प्रकार की पोस्टों को स्थाई करने का निर्णय किया था, उस सब निर्णय आदि के विरुद्ध आज राजस्थान के उद्योग विभाग के अन्दर दो सौ, ढाई सौ कर्मचारियों को सरप्लस डिक्लेयर कर दिया और उनको रिवर्ट किया गया है। इसके अलावा नियुक्ति की तारीख से कई व्यक्तियों की सर्विस को स्थाई घोषित नहीं किया गया। कई कर्मचारी ऐसे हैं जिन कर्मचारियों ने पच्चीस पच्चीस साल तक उद्योग विभाग में काम किया है और वह अस्थाई रूप में ही आज अवकाश ले रहे हैं उनकी नौकरी समाप्त हो रही है (समय-समाप्ति सूचक घंटी) इस प्रकार की धांधली आज उद्योग विभाग में चल रही है।

मैं अंत में उद्योग मंत्री जी आपसे पूछना चाहता हूं कि करौली के अन्दर जो बहुत अच्छी सीमेन्ट फैक्ट्री के लिए सर्वे हुआ था और राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी थी कि करौली का पत्थर एक सीमेन्ट फैक्ट्री के लिए बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक है लेकिन राजस्थान के मुख्य मंत्री ने साहू जैन के दबाव में आकर, लाखों रुपया कांग्रेस के नाम पर और विरोधी दल के एम. एल. एज. को तोड़ने के काम पर जो पैसा लिया···

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उसके कारण करौली में फैक्ट्री नहीं खोलने के निर्णय को दबाया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि आज करौली की सीमेन्ट फैक्ट्री का क्या हो रहा है?

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह! सात मिनट का समय है।

श्री भैरोंसिंह : एक ही जिले के दो आदमियों को नहीं बोलना चाहिए।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने कटौती प्रस्ताव के द्वारा राजस्थान सरकार को निवेदन करना चाहूंगा कि झुंझुनू जिले में औद्योगीकरण के सम्बन्ध में सरकार की उदासीन मनोवृत्ति रही

# Page No.138



(श्री शिवनाथ सिंह)

है। उसके लिए वहां की जनता समझने लगी है कि राजस्थान की सरकार जानबूझ कर हमारी अवहेलना कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि झुंझुनू जिला वह जिला है, वहां पर खनिज के हिसाब से आप देखें तो जमीन के अन्दर बहुत बड़ा धन दबा हुआ है, शक्ति के हिसाब से देखें तो वहां का इन्सान महनत करना जानता है। वहां की जमीन अच्छी है। हम देखते हैं कि हमारी टेरीटरी पर वहां के जवान हमारे देश की लाज रखते हैं लेकिन जहां राज्य सरकार का सवाल आता है तो लगता है कि उस जिले के साथ उपेक्षा ही बरतती रही है। जब पानी का सवाल आता है तो कहते है कि वहां नहर नहीं जा सकती। इसके अलावा और कोई साधन का सवाल लीजिये, बिजली का सवाल लीजिए तो कहते हैं कि बिजली नहीं जा सकती। उद्योगों का सवाल देखें तो वहां पर उद्योग भी नहीं खोले जा सकते। खेद है, पांच सात साल से हम सुन रहे हैं कि झुंझुनू जिले में, झुंझुनू में एक औद्योगिक बस्ती, इन्डस्ट्रियल एरिया कायम होने वाला है, और उसकी जमीन अलग छांट ली गई थी। पिछले पांच साल से बराबर प्रयत्न हमने किये हैं लेकिन आज तक वहां पर इन्डस्ट्रियल एरिया कायम नहीं हो सका है और जो जमीन छांटी गई थी उस पर लोग आबाद हो रहे हैं...

(5 म. प.)

इसी तरह से दूसरे उद्योग भी वहां पनप सकते हैं पर वहां कोई उद्योग प्रोपोज नहीं किया जा रहा है। ऊन के उद्योग के लिये हमारे वहां बड़ा स्कोप है। हमारा आधा जिला खेती पर और आधा जिला पशु पालन पर निर्भर करता है, वहां लोग काफी तादाद में भेड़ रखते हैं। पहले ऊन की एक इन्डस्ट्री नवलगढ़ में कायम हुई थी, वहां ऊन का सामान बनने लगा था और ऊन वर्गीकरण केन्द्र के नाम से एक केन्द्र वहां पर खोला गया था, आस्ट्रेलिया के लोग वहां आये थे, और लोगों को ट्रेनिंग देते थे, वह कुछ दिन चला और फिर बन्द कर दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से सदन का समय आधे घण्टे के लिये और बढ़ाया जाता है।

श्री शिवनाथसिंह : इस तरह के उद्योग को हमारे जिले में चलाया जाता तो वहां के लोगों को मदद मिल सकती थी और वहां ऊन की इन्डस्ट्री डेवेलप हो सकती थी।

इसी तरह से गवार है वह पहले फोडर के काम में आता था पर अब वह इन्डस्ट्री के प्रोडक्ट के रूप में काम में आता है, गवार का गोंद निकलता है और वह इन्डस्ट्रीज के बहुत काम में आता है। हमारे जिले में गवार बहुत पैदा होता है और इसकी इन्डस्ट्रीज वहां हो सकती है, पर राजस्थान सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। एक ऊन का कारखाना एक्स सोल्जर्स के नाम से चलता था। उस कारखाने में मिलिटरी के सोल्जर्स के लड़के और एक्स मिलिटरीमैन काम करते थे, इससे उन लोगों को धंधा मिलता पर वह भी बन्द कर दिया गया, इस कारखाने के बन्द हो जाने से सेकड़ों लोग बेकार हो रहे है और औद्योगीकरण की दिशा में हमारे जिले को बिलकुल पिछड़ा हुआ रखा जा रहा है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जिले के

(श्री शिवनाथ सिंह)

प्रति औद्योगीकरण की दिशा में हमेशा सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति रही है। एक जिले के लिये हमेशा उपेक्षापूर्ण नीति नहीं बरतनी चाहिये। दूसरे जिले औद्योगीकरण के कारण आगे बढ़ जावेंगे और एक जिला इस तरह से पिछड़ा रह जायगा तो हमारा विकास पूर्ण नहीं हो सकेगा। इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस ओर वे ध्यान दें।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय उद्योग मंत्रीजी।

**श्री डूंगाराम राजोरिया** (दौसा-मु.) : उपाध्यक्ष महोदय, टाइम और बढ़ा दिया जाय, जिनके कट मोशन्स थे वे बोले ही नहीं है .......

**श्री उपाध्यक्ष** : ऑर्डर प्लीज !

**श्री हरिदेव जोशी** (उद्योग मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय मैं माननीय सदस्यों का अत्यन्त आभारी हूं कि उन्होंने अपने रचनात्मक सुझावों द्वारा इस प्रान्त में औद्योगीकरण के लिये कई सुझाव दिये हैं ...

**श्री डूंगाराम राजोरिया** : कितने ही कट मोशन्स ऐसे है, जिनका जवाब मिलना अत्यन्त आवश्यक है, जैसे मैंने कट मोशन दिया है पिछड़े हुए लोगों के....

**श्री उपाध्यक्ष** : लिखित में उत्तर मिल जायगा।

समय समाप्त हो गया है, समय की पाबन्दी तो रखनी पड़ेगी।

**श्री दौलतराम सारण** : कट मोशन्स से घोटाले रखना-चाहते थे, उनका उत्तर ?

**श्री हरिदेव जोशी** : इसलिए मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूँ कि उन्होंने राजस्थान सरकार की इस भावना को समझा कि राजस्थान के अन्दर इस प्रकार की स्थितियां है, आज भी कि यहां के औद्योगीकरण को ठीक ढंग से पनपाया जाय तो राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से आगे बढ़ सकता है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि राजस्थान में आज उद्योगों की जो स्थिति है, उसको संतोषजनक नहीं कह सकते, संतोषजनक इसलिये नहीं कह सकते कि हमारा प्रदेश औद्योगिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। आज इस प्रदेश में काफी पोटेन्शियलिटीज हैं जिनको उपयोग में लाना चाहिये पर लाया नहीं जा रहा है। इसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारण हैं। मैं उन कारणों की विगत में न जाकर राजस्थान सरकार इस बारे में क्या सोचती है, वही कहना चाहता हूं।

मैं माननीय सदस्य की इस राय से सहमत हूं कि राज्य सरकार की उद्योग नीति स्पष्ट होनी चाहिये और राज्य सरकार के सामने यह स्पष्ट होना चाहिये कि कौन कौन से उद्योग किस सेक्टर के द्वारा चलाये जायं, क्या वे उद्योग प्राइवेट सेक्टर में चलाये जायं पब्लिक सेक्टर में चलाये जायं, अथवा कोआपरेटिव सेक्टर में चलाए जायं। यह जब तक साफ नहीं हो तब तक हम उसके लिये उचित वातावरण नहीं बना सकते और ठीक लोगों को भी उन उद्योगों के लिये चूज नहीं कर सकते।

# Page No.140



(श्री हरिदेव जोशी)

किन्तु उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि हिन्दुस्तान में अब यह चीज अस्पष्ट नहीं है कि कौन से उद्योग किस क्षेत्र मे खोले जायं। इन्डस्ट्रियल पोलिसी का डिक्लेरेशन भारत सरकार द्वारा किया जा चुका है कि कौन से उद्योग प्राइवेट सेक्टर में होंगे, कौन से उद्योग पब्लिक में होंगे और कौन से उद्योग कोआँपरेटिव सेक्टर को दिये जायं, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में क्लेश हो तो किस प्रकार उनमें समन्वय होगा बड़े उद्योगों और छोटे उद्योगों के बीच में किस प्रकार समन्वय स्थापित किया जाय, यह आज हमारे मुल्क में विवाद का विषय नहीं है।

जहां तक राजस्थान सरकार का सवाल है मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान में तो यह समस्या है ही नहीं। समस्या वहां होती है जहां प्राइवेट सेक्टर भी उद्योग स्थापित करने के लिये तैयार हों, पब्लिक सेक्टर भी उद्योग चलाने के लिए तैयार हो और कोआँपरेटिव सेक्टर भी उद्योग स्थापित करने के लिये तैयार हो, और हम यह तय नहीं कर सकें कि किसको दें। हमारे यहां यह स्थिति नहीं है। अगर कोई समझते हों कि बहुत ज्यादा उद्योग लगाने वाले हमारे यहां आकर एक के ऊपर दूसरे पड रहे हों, तो यह स्थिति हमारे यहां नहीं है। बल्कि हमारे यहां स्थिति यह है कि राजस्थान सरकार चाहती है कि जो राजस्थान मे क्षमता है, जो राजस्थान में मेटिरियल है, जो साधन है, उनका विकास किया जाय और जितना इनके लिये वातावरण बनाया जा सकता है, वह बनाना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, इस दृष्टि से मैं माननीय सदस्यों का ध्यान वित्त मंत्रीजी के बजट भाषण की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कुछ सुविधाओं का ऐलान किया है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जैसा कि मुख्य मंत्रीजी ने बताया था, हम कुछ सुविधाएं देकर उद्योगपतियों को जो पैसा उद्योगों में इन्वेस्ट करना चाहते है, उनको कहना चाहते हैं कि वे राजस्थान में उद्योग लगावें।

पहले जब कभी भी इस सदन में चर्चाएं हुई हैं तो आम तौर पर यह कहा गया है कि राजस्थान सरकार उद्योगपतियों के लिये अमुक प्रकार की रियायतें देती है पर खुशी की बात है कि माननीय सदस्यों ने महसूस किया है कि औद्योगिक विकास के बिना कोई विकास हमारे यहां नहीं हो सकता और वे महसूस करते हैं कि राजस्थान में उद्योगों का विकसित किया जाना चाहिये। इसीलिये हमने उद्योगों को स्थापित करने के लिये ओक्ट्राय में, बिजली में, और जमीन देने में सुविधाओं का ऐलान किया है। आम तौर पर यह पहले होता आया था कि उद्योगपति कोई भी उद्योग लगाते समय चाहता था कि वह अमुक अमुक उद्योग लगाना चाहता है, वे लोग कहते थे कि अमुक उद्योग लगाने के लिये हमारे साथ बिजली की रेट में क्या रियायत होगी, कोई कहता था कि हम अमुक उद्योग लगाना चाहते हैं, हमसे ओक्ट्राय नहीं लिया जाय, कोई कहता था कि हमसे जमीन की कीमत क्या ली जायगी। इसके लिये इन्डिविज्युअल्स से अलग अलग बात करने की बजाय राज्य सरकार ने उचित समझा कि सरकार की एक उद्योग नीति

(श्री हरिदेव जोशी)

घोषित कर दी जाय और उसके अनुसार जो जो भी एप्लाई करें, उनको ये सुविधाएं दी जायें।

ओक्ट्राय के बारे में एक माननीय सदस्य ने बात कही, कोई उद्योगपति उद्योग लगाते समय चाहता है कि कम से कम इतने वर्षों तक उसका उद्योग ठीक तरह से काम कर सके, इसके लिये उसे सुरक्षा चाहिये। पर कुछ उद्योग रामेटिरियल पर आधारित होते हैं, वह रामेटिरियल ओक्ट्राय के कारण प्रभावित होता है तो उनका वह उद्योग पनप नहीं सकता। उदाहरण के तौर पर टेक्सटाइल मिल को ही ले लीजिये, टेक्सटाइल मिल पाली में है, किशनगढ़ में है, उदयपुर में है, जयपुर में है, कोटा में है, गंगानगर मे है, ब्यावर में है, भीलवाड़ा में है। और म्युनिसिपैलिटीज अलग अलग हैं, यदि वे विभिन्न प्रकार की ओक्ट्राय लें, गंगानगर की म्युनिसिपैलिटी कोटन के ऊपर एक प्रकार का ओक्ट्राय ले, भीलवाड़ा की म्युनिसिपैलिटी किसी दूसरे प्रकार की ओक्ट्राय ले, कोटा की दूसरे प्रकार का, कोटा की चौथे प्रकार का ओक्ट्राय ले तो एक ही राज्य में अलग अलग टैक्सेज के कारण कम्पिटिशन पैदा हो जाता है और उद्योगपति उद्योग लगाने से झिझकते हैं,....

**श्री देवीदत्त गाडिया :** आप यह बताइये कि क्या कोयला भी रा मैटिरियल में आता है ?

**श्री हरिदेव जोशी :** जी हां। आप पहले मुझे सुन लीजिये।

तो राजस्थान सरकार ने उचित समझा कि रा मैटिरियल जितना है या जो इम्पोर्ट करना पड़ता है, उस पर ओक्ट्राय नहीं ली जाय। इन्डस्ट्रियली डेवेलप्ड महाराष्ट्र स्टेट है, अपने यहां पर उसने ऐलान किया कि हम ओक्ट्राय नहीं लेंगे। ठीक यही पोजीशन मैसोर के अन्दर है, मदरास मे है, हरियाना में है, पंजाब में है, यू. पी. के अन्दर है। जब भारत के दूसरे राज्य जो उद्योग में काफी विकसित हैं, उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए कई प्रकार की सुविधाएं देते हैं तो हमें विशेषकर राजस्थान के लोगों को सोचना होगा कि हम यह जो अवसर है, इस समय उचित निर्णय लेते हैं, इस बात से परे होकर कि इससे एक नगरपालिका को इतना फायदा या नुकसान होता है, अगर यह सोचते है तो उद्योगों को आकर्षित कर सकेंगे। यहां किसी एक उद्योग को आकर्षित करने या लाभ देने का सवाल नहीं बल्कि राज्य सरकार की सभी लोगों के लिए समान नीति है। उन लोगों के लिए जो आना चाहते हैं अथवा विस्तार करना चाहते हैं। इसलिए राज्य सरकार ने जो निर्णय किया है वह उद्योगों के हक में है और मैं समझता हूं कि एक वातावरण बनेगा जो माननीय सदस्यों ने भावनायें प्रकट की हैं इसके लिए और जो राज्य सरकार इस दिशा में प्रयत्न करना चाहती है, उनको ध्यान में रखते हुए। मैं इस बात से सहमत हूं...

**श्री भैरोंसिंह :** रिट्रासपेक्टिव इफेक्ट से दिया है ?

**श्री हरिदेव जोशी :** पहले दिया है। आज हम इस ओर प्रयत्न कर रहे हैं। एक चीज दूसरी है। कई मित्रों ने कहा कि हम

(श्री हरिदेव जोशी)

अमुक-जगह गए, हम दूसरी जगह गए, वहां पर लोगों ने कहा कि राजस्थान में रेड-टेपिज्म है, फैसला जल्दी नहीं होता है। मैं मानता हूं कि सरकारी निर्णयों के अन्दर कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं और विशेष-कर जब अधिकारियों को कोई जिम्मेदारी अपने पर लेकर कोई निर्णय करना पड़ता है, उनके सामने दुविधयें होती हैं किन्तु मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके मारफत सदन को विश्वास दिलाता हूं कि जो भी यूनिट्स रजिस्ट्रेशन के लिए राजस्थान में आयेंगे, उनका जल्दी से जल्दी फैसला किया जायगा और यह प्रयत्न किया जायगा कि उनको जल्दी से जल्दी लाइसैंस्ज मिल जायं और वे जल्दी से जल्दी अपना काम शुरू कर सकें।

एक बात और। यह समझना कि हमारे पास कोई पेंडिंग दरख्वास्तें हैं, यह भ्रम है और यह समझना कि राजस्थान के बाहरी राजस्थानी आकर यह मांग की है और हमने देरी की है, यह गलत है। मैं भी जब जाता हूं तो मुझसे भी वे इस प्रकार की बात करते हैं, मगर क्योंकि है स्थिति को जानता हूं, मैंने उनसे कहा मैं कि आपने कोई दरख्वास्त दी है, कोई दिक्कत आई है? तो दरअसल ऐसी बातें कम हैं हवा ज्यादा है यहां पर ऐसा हो रहा है। इसलिए जो भी उद्योगपति राजस्थान में इन्वेस्ट करना चाहेगा, सरकार उसकी जितनी भी सहायता हो सकती है देगी और मैंने हर प्रकार से सहयोग देना...

श्री रामकिशन : एक एलान और कर सकते हैं। जो सुविधायें दी हैं उनका तो स्वागत है। लेकिन यह भी एलान करदें कि चंदा नहीं मांगेंगे इससे बड़ा फर्क पड़ेगा उद्योग पर।

श्री भैरोंसिंह : आपकी सलाह मानलेंगे तो राज डूब जायगा।

श्री हरिदेव जोशी : राजस्थान में जब उद्योग आते हैं तो समाजवादी पार्टी उद्योग वालों से चंदा लेने से बाज आई हो, ऐसी बात नहीं है क्योंकि राज्य कांग्रेस का है इसलिए समाजवादी पार्टी को यह नहीं समझना चाहिये राज्य सरकार को पता नहीं है कि आपकी पार्टी को किसने चंदा दिया या नहीं दिया।

श्री रामकिशन : असली जवाब दो।

श्री हरिदेव जोशी : यह सही स्थिति है इसके अलावा पिछले वर्षों के अन्दर राजस्थान के हैंडीक्राफ्ट्स के अन्दर और छोटे उद्योगों के अन्दर काफी बढ़ोतरी हुई है, नए यूनिट्स का जिस्ट्रेशन हुआ है और नए यूनिट्स काम करने लगे हैं। मगर हमें भूलना नहीं चाहिए कि राजस्थान में भौगोलिक और ऐतिहासिक कारण हैं, वे यह कि यहां पावर की इनहीएरेंट कमी थी, बिजली की कमी के कारण हम इस स्थिति में नहीं थे कि किसी उद्योगपति से कहें कि आप उद्योग लगायें। न कि उद्योगपति इतने मूर्ख हैं, जो पैसा लगाते हैं वे अक्लमंद होते हैं, कि वे ऐसी स्थिति में पैसा लगायें। किन्तु अब स्थितियां पलट गईं और पावर पोजीशन काफी सुधरी है। हालांकि आज भी चम्बल जोन के अन्दर 20 प्रतिशत कटौती है किन्तु मैं आशा करके चलता हूं कि वह कटौती भी जल्दी ही समाप्त हो जायगी।

एक माननीय सदस्य ने बतलाया कि

(श्री हरिदेव जोशी)

पावर लूम्स अथवा यहां पर यह नहीं मिलता है, वह नहीं मिलता है, कनेक्शन्स नहीं मिलते हैं। इस बारे में मैं निवेदन कर दूं कि राजस्थान में अब 75 होर्स-पावर तक के कनेक्शन्स के लिए कोई पाबंदियां नहीं हैं, और मीडियम स्केल उद्योगों को, जिनको पहले रात को ही पावर मिलती थी, अब दिन में भी मिलने लगी है और इस प्रकार धीरे-धीरे स्थिति में सुधार हो रहा है और मैं आशा करता हूँ कि महिने डेढ महिने में और भी सुधार हो जायगा और राजस्थान में पावर की कठिनाई सुधर जायगी।

माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किये हैं, उनके अलग-अलग कटौती प्रस्तावों के बारे में बाद में निवेदन करूंगा। मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में हम जो पोटेन्शलिटीज, जो मैंने कही हैं, उनको अगर ठीक ढंग से एक्सप्लोइट कर सकें तो राजस्थान का स्वरूप आने वाले कुछ वर्षों में निश्चित रूप से बदलेगा जैसे मुख्य मंत्री ने कहा। राजस्थान में अगले तीन वर्षों में शायद तीन सीमेंट फैक्ट्रीज लग जायेंगी, एक उदयपुर में दूसरा नोम्बाहेड़ा में और तीसरी ब्यावर में। एक माननीय सदस्य ने बूंदी की सीमेंट फैक्ट्री के बारे में बहुत जोर से कुछ बातें कहीं और एक माननीय सदस्य ने नीम का थाना के लिए कहा। मैं उनकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि सीमेंट उद्योग अब डीलाइसेन्स्ड हो चुका है उसके लिए कोई लाइसेन्स लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई उद्योगपति कहीं कोई सीमेंट फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि उसको 24 घण्टे से ज्यादा माइनिंग लीज के लिए देर नहीं लगेगी। मगर इस चीज को साफ समझिए कि केवल माइनिंग लीज मिल जाने से सीमेंट फैक्ट्री का लग जाना नहीं है। उसके लिए कई दूसरे फेक्टर्स हैं: जमीन मिलना, वह राज्य सरकार दे देगी, लोन के लिए सिफारिश करना, राज्य सरकार कर देगी, पावर देना राज्य सरकार आश्वासन देती है। रह जाता है सीमेंट फैक्ट्री के लिए इकोनोमी वर्क-आउट करना उदाहरण के लिए, बूंदी सीमेंट फैक्ट्री के लिए, जिसके बारे में माननीय सदस्य बहुत एजीटेटेड हैं और जिसके लिए उन्होंने राजस्व मंत्री का त्याग-पत्र मांगा है, उन्होंने जिस भाषा में बात की है उससे ऐसा लगता है कि जैसे कोई उद्योगपति तैयार बैठे हों और राज्य सरकार उसके अन्दर बाधा पहुँचाना चाहती है लेकिन स्थिति इसके विपरीत है। उन उद्योगपतियों को मैंने 4 पत्र लिखे हैं और कमरे में दो मीटिंग्स कर चुके हैं, यही बात है नीम का थाना के बारे में और आबू रोड के बारे में।

**श्री देवीदत्त गाड़िया** : करौली के लिए ?

**श्री हरिदेव जोशी** : स्थिति यह है कि आज नए सीमेंट कारखाने लगाने के बजाय जो उद्योगपति अगर उनके पास डिपॉजिट्स ज्यादा है, तो वे फैक्ट्री का विस्तार करना अधिक इकोनोमीकल समझते हैं और अगर कोई उद्योगपति उद्योग लगाना चाहते हैं तो निश्चित समझें कि वह अपने पास में से 25 प्रतिशत से ज्यादा पैसा नहीं लगाता है बाकी 75 प्रतिशत वह लोनिंग एजन्सीज से लेता है। अगर लोन मिल जाता है तब जाकर वह काम कर सकता है और नहीं मिलता है तो काम नहीं कर पाता है। अब लोनिंग एजन्सीज के

(श्री हरिदेव जोशी)
पास पहुंचना सरकार का काम नहीं है, उनसे लोन लेना सरकार का काम नहीं है। सरकार आश्वासन देती है कि कोई भी पार्टी जो राजस्थान में सीमेंट क्षेत्र में काम करना चाहती है, उसको सैंक्शन के लिए भारत सरकार के पास नहीं जाना होगा, राज्य सरकार यहीं से ही बिजली की सुविधा, जमीन की सुविधा दे सकती है। इसलिए मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह कहना कि अमुक क्षेत्र में तो हम करना चाहते हैं और अमुक क्षेत्र में नहीं, गलत है। सही स्थिति यह है कि जिन उद्योगपतियों ने दरख्वास्तें दीं कइयों ने उनमें से बैकआउट किया जैसे नीम के थाने के क्षेत्र में दो पार्टियों ने दरख्वास्त दी थी दोनों पार्टियों को हमने बुलाया, बात की और उनसे कहा। वापस वे टालकर गए, फिर मैंने उनको पत्र लिखा कि हां या न में जवाब दो। तो उन्होंने बाई दी वे ना में जवाब दिया। हां में नहीं दिया। सीमेन्ट फैक्ट्री लगाना, इतना आसान नहीं है।

श्री केसरी सिंह हाडा : बूंदी के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : पार्टी अगर लगाना चाहे तो लगा सकती है। हमारी ओर से सम्पूर्ण सुविधायें हैं।

श्री केसरीसिंह हाडा : क्या उन्होंने बैंक आऊट कर दिया क्या ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने बैंक आऊट कर दिया। एक तो एरिया को देखकर गवर्नमेन्ट प्रिफरेन्स देती है, एक पार्टी करती है। जब तक वह चाहे करती रहे। कोई भी पार्टी को गवर्नमेंट फोर्स नहीं कर सकती है कि आपको यहीं पैसा लगाना चाहिये। मैं यह तो नहीं कह सकता हूं कि बूंदी में सीमेन्ट फैक्ट्री लग जायगी।

श्री केसरीसिंह : सरकार ने घोषणा क्यों की ?

श्री देवीदत्त गाडिया : करोली में जो सीमेन्ट फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, उसके बारे में क्या कह रहे हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : कौन लगाना चाहता है ?

श्री देवीदत्त गाडिया : बिड़ला कन्सर्न।

श्री हरिदेव जोशी : मेरे पास कोई इनफार्मेशन नहीं है कि करोली में कौन सीमेन्ट फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। मेरे पास आज की तारीख में सीमेंट फैक्ट्री लगाने के लिए कोई भी पेंडिंग एप्लीकेशन नहीं है, जिसका डिसपोजल किया जाना हो। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अमुक एरिया में उदयपुर के लिए कहा जा रहा है। उदयपुर में राकफास्फेट निकला है, उदयपुर में जिन्क निकला है उनको तो उठाकर मैं बूंदी नहीं भेज सकता। अब यह कारखाना उदयपुर में लगा है और वहीं वह एक्सपान्ड होगा। बोरिंग प्लान्ट भी वहीं लगेगा। जहां पोटेंशियलिटीज है वहां राजस्थान की गवर्नमेंट काम करना चाहती है मैं आपको बताऊं जिस समय माननीय सदस्य अपने घरों में होली मना रहे होंगे उस समय में दिल्ली में था और राक फास्फेट····

श्री रामकिशन : खूब मेहनत की ?

श्री हरिदेव जोशी : के बारे में बात कर रहा था। 14 तारीख को फैसला हुआ है कि गवर्नमेन्ट आफ इंडिया उदयपुर में जो राकफास्फेट के डिपोजिट्स है उसका 4.25 पैसे में एक्सप्लाईट करेगी ऐसा रायल्टी के आधार पर हुआ है।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहूँगा कि गंगा-नगर में खाद का कारखाना कब खोलेंगे ?

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, 12 लाख टन के करीब राजस्थान में हो सकेगा जो हम 4.00 रुपये राऊन्ड अबाउट गिनते हैं तो हमारी आमदनी इस प्रकार बढ़ जाती है। फ्लोराइट के जो डिपोजिट्स सीकर में मिले हैं, उसके वर्किंग के लिये गवर्नमेंट आफ इंडिया को दे दिया गया है। वे एक दो वर्ष में इसको देख सकेंगे कि वहां पर सल्फेरिक एसिड का कारखाना लगाकर डेवलप किया जा सकता है। चूंकि राजस्थान के अन्दर राक फास्फेट अवेलेबिल है, सल्फेरिक एसिड अवेलेबिल है इसलिये यह कारखाना वहां कायम हो सकता है चाहे वह सीकर में हो या सीकर के आस पास हो, जहां भी सुविधायें होंगी, वहीं खोल दिया जायगा। यह कहना कि हमारे यहां जो डिपोजिट्स हैं, उसका उपयोग नहीं करना चाहते हैं यह गलत है बल्कि सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो यह है कि इन चीजों पर कोई बहुत जल्दी फैसला नहीं होता है। एक अमुक प्रकार का समय इसमें लगता है। कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे, चाहे वह कोई भी कार्पोरेशन हो, गवर्नमेंट आफ इंडिया का हो या कहीं का भी हो। जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, उतना ही समय ज्यादा लगेगा, उसके लिये उतने ही टैक्निकल एडवाइस की जरूरत होगी और उतनी ही ढील होने की उसमें गुंजाईश होगी। हम इन्वेस्टमेन्ट नहीं होंगे और जितना हो सकेगा उतना ही इस चीज के लिये सहयोग देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने कई चीजों के साथ छोटे छोटे उद्योगों के लिये भी अपने एरिया को डेवलपमेंट करने के बारे में कहा है। विशेषकर झुंझुनूं डिस्ट्रिक्ट से आने वाले दो माननीय सदस्यों ने इन्डस्ट्रियल एरिया की कुछ बातें कहीं। मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं इन्डस्ट्रियल एरिया की स्कीम गवर्नमेंट आफ इंडिया की स्कीम थी। उपाध्यक्ष महोदय, इन्डस्ट्रियल शेड्स बनते थे। गवर्नमेंट आफ इंडिया की दूसरी पंचवर्षीय योजना में यह स्कीम थी। इस स्कीम के तहत अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग शेड्स बने। अब वह स्कीम नहीं है। उसका कारण यह हुआ कि देश के विभिन्न क्षेत्रों के अन्दर जो शेड्स बनें, इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स बनी थीं उसके अन्दर जो पब्लिक अकाऊन्ट कमेटी के सदस्य रहे हैं उन लोगों ने देखा है कि उनको आक्युपाई करने वाले लोग नहीं मिले। यह जनता की शिकायत रही है। मैं नहीं समझता, उसके कई कारण हो सकते हैं किन्तु वह स्कीम अब अबन्डन कर दी है। जो शेड्स हैं, उनको ही मेन्टेन करना है। उनको ही किसी तरह किराये पर देना है। एक स्कीम है एसो-शीयेटेड इन्डस्ट्रियल स्कीम जैसी फालना में है जिसमें गवर्नमेंट इन्डस्ट्रियल एरिया घोषित कर देती है जो इन्डस्ट्रीज लगाने वाले लोग हैं 25 परसेन्ट के अन्दर कन्ट्रीब्यूट करते हैं, 50 परसेन्ट एल. आई. सी. लोन देती है और 25 परसेन्ट स्टेट लोन देती है। इस प्रकार एसोशियेटेड इन्डस्ट्रियल एस्टेट बनती

(श्री हरिदेव जोशी)
है। मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्यों का आग्रह किस बात के लिए रहा है-इन्डस्ट्रियल एरिया घोषित कर देने से अथवा शेड्स लग जाने से है। वहीं पर उद्योग लगेंगे जहां पर इन्डस्ट्रियल एरिया बन चुका है। उद्योग वहीं एस्टेब्लिश होंगे, जहां पोटेंशियलटी है, जहां उद्योग के लिए सब प्रकार की सुविधायें हों।

श्री रामचन्द्र आर्य : चर्म उद्योग के बारे में आपने कुछ नहीं बताया।

श्री मथुरादास माथुर : जोधपुर में उद्योग खुले, बीकानेर में वूलन मील खुले, अजमेर में जी. एम. टी. उद्योग खुले लेकिन मेरे क्षेत्र बांसवाडा और डूंगरपुर में कोई उद्योग नहीं खुल रहे हैं। मैं कभी उसके लिए नहीं कहता, क्योंकि जिस एरिया की जितनी पोटेंशियलिटी होगी, उसके अनुसार ही वहां काम होगा। मेरे क्षेत्र में नहीं है तो नहीं है, वहां कैसे उद्योग खुल सकता है। हां, अलबत्ता यह सही है कि एफर्ट्स करते हैं तो उनके अच्छे परिणाम निकलते हैं। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर किसी क्षेत्र के अन्दर पोटेंशियलिटी है और कोई वहां एन्टरप्रिनर्स है जो वहां काम करना चाहता है तो मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उस क्षेत्र में उद्योग लगावें और उद्योग लगाकर अपनी मांग सरकार के सामने रखें। जहां तक उसको कोई प्रायरिटी देने की बात है, हम अवश्य उसको देने की चेष्टा करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से इस सदन का समय मांगों के पारित होने तक के लिए बढ़ाया जाता है।

श्री मथुरादास माथुर : झुंझुनूं अवश्य इन्डस्ट्रियल बेकवर्ड है। मैं भी जानता हूं कि वहां निश्चित रूप से कोई काम किया जाना चाहिए। लेकिन काम काज केवल राजस्थान की सरकार ही करेगी, तभी वहां उद्योग स्थापित होंगे, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए।

श्री हरिदेव जोशी : इसलिये मेरा सुझाव यह है मैं इस बारे में निश्चित सुझाव देना चाहता हूं। आम तौर पर यहां बार बार कहा जाता है कि अमुक काम करवाने में मेला फाइड इन्टेंशन है इस चीज को निकाल कर अपने क्षेत्र में कोई भी उद्योग लगाना चाहते है उनको हर प्रकार की सहायता राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार की तरफ से मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं उनको बिजली की सुविधा दी जायगी।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी देना चाहता हूं ··

श्री हरिदेव जोशी : मैं इस प्रकार से बीच बीच में बोलना पसन्द नहीं करता···

श्री रामचन्द्र आर्य : गंगानगर के इलाके में कई जगह भट्टे है उन भट्टों को सरकार उठा रही है कुछ भट्टे तो कुर्क होगये हैं इसके बारे में क्या नीति है ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं अभी लार्ज स्केल और स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज के बारे में कह रहा हूं। मैं यह बतला रहा था कि राज्य सरकार इस बारे में पूरा सहयोग देने के लिये तैयार है। राजस्थान के हित के अन्दर कुछ वर्षों तक हमें यह प्रयत्न करते रहना होगा चाहे इधर बैठने वाले सदस्य हों चाहे उधर बैठने वाले उनके सम्पर्क में कोई भी आवे जो कोई यहां इनवेस्ट करने आवे

(श्री हरिदेव जोशी)
उनको आप लोग विश्वास दिलावें कि हम राज्य सरकार को कह कर आपको सुविधायें दिलवाने का प्रयत्न कर सकते हैं ताकि राजस्थान में उद्योग लग सकें। इस प्रकार के प्रयत्नों से पूर्ण विश्वास है हमें अवश्य सफलता मिलेगी।

एक माननीय सदस्या जो देवगढ और भीम से आती हैं उन्होंने कुछ बातें कहीं मुझे ऐसा लगा कि वे अपने विषय को ठीक ढंग से जल्दी होने के कारण नहीं रख सकीं या उनकी कही हुई बातें मेरी समझ में नहीं आयी होंगी।

श्री रामकिशन : उन्होंने तो ठीक से ही अपनी बातें रखी थी।

श्री मुकुट बिहारी लाल : आपको समझ बड़ी थी बात उनकी छोटी थी।

श्री हरिदेव जोशी: यहां पर जो कुछ बातें कहीं गईं उनके द्वारा, उनमें सब से बड़ी बात यह कही कि बजट में उद्योगों के बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं किया गया। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं बजट में इस प्रकार के प्रावधान करने की बात रहती नहीं। आम तौर पर राजस्थान जैसी स्टेट के अन्दर उद्योग पब्लिक सेक्टर में लगते हैं जिनको सुविधायें देने की बात होती है उनकी घोषणा वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में दी। माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं वे उस अहमियत को कम करके नहीं आंकें। ओक्ट्रोय की सुविधा, बिजली पर सरचार्ज के बारे में सुविधायें जो दी हैं उसको कम करके नहीं आंकना चाहिये। ये बहुत बड़ी सुविधा हैं इससे हम दूसरे राज्यों में जो सुविधा देने वाले राज्य हैं उनकी पंक्ति में आ गये हैं। इसके अलावा अगर सेल्स टैक्स में कुछ सुविधा वित्त मंत्री महोदय ने दी होती तो यह भी और अधिक सुविधा होती। हमारी जो धारणा है राजस्थान के अन्दर अधिक उद्योग लगें तो हमें इस बारे में अधिक दूर जाने की आवश्यकता है ऐसी मेरी धारणा है। और जो बजट में सुविधायें दी गई उसको हमें कम नहीं आंकना चाहिये, यह काफी महत्वपूर्ण प्रावधान हैं।

यह भी कहा गया कि गवर्नमेंट आफ इन्डिया ने यहां कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लगाया है। गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया को कहने के लिये यह कहें तो मुझे कोई एतराज नहीं। राजस्थान के अन्दर कोपर स्मेल्टर, जिंक स्मेल्टर, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, आटोमिक पावर, अजमेर में जो. एम. टी. है इनको आप कम क्यों मानते हैं आखिर भारत सरकार ने किया है··

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : In comparison to other States.

श्री हरिदेव जोशी : In comparison to other States they are smaller no doubt. लेकिन यह भी ध्यान रखना है हमारे यहां कोयला नहीं, लोहा नहीं इसलिये बोकारो जैसा स्टील प्लान्ट लगाने का आग्रह नहीं कर सकते और अगर कुछ कहते हैं तो अव्यवहारिक बात होती है। मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं दो बड़ी चीजें हमारे यहां पर हैं जिंक स्मेल्टर और कोपर स्मेल्टर। इसके अलावा फ्लोराइट रोक फास्फेट के लिये

(श्री हरिदेव जोशी)

गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ने दो वर्ष पहले माउंट लीज देने के लिये कह दिया था मगर इसके आधारित उद्योग क्या होंगे यह चीज साफ नहीं थी इसलिये यह हो नहीं सका। इस पर भी यह मानना कि राजस्थान सरकार इन चीजों के प्रति जागरूक नहीं है प्रयत्न नहीं कर रही है, यह न्याय संगत नहीं होगा।

इसके साथ साथ माननीय सदस्या ने रोड़वेज के बारे में और दूसरी चीजों के बारे में भी कहा। पलाना के बारे में वित्त मंत्री महोदय ने कह दिया था अतः इसका उल्लेख करना उचित नहीं समझता। राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड का बजट आयगा उस समय बिजली के बारे में कहने का मौका मिलेगा। इसके अलावा दो तीन चीजें और माननीय सदस्यों ने कहीं। एक तो टोंक के अन्दर चमड़े के कारखाने के बारे में। जहां तक मेरा ख्याल है, स्पष्ट बात तो नहीं गलत हो तो वित्त मंत्री महोदय सही कर दें विदेशों में जब आप गये थे उसका खर्चा राज्य सरकार ने नहीं दिया। वे वहां पर गये वहां पर उन्होंने चमड़े के कारखाने के लिये यहां पर लगाने के लिये फोरिन कोलोबोरेटर से बातचीत की है यह उनकी विदेश यात्रा का हमको लाभ मिला। मैं जानता हूं स्टेट एण्टरप्राइजेज डिपार्टमेण्ट इसके बारे में स्कीम को तैयार कर रहा है मगर इस प्रकार के जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वे एक साल में या छः महीने में लगकर तैयार नहीं होते हैं। जब प्रोजेक्ट लगता है इसके लिये फोरिन कोलोबोरेटर से और भारत सरकार से मन्जूरी लेनी पड़ती है तब जाकर यह काम पूरा होता है। मैं यह निश्चित रूप से कहता हूं कि इसमें कोई भी राजनैतिक कन्सीडरेशन नहीं है यह अब इस स्टेज में आ गया है कि जल्दी ही वह वहां पर लगेगा।

इसके अलावा कुछ छोटी मोटी चीजों के लिये जैसे चमड़े की दूसरे काम काज के बारे में बातें कही गई थीं। कटमोशन भी चमड़े के बारे में बहुत ज्यादा आये हैं। इसके ज्यादा विस्तार में मैं जाना नहीं चाहता। वहां पर एक सेन्टर के बारे में कहा गया वह बहुत बड़ा सेन्टर हो इसमें लाखों रुपया खर्च हो रहा हो। यह बात नहीं है। यह भी कहा गया कि इसका एक लाख का बजट है। इसमें आई. ए. एस. आफिसर है यह सही नहीं है। यह सेन्टर है जिसमें इन्स्ट्रक्टर हुआ करते हैं जो एक तरह से ट्रेनिंग सेन्टर है जो डिप्लोमा भी नहीं देता वह केवल इम्प्रूव्ड मेथड बताता है। जैसे अमुक प्रकार का ट्रेड जैसे चमड़े का काम क्राफ्ट का काम बढ़ई गिरी का काम लोहे का काम इनमें इम्प्रूव्ड मेथड की ट्रेनिंग दी जाती है इसको यह समझ लेना यह पोलिटेक्निक टाइप का सेन्टर है या इन्डस्ट्रियल ट्रेनिंग टाईप की इन्स्टीटयूट है यहां से कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता। इन रोजगार में काम करने वाले जो बच्चे हैं उनको इम्प्रूव्ड मेथड सिखाने के लिये, स्टाइपन्ड दिया जाता है और उसको सीख कर घर चर जाते हैं। इसलिये यह भ्रम नहीं होना चाहिये। यहां पर ट्रेनिंग प्राप्त कर वे अपने पेरेन्ट्स की मदद कर सकें यही इसका उद्देश्य है।

भरतपुर के इन्डस्ट्रियल एस्टेट के बारे में बातें कही गई इसमें दो राय नहीं कि इस साल जो बाढ आयी उससे इस एरिया में काम करने वाले उद्योगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शेड्स

(श्री हरिदेव जोशी)

में पानी घुस गया कई दिनों तक काम बन्द रहा वे एक प्रकार से डिस्लोकेट हो गये थे। उनको एक लाख रुपया लोन के लिये जो बात कही वह ठीक नहीं है उनको चार लाख दिया है··

श्री रामकिशन : लेकिन यह बटा नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : मैं देखूंगा वह किस प्रकार से नहीं मिला। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि ब्लैक मेलिंग की बात कही, उसके बारे में कोई स्पेसिफिक इन्स्टान्स और सबूत वे देंगे तो मैं निश्चित रूप से आगे इस प्रकार की प्रेक्टिसेज नहीं पनप सकें और लोगों को राहत मिल सके, इसका प्रबन्ध करूंगा।

मगर मैं यह भी एक्सपेक्ट कर रहा था माननीय सदस्य से कि वे राजस्थान सरकार को धन्यवाद भी दें कि जब वहां फ्लड से इतनी परेशानी हुई तो सरकार भी मदद देने में पीछे नहीं रही।

श्री रामकिशन : कई बार दिया है हमने तो।

श्री हरिदेव जोशी : रहा सवाल बिजली देने का। मैं यह चाहूंगा कि अगले वर्ष में बिजली की असुविधा भरतपुर की एस्टेट में न रहे। इस साल भी 23 हजार इसके लिए और 28 हजार पानी के लिए··

श्री मुकुटबिहारीलाल : 40 हजार।

श्री हरिदेव जोशी : चालीस हजार खर्च करना पड़े तो चालीस हजार खर्च किया जावेगा और देरी न हो और काम पूरा हो जावे। भरतपुर में अमुक प्रकार की कठिनाई हैं।

श्री डूंगाराम : बड़े उद्योगपतियों को कर्जा देते हैं। कर्जा देते समय वे अपनी कितनी रकम लगावें तब सरकार उनको कितनी रकम दे, इसका कोई ते है।

श्री हरिदेव जोशी : हम कोई कर्जा नहीं देते।

श्री डूंगाराम : तुम इतना लगाओगे तो हम इतना देंगे ऐसा कुछ है?

श्री हरीदेव जोशी : कोई इन्डस्ट्रियल एस्टेट ऐसी नहीं होगी जिसको मैंने विजिट नहीं किया हो। मैं सुमेरपुर भी गया हूं। जहां पर असुविधाएं हैं। फालना भी गया हूं। अपनी तरफ से एफर्ट करके उन्होंने किया है। भरतपुर में भी जो कठिनाइयां हैं वे तो हैं ही। मैं यह निवेदन करना चाहता था कि भरतपुर के इन्डस्ट्रियल एरिया में बिजली की कठिनाई है वह उस एरिया की कठिनाई के कारण नहीं है। बिजली को कमी के कारण से है। हमारी दिक्कत यह है कि भरतपुर हाइडल से जुड़ा हुआ नहीं है और क्योंकि हाइडल से जुड़ा हुआ नही है इसलिए लिमिटेड कैपेसिटी हैं जनरेशन की। इसके कारण से ज्यादा पावर नहीं दे पाते हैं। पर हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि कुछ ही महीनों में अलवर भरतपुर को 132 के. वी. लाइन जल्दी से जल्दी पूरी कर दी जावे और मैं आशा करता हूं कि जो कठिनाई अभी वहां के लोगों को भुगतनी पड़ रही है वह अगले वर्ष इन दिनों में नहीं भुगतनी पड़ेगी। क्योंकि यह स्कीम जितनी जल्दी पूरी हो सके,

(श्री हरिदेव जोशी)

करना चाहते हैं। भरतपुर के लिए भी करना चाहते हैं। वहां के औद्योगिक विस्तार के लिए भी करना चाहते हैं। वह जुड़ जाता है तो अलवर और भरतपुर में थर्मल और डीजल सैट है उसकी कैपेसिटी दूसरे जिलों में मिल सके इसलिए भी चाहते हैं कि इनको जल्दी जोड़ दिया जाय।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : आपने कई बार एटोमिक पावर प्रोजेक्ट का हवाला दिया। अभी कुछ दिनों पूर्व इसका ट्रान्स-फोर्मर जल गया। उसमें सरकार का कुल कितना नुकसान हुआ, और इससे प्रोजेक्ट के बनने में कितना विलम्ब हो गया।

श्री हरिदेव जोशी : जब बड़े काम होते हैं करते हैं तो ऐसा भी सम्भव है, जैसे बच्चा पैदा होता है तो मरता भी है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इसको आप गम्भीरता से लें। इतना लाइटली न लें।

श्री हरिदेव जोशी : मैं कह सकता हूं उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि चीफ मिनिस्टर महोदय ने सदन में कहा था कि 70 के अन्दर अटोमिक पावर हमको मिल जावेगा। तो मुझे जो वहां के इन्जीनियरों ने बताया है उसी के अनुसार मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि 1970 के फर्स्ट क्वार्टर में पावर हमें इसका मिल जाना चाहिए। उसी को आधार मानकर हम दूसरे अरेन्जमेन्ट्स कर रहे हैं। मगर यह अपने ढंग की एक ही चीज है।

उपाध्यक्ष महोदय, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग के बारे में भी कुछ निवेदन करना चाहता था। राजस्थान के अन्दर जो तेल अथवा तेलघाणी अथवा खादी, ऊन खादी, और इसी प्रकार के अथवा दूसरे कुम्हारी, लोहारी और सुतारी आदि के उद्योग हैं उनको खादी बोर्ड मदद देता है। राजस्थान सरकार बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन के लिये पैसा देती है। उसमें सबसिडी लोन अथवा दूसरी कोई सहायता भारत सरकार का खादी कमीशन देता है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : और रा मैटो-रियल ?

श्री हरिदेव जोशी : और इस प्रकार से उसकी एक इन्डिपेन्डेन्ट एजेन्सी काम करती है। मैं ऐसा समझता हूं कि पिछले वर्षों में खादी का काम चाहे वह आजादी से पहले एक आन्दोलन का स्वरूप रहा हो, किन्तु आजादी के बाद में यह काम काफी बढ़ा है और विशेष करके ऊनी खादी का काम बढ़ा है और ऊनी खादी राजस्थान में बढ़ी इसकी हमें खुशी होनी चाहिये क्योंकि राजस्थान में देश में जितनी ऊन पैदा होती है उसका चालीस प्रतिशत पैदा होता है। अगर इसके प्रोसेसिंग और डवलपमेंट के लिये सारा प्रबन्ध यहां पर हो तो हमारे यहां के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजी मिल सकती है और काम भी मिल सकता है और मैं ऐसा समझता हूं कि खादी बोर्ड और कमीशन काफी अच्छा काम इस फील्ड में कर रहे हैं और मैं यह भी मान कर चलता हूं अभी जैसा पैट्रोनेज आम लोगों की ओर से सरकार की ओर से मिल रहा है खादी और ग्रामोद्योग को वैसे आने वाले अनेक वर्षों तक मिलने की आवश्यकता है ताकि गांवों में रहने वाले लोगों को मदद मिलती रहे।

श्री देवीदत्त गाडिया : उनको रा मैटीरियल देने की क्या व्यवस्था है ?

श्री हरिदेव जोशी : इस तरह बीच में व्यवधान होने से उपाध्यक्ष महोदय, मेरे लिये दिक्कत हो जावेगी।

श्री उपाध्यक्ष : जो आसन के मार्फत क्वेश्चन नहीं पूछेंगे उनके उत्तर नहीं दिये जावेंगे।

दूसरी बात आपके कटौती प्रस्ताव के अन्दर इसका विषय आया नहीं है तो इसका उत्तर नहीं दिया जावेगा।

श्री देवीदत्त गाडिया : मेरे कटौती प्रस्ताव में है। आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि रा मैटीरियल देने का क्या प्रबन्ध किया है सरकार ने ?

श्री हरिदेव जोशी : जो रा मैटीरियल के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिये मैं निवेदन करूंगा कि बोर्ड और खादी कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है और जो पैटर्न ऑफ असिस्टेन्स प्रकाशित किया है वो माननीय सदस्य उसे पढ लें तो यह भ्रम नहीं रहेगा।

श्री देवीदत्त गाडिया : वह किताब नहीं मिली।

श्री हरिदेव जोशी : तो माननीय सम्बन्धित मंत्री दे देंगे।

हमारे यहां हैण्डीक्राफ्ट का भी काफी डवलपमेन्ट हुआ है। दस वर्ष पहले हैण्डीक्राफ्ट से एक लाख सवा लाख की बिक्री होती थी आज 15-16 लाख के आसपास बिक्री करते हैं और दिल्ली में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, सारे अन्य राज्यों के एम्पोरियम की जितनी टोटल सेल है उसके आसपास अकेले राजस्थान की है एम्पोरियम की। इसके माने यह है कि राजस्थान का हैण्डीक्राफ्ट काफी बढ़ा है और काफी पापुलर हुआ है।

श्री रामकिशन : काश्मीर का ? इस चक्कर में क्यों पड़ते हैं आप।

श्री हरिदेव जोशी : वह घाटे में चल रहा है। हमारा मुनाफा दे रहा है। फिर भी मैं दूसरे किसी मुकाबले में नहीं कहना चाहता। मैं तो केवल यह बतलाना चाहता था कि इन महीनों में हमारे हैण्डीक्राफ्ट ने काफी प्रगति की है।

मैं सजेस्ट करूंगा कि जो अलग अलग एरिया में कुछ कारीगर हैं और हैण्डीक्राफ्ट का उत्पादन है वे एम्पोरियम को बतलावें, उस बारे में और भी जितना होगा, हम करने की कोशिश करेंगे।

अब मैं मिनरल्स की ओर आना चाहता हूं। मिनरल्स के क्षेत्र में राजस्थान के अंदर आशातीत प्रगति हुई है।

श्री रामकिशन : खानें आज थीं क्या ?

श्री हरिदेव जोशी : जी हां। माननीय सदस्यों ने बाजरे कातले आदि के बारे में कहा। अब इस बारे में जो सिस्टम है सो हो है। एक लीज कोई ले लेता है अमुक पर्टीकूलर एरिया में तो उसके लेने के बाद में अगर वह आदमी कमाता है तो हम यह कर सकते हैं कि दूसरी बार जब रिन्यूअल हो तो इसकी रेट इतनी ज्यादा रखें कि वह अथवा एक अथवा दो कम्पीटीशन में खड़े कर दें।

(श्री हरिदेव जोशी)
दूसरी अर्ज है तो मैं माननीय सदस्य से यह निवेदन करूंगा हालांकि वह यहां उपस्थित नहीं हैं मुझे स्पेसिफिक चीज बतायें ...

श्री दौलतराम सारण : आप लीज बिना मांगे बढ़ा देते हैं और दे देते हैं। लीज 5 वर्ष के लिए होती है और आप 10 वर्ष के लिए बढ़ा देते हैं। सीकर में चूने की खान के लिए किया।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय सदस्य यहां नहीं हैं लेकिन मुझे मालूम है। उनका निवाई के संबंध में सवाल है और उस आदमी को 5 साल पर लीज दी है और 500 रुपये का दिया है।

श्री हरिदेव जोशी : वह तो मिनिमम 5 साल का ही लीज देते हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : वह मनमाने ढंग से वसूल कर रहा है।

श्री हरिदेव जोशी : उसका मैं क्या कर सकता हूं। उसका एक ही इलाज है और वह यह है कि उसी प्रकार का दूसरा मिनरल उस एरिया में हो तो आप दूसरे को लीज दिलवा दीजिए जिससे कि दोनों में कम्पीटीशन हो और रेट कम हो जायें।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के लिए खुशी की बात है कि माननीय सदस्य जो बूंदी के बारे में बहुत बार कहते हैं वह हैं नहीं। बूंदी के अंदर रंगीन संगमरमर की बहुत अच्छी किस्में निकली हैं और मैं ऐसा समझता हूं कि उससे राजस्थान को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है और कम्पेरेटिवली दूसरे जितने मारबल्स राजस्थान में हैं उसकी अपेक्षा काफी अच्छा मार्केट को फेच कर सकता है। बूंदी में इसके कारण हम ऐसा समझते हैं कि राजस्थान में न केवल सफेद या पिंक मारबल था उसके मुकाबिले में यह मारबल भी जो लोग ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं वह लोग मारबल का उपयोग कर सकेंगे और राजस्थान के व्यापार को इससे ज्यादा लाभ मिल सकेगा।

राजस्थान के अन्दर परवेक्षण के बारे में कई माननीय सदस्यों ने कहा कि यहां पर प्रास्पेक्टिंग ठीक तरह से नहीं होता है, अमुक एरिया को छोड़ दिया गया है आदि आदि बातें कही हैं। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान बहुत बाद में बनी हुई स्टेट है और दूसरी स्टेट्स कम्पेरेटिवली ब्रिटिश जमाने से एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट थीं मगर जैसा कि मुझे जानकारी हुई है और एक दो बार माइन्स मिनरल्स कमीशन के बारे में और दूसरी स्टेट्स के बारे में चर्चा हुई उससे मुझे ऐसा लगा है कि हमारे प्रासपेक्टिंग का जो आर्गेनाइजेशन है वह एक प्रकार से काफी अच्छा आर्गेनाइजेशन है और उसने बड़े बड़े काम किये हैं, चाहे वह टंगस्टन का हो, चाहे फ्लोराइड का हो, चाहे राक फास्फेट का हो, चाहे जिप्सम का हो, चाहे पाइराइट का हो जितने भी हैं उनका बेसिक काम हमारे लोगों ने किया है और वह लोग हमारे धन्यवाद के पात्र हैं कि जैसा माननीय सदस्य ने कहा था कि इस धरती में जो रत्न छिपे हुए हैं उनको वह लोगों के सामने लाये और राजस्थान को इस स्थिति में बनाया कि राजस्थान की आमदनी हो। मगर उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह समझना कि अमुक मिनरल

# Page No.153



(श्री हरिदेव जोशी)

के कारण से करोड़ों रुपयों का फायदा हो सकता है मैं समझता हूं कि यह बेसीकली गलत है। मिनरल से जो रायल्टी लेते हैं वह कीमत का एक बहुत छोटा अंश होता है माने वह 1/8, 1/10 या 1/5 हिस्सा ही हो सकता है। इसलिए यह समझना कि वहां पर एक प्रकार से करोड़ों रुपयों की आमदनी माइन्स डिपार्टमेन्ट को रायल्टी से होनी चाहिए तो यह धारणा सही नहीं है...

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : अगर आप राजकीय उद्योग चलायें तो ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं यह निवेदन करूं कि पिछले वर्षों में निरन्तर हर वर्ष राज्य में रायल्टी से स्टेट को आमदनी बढ़ती है। लेकिन हमको एक बात और ध्यान में रखने की है कि रायल्टी बढ़े तो किस प्रकार से बढ़े उसका भी एक वैज्ञानिक तरीका होना चाहिए। अगर हम बहुत ज्यादा रायल्टी बढ़ा देते हैं तो हम राजस्थान के मार्केट के और हिन्दुस्तान के मार्केट में हम टिक नहीं सकते। इसका मैं एक उदाहरण माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए दूं। हमारे यहां लाइम स्टोन निकलता है। उसका चूना बनता है। जोधपुर के इलाके में और सीकर झुंझुनू के इलाके में वह चूना निकलता है और उसकी काफी अच्छी किस्म है और उसमें काफी अच्छा कैलशियम कन्टेन्ट्स हैं। वह चूना आसाम तक जाता है और महाराष्ट्र तक जाता है और दूसरी जगह भी जाता है। अब हिन्दुस्तान के अन्दर दूसरे इलाके में ऐसा ही लाइम स्टोन मिला है और मान लें यू. पी. के अन्दर उस पर रायल्टी 2 आना है एक टन के ऊपर और हमारे यहां पर एक रुपया है तो वह टिक नहीं पायेगा। हमको देखना होगा कि हम रायल्टी कितनी रखें और सब रायल्टी से यह आशा करते हैं कि बहुत ज्यादा आमदनी बढ़ सकती है तो हम मार्केट खो देंगे। मगर जैसा कि मैं निवेदन कर रहा था कि राजस्थान के अन्दर रायल्टी के कारण से प्रत्येक वर्ष के अन्दर और इन वर्षों में निरन्तर 10 लाख, 20 लाख की आमदनी बढ़ती रही है। एक जमाना था जब राजस्थान के अन्दर हमारे यहां पर 1 करोड़ की आमदनी थी और आज वह 1 करोड़ 77 लाख की आमदनी रायल्टी से है तो प्रत्येक वर्ष वह आमदनी बढ़ती रहती है और क्यों कि चीज हम एक बार में 5 साल के लिए देते हैं और रायल्टी को रेट्स हम 4 साल तक रिवाइज नहीं कर सकते। और माइनर मिनरल का रिवीजन तो स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार में है मगर मेजर मिनरल का रिवीजन गवर्नमेंट आफ इन्डिया के अधिकार में है। इसलिए हम उसके अन्दर बहुत बड़ी आमदनी चाहें तो वह हमको नहीं मिल सकती है।

दूसरी चीज जो मैं माननीय सदस्यों के समक्ष रखना चाहता था वह थी डिपार्टमेन्ट के तहत जो काम करने वाले प्रोजेक्ट्स उसके बारे में यह काफी भ्रम चला आ रहा है कि उसके अन्दर तो नुकसान होता है। मैं बहुत विगत में नहीं जाना चाहता हूं। मगर डिपार्टमेन्ट के तहत काम करने वाले प्रोजेक्ट चाहे फ्लोराइट का प्रोजेक्ट हो, चाहे टंगस्टन का हो, चाहे ग्रेनाइट का हो अथवा दूसरा कोई हो जिप्सम का हो तो वहीं सारे के सारे प्रोजेक्ट्स मुनाफे में चल रहे हैं। हम ऐसा समझ रहे हैं कि उनको आधार बनाकर राज्य सरकार को अच्छी आमदनी हो सकती

# Page No.154



(श्री हरिदेव जोशी)

है। हम प्रयत्न कर रहे हैं कि कोई टारगेट तय कर दिया जाये और वह टारगेट एक प्रकार से हमारे आने वाले लक्ष्य के रूप में काम करे···

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : उपाध्यक्ष महोदय, यह आमदनी बताई माइन्स में यह ग्रास है या नेट है ?

श्री हरिदेव जोशी : ग्रास आमदनी और नेट आमदनी होती नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से अब और दूसरी चीजों में नहीं जाकर जैसा कि किन्हीं माननीय सदस्य ने गवार के, मोठ आदि के बारे में कहा है मैं निवेदन करूंगा कि कोई भी पार्टी सामने लायें तो हम लाइसेन्स देंगे और काम करने के लिए इजाजत देंगे। एक माननीय सदस्य ने अमुक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को बराबर वेजेज नहीं मिलने की बात कही। मुझे क्षमा किया जाये सारा का सारा मामला लेबर डिपार्टमेंट से सम्बन्धित है इसलिए मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि उनको वेजेज मिली या नहीं मिली अथवा किस प्रकार से कैसे है उसके अन्दर मैं कुछ सजेशन दे सकूं इस स्थिति में नहीं हूं। अलबत्ता मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर लेबर डिपार्टमेंट लीगली उसको यह समझता है कि अमुक प्रकार का अमेन्डमेन्ट किये जाने के कारण से वेजेज एश्योर की जा सकती हैं और लीज एग्रीमेन्ट के अन्दर इसको किया जा सकता है तो माइन्स डिपार्टमेंट को उसके अन्दर कोई ऐतराज नहीं होगा और हम प्रयत्न करेंगे कि उस प्रकार की किसी चीज को इनकारपोरेट कर लिया जाये····

(6. म. प.)

एक माननीय सदस्य ने भोजासर बुनकर सहकारी समिति और किशोरपुर बुनकर सहकारी समिति में पैसे के दुरुपयोग के बारे में बात कही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आफ हेंड उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, मगर मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि उनके डिटेल की जानकारी उनको दे दी जायगी।

इसी प्रकार से कुछ माननीय सदस्यों ने एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के बारे में और बावड़ा की खान के बारे में···

श्री कृष्णकुमार गोयल : सरप्लस स्टाफ के बारे में कहिये।

श्री जब्बारसिंह : फिशरीज के बारे कहिये।

श्री हरिदेव जोशी : इसी प्रकार से कुछ माननीय सदस्यों ने दूसरी कई चीजें कही हैं जिनमें से कुछ वेग हैं और कुछ इस तरह की हैं कि इस वक्त मैं उनका स्पेसिफिक उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं, मगर जितना भी हो सकता है मैंने उनको अपनी ओर से सन्तोष दिलाने का प्रयत्न किया है, मगर यह समझना कि जो बारां का आपने बतलाया था इन्डस्ट्रियल एरिया घोषित किया हुआ है आप चाहते हैं कि इन्डस्ट्रियल एरिया घोषित किया हुआ है उसको उठा दिया जाय और इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट अपने आर्डर वापिस ले ले तो मैं डाइरेक्टर आफ इन्डस्ट्रीज को कहूंगा कि वहां पर इन्डस्ट्रीज तो हैं नहीं और वह एरिया उस प्रकार से यों ही घेर लिया है इसलिए अपने आर्डर वापस ले लो।

श्री देवीदत्त गाडिया : वहां पर इन्डस्ट्रीज हैं

(श्री देवीदत्त गाडिया)
वहां पर लोग साल के चावल का कारखाना लगाना चाहते हैं जिसके लिए वहां पर हर प्रकार का रा-मेटेरियल मिलता है तो क्या मंत्रीजी यह आश्वासन देंगे कि वहां के इलाके के लोगों को साल चावल का कारखाना या नये प्रकार के कारखाने लगाने की स्वीकृति देंगे?

श्री हरिदेव जोशी : जो कोई भी कारखाना लगाया जाय उसके बारे में आफ हैण्ड कुछ नहीं कह सकता जब तक एप्लीकेशन किसी प्रोजेक्ट की सामने नहीं हो। आपने सीमेंट फैक्ट्री के बारे में कहा। वह मेरी समझ में आता है। वह चीज काफी डिसकस हो चुकी है, उस पर मैं कुछ भी कह सकता हूं, मगर किसी दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में इस प्रकार से कहने की स्थिति में नहीं हूं।

कई माननीय सदस्यों ने प्रोस्पेक्टिंग के बारे में कहा है। एक माननीय सदस्य जो नसीराबाद में आये हैं उन्होंने कापर की कीमत जो एस्टीमेट की गई थी उसके बारे में जरूर कहा था, तो मेरा निवेदन यह है कि कापर तो एक प्रकार से बेसिक मेटल है। अगर वह मेटल ऐसा होता है तो हम अपना सौभाग्य समझते हैं। उसको इगनोर करने का सवाल नहीं है। ज्योलोजिकल सर्वे आफ इंडिया अजमेर के उस क्षेत्र में अपनी तरफ से काम कर रहा है। दूसरे माननीय सदस्यों की उत्सुकता शान्त करने के लिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एरियल सर्वे जिसको हार्ड राक आपरेशन कहते हैं वह अरावली एरिया का हो रहा है। उसके रिजल्ट मालूम पड़ेंगे तो फर्दर प्रोस्पेक्टिंग के बारे में उद्योग कायम किये जा सकते हैं।

माननीय सदस्य ने मत्स्य पाल के बारे के कुछ बातें कहीं थीं, डिमाण्ड तो यह है मगर वह मेरे से सम्बन्धित नहीं है, इसलिए मैं, माननीय उपाध्यक्ष, आपकी मारफत सम्बन्धित मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आपको रिटर्न रिप्लाई भिजवा दें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि वह अपने कटमोशन को वापिस ले लें और इस डिमाण्ड को पास कर दें।

श्री देवीदत्त गाडिया : इन्डस्ट्री विभाग के सरप्लस कर्मचारियों के बारे में क्या है?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामनारायण!

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : माननीय उपाध्यक्ष, माननीय मंत्रीजी का जवाब सुना और सुनकर झुंझुनूं जिले के बारे में सन्तोष हुआ, लेकिन एक बात नहीं कही उसको आप छिपा गये या भूल गये।

झुन्झुनूं जिला वह जिला है जो हर साल 80 लाख रुपया सीधी बचत में, अल्प बचत में देता है। यह अन्दाजा लगाइये कि वह कितना बड़ा हिस्सा है डोंक डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का एक छोटा सा जिला है लेकिन उस तरफ तो माननीय मंत्री महोदय का ध्यान चला गया, और वित्त मंत्री महोदय का ध्यान भी चला गया। और जेकोस्लावाकिया में भी दौड़े फिरे पर झुन्झुनूं के हर मामले में इस तरह करते हैं। आपकी अल्प-बचत योजना की लाटरी भी आपको झुन्झुनूं जिले से ही मिली है···

श्री उपाध्यक्ष : यह आप नई बात कह रहे हैं। इसका जवाब आपको इसी वक्त कैसे मिल सकता है ? अगर आपने कोई बात पहले कही हो और वह डिबेट के उत्तर में रह गई हो तो पूछ लें।

श्री रामनारायण चौधरी : मेरा जो कटौती प्रस्ताव हैं···

श्री हरीदेव जोशी : माननीय सदस्य ऊलन फैक्ट्री के बारे में क्या कहना चाहते हैं ?

श्री रामनारायण चौधरी : एक तो उलन फैक्ट्री के बारे में है···

श्री हरिदेव जोशी : ऊलन फैक्ट्री के बारे में मैं कह दूं। नवलगढ़ में ऊलन फैक्ट्री के बारे मे जो बात थी तो उसके लिए सोल्जर्स बोर्ड ने काम हाथ में लेने के लिए कहा था, लेकिन सोल्जर्स बोर्ड ने उस काम को उपयुक्त न समझा और उससे निकल गये। इसलिये सबके लिए मैं आम तौर पर कहना चाहता हूं कि कोई भी ऊन प्रोसेसिंग के लिए अथवा धागे के लिए अथवा किसी के लिए कोई भी पार्टी अगर लाइसेन्स चाहती है तो हम उसके लिए एफर्ट्‌स करेंगे, और अपनी ओर से जो भी मदद कर सकते हैं करेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं ऊल ग्रेडिंग सेन्टर के बारे में···

श्री उपाध्यक्ष : अब दुबारा चर्चा नहीं हो सकती है।

दिग्विजयसिंह (उनियारा) : मे टोंक जिले के बारे में···

श्री रामनारायण चौधरी : ऊल ग्रेडिंग सेन्टर की जानकारी आप दे दें।

श्री विजयसिंह रावत : एक प्रश्न मुझको भी करने का है।

श्री उपाध्यक्ष : आसन अपने पैरों पर है इसलिए कृपया स्थान ग्रहण करें।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1969 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 64,68,000 रु तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27-वैज्ञानिक विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1969 को····

श्री विजयसिंह रावत : इसके बारे में सप्लीमेन्ट्री करना है वैज्ञानिक विभाग के बारे में···

श्री उपाध्यक्ष : कोई सप्लीमेन्ट्री का नियमों के अन्दर प्रावधान नहीं है।

श्री विजयसिंह रावत : मेरा व्यवस्था का सवाल है····

श्री उपाध्यक्ष : ····· 31 मार्च, 1969 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय

(श्री उपाध्यक्ष)
को 61,58,000 रु. तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

श्री विजयसिंह रावत : कल से मांगें स्वीकार करवा लेना।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! आपका व्यवस्था का प्रश्न ठीक नहीं है। आप नियमों को नहीं जानते हैं। जब मांगों पर-मतदान हो उस वक्त कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जाता है।

श्री देवीदत्त गाडिया : आप जबरदस्ती करके सदस्य के · · ·

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! आप स्थान ग्रहण करें।

श्री विजयसिंह रावत : प्रिविलेज तो बाद में करेंगे। मंत्री महोदय को जवाब देने के लिए · · ·

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! आप आवेश में आकर कह रहे हैं जैसे स्वयं ही सक्षम हों इस सदन की कार्यवाही चलाने को, यह बात जाने दें कि कल कैसे चलेगा। कल भी पूरा ऐसे के ऐसे ही चलेगा, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 96—औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत · · · · (कुछ माननीय सदस्यों के बोलने पर) ऑर्डर प्लीज ! · · · के संबंध में 31 मार्च, 1969 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,13,20,000 रु. तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः काल 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 6 बजकर 7 मिनिट पर दिनांक 19 मार्च, 1968 के 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

---

## परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 619 की सूची)

सूची सहायता प्राप्त मंदिरान तहसील पाली

| क्र.सं. | नाम मंदिर | नाम पुजारी | सहायता की माहवारी राशि |
|---|---|---|---|
| 1. | ठा. श्री गोरधननाथ जी | श्री वृजवल्लभ | 10.00 |
| 2. | ठा. श्री आनन्दधन जी | श्री भूरादास | 4.00 |
| 3. | ठा. श्री महादेव जी सोमेश्वर जी | श्री पुष्करनारायन, बैजनाथ | 10.00 |
| 4. | माताजी श्री नागनीचीयाजी | श्री गोकुलदास | 2.00 |
| 5. | महादेवजी श्री पतालेश्वर जी | श्री पुष्करनारायन | 10.00 |
| 6. | महादेवजी मनियारी | श्री मोहनदास | 4.00 |
| 7. | महादेवजी भुवनेश्वरजी | श्री गौरीशंकर | 4.00 |
| 8. | श्री सत्यनारायनजी महादेवजी श्री हनुमानजी, श्री रामदेवजी | श्री लक्ष्मणदास | 10.00 |
| 9. | श्री महादेवजी भादर देश्वरजी | श्री नारायण पुरी | 4.00 |
| 10. | श्री ठा. गोपाल जी | श्री गिर्राज शंकर | 10.00 |
| 11. | श्री ठा. श्री रघुनाथ जी | श्री हेमदास | 10.00 |
| 12. | श्री ठा. श्री बिहारीलाल जी | श्री आनन्ददास | 10.00 |
| 13. | श्री माताजी पूनागिरिजी | श्री भवानीपुरी | 1.00 |
| 14. | श्री गणेश जी | श्री गोकुलदास | 1.00 |
| 15. | श्री रंगजी | श्री बालकृष्ण श्री रामसुख | 1.54 |

## परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 532 की सूची)

सूची

| क्र. सं. | नाम तहसील | बाढ़ ग्रस्त ग्रामों की संख्या | परिवारों की संख्या | क्षति की अनुमानिक धनराशि | कितने परिवार बेघरबार हुये |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | तहसील बारां | 8 | 172 | 77850 | — |
| 2. | तहसील मांगरोल | 4 | 66 | 27665 | — |
| 2 | — | 12 | 238 | 105515 | |

परिशिष्ट 3

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

फलदार वृक्षों की कटाई

634. श्री विद्यासागर (खेरवाड़ा सु.): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत पाटिया, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर के सर्कल में फलदार वृक्ष महुओं की कटाई हो रही हैं ?

(2) यदि हां, तो अब तक उक्त क्षेत्र में कितने फलदार वृक्ष काटे जा चुके हैं ?

(3) जो वृक्ष अब तक काटे गये हैं उसके क्या कारण हैं ?

(4) जिन व्यक्तियों के यह महुए हैं क्या उन्हें राज्य सरकार ने महुए काटने की मन्जूरी दी है ?

(5) यदि हां, तो उसकी मंजूरी किस अधिकारी ने दी है ?

(6) क्या यह सही है कि यह महुए मोडास गुजरात के किसी बोहरा द्वारा खरीद कर कटवाये जा रहे हैं ?

(7) यह महुए किस किस व्यक्ति के काटे गये हैं ? उनके नाम व संख्या बताने का कष्ट करें।

उत्तर

1–वन भूमि में महुओं की कटाई नहीं हो रही है।

2–प्रश्न नहीं उठता।

3–प्रश्न नहीं उठता।

4–इसकी जानकारी वन विभाग को नहीं है।

5–प्रश्न नहीं उठता।

6–इसकी जानकारी वन विभाग को नहीं है।

7–इसकी जानकारी वन विभाग को नहीं है।

मौजमाबाद, पंचायत समिति दूदू के सरपंच को सड़क निर्माण के लिये धनराशि

635. श्री सुवालाल चौधरी (दूदू): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मौजमाबाद पंचायत समिति दूदू के सरपंच को सड़क निर्माण हेतु 6000) रु. मिला था ? अगर हां, तो कब मिला ?

(2) क्या यह सही है कि पंचायत की ओर से मौजमाबाद में आज तक भी कोई सडक नहीं बनी है ?

(3) अगर यह सड़क नहीं बनी तो अब कब तक बनकर तैयार हो जावेगी ?

(4) अगर सड़क मौका पर नहीं बनी है तो इस पैसे का क्या उपयोग हुआ है ?

उत्तर

1–जी हां। सन् 1965 में दिये गये थे।

(2) सड़क निर्माण का कार्य चालू है।

(3) लगभग एक वर्ष में कार्य पूरा हो जाने की संभावना है।

(4) रकम पोस्ट ऑफिस में जमा है व उसमें से सड़क निर्माण पर खर्च की जा रही है।

भू. अ. निरीक्षकों की वेतन श्रृंखला

636. श्री दौलतराम आगरी (देसूरी सु.): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1950 में भू. अ. निरीक्षकों का वेतन 50-2-70 था व पटवारियान की वेतन श्रृंखला 40-1-55 थी और इसी प्रकार सन् 1956 में भू. अ. निरीक्षकों की वेतन श्रृंखला 60-4-80-5-125-711-140 थी जब पटवारियान की वेतन श्रृंखला 40-1-50 2–60 थी।

(2) क्या यह सही है कि भू. अ. निरीक्षकों के अधीनस्थ पटवारियान राजकीय कार्य करते हैं।

(3) क्या यह सही है कि सन् 1965 में पटवारियान के वेतन में बढोतरी न की गई तब गिरदावरों (भू. अ. निरीक्षकों) के वेतन में बढोतरी नहीं की गई? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या राज्य सरकार भू. अ. निरीक्षकों की मौजूदा वेतन श्रृंखला में संशोधन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) राजस्थान सिविल सर्विसेज (रिवाइज्ड पे) रूल्स, 1961 में पटवारियों की मांग पर तथा इन मांगों पर विचार हेतु गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर पटवारियों की वेतन श्रृंखला में संशोधन किया गया था जो केवल पटवारी वर्ग के लिए ही था। अतः अन्य किसी वर्ग के वेतन बढने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

(5) राजस्थान राज्य कर्मचारी के वेतन संबंधी मामलों पर विचार करने हेतु राजस्थान वेतन आयोग का गठन हो चुका है और वह इस मामले में कार्यवाही कर रहा है। वेतन आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित होने से पूर्व इस बारे में कुछ निवेदन नहीं किया जा सकता है।

घास की कटाई

637. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सन् 65-66 में झालावाड़ डिवीजन में अकाल सहायतार्थ घास कटाया गया? यदि हां, तो कितना और इसमें क्या खर्चा हुआ तथा बिक्री से कितनी आय हुई?

(2) क्या यह सही है कि सन् 66-67 में भी इसी प्रकार अकाल सहायतार्थ फारेस्ट डिवीजन झालावाड़ में सरकारी व्यय पर घास कटाया गया? यदि हां, तो इस पर कितना

(श्री राम प्रसाद बोहरा)
रुपया व्यय हुआ तथा कितना बजनी घास कटा ?

(3) क्या यह सही है कि सन् 66-67 में फारेस्ट डिवीजन झालावाड़ द्वारा कटाये गये घास को बेचा गया है ? यदि हां, तो कितना घास बेचा गया और इस बिक्री से विभाग को कितना रुपया प्राप्त हुआ ?

उत्तर

1. जी हां। 3199-69 क्विटल कटवाया जिस पर 28036-06 रु. व्यय हुआ। 827 क्विटल 70 किलो 500 ग्राम अभाव ग्रस्त क्षेत्रों को भेजने के बाद शेष घास की बिक्री से 3241-55 रु की आय हुई।

2. जी हां। कुल 39140-37 रु. व्यय हुए तथा 3307-66 क्विटल घास कटा।

3. जी नहीं। बिक्री से हुई आय का प्रश्न नहीं उठता क्यों कि यह घास अभी नहीं बिका है।

मांडलगढ़ क्षेत्र में बांध निर्माण कार्य

638. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या मांडलगढ क्षेत्र में जैतपुर तथा अनावासा बांध को बंधवाने की स्वीकृति हो चुकी है ? यदि हो चुकी है तो फिर बांध क्यों नहीं बंध रहे हैं ?

(3) दोनों बांधों का काम कब प्रारम्भ होगा ?

उत्तर

1. जैतपुरा बांध की स्वीकृति हो चुकी है कार्य 68–69 में प्रारम्भ होने की आशा है। अनावासा बांध की स्वीकृति होने पर कार्य प्रारम्भ हो सकेगा।

2. जैतपुरा बांध का कार्य 68–69 के वर्ष में प्रारम्भ होने की संभावना है जैसा कि वित्तमंत्री की बजट स्पीच से स्पष्ट है। अनवासा बांध का कार्य योजना के स्वीकृत होने पर प्रारम्भ हो सकेगा।

आबादी भूमि छुडाने की कार्यवाही

639. श्री रावतराम (छापर सु.): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: –

(1) पंचायत समिति सरदारशहर (चूरू) के ग्राम सुवाइ छोटी जो कि ग्राम पंचायत बिकमसरा में शामिल है, के लिए आबादी भूमि छुडाने के संबंध में कब से कागजात चल रहे हैं ?

(2) इतने लम्बे अर्से तक आबादी भूमि छुडाने की कार्यवाही चालू होने पर भी उक्त मिसल का फैसला क्यों नहीं किया जाता है ? कृपया निश्चित बतावें कि सरकार कब तक इसका फैसला करके आबादी भूमि छुडवा देगी ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति, जिलाधीश या राज्य सरकार के सामने ऐसा कोई मामला नहीं है।

(2) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

**ग्राम इटावा के प्रतिक्रमणकारियों को कानूनी मान्यता**

646. श्री महेन्द्रसिंह (पीपल्दा) : क्या उप-निवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की तहसील पीपल्दा के इटावा ग्राम में लोगों को कोलोनाईजेशन तहसीलदार द्वारा वर्षो से आ रहे कब्जों से बेदखल किया जा रहा है तथा उन पर भारी जुर्माने किये गये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने ऐसे आदेश जारी किये हैं कि पुराने कब्जों (ट्रेसपासरों) को कानूनी मान्यता दे दी जाये व नये कब्जे हटाये जायें ? यदि हां, तो वहां इसकी पालना क्यों नहीं हो रही हैं ?

**उत्तर**

(1) कोटा जिला की तहसील पीपल्दा के इटावा ग्राम में राजकीय कृषि भूमि पर अनधिकृत एवं नियमों के विरुद्ध कब्जा करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कोलोनाईजेशन तहसीलदार द्वारा राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जाती है। अभी तक कोई व्यक्ति बेदखल नहीं किया गया है और न ही किसी से जुर्माना वसूल हुआ है।

(2) राजस्थान सरकार द्वारा चम्बल इस उपनिवेशन क्षेत्र में अतिक्रमियों के कब्जों को नियमित करने हेतु दिनांक 1-4-60 एवं 2-1-67 को आदेश जारी किए गए हैं और उन्हीं आदेशों के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

**हलवाई संघ समितियों को शक्कर, सूजी, मैदा आदि का कोटा**

641. श्री जयनारायण लालोदिया (निवाई) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर शहर में कितने हलवाई संघ समितियां हैं और उनको हर माह कितना कोटा शक्कर, सूजी, मैदा, डालडा आदि दिया जाता है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) राज्य में कहां कहां इस प्रकार के संघ व समितियां बनी हैं और उनको हर माह किस किस चीज का कितना कोटा दिया जाता है ? हर जिले के आंकड़े देने की कृपा करें।

(3) टोंक जिले में इस प्रकार के संघ कहां कहां है ? और उनको हर माह कितना कोटा शक्कर, मैदा, आदि का दिया जाता है ?

(4) क्या इन संघों पर सरकार का कोई नियन्त्रण है ?

(5) क्या यह सही है कि कन्ट्रोल रेट से चीनी, मैदा आदि लेने पर भी मिठाइयों के भाव मनमाने रक्खे जाते हैं ? यदि हां तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) जयपुर शहर में 3 हलवाई संस्थान हैं।

1–हलवाई समिति

2–हलवाई संघ

(खाद्य मंत्री)

3–राम मिष्ठान विक्रेता संघ
इनको चीनी का कोई कोटा नहीं दिया जाता है (मैदा व सूजी का कोटा निम्न प्रकार दिया जाता है )

| | | |
|---|---|---|
| 1– | 195 बोरी मैदा | 100 बोरी सूजी |
| 2– | 50 ,, ,, | 30 ,, ,, |
| 3– | 50 ,, ,, | 30 ,, ,, |

(2) जिलों से सूचना चाही गई है। जिन जिलों से सूचना प्राप्त हुई हैं उनकी सूचना संलग्न है।

(3) टोंक जिले में दो हलवाई समितियां काम कर रही हैं जिनको नियंत्रित सामग्री निम्न प्रकार को दी जाती है।

1–टोंक जिला हलवाई संघ मैदा 4 बोरी प्रति माह

2–टोंक जिला हलवाई समिति ,, 6 ,, ,, माह

उपरोक्त सामग्री केवल जिला मुख्यालय पर स्थित हलवाइयों के उपयोग के लिए है। इस जिले को आवंटित मैदा के कोटे को दृष्टि में रखते हुए जिले के अन्य स्थानों पर स्थित हलवाइयों को मैदा देना सम्भव नहीं है।

(4) इस प्रकार के बने हुए संघों पर खाद्य विभाग का कोई नियंत्रण नहीं है।

(5) हलवाइयों को केवल नियंत्रित भाव से मैदा व सूजी दी जाती है और इस पर भी काफी बहुतायत है अतएव मिठाइयों के भाव पर सरकार की ओर से कोई नियंत्रण नहीं रखा जाता है।

( सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

**लकड़ी लाने के लिए परमिट**

642. श्री हरिवल्लभ शर्मा ( सवाई माधोपुर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सवाईमाधोपुर में सर पर लकड़ी के भारे लाने के लिए जंगलात द्वारा परमिट दिए जाते हैं ? यदि हां, तो महिने में कितने बार और किस फीस पर ?

(2) क्या यह सही है कि ये भारे लाने के परमिट केवल कुछ ही व्यक्तियों को और एक सीमित आयु वाले को ही दिए जाते हैं ? यदि हां, तो ये परमिट किसी व्यक्ति को दिए जाने के लिए क्या मापदण्ड है और किस आयु के व्यक्ति को दिए जाते हैं ?

**उत्तर**

(1) जी हां। महीने में 20 बार प्रति माह 3 पैसे शुल्क पर।

(2) जी नहीं।

**बारां की फर्म के विरुद्ध मामला**

643. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) कोटा व बारां की फर्म मैसर्स नरायण हरिशंकर पर फूड ग्रेन एक्ट के अन्तर्गत किस किस प्रकार के गल्ले के कितने मामले कितने समय से चल रहे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान खाद्य आयुक्त द्वारा उक्त फर्म के विरुद्ध

(श्री देवीदत्त गाड़िया)
कानूनी कार्यवाही करने के लिये अब तक कई बार आदेश जारी किये जा चुके हैं ? यदि हां, तो किस किस प्रकार के आदेश कब कब जारी किए गए ?

(3) उक्त आदेशों के अनुसार कोई कार्यवाही हुई है या नहीं ? क्या यह सही है कि इन मामलों को दबाने की कोशिश की जा रही है ?

उत्तर

(1) मैसर्स नारायण हरिशंकर कोटा-बारां के विरुद्ध कुल 4 मामले फूड ग्रेन एक्ट के तहत चल रहे हैं:—

(अ) दी राजस्थान फूडग्रेन डीलर्स लाइसेन्स आॅर्डर, 1964 एवं दी राजस्थान कोर्स ग्रेन (रेग्यूलेशन आफ डिस्ट्रीब्यूशन) आॅर्डर, 1964 के अन्तर्गत एक मामला इस पार्टी को कोटा स्थित फर्म के विरुद्ध दिनांक 22-11-65 को चालू किया गया।

(ब) उक्त फर्म की बारां स्थित दुकान के विरुद्ध दी राजस्थान कोर्स ग्रेन रेगूलेशन आफ डिस्ट्रीब्यूशन आॅर्डर, 1964 एवं दी राजस्थान फूड ग्रेन्स डीलर्स लाईसैन्स आॅर्डर 1964 के अन्तर्गत परपत्र अधिकारी बारां के यहां दिनांक 21-11-66 को भिजवाया गया।

(स) दी राजस्थान फूडग्रेन डीलर्स लाइसेन्स आॅर्डर, 1964 के तहत दिनांक 26-6-66 को बारां की दुकान के विरुद्ध एक मामला इस विभाग द्वारा भिजवाया गया।

(द) एक मामला दिनांक 27-11-66 को वहां के प्रवर्तन अधिकारी ने कोटा की फर्म के विरुद्ध दिया है जिस पर कार्यवाही जारी है।

(2) यह सही है कि फर्म के विरुद्ध उक्त मामलों में कानूनी कार्यवाही करने हेतु समय समय पर उपजिलाधीश बारां एवं जिलाधीश कोटा को लिखा गया था। प्रत्येक मामले में विभागीय एवं कानूनी कार्यवाही हेतु निम्न प्रकार लिखा गया :—

(अ) पत्र संख्या एफ.–11 (145) ए. एफ. ओ./65/50250 दिनांक 22-11-65 द्वारा जिलाधीश कोटा को दी राजस्थान कोर्स ग्रेन रेगूलेशन आफ डिस्ट्रीब्यूशन आॅर्डर 1964 की धारा 3 (4) के अन्तर्गत एवं फूडग्रेन डीलर्स लाईसैन्स आॅर्डर, 1964 विभागीय कार्यवाही लाईसैन्स रद्द करने/जमानत जब्त करने हेतु तथा कार्यवाही समाप्त होने के पश्चात् अदालती कार्यवाही हेतु सुझाव दिया था। इसके बाद समय समय पर स्मरण-पत्र भिजवाये गये।

(ब) दूसरे मामले में पत्र संख्या एफ. 21 (26) ए. एम. ओ./67/50250 दिनांक 22-?-65 द्वारा इस फर्म के विरुद्ध दी राजस्थान फूडग्रेन डीलर्स लाइसैन्स आॅर्डर, 1964 के तहत विभागीय कार्यवाही हेतु उल्लेख किया गया तथा बाद में पत्र संख्या एफ. 31 (26) ए. एम. ओ./65 दिनांक 21-11-66 को ई. सी. एक्ट के तहत कानूनी कार्यवाही हेतु जिला रसद अधिकारी कोटा को लिखा गया था। उत्तर नहीं आने पर समय समय पर स्मरण-पत्र भिजवाये गये।

(स) तीसरे मामले में विभागीय कार्यवाही

(खाद्य मंत्री)

लाइसेन्स निलम्बित/रद्द करने तथा जमानत जब्त करने के लिए एवं अदालती कार्यवाही करने हेतु पत्र संख्या 49646 दिनांक 26-6-66 को लिखा गया था। फिर समय 2 पर स्मरण-पत्र भिजवाये गये।

(द) चौथा मामला जो दी राजस्थान फूड ग्रेन डीलर्स लाईसेन्स ऑर्डर, 1964 के तहत/दिनांक 27-11-67 को दिया गया उस पर जिला रसद अधिकारी कोटा द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

(3)

जिलाधीश कोटा एवं जिला रसद अधिकारी कोटा को जो पत्र प्रेषित किए गये उनको कोटा का मामला क्रमांक संख्या (1) के अलावा (2) एवं ( ) को जो बारां फर्म से सम्बन्धित था उप जिलाधीश बारां के यहां भिजवा दिया। कोटा से जो मामला सम्बन्धित था उस पर जिला रसद अधिकारी कोटा द्वारा फैसला किया गया। उक्त मामलों में निम्न कार्यवाही हुई है:—

(अ) जिला रसद अधिकारी कोटा ने दिनांक 22-8-66 को पहले वाले मामले में 250/रु. जमानत जब्त करने तथा लाइसेन्स 31-3-67 तक निलम्बित करने के आदेश दिये।

(ब) दूसरे मामले में उप जिलाधीश बारां ने दिनांक 15-12-65 को फैसला देकर जमानत में से 100/– रु. जब्ती के आदेश दिये।

(स) उप जिलाधीश बारां ने तीसरे मामले में 50 जमानत में से जब्त करने के आदेश दिनांक 18-12-66 को दिये।

(द) इसका फैसला अभी नहीं हुआ है पार्टी को सफाई के लिए नोटिस दिया गया है। बयान आदि भी लेने हैं। प्रत्येक मामले में जो फैसला क्रमांक 1 से 3 तक हुआ वह सरकार द्वारा अपर्याप्त समझा गया और जिलाधीश कोटा का ध्यान इस कार्यालय द्वारा पुनः आकर्षित किया गया है तथा अदालती कार्यवाही हेतु लिखा गया है। समय 2 पर स्मरण-पत्र भी भिजवाये गये हैं।

उक्त कार्यवाही को ध्यान में रखते हुए मामलों को दबाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। इस विभाग ने समय 2 पर जिला अधिकारियों का ध्यान उक्त मामलों के लिए शीघ्र निर्णय लेने हेतु आकर्षित किया है अतः यह तथ्य सही नहीं है।

## बून्दी में अनुसूचित जाति के लोगों को मकानों का वितरण

644. श्री केसरी सिंह हाडा (हिण्डोली): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बून्दी में अनुसूचित जाति के लोगों के लिये मकान कब बनाये गये थे और हर मकान पर क्या खर्चा लगा? तथा कुल कितने मकान हैं?

(2) क्या यह सत्य है कि मकानों के वितरण में पूर्ण पक्षपात बरता गया है?

(3) जिन जिन परिवारों को मकान दिये गये हैं उनकी माहवारी आय क्या है?

(4) क्या यह सत्य है कि वे परिवार जिनके पास मकान नहीं हैं और आय भी कम हैं, उनको वंचित रखा गया है?

(श्री केसरीसिंह हाड़ा)

(5) सरकार जिनको मकान नहीं दे सकी और जिनके घरू मकान नहीं हैं उनके लिये नये मकान क्यों नहीं बनाती ?

उत्तर

(1) सूची "अ" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। इस विभाग में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(3) जिन परिवारों को मकान सहायता दी गई है उनकी सालाना आय 1000 रुपये से कम है।

(4) ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत नहीं किया गया है जो पूर्ण था।

(5) समाज कल्याण विभाग द्वारा मकान नहीं बनाये जाते। वित्तीय प्रावधान एवं आवश्यकतानुसार पिछड़े वर्ग के जरूरतमन्द व्यक्तियों को मकान सहायता दी जाती है। प्रावधान की कमी के कारण सब लोगों को मकान सहायता देना भी सम्भव नहीं है।

बूंदी शहर में मशीन सहायता हेतु दी गई धनराशि की सूची 'अ'

| क्रमांक | वर्ष | स्वीकृत मकान संख्या | पूर्ण | अपूर्ण | मकान नहीं बनाये गये एंव जिनकी धनराशि खजाने में जमा करवादी गई उनकी संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1960=61 | 98 | 85 | 1 | 12 |
| 2. | 1961=62 | 21 | 15 | 2 | 4 |
| 3. | 1962=63 | 11 | 11 | — | — |

नोट :—उपरोक्त पूर्ण मकानों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियमानुसार जिला परिवीक्षा एंव समाज कल्याण अधिकारी बूंदी द्वारा महालेखापाल को भेज दिये गये हैं। 3 मकान अपूर्ण हैं जिनकी वसूली के नोटिस दिये गये हैं। 16 मकान जिनका निर्माण नहीं किया गया उनकी धनराशि खजाने में जमा करा दी गई है।

## ग्राम जलवाड़ा में श्मशानों की भूमि का अलाटमेन्ट

645. श्री नन्दलाल (किशनगंज): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला कोटा की तहसील किशनगंज के ग्राम जलवाड़ा की खसरा नं. 695 की 1814 बीघा श्मशानों की भूमि एलाट की गई ?

(2) क्या राज्य सरकार द्वारा श्मशानों की भूमि का एलॉटमेंट नियमानुसार है? यदि नहीं, तो यह जमीन क्यों एलॉट की गई ?

(3) क्या यह सही है कि पंचायत जलवाड़ा द्वारा यह जमीन बेदखल करवाने के लिए कोशिश की गई लेकिन आज तक यह जमीन बदस्तूर काश्त की जा रही है ?

### उत्तर

(1) जी नहीं। तहसील किशनगंज जिला कोटा के ग्राम जलवाड़ा की खसरा नं. 695 रकबा 18 बीघा 7 बिस्वा श्मशान भूमि नहीं है, बल्कि रेकार्ड में सिवायचक काबिल काश्त किस्म बंजड़ भूमि दर्ज है।

(2) जी नहीं। श्मशान की भूमि को एलॉट करने के राज्य सरकार के कोई आदेश या नियम नहीं है। रेकार्ड में यह भूमि काबिल काश्त सिवायचक बंजड़ दर्ज होने के कारण एलॉट की गई।

3. जी हां। पंचायत जलवाड़ा द्वारा उक्त भूमि को पड़त कराने के लिये तहसील से निवेदन किया था, जिसका तहसील द्वारा पंचायत को उत्तर दिया गया कि चूंकि यह एलॉटमेंट अवैधानिक नहीं है, इसलिये निरस्त नहीं किया जा सकता है। यदि पंचायत को एडवाईजरी कमेटी के इस आदेश के विषय में कोई आपत्ति है तो नियमानुसार उसके विरुद्ध अपील की जा सकती है।

# परिशिष्ट 4

(तारांकित प्रश्न संख्या 620 की सूची)

सूची काश्त काश्तकारान जिनको नगरो ग्राम में एलाटमेन्ट कमेटी द्वारा नगरी ग्रामखहेडा पंचायत क्षेत्र के भूमिहीन किसानों में बलदरखा ग्राम के किसानों को भूमि आवंटित की गई। विधान सभा प्रश्न संख्या 310।रा.म

| क्रम संख्या 1 | नाम काश्तकारान 2 | 3 | आराजी नं. 4 | रकबा 5 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री तबच्छा पिता खेमा मीणा | नि. बलदरखा | 9 | 5) |
| 2. | श्री मोतीलाल पिता नाथूलाल मीणा | ,, | 479 | 7।।) |
| 3. | श्री भैरू पिता उदा मीणा नि. | ,, | 1811 | 8।।) 3 |
| 4. | श्री धन्ना पिता हेमा मीणा सा. | ,, | 5 | 13) 2 |
| 5. | श्री मांगू पिता बैगना मीणा सा. | ,, | 7 | 5।।) 1 |
| 6. | श्री मांगू पिता मुंगा रावत सा. | ,, | 16 | 9) |
| 7. | श्री भंवर पिता सुखा मीणा सा. | ,, | 298 | 8) 4 |
| 8. | श्री दोला पिता भजा मीणा | ,, | 54 | 4।।) 4 |
| 9. | श्री धन्ना पिता चमना मीणा सा | ,, | 1911 | 8।।।) 4 |
| 10. | श्री भैरूं पिता तेजा रावत सा. | ,, | 2113 | 5।।।) |
| 11. | श्री भगवान पिता नाथू रेगर सा. | ,, | 1095 | 5) |
| 12. | श्री कालू पिता धन्ना रेगर सा. | ,, | 1095 | 9।।) |
| 13. | श्री बलदेव पिता डूंगा मीणा सा. | ,, | 9 | 6) |
| 14. | श्री हीरा पिता नारायण मीणा | | 2011 | 3।।) 4 |
| 15. | श्री मांगू पिता हरलाल चमार | | 21 | 8) |
| 16. | श्री मांगी पिता गोधा मीणा सा. | ,, | 15 | 4।) 3 |
| 17. | श्री हेमा पिता मुथरा मीणा सा. | ,, | 16 | 9) |
| 18. | श्री नंदा पिता मोती ढोली सा. | ,, | 1901 | 13) |
| 19. | श्री मेगा पिता तेजा रावत सा. | ,, | 2161 2 | 1।।) 2 |
| 20. | श्री दोला पिता मगना रावत सा. | ,, | 13 | 6।।) 4 |

# Page No.170



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 21. | श्री भंवर पिता बापू रावत सा. | बलवरखा | 479 | 9) |
| 22. | श्री परथी पिता गोकल रावत सा. | ,, | 14 | 8॥) |
| 23. | श्री खेमा पिता नारायण रेगर सा. | ,, | 1096 | 6॥) |
| 24. | श्री देवी पिता नाल्ह रेगर सा. | ,, | 1096 | 6॥) |
| 25. | श्री कालू पिता धन्ना रेगर सा. | ,, | 1095 | 9॥) |
| 26. | श्री भेरूं पिता सुखा मीणा सा. | ,, | 8 | 9) |
| 27. | श्री मांगू पिता माना मीणा सा. | ,, | 7 | 5॥)1 |
| 28. | श्री नानूराम पिता जगन्नाथ कूमावत | ,, | 309 | 11) 4 |
| 29. | श्री मोडी पिता नंदा ढोली सा. | ,, | 1101 | 13)4 |

## परिशिष्ट 5

(तारांकित प्रश्न संख्या 624 की सूची)

वन मण्डल उदयपुर में कोटडा, गोगुन्दा व झाडोल रेंजों में वर्ष 67–68 में नीलाम में दिये गये लकड़ी कोयला, बांस व सागर के कूपों व ठेकेदारों की सूची ।

| क्र सं. | नाम रेंज | नाम कूप | अभिप्राय नं. | | नाम ठेकेदार |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 1. | कोटडा रेंज | बोरणा पार्ट नं. 1 | 15 ए | लकड़ी कोयला | श्री महम्मद अमीन पित हाजी हुसैन नि. स्वरूपगंज |
| 2. | ,, | ,, | 15 बी | ,, | श्री अब्दुल शकूर पिता ईसा नागोरी नि० स्वरूपगंज |
| 3. | ,, | ,, | 15 सी | ,, | ,, |
| 4. | ,, | पीपसमाल नं. | 17 ए | ,, | श्री महम्मद सदीक पित इब्राहीम नागोरी निवासी स्वरूपगंज |
| 5. | ,, | बुबरावुबरी नं. | 12 ए | ,, | श्री अमोलकसिंह पिता दिलीपसिंह सिख निवासी उदयपुर । |
| 6. | ,, | ,, | 12 बी | ,, | श्री अब्दुल अजीज खां पिता जमान खां निवासी कोटड़ा । |
| 7. | ,, | ढेडमारिया नं. | 17 बी | ,, | श्री बद्रीप्रसाद पिता रामकिशन दास निवासी स्वरूपगंज । |
| 8. | ,, | सारन नं. | 12 सी | ,, | श्री सिराजुद्दीन पिता बफाती निवासी कोटड़ा |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 9. | कोटड़ा रेंज | चमारी कूप पीपल माल नं. 1 व 3 कम्पा नं. 16, 17, 18, 24, 27, 30, 31, 32, 33 | बांस | श्री अमोलकसिंह पिता दिलीपसिंह सिल निवासी उदयपुर। |
| 10. | " | " नं. 7 व 9 कम्पा, 1, 1ए, 2, 3, 14, 14ए, 15 से 18 व 25 | बांस | श्री रामेश्वर पिता मुन्नालाल निवासी पिण्डावा। |
| 11. | " | कूप लादान नं. 8 कम्पा 5, 6, 7, 13 | बांस | श्री नोमानअली पिता तैयावअली बोहरा नि० उदयपुर। |
| 12. | " | डेडमारिया नं. 5 कम्पा 2, 9, 10, 11 और 15 से 18 | " | श्री बद्रीप्रसाद पिता रामकिशनदास नि. स्वरूपगंज। |
| 13. | " | ग्वालिया बेरी बोलरियां की नाल कूप नं. 3 कम्पा. 1 से 19 (500 वृक्ष) | सालर वृक्ष 500 क्र. सं. 2501 से 3000 | श्री फकीर महुम्मद पिता महुम्मद भाई नि. विशनगर मसाना (गुजरात)। |
| 14. | " | " " | (3501 से 4000) | श्री प्रहलाद कुमार पिता खेमचन्द सिंघी निवासी उदयपुर। |
| 15. | " | " (5001 से 5500) | " | " " |
| 16. | " | " (5501 से 6000) | " | " " |
| 17. | " | " (6001 से 6500) | " | " " |
| 18. | गोगुन्दा रेंज | चितोड़िया 7 कम्पा. 1 से 2 (मनभंग) 1 से 4 चितोड़िया | बांस | श्री रतनसिंह पिता गणेशमल गाछा नि. उदयपुर। |
| 19. | आडोल रेंज | कूप भोगणा 4 ए | लकड़ी कोयला | श्री महुम्मद अमीन पिता हाजी हुसैन नागोरी नि. स्वरूपगंज। |

# Page No.173



| 1 | 3 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 20. | झाड़ोल रेंज कूप गोगला | 4 (बी) | लकड़ी कोयला | श्री अब्दुला पिता हाजी गुलाम महमद निवासी सिरोही रोड । |
| 21. | ,, | ,, 4 (सी) | ,, | ,, ,, |
| 22. | ,, | ,, 4 डी | ,, | श्री मजीब खां पिता रुस्तम खां पजान नि॰ सराड़ा । |
| 23. | ,, | महम्मद फलासिया मय अमरपुरा कीरट कूप नं. 11 | बांस | श्री ममोलकसिंह पिता दिलीपसिंह सिख निवासी उदयपुर । |

# परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 275 की सूची)

परिशिष्ट –क

## प्रोजेक्टवार कीमत भूमि

### राजस्थान नहर योजना

| किस्म भूमि | मूल्य प्रति बीघा |
|---|---|
| (1) नाली | 800) रु. |
| (2) लाईट लूम | 675) रु. |
| (3) सैण्डी लूम | 500) रु. |
| (4) अनकमान्ड | 150) रु. |
| **चम्बल परियोजना** | |
| (1) सिंचित भूमियां माल किस्म–1 | 250) रु. |
| (2) सिंचित भूमियां माल किस्म–2 तथा 3 | 170) रु. |
| (3) सिंचित भूमियां माल किस्म–4 | 100) रु. |
| (4) असिंचित माल किस्म–1 | 90) रु. |
| (5) असिंचित माल किस्म–2 तथा 3 | 70) रु. |
| (6) असिंचित माल किस्म–4 | 35) रु. |
| **गंग नहर योजना** | |
| (1) नहरी पेरिनियल | 700) रु. |
| (2) नहरी नोन पेरिनियल | 500) रु. |
| (3) बारानी | 250) रु. |
| **भाखरा नहर योजना** | |
| (1) नाली–1 | 800) रु. |
| (2) नाली–2 | 650) रु. |
| (3) लाईट लूम | 600) रु. |
| (4) सैण्डी लूम | 500) रु. |
| (5) अनकमान्डेड | 150) रु. |

नोट:—बाकी के उन प्रोजेक्टस् के बारे में जो कोलोनी घोषित कर दिये गये हैं। कीमतें रिवाइज की जा रही हैं अथवा जहां निर्धारित नहीं हुई है वहां नए सिरे से कायम की जा रही हैं।

## परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 278 की सूची)

**पंचायत समिति, निवाई क्षेत्र में अधूरे निर्माण कार्यों का विवरण**

| वर्ष | स्कूल भवन | पानी पीने के कुवे | गांवांई तालाब | अध्यापिका भवन | बीज गोदाम | ग्राम सेवक भवन | खुर्रे-रास्ते आदि | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960–61 | – | 2 | 3 | – | – | – | – | 5 |
| 1961–62 | – | 8 | 3 | – | – | 3 | 1 | 15 |
| 1962–63 | – | 4 | 4 | – | – | – | 1 | 9 |
| 1963–64 | 7 | 10 | 1 | – | – | 1 | 1 | 20 |
| 1964–65 | 8 | 4 | 5 | – | – | – | 1 | 18 |
| 1965–66 | 6 | 12 | 10 | 1 | 2 | – | 2 | 33 |
| 1966–67 | 3 | 13 | 13 | – | – | – | – | 29 |
| 1967–68 | – | 13 | 2 | – | 1 | 1 | – | 17 |
| योग— | 24 | 66 | 41 | 1 | 3 | 5 | 6 | 146 |

## परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 282 की सूची)

**बूंदी जिले में प्रथम व द्वितीय पंचायत ग्राम चुनाव म निर्विरोध चुने गये सरपंचों का विवरण**

| क्रम संख्या | नाम पंचायत | पंचायत समिति | (प्रथम चुनाव) |
|---|---|---|---|
| 1. | विजयगढ़ | हिण्डोली | |
| 2. | नैवड़ | " | |
| 3. | सीनिया | " | |
| 4. | सांवलगढ़ | " | |
| 5. | मोटाढ़ा | तालेड़ा | |
| 6. | झामी | " | |
| 7. | मानेश्वर | " | |
| 8. | बासकुण्ड | " | |
| 9. | नयागांव | " | |
| 10. | आर्धड़ी | " | |
| 11. | लाम्बाखो | " | |
| 12. | अतड़ा | नैनवा | |
| 13. | माजेतरी | " | |
| 14. | डाकू न | " | |
| 15. | अनुठा | केशोरायपाटन | |

(द्वितीय चुनाव)

| | | |
|---|---|---|
| 1. | पगोरा | हिन्डोली |
| 2. | विजयगढ़ | " |
| 3. | प्रोबन | " |
| 4. | नेगढ़ | " |
| 5. | गुढ़ा | " |
| 6. | सांवतगढ़ | " |
| 7. | देहित | बालेड़ा |
| 8. | बयाना | " |
| 9. | लाम्बीतोड | " |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 10. | रामगंज | बालेड़ी | |
| 11. | सोसोला | नैनवा | |
| 12. | गुडासमावरण | " | |
| 13. | डाकून | " | |
| 14. | समिनि | " | |
| 15. | मांवरना | " | |
| 16 | जैतपुर | " | |
| 17. | खनल ग्रनेंढा | केशोरायपाटन | |

बूंदी जिले में सरपंचों के निर्विरोध चुनाव के कारण विशेष अनुदान दी गई पंचायतों की सूची:—

| क्र. सं. | ग्राम पंचायत | पंचायत समिति | विशेष अनुदान देने का दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | विजयगढ़ | हिन्डोली | जुलाई, 1961<br>दिसम्बर, 1962<br>मार्च, 1964 |
| 2. | नेगढ़ | " | " " |
| 3. | खीनिया | " | " " |
| 4. | सांवतगढ़ | " | " " |
| 5. | नोटाडा | तालेड़ा | " " |
| 6. | डानी | " | " " |
| 7. | थानेश्वर | " | " " |
| 8. | जाखमुंड | " | " " |
| 9. | नयागांव | " | " " |
| 10. | ग्रायड़ा | " | " " |
| 11. | लाम्बाखो | " | " " |
| 12. | मतेड़ी | नैनवा | " " |
| 13. | डाकून | " | " " |
| 14. | भाजेसरी | " | " " |
| 15. | ग्रनेंठा | केशोरायपाटन | " " |

# परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 286 की सूची)

## सूची

इस साल बाढ़ आने से पाली तहसील के निम्न गांवों के तालाब नष्ट हुए हैं:—

1. ग्राम गड़वाड़ा
2. अंतपुर
3. सकरलाई
4. घेन्डा
5. गरवलिया
6. धोलेरिया सालण
7. धोलिरिया जागीर
8. ऊंदरा
9. गेलावास
10. वामद
11. जैतपुरा
11. कीरवा
12. कल्याणपुरा
13. चौगवा
15. खूटकड़ा
16. चोवोड़ी
17 बालराई
18. खोड़
19. गुडा बीछड़ू
20. हीरनकुड़ी
21. नीम्बाडा
22. दयालपुरा
23. पातो
24. ठाकुरसा
25. नवा गुड़ा
26. गुन्बोज
27. लाम्बिया
28. रूपावास
29. ढेन्डा
30. मिणोयाणरो

## परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 289 की सूची)

सूची तहसीलवार गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर नुकसानी के तादाद गांव जिला बांसवाड़ा

सं. 2021 (नुकसानी आनों में मय तादाद गांव)

| क्र. सं. | तहसील | 6 आ. व उससे ऊपर 8 आने से कम | 8 आ. से ऊपर 6 आने से कम | 10 आ. या उससे ऊपर व 12 आ से कम | 12 आ. नुकसान | 12 आ. से ऊपर 1) रु. तक | कुल योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | बांसवाड़ा | — | — | — | — | — | — |
| 2. | घांटोल | — | — | — | — | — | — |
| 3. | गढ़ी | 13 | 77 | 68 | 1 | 8 | 167 |
| 4. | कुशलगढ़ | 55 | — | — | — | — | 55 |
| 5. | बागीदौरा | 28 | 3 | — | — | — | 31 |
| | | 96 | 80 | 68 | 1 | 8 | 253 |
| 1. | बांसवाड़ा | 14 | 54 | 97 | 23 | 134 | 322 |
| 2. | घाटोल | 22 | 64 | 79 | 11 | 122 | 298 |
| 3. | गढ़ी | — | 1 | 11 | 2 | 153 | 167 |
| 4. | कुशलगढ़ | — | 5 | 102 | 32 | 258 | 297 |
| 5. | बागीदौरा | 55 | 114 | 53 | 6 | 21 | 249 |
| | | 91 | 238 | 342 | 74 | 688 | 1433 |

## शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक 18 मार्च, 1968)

| स्कम्भ संख्या | पंक्ति संख्या | अशुद्ध | शुद्ध |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 11 | मंत्री, राजस्थान केनाल परियोजना | राजस्थान केनाल परियोजना मंत्री |
| 7 | अन्तिम से 6 | श्री केशरीसि हाडा : (हिण्डौली) | श्री केसरीसिंह हाडा (हिण्डौली) : |
| 8 | 3 | श्री केशरीसिंह हाडा | श्री केसरीसिंह हाडा |
| 8 | 11 | श्री लादूराम शुनियां | श्री लादूराम सुलानियां |
| 8 | 18 | श्री नाथू ाम | श्री नाथूराम |
| 10 | 11 | निरक्षकों | निरीक्षकों |
| 13 | 7 | श्री केदार नथ | श्री केदारनाथ |
| 18 | अन्तिम से 4 | श्री रामप्रसाद ड्ढा | श्री रामप्रसाद लड्ढा |
| 23 | 5 | श्री ैरोंसि | श्री भैरोंसिंह |
| 23 | 8 | श्री द्युम्नसिंह | श्री प्रद्युम्नसिंह |
| 23 | 15 | श्री भैरोंसि | श्री भैरोंसिंह |
| 23 | 18 | ी प्रद्युम्नसिंह | श्री प्रद्युम्नसिंह |
| 25 | अन्तिम से 3 | कांपी शिन | कांपीटीशन |
| 26 | ,, 2 | श्री भरोंसिंह | श्री भैरोंसिंह |
| 29 | ,, | श्री ही ालाल देव ु रा | श्री हीरालाल देवपुरा |
| 30 | ,, 2 | श्र विजय ह रावत | श्री विजयसिंह रावत |
| 33 | ,, | श्री उपाम्यक्ष | श्री उपाध्यक्ष |
| 35 | शीर्ष | (श्री परसराव मदेरणा) | (श्री परसराम मदेरणा) |
| 36 | 6 | टंडे | ठंडे |
| 36 | अन्तिम से 7 | राजथान | राजस्थान |
| 38 | 7 | केन्द्राय | केन्द्रीय |
| 38 | 15 | कर | करने |
| 40 | 17 | रामप्रसाद लड्ढा | श्री रामप्रसाद लड्ढा |
| 42 | अन्तिम से 3 | श्री उपाव्यक्ष | श्री उपाध्यक्ष |
| 43 | 13 | श्री भगवानदास श ात्री | श्री भगवानदास शास्त्री |
| 44 | शीर्षक | प्रश्नोनर | प्रश्नोत्तर |
| 44 | 3 | श्री रामदेव | श्री रामदेवसिंह |
| 44 | 7 | श्र उाध क्ष | श्री उपाध्यक्ष |
| 45 | 11 | श्री दलतरा सारण | श्री दौलतराम सारण |
| 47 | शीर्षक | प्रनोत्तर | प्रश्नोत्तर |
| 47 | 9 | 1966 में | 1966 को |
| 44 | अन्तिम | पटकरी | पटवारी |
| 48 | अन्तिम से 2 | श्री जु ारसिंह | श्री जुझारसिंह |
| 49 | 13 | द्वारा तथा | द्वारा छापने तथा |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 57 | अन्तिम से 12 | मागरोल | मांगरोल |
| 65 | अन्तिम से 9 | संजग्न | संलग्न |
| 66 | 6 | वंध | बांध |
| 68 | शीर्षक | त रांकित | तारांकित |
| 69 | शीर्षक | सदस्यों | सदस्यों |
| 69 | अन्तिम से 4 | सी_ा नि रिण | सीमा निर्धारण |
| 71 | 14 | कृा | कृपा |
| 71 | अंतिम से 2 | यात्रो | यात्री |
| 72 | शीर्षक | ताहांकिस | तारांकित |
| 73 | 2 | म तकावी | में तकावी |
| 75 | शीर्षक | 8, मार्च, 1968 | 18 मार्च, 1968 |
| 77 | अंतिम से 9 | बांधों स | बांधों से |
| 80 | अंतिम से 6 | क्या याजना | क्या योजना |
| 80 | अंतिम से 2 | बताने का | बताने की |
| 86 | 13 | जाति | जाति |
| 88 | 2 | पूछ गया | पूछा गया |
| 89 | 2 | कुडकी | कुर्की |
| 89 | 8, 13 व.14 | कुडक | कुर्क |
| 91 | शीर्षक | अतारांकित प्रश्नोत्तर | स. की मे. पर रखे गये पत्र |
| 91 | 12 | बागीदार | बागीडोरा |
| 92 | 1 | व्यवस्था | व्यवस्था |
| 93 व 95 | शीर्षक | अतारांकित प्रश्नोत्तर | स्थ. प्र. पर अध्यक्षीय व्यवस्था |
| 96 | अंतिम से 8 | श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाजार) | श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): |
| 97 | शीर्षक | व्यवस्वा | व्यवस्था |
| 97 | शीर्ष | (श्री सतीशचद्र अग्रवाल) | (श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल) |
| 97 | 5 | ार्डिनेन्स | आर्डिनेन्स |
| 101 | 7 | श्री दिग्विज सिंह | श्री दिग्विजय सिंह |
| 101 | 12 | तो में | तो मैं |
| 102 | 1 | जागकारी | जानकारी |
| 102 | अंतिम से 15 | फाइन्डिंग्स | फाइन्डिंग्स |
| 104 | 8 | आयव्यवक | आयव्ययक |
| 105 | अंतिम से 13 | रर्वेटिव | जर्वेटिव |
| 105 | अंतिम | ओर | और |
| 106 | 5 | मुक अकीमतों | अमुक कीमतों |
| 108 | 2 | में सदन | मैं सदन |
| 108 | 7 | चल आ | चला आ |
| 108 | 15 | हम | हमें |
| 108 | 16 | एक्सपेन्डीज | एक्सपेन्सेज |
| 108 | 17 | प्ल न | प्लान |
| 108 | 18 | जोड़े तो | जोड़ें तो |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 109 | 2 | चोथा फइनेन्स | चौथा फाइनेन्स |
| 110 | 7 | एक्सपेन्डाचर | एक्सपेन्डीचर |
| 110 | 9 | एक्सपेडिलचर | एक्सपेन्डीचर |
| 111 | 7 | की आर | की ओर |
| 111 | अंतिम से 10 | कर | करना |
| 111 | अंतिम से 9 | फासलेट | फासफेट |
| 111 | अंतिम से 3 | नाइटोजनस | नाइट्रोजन |
| 117 | 3 | उतन | उतना |
| 118 | अंतिम से 4 | के ब रे | के बारे |
| 121 | अंतिम | कमशन | कमीशन |
| 124 | अंतिम से 5 | इलका | इलाका |
| 129 | 1 | श्री मथुरा ास माथुर | श्री मथुरादास माथुर |
| 130 | 13 | 1 | 18 |
| 130 | अंतिम से 10 | 111 करोड | 1½ करोड |
| 131 | 8 | पचायत | पंचायत |
| 132 | अंतिम | हमरे य | हमने यह |
| 136 | 11 | जर्ये | जरिये |
| 136 | अंतिम से 16 | इन्वेस्टमेंट | इन्वेस्टमेंट |
| 137 | अंतिम से 10 | लिक्विडिशन | लिक्विडेशन |
| 138 | अंतिम से 7 | श्री मथुराद स माथुर | श्री मथुरादास माथुर |
| 144 | 7 | श्री मथुर दास माथुर | श्री मथुरादास माथुर |
| 144 | 13 | श्री देवेंदत्त गडिया | श्री देवीदत्त गाडिया |
| 146 | 16 व 20 | इन्ज नियरिंग | इन्जीनियरिंग |
| 147 | अंतिम | हो आयेगा | ही आयेगा |
| 149 | 20 | मिलता है | मिलती है। |
| 156 | शीर्षक | एई बहस | गई बहस |
| 156 | 9 | रुपगों | रुपयों |
| 157 | 10 | सेक्शन | सेंक्शन |
| 158 | 6 | डिंकिग | ड्रिंकिंग |
| 159 | अंतिम | आपने बडा | आपमें बड़ा |
| 160 | 1 | स्टेटिटिक | स्टेटिस्टिक |
| 162 | 1 | e | the |
| 162 | 8 | पर 25 | 25 |
| 166 | 1 | नियम 288 | 28 |
| 175 | शीर्षक | आय-व्ययक 1968-69 पर | आय व्ययक पर बहस का उत्तर |
| 175 | 5 | माइ त | माइन्स |
| 176 | शीर्षक | की गई बहस का सरकार द्वारा उत्तर | अनुदान की मांग संख्या 21, 14, 41 का विचारार्थ प्रस्तुतिकरण |
| 177 से 201 | शीर्षक | आय-व्ययक 1968-69 पर-18 मार्च, 1968- ी गई बहस का सरकार द्वारा उत्तर | मांग संख्या 21, 14, 40-18 मार्च, 1968-पर कटौती प्रस्ताव |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 188 | 16 | प्रणाखी | प्रणाली |
| 193 | अंतिम से 10 | श्री मूलचन्द बाफना | श्री फूलचन्द बाफना |
| 201 | अंतिम से 8 | श्री बिरधीचन्द | श्री वृद्धिचन्द |
| 202से 204 | शीर्षक | की गई बहस का सरकार द्वारा उत्तर | मांगों के प्रस्तुतिकरण सम्बन्धी पद्धति के सम्बन्ध में व्यवस्था |
| 205से 276 | शीर्षक | आयव्ययक 1968-69 पर-18 मार्च, 1968–की गई वहस का सरकार द्वारा उत्तर | मांग संख्या 21, 14, 40–18 मार्च, 1968–पर विचार |
| 227 | 13 | ढेढ | डेढ |
| 229 | 7 | की और | की ओर से |
| 230 | अंतिम से 13 | म | में |
| 230 | अंतिम से 13 | सकते हे | सकते हैं |
| 230 | अंतिम से 90 | मे | मैं |
| 230 | अंतिम से 7 | मजंर | मर्जर |
| 231 | 7 | दिवा जाता | दिया जाता |
| 231 | 19 | नोति | नीति |
| 232 | अंतिम से 4 | चमेगी | चलेगी |
| 233 | 4 | हो जाने | ही जाने |
| ,, | 17 | इन्डस्ट्रीज | इन्डस्ट्रीज |
| 234 | 8 | हास | हार्स |
| ,, | ,, | बिनायका | बिनायल |
| ,, | अंतिम से 14 | श्रोतो | स्त्रोतों |
| 237 | 13 | श्री मुकुट वि री लाल | श्री मुकुट बिहारी लाल |
| ,, | 10 | श्री मकुट बिहारी लाल | श्री मुकुट बिहारी लाल |
| ,, | अंतिम से 3 | प्रातों | प्रान्तों |
| ,, | ,, 2 | अपमानि | अपमानित |
| 238 | 5 | कडगम | कषगम |
| 239 | 2 | गरौब | गरीब |
| 241 | 5 | कम से कग | कम से कम |
| 241 | अंतिम से 5 | क्या यह | क्यों यह |
| 242 | ,, 3 | डली मी | डली भी |
| 244 | 12 | नहों तो | नहीं तो |
| 245 | 12 | श्री भगवानदास | श्री भगवान दास शास्त्री |
| 246 | 7 | मजडूरों | मजदूरों |
| ,, | 19 | ह मा | हमारे |
| 247 | ,, | पैलाना | फैलाना |
| 249 | अंतिम से 12 | घुंआ | धुंआ |
| 255 | ,, 8 | सन्वन्ध | सम्बन्ध |
| 257 | 4 | लड्कों को | लड़कों की |
| 259 | अंतिम से 14 | लोज | लीज |
| 262 | 5 | का | को |
| 268 | अंतिम से 3 | स्यायत्त शासन | स्वायत्त शासन |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 271 | 3 | मैं | मैंने |
| 272 | अंतिम से 3 | अच्छो अच्छो | अच्छी अच्छी |
| 277 से 314 | शीर्षक | आयव्ययक 1968-69 पर-18 मार्च 68-की गई बहस का सरकार द्वारा उत्तर | मांग सं. 21, 14, 40 पर-18 मार्च, 68-चर्चा का शासकीय उत्तर |
| 281 | अन्तिम | सरका ने | सरकार ने |
| 283 | 8 | दुविध यें | दुविधायें |
| ,, | अंतिम से 11 | क्योंकि हैं | क्योंकि मैं |
| ,, | ,, 10 | कहा मैं | कहा है |
| 284 | ,, 15 | अगर | मगर |
| 288 | 5 | श्री केसरीसिंह | श्री केसरी सिंह हाड़ा |
| 289 | 8 | श्री रामचद्र आर्य | श्री रामचन्द्र आर्य |
| 290 | 4 | जितन हो | जितना हो |
| ,, | अंतिम से 10 | मेम्टेन | मेन्टेन |
| 294 | 16 व 17 | स्पेल्टर | स्मेल्टर |
| ,, | अंतिम से 6 | जसा | जैसा |
| 296 | ,, | इम्पूब्ड | इम्प्रूव्ड |
| 298 | 4 व 10 | श्री डूंगाराम | श्री डूंगाराम राजोरिया |
| ,, | 12 | श्री हरीदेव | श्री हरिदेव |
| 305 | 12 | निनेदन | निवेदन |
| 309 | अंतिम से 9 | इग्नोरो | इग्नोर |
| 311 | 8 | श्री हरीदेव जोशी | श्री हरिदेव जोशी |
| ,, | 11 | उलन | ऊलन |
| ,, | अंतिम से 2 | दिग्विजयसिंह | श्री दिग्विजय सिंह |
| 312 | ,, 10 | बारे म | बारे में |
| 319 | 1 | बजनी | वजनी |
| 223 | 17 | बू दी | बूंदी |
| 326 व 333 | शीर्षक | 18 माच, 1968 | 18 मार्च, 1968 |
| 333 | 3 | चुनाव म | चुनाव में |